वार्षिक रिपोर्ट
2015-2016

राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लॉट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया–110025
http://www.ncw.nic.in

विषय सूची

		पृष्ठ
संदेश		(i)
राज्य मंत्री का संदेश		(iii)
प्राक्कथन		(v-vi)
अध्याय–1	प्रस्तावना	1-6
अध्याय–2	मीडिया और पहुंच कार्यक्रम	7-15
अध्याय–3	शिकायत एवं जांच (सी एण्ड आई) प्रकोष्ठ	16-27
अध्याय–4	अनिवासी भारतीय (एनआरआई) प्रकोष्ठ	28-32
अध्याय–5	विधायी प्रकोष्ठ	33-57
अध्याय–6	नीति, कार्यक्रम, निगरानी, अनुसंधान एवं समन्वय (पीपीएमआरसी) प्रकोष्ठ	58-62
अध्याय–7	पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ	63-68
अध्याय–8	सूचना का अधिकार	69-70
अध्याय–9	सिफारिशें	71-111
	अनुलग्नक	113-113
अनुलग्नक -I	संगठनात्मक चार्ट	115-115
अनुलग्नक -II	सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) बिधेयक, 2013	116-116
अनुलग्नक -III	सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2014 पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें	117-130
अनुलग्नक -IV	मानव दुर्व्यापार (निवारण) विधेयक, 2016	131-135
अनुलग्नक -V	1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी) प्रायोजित करने वाले संगठनों की राज्य–वार सूची	136-140
अनुलग्नक -VI	2015–16 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों की सूची	141-144
अनुलग्नक –VII	2015–16 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों की सूची	145-147
अध्याय–10	वार्षिक लेखे 2015–16	149-200

सत्यमेव जयते

मेनका संजय गांधी
Maneka Sanjay Gandhi

मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अपने प्रमुख कार्यकलापों और पहलों को उजागर करते हुए वर्ष 2015–16 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने जा रहा है।

महिलाओं के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को किया गया।

वर्ष 2015–16 के दौरान, आयोग ने अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे जिनमें महिलाओं को प्रभावित करने वाली कानूनों की समीक्षा करना, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं के शोषण और उनके अधिकारों के वंचन की शिकायतों को उठाना शामिल है। आयोग ने महिलओं को प्रदत्त संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षोपायों को सुनिश्चित करने के लिए शिकायतों के विशिष्ट मामलों में स्व–प्रेरणा से भी कार्रवाई की।

आयोग द्वारा किए गए अन्य कार्यकलापों में जागरूकता विकास कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययनों को प्रायोजित करना, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/परामर्शों का आयोजन करने के साथ–साथ अंतःवासियों के निवारण के लिए अभिरक्षा संस्थानों, आश्रयों एवं सुधार गृहों के दौरे करना शामिल हैं। आयोग ने न्यायिक अधिकारियों और महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी किया। जमीनी स्तर पर कानूनी जागरूकता विकसित करने के लिए, आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनों, नए कानूनों एवं संशोधनों, उक्त विधानों के तहत प्रदत्त प्रतिकारों सहित, के बारे में "कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के लिए मानकीकृत मॉड्यूल" विकसित किया है। आयोग ने पंचायती राज की महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है।

मैं दिल्ली के ग्यारह जिलों के पुलिस थानों में सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए "हिंसा मुक्त घर–महिला का अधिकार" परियोजना शुरू करने के लिए आयोग की भूरि–भूरि प्रशंसा करती हूँ।

मुझे विश्वास है कि आयोग द्वारा पूर्व में सक्रियता से किए गए उपाय, और शुरू करने की पहल, आने वाले वर्षों में इसके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को सहायता पहुंचाएंगें।

मेनका संजय गांधी

(श्रीमती मेनका संजय गांधी)

कृष्णा राज
KRISHNA RAJ

सत्यमेव जयते

राज्य मंत्री
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
भारत सरकार
नई दिल्ली-110001
MINISTER OF STATE
MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI-110001

दिनांक- 05.12.2016

संदेश

मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि महिलाओं के कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के माध्यम से सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय महिला आयोग अपने प्रमुख कार्यकलापों के साथ–साथ उसके द्वारा की गई पहलों को उजागर करते हुए वर्ष 2015–16 अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने जा रहा है।

यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि आयोग ने उन्हें दिए गए अधिदेश को पूरा करने के वास्तविक प्रयास किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा, जब कभी गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, ऐसे मामलों पर स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेने सहित महिला अधिकारों को प्रभावित करने वाली महिलाओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाना शामिल है।

मैं आयोग के प्रयासों की सफलता की कामना करती हूँ और उसके अपेक्षित अधिदेश को प्राप्त करने के प्रति इसके उन्नत कार्यकलापों की आशा करती हूँ।

(कृष्णा राज)

ललिता कुमारमंगलम
LALITHA KUMARAMANGALAM

अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग
भारत सरकार

CHAIRPERSON
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
GOVERNMENT OF INDIA

प्राक्कथन

जैसा कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 खण्ड 13 में परिकल्पित है, मुझे राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्ष 2015–2016 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वर्ष के दौरान आयोग ने अपने अधिदेश को प्राप्त करने के लिये निष्ठापूर्वक कार्य किया तथा लिंग भेदभाव के मामलों को उठाते हुए, महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन हेतु सुझाव देते हुए और महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों की घटनाओं को स्वतः संज्ञान में लेते हुए महिला सशक्तीकरण पर कठोरता से कार्यवाही करते हुए पिछले वर्ष की गतिविधियो को आगे बढाया। जिससे पीड़ित महिलाओं को सहायता मिल सकें। महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों और भेदभाव से उत्पन्न हुई विशेष समस्याओं और परिस्थितियों के मामलों में आयोग द्वारा जाँच करते हुए कई क्षेत्रों का दौरा किया गया है।

आयोग ने वर्तमान में प्रचलित नियमों जैसे आपराधिक कार्यवाही कोड 1973, आध्र प्रदेश दासी (समर्पण रोकथाम) अधिनियम 1988 मानव तस्करी (रोकथाम) बिल 2016 सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौधोगिकी विनियम) विधेयक 2014 की समीक्षा की महिलाओं के लिए कानून में प्रदत्त उपचारों और कानूनी अधिकारों की प्रायोगिक जानकारी देने के उद्देश्य से आयोग ने विश्वविद्यालयों/विधिविभागों/महाविद्यालयों और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी जागरूकता के मानकीकृत मॉड्यूलस को विकसित करके, विधिक जागरूकता कार्यकमों का आयोजन किया।

आयोग ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरों, गृह मंत्रालय के सहयोग से, विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध अत्याचारों पर हो रही जाँच को विशेष रूप से केन्द्रित करते हुए, महिला पुलिस अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया।

अपने अधिदेश के अनुसार, आयोग ने विकास ढ़ाचे में महिलाओं को परिधि से केन्द्र की ओर लाने हेतु अनेकों कदम उठाये। वर्ष के दौरान, आयोग ने महत्वपूर्ण मामलों जैसे विकलांग महिलाओं के लिये अवसर विस्तार और प्रच्छन्न आदि विषयों पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया, इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यगणों ने कई अभिरक्षा संस्थाओं जैसे कारागार गृह, आश्रय गृहों आदि का दौरा, महिला संवासिनियों की स्थिति की जाँच करने हेतु किया और आवश्यकतानुसार , संबंधित प्राधिकारियों को उपचारात्मक संस्तुतियाँ की गयी। राज्य महिला आयोगों की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से, आयोग ने राज्य महिला आयोगों के प्रतिनिधियों के साथ कई परस्पर और प्रभावशील बैठके आयोजित की।

वर्ष 2015–16 के दौरान, सामान्य अभिरूचि के क्षेत्रों जैसे महिलाओं और लड़कियों के अवैध व्यापार और तस्करी को समाप्त करने के मामलों में साथ–साथ काम करने के लिये आयोग ने संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था और दिल्ली पुलिस के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जो 'हिंसा मुक्त घर –महिला का अधिकार' नामक परियोजना का विस्तार करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में वर्ष 2008 से 'महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठ' में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं/परामर्शदाताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक इसी तरह की परियोजना के लिए सात राज्यों जैसे ओडिसा, पंजाब, आसाम, मेघालय, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश और बिहार को चिन्हित करके एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 2015–16 में पाँच राज्यों से 31 सामाजिक कार्यकर्त्ता और दिल्ली 26 सामाजिक कार्यकर्त्ता। सामाजिक कार्यकर्त्ताओं/परामर्शदाता हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बच्चों को भावनात्मक सहयोग देते हैं, हिंसा को रोकने हेतु आपसी बातचीत करने के लिए, जीवनयापन अवसरों का सहानुबन्ध करते हैं और उन्हें विधिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य महिला के लिए हिंसामुक्त जीवन को प्राप्त करना है।

हिंसाग्रस्त उत्तरजीवियों और उनके आक्रमणकर्त्ताओं के साथ कार्य करने के साथ–साथ, सामाजिक कार्यकर्त्ता विभिन्न समुदायों में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मामलों को रोकने और जागरूकता पैदा करने हेतु कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

महिलाओं के लिये "स्टार्ट अप इंडिया और स्टैन्ड अप इंडिया" की पहल करते हुए 8 मार्च, 2016 को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला उद्यमियों पर केन्द्रित करते हुए एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम "शक्ति" का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त पंचायती राज में महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के लिये आयोग ने विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल की पहल की, ताकि पंचायत स्तर पर चुनी हुई महिलाएँ गाँवों में विकास और कल्याण कार्यक्रमों को लागू कर, उस पर निगरानी रखें। प्रिंट मीडिया और दूरदर्शन के चैनलों में विज्ञापनों के जरिये प्रचार और जागरूकता उत्पन्न की जा चुकी है और साथ ही साथ महिला संबंधी कानूनों और विषयों तथा सामाजिक बंधनों से मुक्त करने की जागरूकता पैदा की है।

मैं इस अवसर पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोग को दिये गए सहयोग के लिये विशेष आभार प्रकट करती हूँ, विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ कई राज्य सरकारों, राज्य महिला आयोगों मेरे सहकर्मियों और राष्ट्रीय महिला आयोग में कार्यरत कर्मचारियों जिनके सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता से उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो सका। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आयोग संबद्ध प्रयासो को जारी रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि हमारे हितधारक प्रतिक्रियात्मक हस्तक्षेप से परे जाकर लाभ उठायेंगे और सक्रियता से आयोग के अधिदेश को पूरा करेंगें।

(ललिता कुमारमंगलम)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग

अध्याय-1

परिचय

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसरण में, महिलाओं के अधिकारों एवं हितों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग (एन सी डब्ल्यू) का गठन किया गया। इसका अधिदेश बहुत व्यापक है जिसमें महिलाओं के विकास से जुड़े लगभग सभी पहलू शामिल हैं। आयोग संविधान तथा अन्य कानूनों के तहत महिलाओं के लिए प्रदान किए गए कानूनी सुरक्षोपायों की जांच एवं अन्वेषण करता है तथा उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए सरकार को उपायों के बारे में सिफारिश करता है। आयोग संविधान तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों के विद्यमान प्रावधानों की समीक्षा भी करता है तथा ऐसे कानूनों में किसी दोष, अपर्याप्तता या कमी को दूर करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करता है; महिलाओं के अधिकारों आदि के अपवंचन से संबंधित मामलों पर शिकायतों की जांच करता है तथा स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेता है।

आयोग महिलाओं से संगत मुद्दों पर अनुसंधान / अध्ययन का कार्य करता है, महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक विकास के लिए योजना प्रक्रिया में भाग लेता है और सलाह देता है, इस संबंध में हुई प्रगति का मूल्यांकन करता है; महिला अंतःवासियों की हालत की जांच करने के लिए जेलों, रिमांड गृहों / आश्रय गृहों का निरीक्षण करता है और जहां भी आवश्यक होती है, उपचारात्मक कदम उठाने का प्रयास करता है।

अपने अधिदेश का पालन करते हुए आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए और उनके सशक्तीकरण के लिए काम किया। आयोग के प्रतिनिधियों ने राज्य महिला आयोगों, गैर सरकारी संगठनों तथा अन्य संगठनों के साथ मिलकर आयोग द्वारा आयोजित बैठकों / सेमिनारों / कार्यशालाओं / कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। देश के विभिन्न/ भागों में महिलाओं की समस्याओं के बारे में प्राथमिक सूचना प्राप्त करने के लिए इन दौरों का आयोजन किया गया ताकि उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव दिया जा सके और संबंधित प्राधिकरणों के साथ मुद्दों को उठाया जा सके।

वर्ष 2008 से पुलिस स्टेशन में आयोग द्वारा दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही ''हिंसा मुक्तं घर – महिलाओं का अधिकार'' नामक समाज सेवा स्थापित करने की परियोजना का दिल्ली के 11 जिलों में विस्तार किया गया।

आयोग ने महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्मित करने के लिए क्षमता निर्माण

कार्यशालाएं भी शुरू की है, जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामले में जांच अधिकारी हो सकती हैं तथा अपनी पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों के समग्र विकास के लिए विकास एवं कल्याण के कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन एवं निगरानी में सुगमता प्रदान करने के लिए पंचायत स्तर पर पंचायती राज महिला प्रतिनिधि सशक्तीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

आयोग के अधिदेश के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार के विभिन्न मामलों की जांच के लिए भी कदम उठाए गए हैं। आयोग ने भारी संख्या में शिकायतें प्राप्त की तथा पीड़ितों को जल्दी से न्याय दिलाने के लिए महिला अधिकारों के अपवंचन तथा कानूनों के लागू न होने से संबंधित विभिन्न मीडिया रिपोर्टों एवं शिकायतों के आधार पर अनेक मामलों का स्व –प्रेरणा से संज्ञान भी लिया। आयोग कृत कार्रवाई रिपोर्टें मंगाकर अथवा जांच समितियों का गठन करके संबंधित प्राधिकरणों के साथ ऐसे मामलों को उठाता है।

महिला सशक्तीकरण तथा महिलाओं से संबंधित अन्य कानूनों एवं मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सूचना का प्रचार–प्रसार करने के लिए प्रिंट मीडिया में विज्ञापन, ऑडियो / वीडियो स्पॉट आदि के माध्यम से प्रचार का काम भी किया गया।

संरचना

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। आयोग की वर्तमान संरचना निम्नानुसार है :

1. श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष (29 सितंबर, 2014 से)
2. श्रीमती लालडिंगलानी सैलो, सदस्य (19 सितंबर, 2013 से)
3. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य (6 अगस्त, 2015 से)
4. सुश्री सुषमा साहू, सदस्य (17 अगस्त, 2015 से)
5. श्री आलोक रावत, सदस्य (20 अक्टूबर, 2015 से)
6. श्रीमती प्रीति मदान, सदस्य सचिव (30 जुलाई, 2015 से)

आयोग की कार्यप्रणाली मुख्य रूप से निम्नलिखित 6 प्रकोष्ठों में विभाजित है :

(i) शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ

(ii) नीति, कार्यक्रम, निगरानी, अनुसंधान एवं समन्वय (पीपीएमआरसी) प्रकोष्ठ

(iii) विधि प्रकोष्ठ

(iv) अनिवासी भारतीय (एन आर आई) प्रकोष्ठ

(v) पूर्वोत्तर (एनई) प्रकोष्ठ

(vi) जन संपर्क (पीआर) प्रकोष्ठ

इन प्रकोष्ठों में से प्रत्येक की विस्तृत गतिविधियों का ब्यौरा परवर्ती अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है। आयोग का संगठन चार्ट अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

आयोग की बैठकों में लिए गए निर्णयों का सारांश

वर्ष, 2015–16 के दौरान महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा आयोग की कार्यप्रणाली पर निर्णय लेने के लिए आयोग ने तीन बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का सारांश नीचे दिया गया है :

1 सितंबर, 2015 को आयोजित आयोग की बैठक :

i. आयोग ने ''दलित महिलाओं के साथ भेदभाव तथा सुझाई गई कार्य योजना'' तथा ''भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के विरूद्ध हिंसा'' पर विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टों को स्वीकार किया।

ii. आयोग ने नीमहंस, बेंगलोर द्वारा ''भारत में मनोवैज्ञानिक संस्थाओं में दाखिल महिलाओं के सरोकारों को दूर करना : एक गहन विश्लेषण'' पर संचालित किए जाने वाले अनुसंधान अध्ययन के लिए 10,00,000 रूपए (दस लाख रूपए मात्र) के बजट को अनुमोदित किया।

iii. आयोग ने ''हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार'' नामक परियोजना में काम करने वाले समन्वयकों एवं परामर्शदाताओं के पारिश्रमिक में वृद्धि को अनुमोदित किया।

iv. आयोग ने फील्ड में कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के संचालन के लिए प्रयोग में लाए जाने के लिए ''महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के लिए मानकीकृत मॉड्यूल'' (एल ए पी के लिए नए दिशानिर्देश) को अनुमोदित किया।

v. आयोग ने इस मुद्दे पर नीतिगत सिफारिशें करने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ वूमेंन स्टडी एंड डेवलपमेंट, नई दिल्ली द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क) पर संचालित अध्ययन पर एक राष्ट्रीय परामर्श / सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया।

vi. आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर महिलाओं से संबंधित कानूनों के समुचित कार्यान्वयन / महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की जांच में महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्मित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

vii. आयोग ने ''सिंगल मदर'' पर अनुसंधान अध्ययन संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य महिला आयोगों द्वारा संचालित किया जाएगा।

viii. आयोग ने देशभर के सभी जिलों में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एल ए पी) आयोजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

6 नवंबर, 2015 को आयोजित आयोग की बैठक :

i. दिल्ली के सभी 11 जिलों में ''हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार'' नामक परियोजना के विस्तार के संबंध में आयोग ने निम्न लिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

(क) दिल्ली पुलिस तथा टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई के साथ मिलकर दिल्ली के 11 जिलों में ''हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार'' नामक परियोजना का विस्तार।

(ख) आयोग ने दिल्ली पुलिस के अनुरोध के अनुसार प्रशासनिक एवं फुटकर व्यय के लिए सहायता प्रदान करने पर विचार किया तथा परामर्शदाताओं / सामाजिक कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाकर 20,000 रूपए प्रतिमाह और समन्वयकों का वेतन 25,000 रूपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया। अतः आयोग द्वारा 73,30,000 रूपए प्रतिवर्ष के बजट को अनुमोदित किया गया।

ii. आयोग ने पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मेघालय, असम और बिहार जैसे राज्यों के कुछ जिलों में ''हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार'' नामक परियोजना की पुनरावृत्ति के विशेष प्रकोष्ठ मॉडल को सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

iii. आयोग ने निम्नलिखित मामलों का संज्ञान लेने का निर्णय लिया :

(क) ''पश्चिम बंगाल में अगवा की गई हिंदू लड़की का मामला जिसकी पुलिस और शासन द्वारा अनदेखी की गई है'' शीर्षक से 7 जुलाई, 2015 को चक्र न्यूज वेबसाइट में छपी मीडिया रिपोर्ट।

(ख) ''इन माताओं के लिए देखरेख'' नामक लेख जो 21 अप्रैल, 2015 को ''इंडिया टुगेदर'' न्यूज वेबसाइट में छपा।

(ग) कथित बलात्कार के बारे में जांच समिति की रिपोर्ट तथा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में पुलिस की उदासीनता।

iv. आयोग ने पंचायती राज के महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए एक मॉड्यूल

विकसित करने के प्रस्ताव के संबंध में 9,00,000 रूपए के बजट को अनुमोदित किया।

v. आयोग ने आयोग के ''अनुसंधान एवं अध्ययन प्रकोष्ठ'' का नाम बदलकर ''नीति, कार्यक्रम, निगरानी, अनुसंधान एवं समन्वयक प्रकोष्ठ (पीपीएमआरसीसी) करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

vi. आयोग ने अन्य सरकारी संस्थाओं में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर अग्रणी विश्वविद्यालयों की साझेदारी में आयोग में रखी जाने वाली विशिष्ट इंटर्न तथा स्टाइपेंड के प्रावधान के साथ इंटर्न रखने की शर्तों से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

2 मार्च, 2016 को आयोजित आयोग की बैठक :

i. आयोग ने कुल 13,19,900 रूपए (तेरह लाख उन्नीस हजार नौ सौ रूपए मात्र) के बजट से ई आर यू कंसल्टें ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस यूनिट (एसपीयूडब्यूएसी), परामर्श यूनिट, दिल्ली पुलिस, नानकपुरा का मूल्यांकन करने से संबंधित प्रस्ताव की पुष्टि की।

ii. आयोग ने विभिन्न राज्यों में ''हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार'' (विशेष प्रकोष्ठ) परियोजना की पुनरावृत्ति के लिए पहले वर्ष के लिए 1,82,33,627 रूपए (एक करोड़ बयासी लाख तैतीस हजार छह सौ सत्ताइस रूपए मात्र) के आरंभिक बजट तथा सात राज्यों में 22 प्रायोगिक विशेष प्रकोष्ठों की प्रचालन लागत के लिए 1,45,95,363 रूपए (एक करोड़ पैंतालीस लाख पिच्यानबे हजार तीन सौ तिरेसठ रूपए मात्र) तथा 22 प्रायोगिक विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता हेतु 36,38,264 रूपए के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

iii. आयोग ने अग्रणी विश्वविद्यालयों की साझेदारी में सवैतनिक इंटर्नशिप कार्यक्रम के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया।

iv. आयोग ने दिल्ली के सभी 11 जिलों में ''हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार'' नामक परियोजना के विस्तार की पुष्टि की।

v. आयोग ने 28 जनवरी, 2016 को आयोजित स्क्रीनिंग समिति की बैठक में अनुमोदित सेमिनारों / कार्यशालाओं एवं अनुसंधान अध्ययनों के प्रस्तावों की पुष्टि की।

vi. दस्तावेजों के प्राप्त न होने, गैर सरकारी संगठनों / संगठनों से रिपोर्टें प्रस्तुत करने में विलंब, सेमिनारों / कार्यशालाओं / जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए समय से कार्रवाई के संबंध में आयोग ने निम्नलिखित उपायों को अनुमोदित किया

(क) सख्त समय–सीमा निर्धारित की गई – संगठनों को अनुमोदन पत्र / निधियों की निर्मुक्ति की पहली संस्वीकृति में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि कार्यक्रम का आयोजन निधियों की प्राप्ति (या कार्यक्रम संचालित करने के लिए फाइल पर अनुमोदित तिथि) से तीन माह के अंदर होना चाहिए, जो अनुसंधान अध्ययनों के मामले में भिन्न हो सकता है तथा अपेक्षित दस्तावेज कार्यक्रम संचालित होने के बाद दो माह के अंदर आयोग को अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

(ख) चूक पर ब्याज की वसूली के लिए प्रावधान – कार्यक्रम के आयोजन के दो माह बाद दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब के लिए देय / शेष किस्त से या बैंक गारंटी से 10 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली की शर्त संस्वीकृति आदेश की शर्तों में शामिल की जा सकती है।

(ग) यदि संगठन आयोग से निधियां प्राप्त करने के तीन माह के अंदर संस्वीकृत कार्यक्रम का आयोजन नहीं करता है, तो 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की वसूली की जा सकती है।

अध्याय-2

मीडिया और आउटरिच कार्यक्रम

अपने अधिदेश का पालन करते हुए आयोग ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए और उनके सशक्तीकरण के लिए काम किया। आयोग ने देश में समाज के विभिन्न वर्गों से अलग – अलग राय एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर कार्यशालाओं / सेमिनारों / परामर्शों का आयोजन किया / प्रायोजित किया।

I. आयोग द्वारा आयोजित या प्रायोजित महत्वपूर्ण सेमिनार / कार्यशालाएं / परामर्श / बैठकें / कार्यक्रम

i. शिलांग, मेघालय में 20 और 21 अप्रैल, 2015 को मेघालय राज्य महिला आयोग के साथ मिलकर आयोग द्वारा "सिंगल मदर" से संबंधित मुद्दों पर परामर्श का आयोजन किया गया।

शिलांग, मेघालय में 20 और 21 अप्रैल, 2015 को मेघालय राज्य महिला आयोग के साथ मिलकर आयोग द्वारा "सिंगल मदर" पर आयोजित परामर्श के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करती हुई श्रीमती ललडिंगलानी सैलो, सदस्य , राष्ट्रीय महिला आयोग

ii. होटल हयात रिजेंसी, नई दिल्ली में 24 अगस्त, 2015 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा

एसोचैम के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "समान स्थान : मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र में लैंगिक समानता" पर एक राष्ट्रीय वार्तालाप का आयोजन किया गया।

होटल हयात रिजेंसी, नई दिल्ली में 24 अगस्त, 2015 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा एसोचैम के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "समान स्थान : मीडिया तथा मनोरंजन क्षेत्र में लैंगिक समानता" पर आयोजित राष्ट्रीय वार्तालाप के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री प्रकाश जावेडकर, माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री

iii. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 15 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा ''सरोगेसी के मुद्दे'' पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 15 अक्टूबर, 2015 को ''सरोगेसी के मुद्दे'' पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के दौरान श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती प्रीति सूदन, अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डा. सौम्याम स्वामीनाथन, महानिदेशक, आई सी एम आर, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा एन सी पी सी आर के प्रतिनिधि

iv. नई दिल्ली में 4 सितंबर, 2015 को आयोग द्वारा राज्य महिला आयोगों के साथ एक चर्चा बैठक का आयोजन किया गया।

श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, माननीय अध्यक्ष महोदया, श्रीमती प्रीति मंदान, सदस्य सचिव, श्रीमती ललदिंग्ल्यानी सैलो, श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, श्रीमती सुषमा साहू सदस्य श्रीमती सुधा चौधरी पूर्व विधि अधिकारी राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली में 4 सितंबर, 2015 को राज्य महिला आयोगों के साथ आयोजित चर्चा बैठक के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करती हुई

v. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी), गृह मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने निपसिड, हौज खास, नई दिल्ली में 23 से 25 नवंबर, 2015 के दौरान ''महिलाओं के विरूद्ध अपराध की जांच पर विशेष बल'' के साथ महिला पुलिस अधिकारियों के लिए एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

निपसिड, हौज खास, नई दिल्ली में 23 से 25 नवंबर, 2015 के दौरान आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दीप प्रज्ज्वलन के दौरान श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्री राधाकृष्णन किनि ए., आईपीएस, विशेष डीजी, बीपीआर एंड डी तथा श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग

vi. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 2 दिसंबर, 2015 को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा "विकलांग महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार" पर एक परामर्श का आयोजन किया गया।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 2 दिसंबर, 2015 को "विकलांग महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार" पर आयोजित परामर्श के दौरान श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्री लव वर्मा, सचिव, दिव्यांलग व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि तथा अन्य प्रतिभागी

vii. राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सशक्तीकरण एवं पर्यावरणीय संचेतना के लिए जागरूकता पैदा करने हेतु बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए काठमांडू से नई दिल्ली तक की श्रमसाध्य साइकिल यात्रा करने के लिए उनकी प्रचुर दृढ़ता, ताकत और इच्छाशक्ति के लिए 8 जनवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में द्रुकपा कुंग फू नन को बधाई दी।

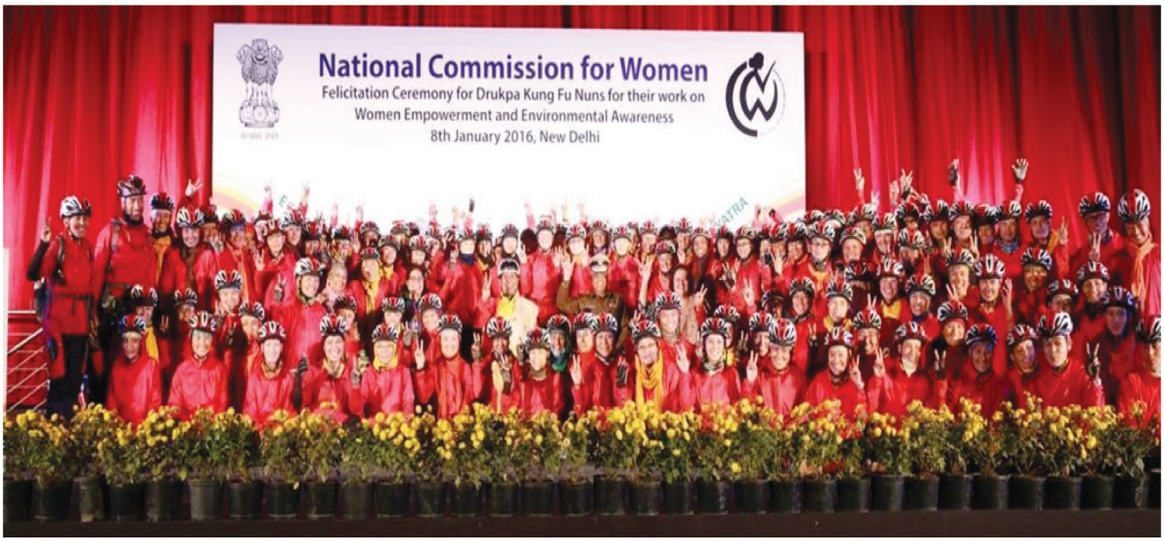

8 जनवरी, 2016 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोग द्वारा आयोजित द्रुकपा कुंग फू नन का बधाई समारोह

viii. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 13 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली में ''वैवाहिक क्रूरता तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क)'' पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया।

13 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली' में ''वैवाहिक क्रूरता तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क)'' पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श के दौरान श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, माननीय अध्यक्ष, श्रीमती प्रीति मदान, सदस्य सचिव एमएस, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा न्यायमूर्ति सुश्री ज्ञान सुधा मिश्र (भारत के उच्चतम न्यायालय की भूतपूर्व न्यायाधीश), श्रीमती रेखा शर्मा और श्री आलोक रावत, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, सुश्री गीता लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता

ix. हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने 28 फरवरी, 2016 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला में लैंगिक संवेदीकरण पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 28 फरवरी, 2016 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला में आयोजित लैंगिक संवेदीकरण पर एक दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विधि कालेजों के 117 न्यायिक अधिकारियों तथा 42 छात्रों ने भाग लिया।

x. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) तथा गृह मंत्रालय के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला पुलिस अधिकारियों के लिए 3 से 5 मार्च, 2016 के दौरान बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़) में एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्मित करने के लिए बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान डा. के पी सिंह, आईपीएस, डीजीपी (अपराध), हरियाणा, श्री अरविंद कुमार, आईपीएस, आईजी एनडब्यूआईपी एफटीआर, आईटीबीपी, श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्री पी एस पापता, डीआईजी, बीटीसी, आईटीबीपी बल, श्रीमती सुधा चौधरी, विधि अधिकारी (भूतपूर्व), राष्ट्रीय महिला आयोग तथा सुश्री सुखम गिरान, जेटीई (विधिक), राष्ट्रीय महिला आयोग

xi. महिलाओं के लिए स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया पहल को एक कदम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च, 2016) को शक्ति का आयोजन किया जो महिला उद्यमियों पर केंद्रित था।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च, 2016) को योर स्टोरी के साथ मिलकर आयोग द्वारा आयोजित 'शक्ति' के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करती हुई श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

II. **जन जागरूकता पर फोकस (बल)**

महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं स्कीमों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए हैं :

i. "वैवाहिक क्रूरता तथा आईपीसी की धारा 498 (क)" पर अध्ययन की रिपोर्ट। यह अध्ययन पीड़ितों के लिए कानूनी प्रतितोष पर दो राज्यों (हरियाणा और तमिलनाडू) में संचालित किया गया।

ii. इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में 4 सितंबर, 2015 को आयोग द्वारा राज्य महिला आयोगों के साथ आयोजित चर्चा बैठक की रिपोर्ट।

iii. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 15 अक्टूबर, 2015 को आयोग द्वारा ''सरोगेसी के मुद्दे'' पर आयोजित राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट।

iv. विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 2 सितंबर, 2015 को ''विकलांग महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार'' पर आयोजित परामर्श बैठक की रिपोर्ट।

I. **मीडिया और प्रचार**

i. **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार**

i. आइजवाल, मिजोरम में विशेष रॉक शो के दौरान 22 अगस्त, 2015 को दूरदर्शन के साथ मिलकर घरेलू हिंसा तथा महिलाओं के सशक्तीकरण पर आडियो / वीडियो स्पॉट का प्रसारण किया गया।

ii. असम में माघ बिहू सहित क्रिसमस तथा नववर्ष के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों के दौरान प्रसार भारती, गुवाहाटी के माध्यम से उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों पर घरेलू हिंसा, दहेज, एनआरआई विवाह तथा महिला सशक्तीकरण पर वीडियो स्पॉट का प्रसारण किया गया।

iii. 22 फरवरी, 2016 से आरंभ किए गए एक माह के प्रचार अभियान के तहत नेशनल नेटवर्क डीडी–1, दूरदर्शन के डीडी न्यूज तथा दूरदर्शन के नार्थ ईस्ट चैनल पर घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ तथा एनआरआई विवाह पर वीडियो स्पॉट का प्रसारण किया गया।

iv. मार्च, 2016 के दौरान इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए हिंदी / अंग्रेजी के निजी चैनलों पर घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ तथा एनआरआई विवाह पर वीडियो स्पॉट का प्रसारण किया गया। प्रसार अभियान एक माह तक जारी रहा।

ii. **प्रिंट मीडिया में विज्ञापन**

i. महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षोपायों की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने के लिए आयोग द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर 23 अगस्त, 2015, 19 सितंबर, 2015 और 16 दिसंबर,

2015 को डी ए वी पी के माध्यम से राज्यों की राजधानियों के समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए गए।

ii. 12 फरवरी, 2016 को विशेष रूप से ऐसे राज्यों पर बल देते हुए जहां एनआरआई विवाह की समस्या मौजूद है, देश के अग्रणी समाचार पत्रों में डी ए वी पी के माध्यम से एनआरआई विवाह पर विज्ञापन जारी किया गया।

iii. दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के सभी जिलों में हिंसा की उत्तरजीवी महिलाओं के लिए समाज सेवा यूनिटों के गठन की घोषणा की। इस परियोजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जागरूकता पैदा करने के लिए आयोग ने 22 फरवरी, 2016 को सभी अग्रणी समाचार पत्रों में डी ए वी पी के माध्यम से एक विज्ञापन प्रकाशित कराया।

iii. आउटडोर प्रचार अभियान

i. अप्रैल, 2015 के दौरान डी ए वी पी के माध्यम से देश के सभी राज्यों की राजधानियों में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक आउटडोर प्रचार अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत बस क्यू शेल्टर, मेट्रो रेल के अंदर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा प्रमुख शहरों में अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ''कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा'' तथा ''घरेलू हिंसा'' जैसे विषयों पर पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए।

ii. दिल्ली मेट्रो रेल में एक माह का आउटडोर प्रचार अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत संबंधित मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए ट्रेन के अंदरूनी पैनल, मेट्रो स्टेशन के डिस्लेजा बोर्ड पर ''कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा'', ''घरेलू हिंसा'', एनआरआई विवाह एवं आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा जैसे विषयों पर पोस्टर एवं होर्डिंग लगाए गए।

iv. प्रेस सम्मेलन तथा अन्य प्रचार

राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं मुद्दों पर मीडिया को सूचित एवं अपडेट करने के लिए विभिन्न अवसरों पर प्रेस सम्मेलन का आयोजन करता है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा सरोगेसी, महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण, विकलांग महिलाओं की समस्याएं एवं चुनौतियां आदि जैसे मुद्दों पर प्रेस सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा अपनी भूमिका तथा आयोग से संबंधित विभिन्न् मामलों / मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण के बारे में मीडिया को अपडेट करने के लिए अक्सर प्रेस विज्ञप्ति / प्रेस नोट जारी किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान मीडिया द्वारा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकों एवं साक्षात्कारों का भी आयोजन किया गया।

v. **आयोग का सूचना पत्र : राष्ट्र महिला**

राष्ट्र महिला, जो आयोग का एक मासिक सूचना पत्र है, अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित होता है। इसके माध्यम से पूरे देश में महिला कार्यकत्रियों, कानूनी बिरादरी के सदस्यों, प्रशासकों, न्यायपालिका के सदस्यों , गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, विद्वानों तथा छात्रों को आयोग के कार्यक्रमों के बारे में सूचना का प्रसार करने का काम जारी रखा गया।

यह सूचना पत्र आयोग की गतिविधियों तथा आयोग के समक्ष दाखिल की गई सिफारिशों एवं महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक एवं सरकारी निर्णयों के संबंध में सफलता गाथाओं पर प्रकाश डालता है। यह मासिक सूचना पत्र आयोग की वेबसाइट अर्थात www-ncw-nic-in पर भी उपलब्ध है।

III. प्रतिनिधियों का दौरा

i. आयोग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के लिए 9 अक्टूबर, 2015 को न्याय दर्शन, वडोदरा, गुजरात से 21 सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया।

ii. आयोग की कार्यप्रणाली तथा भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए 6 जनवरी, 2016 को विधि संकाय, महाराजा सायाजीराव बडौदा विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात के छात्रों एवं प्रोफेसरों के एक तीस सदस्यीय शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया गया।

iii. राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली ने 11 से 15 जनवरी, 2016 के दौरान लैंगिक समानता तथा महिलाओं के सशक्तीकरण पर एक प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंग के रूप में तीस प्रतिभागियों ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों के निराकरण में आयोग की भूमिका एवं कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 14 जनवरी, 2016 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया।

iv- आयोग के प्रकार्यात्मक तौर–तरीकों तथा भूमिका के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश के छात्रों एवं संकाय प्रभारी के एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल ने 21 जनवरी, 2016 को राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया।

अध्याय-3

शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 आयोग को महिलाओं के अधिकारों के अपवंचन तथा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिनियमित कानूनों को लागू न करने से संबंधित शिकायतों की जांच करने तथा ऐसे मामलों का स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेने के लिए शक्ति प्रदान करता है। इस प्रावधान का अनुपालन करने के लिए शिकायत एवं जांच (सी एंड आई) प्रकोष्ठा महिलाओं के अधिकारों के अपवंचन / कानूनों को लागू न करने के संबंध में देशभर से प्राप्त् शिकायतों पर कार्रवाई करता है। ये शिकायतें मौखिक रूप से, लिखित रूप में या आयोग की वेबसाइट अर्थात www-ncw-nic-in के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जाती हैं। इसके अलावा, आयोग महिलाओं के विरूद्ध किए गए जघन्य अपराधों से संबंधित घटनाओं का स्व–प्रेरणा से भी संज्ञान लेता है।

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ शिकायतों के उपयुक्त प्रतितोष का सुनिश्चय करते हुए महिलाओं को पर्याप्त तथा जल्दी से राहत प्रदान करने में सुगमता प्रदान करने के लिए शिकायतों को प्रोसेस करता है। आमतौर पर, शिकायतों पर निम्नलिखित ढंग से कार्रवाई की जाती है:

i. पुलिस की उदासीनता / पुलिस की लापरवाही से संबंधित शिकायतें मामले की समय से तथा निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित की जाती हैं। इस प्रकार संबंधित प्राधिकारियों से प्राप्त कृत कार्रवाई रिपोर्ट (ए टी आर) की जांच की जाती है और आयोग द्वारा अग्रेतर निगरानी की जाती है;

ii. पारिवारिक / वैवाहिक विवादों का समाधान परामर्श के माध्यम से किया जाता है। निजी सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को बुलाया जाता है तथा आयोग टकराव / वैवाहिक अनबन को दूर करने के प्रयास में दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करने या परामर्श देने का प्रयास करता है;

iii. गंभीर अपराधों के लिए आयोग जांच समितियों का गठन करता है जो स्थल पर जांच करती हैं, विभिन्न गवाहों से पूछताछ करती हैं, साक्ष्य एकत्र करती हैं तथा सिफारिशों के साथ आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं (ऐसी जांच से हिंसा एवं अत्याचार के पीड़ितों को तत्काल राहत एवं न्याय प्रदान करने में मदद मिलती है)। आयोग संबंधित राज्य सरकारों / प्राधिकरणों के साथ मामले को उठाकर जांच समिति की सिफारिश के कार्यान्वयन की निगरानी करता है;

iv. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के मामले में संबंधित संगठन / विभाग / प्राधिकरण से ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं

का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी) गठित करने का आग्रह किया जाता है। सभी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में ''कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न'' के मामलों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति के गठन के तौर–तरीकों के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों के अग्रणी समाचार पत्रों में इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में विज्ञापन भी जारी किए जाते हैं;

v. जहां भी और जब भी आवश्यक समझा जाता है, उनकी ओर से उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने के लिए शिकायतें विभिन्न् राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अग्रेषित की जाती हैं। ये शिकायतें ऐसी शिकायतें होती हैं जो महिलाओं के अधिकारों के अपवंचन से सीधे संबंधित नहीं होती हैं।

I. ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी वेबसाइट अर्थात www-ncw-nic-in के माध्यम से जल्दी से और सरलता से शिकायतों के पंजीकरण के लिए वर्ष, 2005 में ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रणाली शुरू की।

इसकी वजह से शिकायतें तेजी से पंजीकृत हो जाती हैं तथा उनकी पावती प्राप्त हो जाती है। कोई भी भारत / विश्व के किसी भी भाग से उक्त वेबसाइट पर लॉग इन कर सकता है तथा अपनी शिकायत पंजीकृत कर सकता है। उक्त शिकायत को एक पंजीकरण नंबर दिया जाता है। इसके बाद शिकायत का निस्तारण उसी ढंग से किया जाता है जिस ढंग से डाक से / दस्ती रूप आदि में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण होता है।

यह प्रणाली शिकायतकर्ता को पंजीकरण के समय प्रदान की गई अपनी अनोखी प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग करके आयोग की वेबसाइट पर लॉगइन करके मामले की प्रगति के बारे में जानकारी हासिल करने में समर्थ बनाती है।

दोनों डाटाबेस (ऑनलाइन और ऑफलाइन) के विलय के माध्यम से आयोग में प्राप्त शिकायतों (स्वरूपवार और राज्यवार) की संख्या से संबंधित सांख्यिकी भी शिकायतकर्ताओं एवं प्रतिवादियों की पहचान का खुलासा किए बगैर सर्वाधिकार क्षेत्र में उपलब्ध है।

II. शिकायतें जिन पर साधारणतया कार्रवाई नहीं की जा सकती है

निम्नलखित स्वरूप की शिकायतें / मामले साधारणतया कार्रवाई के योग्य नहीं होते हैं :

i. अपठनीय या अस्पष्ट, गुमनाम या छद्मनाम शिकायतें;

ii. जब उठाया गया मुद्दा पक्षों के बीच सिविल विवाद से संबंधित होता है जैसे कि संविदात्मक अधिकारों का उल्लंघन तथा इसी तरह की शिकायतें;

iii. जब उठाए गए मुद्दे ऐसे सेवा मामलों से संबंधित होते हैं जिसमें महिलाओं के अधिकारों का कोई अपवंचन शामिल नहीं होता है;

iv. जब मुद्दा श्रम / औद्योगिक विवादों से संबंधित होता है, जिसमें महिलाओं के अधिकारों का कोई अपवंचन शामिल नहीं होता है;

v. जब मामला किसी न्यायालय / न्यायाधिकरण के समक्ष न्यायाधीन होता है;

vi. आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो किसी राज्य आयोग या उस समय लागू किसी कानून के तहत विधिवत रूप से गठित किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित होता है;

vii. जब मामले पर आयोग द्वारा पहले से निर्णय लिया जा चुका है;

viii. जब मामला किसी अन्य आधार पर आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर होता है;

ix. जब उठाए गए मुद्दे संपत्ति विवाद से संबंधित होते हैं।

III. शीर्ष जिनके तहत शिकायतें पंजीकृत की जाती हैं

इस समय आयोग में प्राप्त शिकायतों को मोटेतौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के तहत पंजीकृत किया जात है :

1. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा :–
   - (i) बलात्कार का प्रयास
   - (ii) बलात्कार
   - (iii) यौन हमला
   - (iv) एसिड हमला
2. लिंग के चयन के आधार पर गर्भपात; कन्या भ्रूण हत्या / गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच
3. कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न सहित यौन उत्पीड़न
4. महिलाओं के अधिकारों के लिए हानिकर परंपरागत प्रथाएं अर्थात सती प्रथा, देवदासी प्रथा, संदिग्ध व्यक्तियों की खोज
5. महिलाओं का अश्लील रूपण
6. दहेज उत्पीड़न / दहेज हत्या
7. महिलाओं का दुर्व्यापार / वेश्यावृत्ति

8. महिलाओं का शील भंग करना
9. पीछा करना / रति दर्शन
10. महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध
11. द्विविवाह / बहुविवाह
12. विवाह में अपनी पसंद का प्रयोग करने का अधिकार
13. गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार :
    (i) घरेलू हिंसा
    (ii) क्रूरता
    (iii) उत्पीड़न
14. तलाक की स्थिति में बच्चों की अभिरक्षा प्राप्त करने का महिलाओं का अधिकार
15. शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार सहित लैंगिक भेदभाव
16. महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता
17. महिलाओं की निजता तथा उनके अधिकार
18. महिलाओं के विरूद्ध पुलिस की उदासीनता
19. प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित महिलाओं के अधिकार

IV. वर्ष 2015–16 के दौरान पंजीकृत शिकायतों का विश्लेषण (मार्च, 2016 तक) (स्व रूपवार एवं राज्यवार)

वर्ष 2015–16 के दौरान (मार्च, 2016 तक) शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठः में कुल 19088 शिकायतें / मामले पंजीकृत किए गए। उक्त अवधि के दौरान आयोग द्वारा पंजीकृत शिकायतों का स्वरूपवार एवं राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

शीर्ष दस श्रेणियों (अवरोही क्रम में) की सूची जिनके तहत शिकायतें दर्ज की गई हैं :

क्रम सं.	श्रेणी	शिकायतों की संख्या
1.	गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार	7314
2.	महिलाओं के विरूद्ध पुलिस की उदासीनता	6768
3.	महिलाओं का शील भंग करना	2753
4.	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा	2738
5.	दहेज उत्पीड़न / विवाहित महिलाओं के साथ क्रूरता	2286

6.	विवाह में अपनी पसंद का प्रयोग करने का अधिकार	634
7.	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न सहित यौन उत्पीड़न	542
8.	द्विविवाह / बहुविवाह	266
9.	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	252
10.	महिलाओं की निजता तथा उनके अधिकार	146

टिप्पणी : उपर्युक्त सारणी में विविध / गैर अधिदेशित श्रेणियों के तहत पंजीकृत शिकायतों को शामिल नहीं किया गया है।

पंजीकृत शिकायतों की संख्या के आधार पर शीर्ष दस राज्यों (अवरोही क्रम में) की सूची :

क्रम सं.	राज्य का नाम	शिकायतों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	14990
2.	दिल्ली	2867
3.	हरियाणा	1278
4.	राजस्थान	1069
5.	मध्य प्रदेश	693
6.	बिहार	633
7.	महाराष्ट्र	
8.	उत्तराखंड	344
9.	पश्चिम बंगाल	283
10.	झारखंड	255

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 (1) एवं (4) के तहत जांच

1. मोतिहारी, बिहार में कथित दहेज हत्या की शिकायत की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। दो सदस्यींय समिति ने घटना स्थल का दौरा किया तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं संबंधित पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। समिति ने सभी तथ्यों की जांच पड़ताल की और पुलिस अधीक्षक से सिफारिश की कि सभी कथित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और किसी और विलंब के बगैर अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध सीआरपीसी की धारा 82/83 के तहत कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए।

2. लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कथित बलात्कार तथा पुलिस की उदासीनता के संबंध में शिकायत की जांच करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने घटना / आरोपों की प्रारंभिक जांच करने के लिए घटना स्थल का दौरा किया तथा स्थानीय प्राधिकारियों / संबंधित पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। जांच समिति ने आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा मामले की जांच करने तथा संबंधित जांच अधिकारी का स्थानांतरण करने के लिए मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को सिफारिशें भेजी गईं।

3. खगड़िया, बिहार में कथित बलात्कार की शिकायत पर एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। आयोग द्वारा गठित जांच समिति ने घटना स्थल का दौरा किया तथा स्थानीय प्राधिकारियों / संबंधित पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। जाचं समिति ने सभी आरोपी अभियुक्तों के विरूद्ध मामले में नया एफ आई आर पंजीकृत करने की सिफारिश की।

क्रम सं.	स्वरूपवार	कुल
1.	द्विविवाह / बहुविवाह	266
2.	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	252
3.	दहेज उत्पीड़न / दहेज हत्या	2286
4.	महिलाओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता	118
5.	शिक्षा एवं कार्य का समान अधिकार सहित लैंगिक भेदभाव	43
6.	महिलाओं का अश्लील चित्रण	109
7.	महिलाओं का शील भंग करना	2753
8.	महिलाओं के विरूद्ध पुलिस की उदासीनता	6768
9.	महिलाओं की निजता तथा उनके अधिकार	146
10.	प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित महिलाओं के अधिकार	69
11	विवाह में अपनी पसंद का प्रयोग करने का अधिकार	634
12	गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार	7314
13	लिंग के चयन के आधार पर गर्भपात / कन्या भ्रूण हत्या / गर्भवती महिला के गर्भाशय की जांच	34
14	कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न सहित यौन उत्पीड़न	542
15	पीछा करना / रति दर्शन	58
16.	महिलाओं के अधिकारों के लिए हानिकर परंपरागत प्रथाएं अर्थात सती प्रथा, देवदासी प्रथा, संदिग्ध व्यक्तियो की खोज	17
17.	महिलाओं का दुर्व्यापार / वेश्यावृत्ति	76
18.	महिलाओं के विरूद्ध हिंसा	2738

19.	तलाक की स्थिति में बच्चों की अभिरक्षा का महिलाओं का अधिकार	6
20.	विविध	145
	कुल	**24379**

वित्त वर्ष 2015-16 में (मार्च, 2016 तक) राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों की राज्य वार रिपोर्ट :

क्रम सं.	राज्यवार	कुल
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2.	आंध्र प्रदेश	96
3.	अरूणाचल प्रदेश	2
4.	असम	28
5.	बिहार	633
6.	चंडीगढ़	30
7.	छत्तीसगढ़	106
8.	दादर एवं नागर हवेली	2
9.	दमन एवं द्वीव	5
10.	दिल्लीं	2867
11.	गोवा	5
12.	गुजरात	122
13.	हरियाणा	1278
14.	हिमाचल प्रदेश	66
15.	जम्मू एवं कश्मीर	37
16.	झारखंड	255
17.	कर्नाटक	197
18.	केरल	60
19.	मध्य प्रदेश	693
20.	महाराष्ट्र	437
21.	मणिपुर	2
22.	मेघालय	3
23.	मिजोरम	1
24.	नागालैंड	1
25.	ओडिशा	81

26.	पांडिचेरी	16
27.	पंजाब	257
28..	राजस्थान	1069
29.	सिक्किम	2
30.	तमिलनाडु	251
31.	तेलंगाना	156
32.	त्रिपुरा	2
33.	उत्तर प्रदेश	14990
34.	उत्तराखंड	344
35.	पश्चिम बंगाल	283
	कुल	**24379**

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग मीडिया रिपोर्टों तथा महिलाओं के अधिकारों के अपवंचन तथा महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित कानूनों को लागू न करने से संबंधित शिकायतों के आधार पर मामलों का स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेता है। सामान्यतया संबंधित प्राधिकारियों से रिपोर्ट मंगाई जाती है। जब भी किसी महिला के विरूद्ध जघन्य प्रकृति का कोई अपराध होता है, आयोग द्वारा जांच समितियों का भी गठन किया जाता है जो अपराध में कथित रूप से शामिल व्यक्तियों के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए आयोग को सिफारिशें प्रस्तुत करती है जो उपयुक्त समझा जाए।

वर्ष 2015–16 में निम्नलिखित जांच समितियों का गठन किया गया :

1. **''पुलिस और शासन द्वारा रमजान के दौरान पश्चिम बंगाल में अगवा की गई हिंदू लड़की का मामला''**

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया था जिसमें सूचित किया गया था कि किसी आपराधिक गिरोह से जुड़े अनेक स्थानीय पुरूषों द्वारा कथित रूप से बंदूक की नोक पर पश्चिम बंगाल के मगराहाट जिले में उसके घर से 14 साल की एक नाबालिक लड़की का अपहरण कर लिया गया है। पीड़ित के पिता द्वारा लिखाई गई एफ आई आर के अनुसार अभियुक्त तथा गिरोह के सदस्यों द्वारा कथित रूप में लड़की के साथ बलात्कार किया गया। लड़की का इस आधार पर फिर से अपहरण किया गया कि पीड़ित के परिवार ने उसकी शादी करने की योजना बनाई है।

आयोग ने मामले की जांच पड़ताल करने के लिए आदेश दिनांक 17 जुलाई, 2015 के माध्यम से एक जांच समिति का गठन किया। जांच समिति में तीन सदस्य थे : जांच समिति के अध्यक्ष के रूप में श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, तथा सदस्य के रूप में सुश्री सयानी राय चौधरी, अधिवक्ता और सुश्री सुनंदा बोस।

जांच समिति की सिफारिशें उपयुक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को अग्रेषित कर दी गई हैं।

2. **''इन माताओं के लिए देखरेख''**

राष्ट्रीय महिला आयोग ने केरल के वायनाड जिले के तुरूनेल्ली गांव में ''इन माताओं के लिए देखरेख'' शीर्षक से समाचार पत्र में छपे लेख का संज्ञान लिया था जिसमें सूचित किया गया कि इस गांव में 300 से अधिक अविवाहित जनजातीय एकल माताएं रहती हैं जिनमें से अधिकांश सतीत्व हरण का शिकार हैं।

आयोग ने मामले में दखल देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा और पुलिस, केरल सरकार से कृत कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई। तथापि, इस प्रकार प्राप्त रिपोर्ट से संतुष्ट न होने पर मामले की जांच पड़ताल करने के लिए आदेश दिनांक 22 सितंबर, 2015 के माध्यम से एक जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति की संरचना इस प्रकार थी : श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्री एस रामानुन्नी, सामाजिक कार्यकर्ता और श्री अरविंदम, अधिवक्ता।

समिति ने केरल के वायनाड जिले के तिरूनेल्ली गांव की जनजातीय बस्तियों का दौरा किया तथा कुछ अविवाहित माताओं से बातचीत की। इस मामले के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों, पुलिस तथा जनजातीय विस्तार अधिकारियों आदि के साथ एक बैठक आयोजित की गई। इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई के लिए समिति की सिफारिशें दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 के माध्यम से राज्य सरकार को अग्रेषित कर दी गई हैं।

3. **''साधु द्वारा कथित बलात्कार एवं यौन दुरूपयोग''**

आयोग ने "साधु द्वारा कथित बलात्कार एवं यौन दुरूपयोग" की शिकायत की जांच पड़ताल करने के लिए एक जांच समिति का गठन किया।

इस मामले में आदेश दिनांक 3 अगस्त, 2015 के माध्यम से गठित जाचं समिति की संरचना इस प्रकार है : श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा सुश्री रमा आर अय्यर, अधिवक्ता।

पीड़िता एक पेशेवर गायिका है जो राम कथा के कार्यक्रमों में प्रमुख गायिका की भूमिका निभाती है। कथित रूप में अक्टूबर, 2011 से जून, 2014 की अवधि के दौरान साधु

ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। ऐसे कार्यक्रमों के बहाने साधु उसे फुसलाया करता था और पीड़िता की कमजोरी का लाभ उठाकर प्रसाद के रूप में उसे मादक पदार्थ खिलाकर उसका यौन दुरूपयोग करता था। उसे इस बारे में न बताने के लिए धमकाया गया तथा कहा गया कि यदि वह बताएगी, तो गुरू के श्राप से उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा।

सीआईडी के अधिकारियों ने पीड़िता के कपड़ों पर पाए गए वीर्य के निशानों की पुष्टि की तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ), 376(2)(एन) और 508 के तहत भारतीय स्वामी के विरूद्ध 26 सितंबर, 2015 को बंगलुरू में प्रथम ए सी एम एम न्यायालय में इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

4. ''छत्तीसगढ़ में बलात्कार के उत्सव के लिए कोई दंड नहीं है''

राष्ट्रीय महिला आयोग ने "छत्तीसगढ़ में बलात्कार के उत्सव के लिए कोई दंड नहीं है" शीर्षक से छपी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें यह बताया गया था कि अनेक महिलाओं ने 19 से 24 अक्टूंबर, 2015 के दौरान बीजापुर जिले में माओवाद विरोधी अभियान के दौरान पुलिस तथा अर्ध–सैनिक बलों की क्रूरता, यौन प्रहार के बारे में संवाददाताओं को विस्तार से बताया।

इस मामले में आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2016 के माध्यम से गठित जांच समिति की संरचना इस प्रकार है : श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, सुश्री बुलबुल अग्रवाल, अधिवक्ता और सुश्री श्रद्धा बख्शी, सामाजिक कार्यकर्त्री।

मामले में उपयुक्त कार्रवाई के लिए पत्र दिनांक 15 मार्च, 2016 के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को जांच समिति की सिफारिशें एवं टिप्पणियां अग्रेषित कर दी गई हैं।

5. ''बिहार में बलात्कार का आरोपी विधायक फरार है''

राष्ट्रीय महिला आयोग ने "बिहार में बलात्कार का आरोपी विधायक फरार है" शीर्षक से छपी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया था जिसमें यह बताया गया कि बिहार के विधायक श्री राजाभल्ला यादव को बिहार की सत्ताधारी आरजेडी पार्टी द्वारा कथित रूप में एक नावालिक लड़की के साथ बलात्कार के लिए निलंबित कर दिया गया है।

इस मामले में आदेश दिनांक 7 मार्च, 2016 के माध्यम से गठित जांच समिति की संरचना इस प्रकार है : श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, श्रीमती सुषमा साहू, सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग और श्री दुर्गा नारायण, अधिवक्ता।

मामले में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को जांच समिति की सिफारिशें एवं टिप्पणियां अग्रेषित कर दी गई हैं।

6. ''हाईवे के ठगों द्वारा महिला यात्रियों के साथ बलात्कार''

राष्ट्रीय महिला आयोग ने "हाईवे के ठगों द्वारा महिला यात्रियों के साथ बलात्कार" शीर्षक से छपी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह बताया गया था कि मुर्थल, हरियाणा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग पर महिला यात्रियों वाले वाहनों को रोका गया, उनको घसीटकर खेत में ले जाया गया और उनके साथ बलात्कार किया गया। यह भी सूचित किया गया कि पुलिस ने अफवाह के रूप में रिपोर्ट को खारिज कर दी।

इस मामले में आदेश दिनांक 7 मार्च, 2016 के माध्यम से एक जांच समिति गठित की गई तथा श्रीमती रेखा शर्मा को जांच समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

मामले में उपयुक्त आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को जांच समिति की सिफारिशें एवं टिप्पणियां अग्रेषित कर दी गई हैं।

7. ''नारी निकेतन देहरादून, उत्तराखंड में अनैच्छिक गर्भपात तथा यौन दुरूपयोग''

राष्ट्रीय महिला आयोग ने "नारी निकेतन देहरादून, उत्तराखंड में अनैच्छिक गर्भपात तथा यौन दुरूपयोग" शीर्षक से छपी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह सूचित किया गया था कि किसी महिला से उसकी इच्छा के विरूद्ध गर्भपात कराया गया और नारी निकेतन में यौन दुरूपयोग हुआ, एक अन्य पीड़िता भी ऐसे ही मामले के बारे में बात कर रही थी।

पत्र दिनांक 19 जनवरी, 2016 के माध्यम से कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया कि माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार पीड़ित और अभियुक्त दोनों के रक्त के नमूने एफ एस सी, पंडितवाड़ी को भेजे गए। 6 जनवरी, 2016 को एफ एस सी रिपोर्ट – लड़की का डीएनए पीड़ित के भ्रूण से मैच कर गया जिसके आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

इस मामले में आदेश दिनांक 13 जनवरी, 2016 के माध्यम से एक चार सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है जिसकी संरचना इस प्रकार है : श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष और श्री आलोक रावत, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती सुधा चौधरी (भूतपूर्व) विधि अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा श्री गुरप्रीत सिंह, संकेत भाषा इंटरप्रिटेटर।

8. ''रैनबसेरा के सुपरवाइजर ने युवती के साथ किया दुष्कर्म''

राष्ट्रीय महिला आयोग ने "रैनबसेरा के सुपरवाइजर ने युवती के साथ किया दुष्कर्म" शीर्षक से छपी मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया जिसमें यह सूचित किया गया था कि एक जवान लड़की का रैनबसेरा, जामा मस्जिद के पर्यवेक्षक अकिल द्वारा पिछले पांच माह से यौन शोषण किया जा रहा है। पांच माह पहले लड़की ने दिल्ली शिफ्ट किया था तथा जामा मस्जिद में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी। अभियुक्त ने इस बहाने से पिछले पांच माह से उसके साथ यौन संबंध बनाए थे कि वह उससे प्रेम करता है और विवाह करने का वादा किया था। परंतु जब वह दो माह पहले गर्भवती हो गई, तो उसने ऐसी किसी प्रतिबद्धता से इंकार कर दिया और उसकी अनदेखी करने लगा। ऐसे बर्ताव की वजह से लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जांच करने पर पता चला कि अभियुक्त शादीशुदा है तथा उसके दो बच्चे भी हैं।

इस मामले में आदेश दिनांक 29 मार्च, 2016 के माध्यम से दो सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया जिसकी संरचना इस प्रकार है : श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष और सुश्री रेणु भाटिया, सामाजिक कार्यकर्त्री।

अध्याय–4

अनिवासी भारतीय (एन आर आई) प्रकोष्ठ

वर्ष 2006–07 के दौरान, महिला सशक्ती करण पर संसदीय समिति (14वीं लोक सभा) ने विचार – विमर्श के लिए ''एनआरआई पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं की दुर्दशा'' विषय को उठाया। अन्य सिफारिशों के अलावा, यह भी सिफारिश की गई कि एन आर आई विवाहों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे से निपटने के लिए कोई सुपरिभाषित/समन्वित तंत्र विकसित किया जाए ताकि व्यथित महिलाएं अपनी समस्याओं का कोई सम्मानजनक समाधान प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए 7 जुलाई, 2008 को एक अंतर मंत्रालयी बैठक का आयोजन किया गया तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय के पत्र संख्या ओआई–19021/3/2006–एसएस दिनांक 28 अप्रैल, 2009 के माध्यम से अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया। महिलाओं के अधिकारों के किसी अपवंचन या महिलाओं के प्रति गंभीर अन्याय का कारण बनने वाले किसी मुद्दे से जुड़े अंतर्देशीय विवाहों से उत्पन्न भारत और विदेश से प्राप्त शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग मे एन आर आई प्रकोष्ठ औपचारिक रूप से 24 सितंबर, 2009 को आरंभ हुआ।

I. **एनआरआई प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्य एवं जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं :**

i. यह अपने एन आर आई/विदेशी पतियों द्वारा छोड़ी गई भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतें प्राप्त करने और प्रोसेस करने के लिए समन्वय एजेंसी होगा।

ii. शिकायतकर्ताओं को सभी संभव सहायता प्रदान करेगा जिसमें सामंजस्य्, पक्षों के बीच मध्यस्थता तथा संबंधित मुद्दों पर शिकायतकर्ता को सलाह देना शामिल है।

iii. व्यापक क्षेत्र को शामिल करने के लिए गैर सरकारी संगठनों, भारत एवं विदेश में सामुदायिक संगठनों तथा राज्य महिला आयोगों के साथ सहयोग स्थापित करेगा और नेटवर्क बनाएगा ताकि आसान पहुंच संभव हो सके और सहायता सेवाएं प्रदान की जा सकें।

iv. विभिन्न सरकारी एजेंसियों/संगठनों जैसे कि राज्य सरकारों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय दूतावासों एवं मिशनों, संबंधित मंत्रालयों आदि से समन्वित प्रत्युत्तर प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करेगा।

v. मुकदमेबाजी तथा शिकायत/मामले से संबंधित अन्य मुद्दों में व्यथित महिलाओं को सहायता प्रदान करेगा।

vi. पंजीकृत मामलों का एक डाटा बैंक अनुरक्षित करेगा।

vii. दाखिल की गई शिकायतों तथा उन पर की गई कार्रवाई पर राज्य सरकार तथा अन्य प्राधिकरणों से रिपोर्टें प्राप्त करेगा।

viii. एनआरआई विवाहों से संबंधित किसी नीति या मुद्दे पर सरकार को सलाह देगा और सिफारिश करेगा।

ix. इस विषय पर प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करेगा और न्याय प्रदान करने का कार्य करने वाली विभिन्न एजेंसियों अर्थात न्यायपालिका, पुलिस, प्रशासन आदि को इस संबंध में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देगा।

x. संगत मुद्दों पर आम जनता के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके लिए, प्रकोष्ठ द्वारा सभी उपलब्ध मीडिया सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

xi. संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान एवं अध्ययन को प्रोत्साहित करेगा / सहायता प्रदान करेगा, जैसे कि दोहरी नागरिकता से संबद्ध शिकायतों के मुद्दे, नए कानून का अधिनियमन या अंतर्राष्ट्रीय संधियों, अन्य देशों के विवाह कानूनों पर हस्ताक्षर करना आदि।

xii. शिकायतों की जांच पड़ताल करेगा तथा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 4 और धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 10(1) (च) के अनुसरण में एन आर आई प्रकोष्ठ की जानकारी में लाए गए किसी मुद्दे का स्वतः प्रेरणा से संज्ञान लेगा।

2009 में अस्तित्व में आने के बाद से आयोग के एन आर आई प्रकोष्ठ में 31 दिसंबर, 2015 तक 2450 शिकायतें पंजीकृत की गई हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान (31 दिसंबर, 2015 तक) 344 मामले पंजीकृत किए गए हैं। इस प्रकार पंजीकृत मामलों का राज्यवार और देशवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के एन आर आई प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों का राज्यवार डाटा

क्रम सं.	राज्य	शिकायतों की कुल संख्याओ
1.	दिल्ली	43
2.	उत्तर प्रदेश	32
3.	हरियाणा	32
4.	पंजाब	22

5.	महाराष्ट्र	29
6.	गुजरात	26
7.	आंध्र प्रदेश	29
8.	तमिलनाडु	21
9.	राजस्थान	05
10.	मध्य प्रदेश	07
11.	उत्तराखंड	09
12.	केरल	06
13.	ओडिशा	04
14.	कर्नाटक	19
15.	जम्मू एवं कश्मीर	03
16.	हिमाचल प्रदेश	02
17.	तेलंगाना	24
18.	झारखंड	02
19.	पश्चिम बंगाल	10
20.	गोवा	02
21.	असम	03
22.	बिहार	03
23.	चंडीगढ़	02
24.	छत्तीसगढ़	02
25.	अन्य	01
	कुल	338

वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के एन आर आई प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों का देशवार डाटा

क्र. सं.	देश	शिकायतों की संख्या
1	भारत	338
2	संयुक्त राज्य अमेरीका	24
3	न्यूजीलैंड	03
4	ओमान	04
5	इंडोनेशिया	02
6	कनाडा	09

7	संयुक्त अरब अमीरात	10
8	आस्ट्रेलिया	24
9	यूनाइटेडकिंगडम	08
10	कुवैत	02
11	सिंगापुर	02
12	आस्ट्रिया	01
13	मालदीव	01
14	थाइलैंड	04
15	यूगांडा	01
16	चीन	01
17	स्कॉटलैंड	01
18	बंग्लादेश	02
19	कीनिया	01
20	नाइजीरिया	01
21	स्वीडन	01
22	इटली	01
	कुल	441

II. एनआरआई प्रकोष्ठ में जो शिकायतें प्राप्त होती हैं वे मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित होती हैं :

i. पति / सास – ससुर द्वारा पासपोर्ट जब्त किया जाना
ii. बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े मुद्दे
iii. प्रतिवादियों के देश छोड़कर चले जाने की आशंका से जुड़ी शिकायतें
iv. परित्याग
v. दहेज की मांग
vi. एमओआईए स्कीम के तहत वित्तीय सहायता
vii. पति भारत में / पत्नी विदेश में रह रही है
viii. गुजारा भत्ता
ix. विदेश में दस्तावेज तामील करना
x. पति का अता–पता ज्ञात नहीं है
xi. पत्नी भारत में / पति विदेश में रह रहा है
xii. विविध

'अनेक कार्रवाइयों तथा बहुउद्देशीय दृष्टिकोण वाली ऐसी शिकायतों की जटिलता के कारण राज्यवार और देशवार डाटा का सदैव अनोखा वर्गीकरण करना संभव नहीं होता है।

III. शिकायतों पर कार्रवाई करने की विधियां / तरीके

राष्ट्रीय महिला आयोग ज्यादातर विभिन्न मंत्रालयों के बीच अभिसरण का दृष्टिकोण अपनाता है तथा पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के लिए मामलों को उठाते समय सहायता प्रदान करने के लिए अन्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए जाते हैं। शिकायतों के स्वरूप के आधार पर शिकायतों पर निम्नलिखित ढंग से कार्रवाई की जाती है :

i) शिकायत का संज्ञान लेने पर, विरोधी पक्ष / आहूत पक्ष को आयोग द्वारा प्राप्त शिकायत पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया जाता है। यदि जरूरत होती है, तो समन में निर्धारित तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित होने तथा दावे पर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए विरोधी पक्ष / पक्षों को समन भी जारी किया जाता है।

ii) जिन मामलों में जांच लंबित होती है अथवा शिकायत के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों की ओर से उपयुक्त कार्रवाई करने में कोई विफलता होती है, वहां कृत कार्रवाई रिपोर्ट की मांग करते हुए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाया जाता है। यदि जरूरत पड़ती है, तो संबंधित देशों के भारतीय दूतावासों को भी शिकायतें अग्रेषित की जाती हैं।

iii) जब भी और जहां भी अपेक्षित होता है, शिकायतकर्ता को सूचित करते हुए उपयुक्त न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश या जारी किए गए समन, वारंट को तामील करने के लिए तथा अन्य संगत मामलों के लिए प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय को विधिवत रूप से पत्र लिखे जाते हैं।

iv) प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय की स्कीम के अनुसार पीड़ित को विधिक एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रवासी भारतीय मामले मंत्रालय या विदेश स्थित भारतीय दूतावासों से भी संपर्क किया जाता है।

v) पासपोर्ट से संबंधित किसी मामले के लिए पासपोर्ट प्राधिकरण को पत्र लिखा जा सकता है।

vi) यदि आवश्यक होता है, तो पति के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रतिवादी पति के नियोक्ताओं को शिकायतें अग्रेषित की जाती हैं।

अध्याय–5

विधिक प्रकोष्ठ

आयोग के अधिदेश के अनुसरण में, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 के अनुसार महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान के विद्यमान प्रावधानों तथा अन्य कानूनों की समीक्षा करना तथा इस संबंध में संशोधनों की सिफारिश करना ताकि ऐसे कानूनों में किसी दोष, अपर्याप्तता या कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक विधायी उपायों का सुझाव दिया जा सके, आयोग ने वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न कानूनों की समीक्षा की तथा उनके संबंध में सिफारिशें की। आयोग का सरोकार महिलाओं से संबंधित अधिकारों एवं कानूनों के बारे में जागरूकता फैलाना है और इस संबंध में विधि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों की मदद से अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आयोग का सरोकार पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के बारे में भी है तथा इसे आगे बढ़ाते हुए आयोग ने ब्यूरो तथा पुलिस अनुसंधान विकास के साथ मिलकर संयुक्त रूप से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से जुड़े मामलों की जांच में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन किया। ब्यौरा संबंधित खंडों में दिया गया है।

I. महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा तथा आयोग द्वारा सुझाए गए विधायी उपाय :

(c) सहायताप्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2013

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशिष्ट रूप से प्रस्तावित सहायताप्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2013 के तहत सरोगेट मदर को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम क्षतिपूर्ति की गणना करने के लिए किसी पुत्र पर निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन किया था। राष्ट्रीय महिला आयोग भी इस समिति का सदस्य था। सुझाव प्राप्त करने तथा विभिन्न संबंधित कानूनों/प्रावधानों की जांच करने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि सूत्र प्रस्तावित अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे इस संबंध में बनाई जाने वाली नियमावली में शामिल किया जाना चाहिए। सरोगेट मदर को कुशल कर्मचारी के रूप में माना जा सकता है और यह कि पूरे देश में कोई एकल एक समान न्यूनतम मजदूरी दर नहीं है इसलिए क्षतिपूर्ति के स्तर में अन्य कारकों जैसे कि स्वास्थ्य, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक लागत आदि को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

10 अप्रैल, 2015 को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सुझाव/सिफारिशें भेजी गई। ब्यौरा अनुलग्नाक–II के रूप में सलंग्न है।

(II) अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभिचिन्हित मुद्दों पर विचार – विमर्श के लिए राज्य महिला आयोगों के साथ एक चर्चा बैठक का आयोजन किया जिसमें सामुदायिक पंचायत के आदेश पर पश्चिम बंगाल में एक 20 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय शामिल है जिसमें भिन्न समुदाय के पुरूष से संबंध रखने के दंड के रूप में उसके साथ सामुदायिक पंचायत द्वारा सामूहिक बलात्कार की सजा सुनाई गई थी। उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 2014 का 24 में यह निर्णय दिया है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा उपायों में वृद्धि के उद्देश्य से हाल के संशोधन दिनांक 3 फरवरी, 2013 द्वारा विशिष्ट रूप से अपराध प्रक्रिया संहिता को संशोधित किया गया है। पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के संबंध में अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357(क) के मुद्दे को बैठक में उठाया गया।

अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357(क) के तहत पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, असम, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा अधिसूचित की गई है। कुछ राज्य, आयोगों ने बताया है कि उनके राज्यों में ऐसी स्कीमें हैं जो अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (क) के तहत अधिसूचित होने की प्रक्रिया में है।

कुछ सिफारिशें भी प्रस्तुत की गई, जो निम्नानुसार हैं :

i. सभी राज्यमहिला आयोग बलात्कार/एसिड हमला के पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 357(क) के तहत राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित स्कीमों की समीक्षा करें।

ii. जिन राज्यों में ऐसी स्कीमें अधिसूचित नहीं की गई हैं, राज्य आयोगों से जल्दी से इनकी अधिसूचना के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाने का अनुरोध किया जाता है।

iii. भारतीय दंड संहिता की धारा 357(क) के तहत अधिसूचित स्कीमों में क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाने की जरूरत है।

iv. सभी राज्य महिला आयोग अपने – अपने राज्यों में आपराधिक कानून अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर राष्ट्रीय महिला आयोग को स्थिति रिपोर्ट भेजें।

v. अस्पतालों में मनोवैज्ञानिक एवं विधिक परामर्श केंद्रों की स्थापना

vi. अस्पतालों में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना

vii. महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए त्वरित ट्रायल तथा फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाएं।

viii. राज्य महिला आयोगों ने राज्य महिला आयोग के कार्यालयों के परिसर के अंदर परामर्श केंद्र और पुलिस चौकी स्थापित करने की सिफारिश की।

सिफारिशें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को भी भेजी गई।

(III) आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1988

आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के राज्य महिला आयोगों के साथ मिलकर 23 फरवरी, 2015 को हैदराबाद में भारत में देवदासियों की दशा पर एक क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

किसी देवी से महिलाओं के विवाह करने की परंपरा – जो शुरू में अपने आपको देवता और उनके मंदिर से जोड़ने और सामानों के केयर टेकर की जिम्मेदारी उठाने की इच्छुक महिला श्रद्धालुओं की धार्मिक प्रथा के रूप में आरंभ हुई, एक जघन्य प्रथा के रूप में विकृत हो गई है जिसमें जोगिनी / देवदासी कही जाने वाली ऐसी महिलाओं को ऊंची जातियों के स्थानीय ग्रामीण बुजुर्गों की सेवा में जबरन वेश्यावृत्ति करनी पड़ती है।

इस विषय पर कर्नाटक देवदासी (समर्पण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1982, आंध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1988, आंध्र प्रदेश (आंध्र क्षेत्र) देवदासी (समर्पण का प्रतिषेध) अधिनियम, 1947 और महाराष्ट्र 9 देवदासी संरक्षण और पुनर्वास अधिनियम, 2005 उपलब्ध हैं। यह परंपरा आज भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र आदि जैसे राज्यों में बहुत अधिक प्रचलित है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत के दक्षिणी राज्यों में प्रधान रूप में प्रचलित देवदासी प्रथा को समाप्त करने की भी पहल की है।

i. देवदासी प्रथा में शामिल परिवारों की संख्या के संबंध में तत्काल सर्वेक्षण करने और डाटा बैंक तैयार करने की जरूरत है।

ii. देवदासी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य सरकारों के अधिनियमों को गंभीरता से लागू करना होगा।

iii. देवदासी प्रथा से जुड़ी महिलाओं को तीन एकड़ सरकारी भूमि के अलावा सामाजिक सुरक्षा पहचान पत्र भी प्रदान करना होगा।

iv. देवदासी प्रथा से जुड़ी महिलाओं एवं उनके बच्चों के लिए कार्यसाधक साक्षरता स्कीम अपनाई जा सकती है तथा उनको अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

v. देवदासी से जुड़ी महिलाओं को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं भी प्रदान करनी होगी।

अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिशें तथा परामर्श की रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को भेजी गई।

(IV) *महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध का प्रतिषेध (सीसीपीडब्यूसी)*

गृह मंत्रालय ने अंतरालों एवं चुनौतियों का अध्ययन करने, देश में साइबर अपराध से कारगर ढंग से निपटने के लिए एक रोडमैप तैयार करने तथा महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध की रोकथाम के लिए कारगर उपाय करने हेतु उपयुक्त सिफारिशें करने और इन मुद्दों के बारे में समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था जिसमें एन एस सी एस, गृह मंत्रालय, सीडैक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्था के अधिकारियों/शिक्षाविदों तथा आईटी विशेषज्ञों को शामिल किया गया। तदनुसार महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध साइबर अपराध के प्रतिषेध के लिए गृह मंत्रालय द्वारा एक स्कीम तैयार की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तावित स्कीम की जांच की गई।

आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ इनपुट इस प्रकार थे :

i. ऑनलाइन महिला विशिष्ट अपराध सूचना यूनिट – राष्ट्रीय महिला आयोग से संबद्ध इस यूनिट का गठन इस ढंग से होना चाहिए कि यदि कोई महिला साइबर अपराध के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग को शिकायत करना चाहे, तो राष्ट्रीय महिला आयोग को पावती के साथ गृह मंत्रालय की अपराध सूचना यूनिट को यह शिकायत भेजी जानी चाहिए और एक प्रति शिकायतकर्ता को प्राप्त होनी चाहिए। यह आईटी पेशेवरों की सहायता से शिकायतों के त्वरित निस्तारण को प्रोत्साहित करेगा।

ii. साइबर अपराधों के लिए निगरानी यूनिट – निगरानी यूनिट को चाहिए कि वे राष्ट्रीय महिला आयोग के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर मासिक आधार पर रिपोर्टें प्रदान करे।

iii. राष्ट्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला – फोरेंसिक प्रयोगशालाओं से रिपोर्टें लंबित होने के कारण महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की जांच में विलंब होता है इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग इससे सहमत हुआ।

iv. क्षमता निर्माण – इसके तहत घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत नियुक्ति संरक्षण अधिकारियों का क्षमता निर्माण शामिल होना चाहिए।

अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सुझायी गई सिफारिशें भेजी गई।

(V) कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने तथा कार्य स्थल पर उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उपयुक्त अधिनियम पर विचार – विमर्श के लिए 3 फरवरी, 2015 को राज्य महिला आयोगों के साथ एक चर्चा बैठक का आयोजन किया। अधिनियम तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली ने ऐसी शिकायतों के निराकरण के लिए नियोक्ता पर आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी) और जिला अधिकारी पर स्थानीय शिकायत समिति (एल सी सी) का गठन करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

चर्चा के दौरान मोटेतौर पर जो सिफारिशें उभरकर सामने आई वे इस प्रकार हैं :

a. आंतरिक शिकायत समिति / स्थानीय शिकायत समिति के गठन की निगरानी – राज्य महिला आयोगों को अपने – अपने राज्यों में आंतरिक शिकायत समितियों तथा जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समितियों के गठन की निगरानी करनी चाहिए।

b. आंतरिक शिकायत समिति / स्थानीय शिकायत समिति की निगरानी – राज्य महिला आयोगों को अपने – अपने राज्यों में आंतरिक शिकायत समितियों तथा जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समितियों की कार्य प्रणाली की निगरानी करनी चाहिए। जिला अधिकारियों के साथ वीडियो सम्मेलन की सिफारिश की जाती है।

c. जागरूकता कार्यक्रम – राज्य महिला आयोगों को इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए अपने – अपने राज्यों में अधिनियम तथा इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के बारे में सूचना का प्रसार करने के लिए नियमित रूप से कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए।

d. आंतरिक शिकायत समितियां – राज्य महिला आयोगों को अपने – अपने कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समितियों के गठन का भी सुनिश्चय करना चाहिए।

e. संगठनों के साथ सहयोग – राज्य महिला आयोगों को आंतरिक शिकायत समिति के सदस्यों के लिए कार्यशालाओं, प्रबोधन एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने तथा संसाधन व्यक्ति उपलब्ध– कराने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करना चाहिए।

f. वार्षिक रिपोर्टें – आंतरिक शिकायत समितियों तथा स्थानीय शिकायत समितियों की कार्य प्रणाली से संबंधित वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां संगठनों तथा जिला अधिकारियों द्वारा राज्य महिला आयोग को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए सुझायी गई सिफारिशें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा राज्य सरकारों को भी भेजी गई।

(VI) वैवाहिक क्रूरता तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क)

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 13 जनवरी, 2016 को 'वैवाहिक क्रूरता तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498(क)' पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। इसका उद्देश्य विशेष रूप से कठोरता को कम करने तथा पीड़ितों के लिए निवारण तथा इस धारा के दुरूपयोग से संबंधित आशंकाओं पर अरूणेश कुमार बनाम बिहार राज्य के निर्णय के फलस्वरूप किए गए सरोकारों की जांच पड़ताल करना था।

(क) निम्नलिखित सिफारिशें/कार्य बिंदु अग्रेषित किए गए :

i. भारत के उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्रीमती न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्र द्वारा धारा 498 (क) से पहले और इसके बाद दहेज मृत्यु की घटनाओं पर एक अध्ययन की सिफारिश की गई।

ii. धारा 498 (क) के वास्तविक प्रयोग तथा वैवाहिक क्रूरता के सूचित मामलों एवं परवर्ती कार्रवाइयों के संबंध में एक राष्ट्र स्तरीय अध्ययन।

iii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पुलिस स्टेशनों में एक जेंडर ऑडिट किया जाए ताकिः

(क) धारा 498 (क) पर विशेष के साथ महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित मामलों के प्रवर्तन तथा नीति की वास्तविक तस्वीर सामने आ सके;

(ख) ऐसी घटनाओं को हैंडल करने में पुलिस की लैंगिक संवेदनशीलता का पता चल सके;

(ग) ऐसे मामलों को हैंडल करने के लिए मानव संसाधन तथा संस्थानिक सुविधाओं सहित उपलब्ध अवसंरचना के बारे में जानकारी हो सके।

iv. वैवाहिक क्रूरता के मामलों तथा उपलब्ध कानूनी निदानों के बारे में महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना;

v. वैवाहिक क्रूरता के मामलों तथा महिलाओं के विरूद्ध वैवाहिक क्रूरता में सामाजिक – राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों की भूमिका के बारे में न्यायपालिका सहित प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने के लिए उनके लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना;

vi. महिलाओं पर वैवाहिक क्रूरता की ऊंची दर को हाईलाइट करने के लिए प्रिंट और विजुअल मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी एक गहन मीडिया अभियान;

माननीय उच्चतम न्यायालय में अरूणेश कुमार बनाम बिहार राज्य पर उपचारात्मक याचिका दाखिल की जानी चाहिए।

अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए सुझाई गई सिफारिशें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजी गई।

(VII) सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2014

15 अक्टूबर, 2015 को संयुक्त राष्ट्र महिला, आई सी एम आर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सभ्य समाज के विशेषज्ञों, राज्य महिला आयोगों तथा यूएनएफपीए की तकनीकी सहायता से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय परामर्श का उद्देश्य निम्नलिखित था :

i. विशेष रूप से वाणिज्यिक सरोगेसी के संदर्भ में प्रारूप एआरटी विधेयक के प्रावधानों की समालोचनात्मक रूप से जांच करना तथा भारत में एआरटी तथा सरोगेसी पर नीति एवं कानून के लिए ठोस सिफारिशें तैयार करना।

ii. यह सुनिश्चित करना कि विनियामक उपाय सरोगेट मदर तथा सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चों के स्वास्थ्य एवं अधिकारों की रक्षा करें तथा इनका कड़ाई से अनुपालन हो।

iii. वाणिज्यिक सरोगेसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में भारत के उद्भव से संबंधित मुद्दों एवं चुनौतियों पर विभिन्न संघटकों में सार्वजनिक राय का निर्माण करना।

संगत ब्यौरे अनुबंध– III के रूप में संलग्न हैं। अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी गई।

(VIII) मानव दुर्व्यापार (प्रतिषेध) विधेयक, 2016

रिट याचिका (सिविल) संख्या 56/2004, प्रज्जारवाला बनाम भारत संघ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन में महिला एवं बाल विकास

मंत्रालय द्वारा मानव दुर्व्यापार पर एक व्यापक कानून तैयार करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग उक्त समिति का सदस्य है। मानव दुर्व्यापार (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 पर प्रारूप विधान विधिक प्रकोष्ठ में प्राप्त हुआ तथा इसकी विधिवत रूप से जांच की गई और मानव दुर्व्यापार (प्रतिषेध) विधेयक, 2016 के लिए सिफारिशों का सुझाव दिया गया। ब्यौरे अनुलग्नक–4 के रूप में संलग्न हैं।

अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए सुझाव / सिफारिशें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी गई।

(IX) बाल अश्लील साहित्य

आयोग ने आदेश दिनांक 26 फरवरी, 2016 के माध्यम से रिट याचिका (सिविल) संख्या 177/2013 में कमलेश वासवानी बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में एक रिट याचिका प्राप्त की और यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग बाल अश्लील साहित्य से संबंधित मुद्दों तथा इस पर लगाम लगाने के उपायों के बारे में भारत संघ को अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विधिक प्रकोष्ठ ने विधिवत रूप से इसकी जांच की तथा अपने इनपुट का सुझाव दिया।

सिफारिश महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजी गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 177/2013 दिनांक 26 फरवरी, 2016 में कमलेश वासवानी बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग को बाल अश्लील साहित्य से संबंधित मुद्दों पर अपना सुझाव देने तथा इस पर लगाम लगाने के उपायों के बारे में सुझाव देने का निर्देश दिया था। अतः संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को अग्रेषित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए :

i. राष्ट्रीय महिला आयोग फिल्ट्रिंग सेवाओं के प्रसार एवं सुधार का समर्थन करता है तथा इंटरनेट पर बाल अश्लील साहित्य को अवरूद्ध करने को कारगर बनाने में सुधार के लिए विभिन्न उपाय अपनाने तथा बाल अश्लील साहित्य का उन्मूलन करने के लिए कदम उठाने के लिए भी सुझाव देता है।

ii. इसी तरह पीड़ितों (बच्चे और महिलाएं दोनों) के लिए सहायता को सुदृढ़ करने के लिए कारगर उपायों को लागू करने एवं बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए पुलिस तथा अन्य हितधारकों में जागरूकता पैदा करके महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सक्रियता से कदम उठा रहा है।

iii. एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है :

a. आईटी विशेषज्ञ

b. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

c. राष्ट्रीय महिला आयोग

d. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

e. बाल अश्लील साहित्य से संबंधित मामलों के संदर्भ में एक व्यापक कानून तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय

iv. प्लेटफार्म के रूप में एक नोडल एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए जिसमें लोग बेवसाइटों पर गैर कानूनी सामग्री के बारे में सूचना प्रदान कर सकें। इस प्लेटफार्म का उद्देश्य सभी साइबर अपराध, विशेष रूप से बाल अश्लील साहित्य के बारे में सूचना को साझा करने के लिए देश में ऑनलाइन अपराधों की जांच में मदद करना होगा।

v. सिफारिश की जाती है कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, सरकारी क्षेत्रों तथा सरकारी सहायता प्राप्त क्षेत्रों और मंत्रालयों की एक इंटरनेट सुरक्षा नीति होनी चाहिए जिसमें ''सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइटों पर तथा चैट रूम में अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत और साइबर गुंडागर्दी जागरूकता एवं प्रत्युत्तूर सहित उपयुक्त ऑनलाइन आचरण के बारे में शिक्षित करना'' शामिल होना चाहिए।

vi. सुरक्षित इंटरनेट कार्यक्रम का विकास किया जाना चाहिए ताकि हॉटलाइन को प्रोत्साहित करके, आत्म विनियमन तथा आचार संहिता को बढ़ावा देकर, फिल्ट्रिंग और रेटिंग सिस्टम का विकास करके, माता–पिता, शिक्षकों एवं बच्चों में जागरूकता पैदा करके सुरक्षित परिवेश का सृजन किया जा सके।

vii. आईटीए 2000 के तहत, नेटवर्क सेवा प्रदाताओं को तृतीय पक्ष की सूचना या उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के बारे में जिम्मेदार नहीं बनाया गया है, जहां तक यह साबित होता है कि उनको कोई जानकारी नहीं है या अपराध को रोकने के लिए समुचित अध्यादेश का प्रयोग किया है (धारा 79)। तथापि, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रत्युत्तर टीम (सीईआरटी–इंडिया) ऐसी वेबसाइटों को ब्लॉक कर सकती है जिनको फ्री स्पीच का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है (जैसे कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल इमेज)। अतः सुझाव दिया जाता है कि मध्यवर्ती जिम्मेदारी को अंतर्राष्ट्रीय खोए एवं शोषित बच्चो केंद्र (आई सी एम ई सी 2008) की सिफारिशों के अधिक अनुरूप बनाया जाए। ऐसे मध्यवर्तियों को सरकार

द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी को अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

ऊपर उल्लिखित सुझावों के अलावा महिलाओं का अश्लील रूपण (प्रतिरोध) संशोधन विधेयक, 2012 के संबंध में आयोग द्वारा अनेक पहलें की गई हैं, जो इस प्रकार हैं :

i. जिसमें आयोग का यह विश्वास है कि विद्यमान अधिनियम बहुत सख्त नहीं है तथा शिकायतों को सुनने तथा निर्णय प्रदान करने के लिए कोई संस्थानिक तंत्र नहीं है।

ii. अश्लीलता से संबंधित भारतीय दंड संहिता के प्रावधान महिलाओं के हितों के लिए हानिकारक थे तथा दोषी को किसी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाता था।

iii. विनियामक एवं विधायी लिखतों के बावजूद जो उपलब्ध थे, महिलाओं को उपभोग की वस्तु बनाने के बारे में सार्वजनिक बहस निरंतर जारी रही तथा इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में महिलाओं के चित्रण को लेकर कोई गहरा सरोकार नहीं था। इस पृष्ठभूमि में आयोग ने अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए एक नोडल प्राधिकरण का सृजन करने का प्रस्ताव किया।

iv. इसके अलावा, आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि ऐसे मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय होने चाहिए।

v. पुलिस तथा न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने की भी आवश्यकता है, जिससे इन मामलों में बरी होने की संख्या कम होगी तथा दोषसिद्धि की संख्या बढ़ेगी।

vi. इसके अलावा, सुझाव दिया गया कि इंटरनेट के माध्यम से आसानी से उपलब्ध अश्लील साहित्य पर प्रतिषेध के कार्य को अधिनियम के दायरे के अंदर लाया जा सकता है।

vii. आयोग ने आम जनता को प्रदर्शित करने के लिए फिल्मों को संस्वीकृत करने के दिशानिर्देशों पर भी अपना सुझाव दिया, अर्थात कोई तंत्र शुरू किया जाना चाहिए जिसमें अश्लीलता, फूहड़पन, नग्नता आदि की शिकायतों से जुड़े मामलों को सुना जाए।

II. कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

कानूनी जागरूकता सृजन महिलाओं तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनको अपने कानूनी एवं अन्य अधिकारों, समाज में एवं परिवार में अपनी स्थिति तथा अपनी समस्याओं के समाधान का ज्ञान नहीं है।

विधि संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में श्रीमती रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एल ए पी) आयोजित करने के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है तथा एक नया व्यापक ''महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के लिए मानकीकृत मॉड्यूल'' विकसित किया है। यह मॉड्यूल हाल के नए कानूनों एवं संशोधनों सहित पाठ्य विवरण / कानूनों का वरण करता है, जैसे कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 और आपराधिक संशोधन कानून 2013 आदि।

विधि संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में श्री आलोक रावत, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग

विधि संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम में श्री आलोक रावत, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित दो दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

60 प्रतिभागियों के साथ दो दिन के एक शिविर का आयोजन करने के लिए गैर एनईआर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1,00,000 रूपए और एनईआर क्षेत्र के लिए 1,20,000 रूपए कर दी गई है। 2015–16 के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/विधि विभागों / कॉलेजों से कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के लिए केवल ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 133 कार्यक्रमों को प्रायोजित करने की योजना बनाई है जो लगभग 8000 प्रतिभागियों को कानूनी जागरूकता प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मॉड्यूल को लागू करने तथा महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे कानूनी जागरूकता प्रदान करने के लिए पूरे देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों /

राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण/विधि विभागों/कॉलेजों के साथ सहयोग भी स्थापित किया है।

वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों का राज्योवार ब्यौरा अनुलग्न क–5 में दिया गया है।

III. राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग

1. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 4 सितंबर, 2015 को इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में राज्य महिला आयोगों के साथ एक चर्चा बैठक का आयोजन किया। राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की नेटवर्किंग की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने तथा एक – दूसरे के अनुभव से लाभांवित होने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया।

4 सितंबर, 2015 को राज्य महिला आयोगों के साथ आयोजित चर्चा बैठक के दौरान श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्येक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती प्रीति मदान, सदस्य् सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती लालडिंगलियानी सैलो, श्रीमती रेखा शर्मा और श्रीमती सुषमा शाहू, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग

2. आयोग ने 'उत्तराधिकार का अधिकार' और 'एसिड हमले के पीड़ित और उच्चतम न्यायालय की घोषणा' जैसे विषयों पर 16 फरवरी, 2016 को गांधीनगर में गुजरात राज्य महिला आयोग के सहयोग राज्य महिला आयोगों के साथ एक चर्चा बैठक का आयोजन किया।

3. श्री आलोक रावत, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अहमदाबाद में गुजरात राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष तथा राज्य महिला एवं बाल विभाग के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और फील्ड में वेहालाव और खंबात में क्रमशः एक नारी अदालत तथा एक महिला सम्मेलन में भी शिरकत की। 16 मार्च, 2016 को ही जीवीके – आपातकालीन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, जो जीवीके – ईएमआरआई ग्रुप के साथ राज्य सरकार का एक संयुक्त उद्यम है, का भी दौरा किया गया जो टोल लाइन 100 (पुलिस नियंत्रक कक्ष), 101 (फायर स्टेशन), 108 (आपातकाल), 181 (महिला हेल्पलाइन) के लिए एकीकृत कॉल सेंटर प्रदान करता है।

16 मार्च, 2016 जीवीके आपातकालीन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात में श्री आलोक रावत, सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग

IV. समझौता ज्ञापन

1. राष्ट्रीय महिला आयोग तथा हुडको के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

   अभिचिन्हित क्षेत्रों में निराश्रित महिलाओं के जीवन यापन की स्थितियों में सुधार के लिए 7 मई, 2013 को राष्ट्रीय महिला आयोग तथा हुडको के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 27 अप्रैल, 2015 को एक बैठक आयोजित की गई जिसमें वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में आश्रयगृह, रासबिहारी सदन, पागल बाबा ट्रस्टे की संरचनात्मक लेखा परीक्षा / पुनर्निर्माण / जीर्णोद्धार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग तथा हाउसिंग एंड अरबन डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के बीच अंतिम करार पर हस्तारक्षर किए गए।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

   महिलाओं एवं लड़कियों के दुर्व्यापार से लड़ना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण

सुनिश्चित करना, अनौपचारिक क्षेत्र में महिला कार्यकर्त्रियों के अधिकार तथा परिसंपत्ति का स्वामित्व एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य समीक्षा एवं सुदृढ़ीकरण सहित साझे हित के क्षेत्रों में सुगमता प्रदान करने तथा सहयोग की रूपरेखा प्रदान करने के लिए 29 अक्टूबर, 2015 को राष्ट्रीय महिला आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

V. न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण

1. 23 से 25 नवंबर, 2015 तक निपसिड, हौज खास, नई दिल्ली

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी), गृह मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 23 से 25 नवंबर, 2015 तक निपसिड, हौज खास, नई दिल्ली में ''महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की जांच पर विशेष बल के साथ महिला पुलिस अधिकारियों'' के लिए एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। एएसआई से लेकर पुलिस अधीक्षक तक के महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जो महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के मामले में जांच अधिकारी हो सकती हैं। आयोग ने वर्ष 2015–16 के दौरान पूरे देश से 150 महिला पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है।

23 से 25 नवंबर, 2015 तक निपसिड, हौज खास, नई दिल्ली में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

23 से 25 नवंबर, 2015 तक निपसिड, हौज खास, नई दिल्ली में आयोजित विदाई सत्र के दौरान श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती विमला मेहरा, आईपीएस, विशेष पुलिस आयुक्ति, दिल्ली पुलिस, सुश्री निर्मल कौर, आईजी (जीआई), बीपीआरएंडडी, श्री इंदराज सिंह, डीआईजी, बीपीआरएंडडी, आयोग के प्रतिनिधि तथा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागी

अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्यक्रम की रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को भेजी गई।

विचार – विमर्श के उपरांत जो सुझाव सामने आए उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

1. प्रविष्टि के सभी स्तर पर अधिक संख्या में महिला पुलिस अधिकारियों की भर्ती।
2. महिला पुलिस अधिकारियों को जांच की गुणवत्ता के साथ समझौता न करने, अनुभवी / सेवानिवृत्त, वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुरूष जांच अधिकारियों / निष्ठावान वरिष्ठ जांच अधिकारियों के साथ संदेह को दूर करने तथा दक्ष महिला जांच अधिकारियों को संबद्ध करने का सुझाव दिया गया।
3. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सभी रैंक पर महिला पुलिस अधिकारियों का एक नियत प्रतिशत होना चाहिए।
4. महिलाओं के लिए चिकित्सा सेवाओं तथा न्यायालय तक पहुंचने सहित जांच की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक थाने में एक वाहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
5. सभी जघन्य अपराधों के लिए जांच निधि नियत होनी चाहिए तथा जांच अधिकारी को प्रदान की जानी चाहिए।
6. महिला पुलिस अधिकारियों के लिए साफ–सुथरे महिला वाशरूम उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा उनकी कुंजी महिला स्टाफ के पास होनी चाहिए।
7. महिला पुलिस अधिकारियों के लिए काम के घंटे नियत एवं लोचपूर्ण होने चाहिए।

8. पुलिस बल के अबाध कार्यकरण के लिए पर्याप्त अवसंरचना / संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
9. महिलाओं के लिए अलग से पुलिस स्टेशन बनाने के बजाए यातायात एवं सामान्य पुलिसिंग, गश्त तथा पुलिस नियंत्रण कक्ष सहित सभी स्तरों पर एवं सभी क्षेत्रों में पुलिस की कार्यप्रणाली में महिलाओं का प्रतिनिधित्व् हर जगह होना चाहिए।
10. महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों पर कार्रवाई करते समय लिंग संवेदी एवं सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
11. महिलाओं के साथ सम्मान एवं गरिमा का बर्ताव करें, उनमें आत्मविश्वास पैदा करें। सुनिश्चित करें कि जब वे पुलिस स्टेशन से संपर्क करें, तो उनको किसी उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।

2. 3 से 5 मार्च, 2016 तक बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़)

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) तथा गृह मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने एएसआई से लेकर एसएसपी तक के स्तर की महिला पुलिस अधिकारियों जो महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों में हेड कांस्टेबल सहित जांच अधिकारी हो सकती हैं, के लिए 3 से 5 मार्च, 2016 तक बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़) में एक तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़) में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हेड कांस्टेसबल से लेकर एसएसपी के रैंक की 70 महिला पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया जो पांच राज्यों अर्थात पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर से आई थी।

महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़) में महिला पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए डा. के पी सिंह, आईपीएस, डीजीपी (अपराध), हरियाणा। मंचासीन अधिकारीः श्री अरविंद कुमार, आईपीएस, आईजी, एनडब्यू एफटीआर, आईटीबीपी, श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्री पी एस पापता, डीआईजी, बीटीसी, आईटीबीपी बल और श्रीमती सुधा चौधरी, विधि अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा सुश्री सुखम गिरान, जेटीई (विधिक), राष्ट्रीय महिला आयोग

महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़) में महिला पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए डा. के पी सिंह, आईपीएस, डीजीपी (अपराध), हरियाणा

महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़) में महिला पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए श्रीमती सुधा चौधरी, पूर्व विधि अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग

महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़) में महिला पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए श्रीमती सुधा चौधरी, विधि अधिकारी (भूतपूर्व), राष्ट्रीय महिला आयोग और सुश्री सुखम गिरान, जेटीई (विधिक), राष्ट्रीय महिला आयोग

महिला पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए बीटीसी, आईटीबीपी, भानु, पंचकूला (चंडीगढ़) में विदार्थ समारोह के दौरान श्रीमती ललिता कुमारमंगलम, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य , राष्ट्रीय महिला आयोग, श्री आनंद प्रकाश, आईपीएस, डीजी / निदेशक, बीपीआरएंडडी, श्री पी एस पापता, डीआईजी, बीटीसी, आईटीबीपी और श्रीमती सुधा चौधरी, विधि अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा सुश्री सुखम गिरान, जेटीई (विधिक), राष्ट्रीय महिला आयोग तथा प्रतिभागीगण

लंबे विचार – विमर्श के बाद जो सिफारिशें / सुझाव उभरकर सामने आए वे इस प्रकार हैं :

पुलिस के लिए सिफारिशें / सुझाव :

i. पुलिस स्टेशनों में महिला शौचालयों की नितांत आवश्यकता है।

ii. महिला पुलिस अधिकारियों की पेशेवर क्षमता का निर्माण करने के लिए उनके पुरूष समकक्षों द्वारा उनको सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

iii. महिलाओं के मानवाधिकारों के लिए प्रतिबद्धता अवश्य होनी चाहिए।

iv. जहां तक संभव हो, पुलिस सेवा में कार्यरत विवाहित जोड़े की पोस्टिंग एक साथ होनी चाहिए।

v. यह कि सार्वजनिक सुरक्षा का अभाव है तथा सक्रियता दिखाकर एवं दक्षता के साथ अपने कर्तव्यों का विधिवत रूप से निर्वहन करके बेरहम होने की अपनी छवि को बदलने के लिए पुलिस को प्रयास करना चाहिए।

vi. पुलिस को समझौता करने के लिए पीड़ित को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी अपराध केवल पीड़ित के साथ ही नहीं होता है, देश के कानून के अनुसरण में अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए।

vii. महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ पुलिस टीम का गठन किया जाना चाहिए जिन्हें कानून का समुचित ज्ञान हो तथा उनके पास समुचित उपकरण जैसे कि चिकित्सा किट आदि उपलब्ध होने चाहिए, जो मामले पर लागू हो।

viii. बलात्कार के पीड़ितों के लिए हर जिले में वन स्टाप सेंटर होने चाहिए।

ix. केवल महिला पुलिसकर्मियों वाले पुलिस स्टेशन का गठन करने की बजाय पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।

x. चिकित्सा किट खरीदने, पीड़ितों को अस्पताल या मामले की आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य स्थान पर ले जाने पर हुए व्यय की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों द्वारा जांच के लिए अलग से निधियां प्रदान की जानी चाहिए।

केंद्र सरकार / राज्य सरकारों के लिए सिफारिशें / सुझाव :

i. पीड़ितों को जल्दी से न्याय दिलाने के लिए महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों का निर्णय करने के लिए फास्ट ट्रैक न्याययालयों की तत्काल आवश्यकता है।

ii. अप्रचलित एवं भेदभाव करने वाले कानूनों को दुरूस्त करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति होनी चाहिए।

iii. पुलिस अधिकारियों के लिए पैकिंग एवं चिकित्सा किट के लिए मानक सामग्री के लिए पर्याप्त वित्त पोषण।

iv. फास्ट ट्रैक फोरेंसिक जांच के लिए समुचित तकनीकी स्टाफ तथा अवसंरचना के साथ राज्य/जिला स्तर पर विशेष फारेंसिक लैब का गठन किया जाना चाहिए।

v. धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा अज्ञात शव का अंतिम संस्कार एवं धार्मिक अनुष्ठान किया जाना चाहिए।

vi. मानव दुर्व्यापार की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए डीएनए पर सांख्यिकी की आवश्यकता है।

vii. यह कि यह एक राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए जहां हर भारतीय के डीएनए का डाटाबेस रखा जाना चाहिए।

viii. ऐसे मामलों में मीडिया को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है जहां मीडिया बेशरम है तथा महिलाओं की स्थिति को दयनीय हालत में प्रदर्शित करती है जिससे आम जनता प्रभावित होती है।

ix. चिकित्सा पेशेवरों को शिक्षित करने की आवश्यकता है तथा वे समुचित रेप किट, यौन जांच किट तथा डीएनए साक्ष्य संग्रहण किट से विधिवत रूप से लैस होने चाहिए।

x. जांच / साक्ष्य संग्रहण के लिए एक समान संरक्षण

(क) चिकित्सा परीक्षक के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश

(ख) डीएनए साक्ष्य संग्रहण के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश

xi. एक देशज सर्वर की जरूरत है जहां भारत में प्रचलित हो रही सभी वेबसाइटों के संबंध में सभी सूचनाओं को रिकार्ड किया जाना चाहिए।

xii. भारत में एक देशज सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट क्रियाशील होनी चाहिए।

xiii. सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइटों पर छोटे बच्चों की निगरानी एवं मार्गदर्शन करना माता–पिता के लिए बहुत आवश्यक है।

xiv. स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए साइबर अपराधों पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए।

xv. सरकारी क्षेत्र में साइबर शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।

कार्यक्रम की रिपोर्ट अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को भेजी गई।

3. 28 फरवरी, 2016 को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों के लिए शिमला में लैंगिक संवेदीकरण

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायलय, शिमला में 28 फरवरी, 2016 को लैंगिक संवेदीकरण पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन / संचालन किया।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में 28 फरवरी, 2016 को लैंगिक संवेदीकरण पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया।

लैंगिक संवेदीकरण पर आयोजित सम्मेलन में विभिन्न विधि कालेजों के 117 न्यायिक अधिकारियों तथा 42 छात्रों ने भाग लिया। जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें शामिल हैं : पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम बनाम मानवाधिकार तथा महिलाओं का सशक्ती करण, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन में न्यायपालिका की भूमिका, महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से संबंधित कानून : घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बलात्कार, एसिड हमला आदि तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों का प्रतिषेध : न्यायपालिका की भूमिका, कार्य स्थल पर भेदभाव एवं उत्पीड़न तथा कार्य स्थल पर महिलाओं की गरिमा – संवैधानिक अधिदेश तथा विशाखा मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश।

VI. जेलों एवं आश्रय गृहों का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (10) के अनुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों में से एक कार्य जेलों, रिमांड गृहों, महिलाओं के संस्थाओं या अभिरक्षा के किसी अन्य स्थान, जहां महिलाओं को कैदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, का निरीक्षण करना या निरीक्षण कराना तथा आवश्यक पाए जाने पर उपचारी कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामले को उठाना है। हिरासत में रह रही महिलाओं की हालत का आकलन एवं विश्लेषण करने के उद्देश्य से आयोग के सदस्यों ने वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित जेलों का दौरा किया :

i. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अंतःवासियों की हालत का निरीक्षण करने के लिए फरीदाबाद, करनाल और चंड़ीगढ़ की जेलों एवं आश्रय गृहों का दौरा किया।

ii. श्रीमती लालडिंगलियानी सैलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अंतःवासियों की हालत का निरीक्षण करने के लिए 13 सितंबर, 2015 को केंद्रीय कारागार का दौरा किया। उन्होने पाया कि वास्तु शिल्प की दृष्टि से भवन काफी मूल्यवान है परंतु कुछ भवन ऐसे भी हैं जिनकी हालत जीर्ण–शीर्ण है, विशेष रूप से प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण प्रकोष्ठ में। जहां तक चिकित्सा सुविधाओं का संबंध है, केवल एक नर्स है जो बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करती है तथा अक्सर अंतःवासियों को सरकारी अस्पतालों में जाना पड़ता है।

iii. श्रीमती लालडिंगलियानी सैलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 12 सितंबर, 2015 को केंद्रीय कारागार, गुवाहाटी, असम का दौरा किया। केंद्रीय कारागार की हालत खराब है, वहां की संड़क कच्ची है तथा नालों एवं दीवारों पर सेवार उग आए हैं। शौचालयों की हालत दयनीय है तथा वे प्रयोग करने के लायक नहीं है।

iv. श्रीमती सुषमा साहू, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 9 और 10 सितंबर, 2015 को वृंदावन, उत्तर प्रदेश के वृद्धा आश्रमों का दौरा किया।

v. श्रीमती प्रीति मदान, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अंतःवासियों की हालत का निरीक्षण करने के लिए 5 अक्टूबर, 2015 को शिलांग, पूर्वी खासी हिल्से जिला, मेघालय की जेल का दौरा किया। उन्हों ने पाया कि यहां 10 महिला अंतःवासी हैं तथा उनके कपड़े काफी साफ–सुथरे थे। तथापि, सेनेटरी नैपकिन के निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। किचन में रसोइया था तथा सप्ताह में एक बार डाक्टर आता है।

vi. श्रीमती प्रीति मदान, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अंतःवासियों की हालत का निरीक्षण करने के लिए दिसंबर, 2015 में अहमदाबाद, गुजरात की एक जेल का दौरा किया। उन्होंने पाया कि अंतःवासियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं, कानूनी सुविधाएं हैं। तथापि, जेल में ऐसे बंदियों की संख्या काफी थी जो ट्रायल के अधीन थे।

vii. श्री प्रवीण शर्मा, परामर्शदाता, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्या, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला अंतःवासियों की हालत का निरीक्षण करने के लिए 7 से 9 अक्टूबर, 2015 के दौरान लखनऊ के आश्रय गृह एवं जेल का दौरा किया। उन्होंने पाया कि यहां 3040 अंतःवासी हैं जिनमें से 82 महिलाएं हैं। महिला अंतःवासियों के लिए 62 शौचालय थे जिनकी दशा अच्छीं थी। 82 महिला अंतःवासियों में से 78 ट्रायल के अधीन थी तथा 4 महिलाएं ऐसी थी जिन्हें दोषी पाया गया है। जेल में प्रशिक्षण/कौशल प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, तथापि, चिकित्सा सहायता एवं कानूनी सहायता उपलब्ध थी।

viii. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 3 से 5 नवंबर, 2015 के दौरान कोलकाता के राजकीय मनोचिकित्सा अस्पताल का दौरा किया तथा पश्चिम बंगाल के डीजीपी से मुलाकात की।

ix. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1 से 3 दिसंबर, 2015 के दौरान वाराणसी का दौरा किया तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी तथा सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुलाकात की और उन्हों ने वाराणसी में विधवा आश्रम एवं नारी निकेतन का भी दौरा किया।

x. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 10 दिसंबर, 2015 को राजकीय अस्पताल, इलाहाबाद का दौरा किया।

xi. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 18 से 21 दिसंबर, 2015 के दौरान नीमहंस, केरल का दौरा किया।

xii. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 18 और 19 जनवरी, 2016 को जांच टीम के साथ पूछताछ के लिए उत्तराखंड नारी निकेतन का दौरा किया।

xiii. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 1 से 5 फरवरी, 2016 के दौरान राजकीय मनोचिकित्सा अस्पताल, अमृतसर, पंजाब का दौरा किया।

xiv. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 16 से 20 मार्च, 2016 के दौरान जयपुर महिला जेल का दौरा किया जहां उन्हों ने पाया कि कोई हरियाली नहीं है तथा यह कि अंतःवासियों को बंद कमरों में रखा जाता है और अंतःवासियों के बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहे हैं।

xv. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31 मार्च, 2016 को जांच टीम के साथ पूछताछ के लिए रैन बसेरा आश्रय गृह का दौरा किया।

xvi. श्रीमती रेखा शर्मा, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 18 से 20 दिसंबर, 2015 के दौरान राजकीय मनोचिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र, कोझिकोड, कुटीरवट्टम, केरल का दौरा किया जहां उन्हों ने पाया कि साफ–सफाई की स्थिति अच्छी नहीं है, शय्यासीन अंतःवासियों के लिए समुचित चिकित्सा सहायता की कोई व्यवस्था नहीं है, स्टाफ एवं विशेषज्ञों की कमी है, अस्पताल का चक्कर लगाने के लिए बच्चों को डांट फटकार मिल रही थी तथा वे चिड़ियाघर के जानवरों की तरह काम कर रहे थे।

जेल के दौरों की रिपोर्टें अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को भेजी गई। कुछ सिफारिशों का यहां नीचे उल्लेख किया गया है:

1. सिफारिश की जाती है कि सरकार सफाई की सामग्रियों एवं उपकरणों के लिए नियमित आधार पर धन प्रदान करे।
2. नई फिटिंग लगाकर बाथरुम एवं शौचालयों को अपग्रेड किया जाना चाहिए।
3. शौचालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए एसिड, क्लीजनिंग लिक्विड, कपड़ा आदि जैसी सफाई के बुनियादी उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।
4. सीवेज की पाइपों को चेक करना चाहिए तथा यदि संभव हो, तो उनको बदलना चाहिए।
5. सेनेटरी नैपकिन के निस्तारण के लिए समुचित प्रावधान किया जाना चाहिए।
6. साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश आदि जैसी सजने – संवरने की बुनियादी सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में अंतःवासियों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
7. महिला डाक्टरों के साप्ताहिक विजिट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. पूर्ण विकसित शफाखाना का निर्माण किया जाना चाहिए।
9. मनोरंजन की गतिविधियों जैसे कि इंडोर गेम तथा टेलीविजन के लिए प्रावधान होना चाहिए।
10. एक सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जानी चाहिए जिसके लिए अंतःवासियों को निःशुल्क टोकन दिया जा सकता है।
11. शिशु गृह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
12. इस बात की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोगों के अधिकारी/कर्मचारी पुलिस तथा न्यायिक अधिकारियों के साथ जल्दी – जल्दी वार्ता करें ताकि इस संबंध में निरंतर संवाद कायम रहे कि ऐसे मामलों को प्रोसेस करने में उनको किन अड़चनों का सामना करना पड़ता है या महिला अभियुक्त की पृष्ठभूमि / परिस्थितियों को वे किस रूप में देखते हैं।
13. दोषसिद्ध व्यक्तियों को अधिकार के रूप में न्यायिक घोषणा सहित सभी पेपर मिलने चाहिए जो उनकी दोषसिद्धि का आधार है।
14. उनकी कानूनी शिक्षा का सुनिश्चय करने के लिए अंतःवासियों के लिए नियमित रूप से कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
15. साफ–सफाई के साथ रहने के लिए नई बेडसीट, तौलिया, गिलाफ, आदि की खरीद की जानी चाहिए।

VII. अन्य पहलें :

(I) वीडियो कांफ्रेंस

i. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के तहत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता का बयान रिकार्ड करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ऐसी लड़की के मामले में पहली बार इस प्रावधान के प्रयोग को सुगम बनाया जिसने माता और पिता दोनों की इच्छाओं के विरूद्ध अपनी शादी के कारण अपने जीवन के लिए खतरे के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी।

ii. संयोग से, अपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 के बाद यह पहला मामला था जिसमें 9 जून, 2015 को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया है तथा पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत उक्त एफआईआर के संदर्भ में कानून के अनुसार उपयुक्त अग्रेतर आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत हुई है।

iii. आयोग के पूर्व विधि अधिकारी को विभिन्न संगठनों एवं मंत्रालयों की आंतरिक शिकायत समितियों के सदस्य के रूप में नामित किया गया। विधि अधिकारी ने कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर प्रबोधन/कार्यशालाओं में भी भाग लिया।

अध्याधय–6

नीति, कार्यक्रम, निगरानी, अनुसंधान एवं समन्वय (पीपीएमआरसी) प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) (छ) के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग को यह अधिदेश दिया गया है कि वे महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव एवं अत्याचार से उत्पन्न विशिष्ट समस्याओं या परिस्थितियों का अध्ययन या जांच कराएं और अड़चनों की पहचान करें ताकि उनके निवारण के लिए रणनीतियों का सुझाव दिया जा सके। इसके अलावा, अधिनियम की 10 (1) (ज) के तहत आयोग को संवर्धनात्मक एवं शैक्षिक अनुसंधान करने का भी अधिदेश दिया गया है ताकि सभी क्षेत्रों में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीकों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में रूकावट बनने वाले कारकों की पहचान की जा सके।

अपने अधिदेश के अनुसार आयोग गैर सरकारी संगठनों (एन जी ओ), स्वैच्छिक संगठनों, विश्वविद्यालयों / कालेजों, स्वायत्त निकायों, संस्थाओं आदि के साथ मिलकर विशेष अध्ययन संचालित करता है, सेमिनार / सम्मेलन एवं कार्यशालाएं आयोजित करता है। यह बुनियादी स्तर पर सूचना प्राप्त करने तथा उनका बौद्धिक इनपुट प्राप्त करने के लिए महिलाओं के अधिकारों एवं सशक्तीकरण के क्षेत्र में काम करने वाले सभ्य समाज के समूहों, शिक्षाविदों, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों के साथ भागीदारी करता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, संकेंद्रित अनुसंधान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अनुसंधान / अध्ययन के संचालन के लिए कुछ विशिष्ट मुद्दों / विषयों की पहचान की, जैसे कि निजि क्षेत्र पर विशेष बल के साथ कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रावधानों का अनुपालन; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 का तुलनात्मक विश्लेषण; घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी; मानव दुर्व्योपार आदि। आयोग ने 2015–16 के दौरान सेमिनारों / सम्मेलनों / कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए संगत एवं विशिष्ट– मुद्दों की भी पहचान की है जैसे कि विकलांग महिलाओं के समक्ष आने वाली अड़चनें, सरोगेसी के मुद्दे, महिलाएं एवं पर्यावरणीय संपोषणीयता, आदिवासी महिलाओं के अधिकार, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण आदि तथा महिलाओं के हितों की रक्षा करने से संबंधित मुद्दों पर अनेक परामर्श एवं सेमिनार का आयोजन किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2015–16 के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययनों तथा सेमिनारों/सम्मेलनों/परामर्शों को प्रायोजित किया है। ऐसे संगठनों की सूची अनुलग्न क–6 और अनुलग्न –7 में दी गई जिनको राष्ट्रीय महिला आयोग ने

2015–16 के दौरान राज्य/क्षेत्रीय स्तर के सेमिनारों, अनुसंधान/अध्ययनों को प्रायोजित किया तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए पूरे हो चुके अनुसंधान अध्ययनों तथा सेमिनारों एवं परामर्शों से उभरकर सामने आई सिफारिशों को अध्याय–9 में दिया गया है।

अन्य पहलें :

2. दिल्ली पुलिस तथा टाटा समाज विज्ञान संस्थान, मुंबई के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

दिल्ली पुलिस (एसपीयूडब्यू एसी), नई दिल्ली तथा टाटा समाज विज्ञान संस्था (टीआईएसएस), मुंबई के साथ मिलकर वर्ष 2008–09 से राष्ट्रीय महिला आयोग 'हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार' (महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ) नामक परियोजना चला रहा है। नानकपुरा, नई दिल्ली में एसपीयूडब्यू एसी मुख्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता रखे गए तथा वर्ष 2010–11 से पुलिस स्टेशनों/स्थापनाओं में महिला हितैषी वातावरण सृजित करने के अलावा समान संकट हस्तक्षेप के लिए दो अन्य सी ए डब्यू प्रकोष्ठ (पीतमपुरा एवं साकेत) में सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं प्रदान की गई। वर्ष 2015–16 के दौरान, आयोग ने दिल्ली के सभी 11 जिलों में 'हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार' नामक परियोजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग, टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टी आई एस एस) तथा दिल्ली पुलिस के बीच 23 दिसंबर, 2015 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। आज दिल्ली के सभी जिलों में प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवाएं उपलब्ध है।

'हिंसा मुक्त घर – महिलाओं का अधिकार' नामक परियोजना के विस्तार / पुनरावृत्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली पुलिस तथा टाटा समाज विज्ञान संस्थान के प्रतिनिधि

4. महिला सशक्तीकरण नीति 2001 की समीक्षा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सम्मेलन कक्ष, में महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 की समीक्षा करने के लिए 29 अक्टूबर, 2015 को एक परामर्श का आयोजन किया था ताकि राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 में संशोधन के संबंध में अल्पावधिक, दीर्घावधिक एवं मध्यतम अवधि की कार्य योजना के लिए इनपुट प्राप्त किया जा सके। महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर काम करने वाले हितधारकों ने परामर्श में भाग लिया तथा कार्य योजना के लिए अपने विचारों एवं प्रस्तावों को साझा किया। विभिन्न संगठनों/विशेषज्ञों से प्राप्त इनपुट एवं टिप्पणियों पर लिंग आधारित हिंसा, शहरी आयोजना तथा सार्वजनिक स्थानों की डिजाइन, शहरी अवसंरचना एवं सेवाओं का प्रावधान एवं प्रबंधन, सार्वजनिक परिवहन, पुलिसिंग, कानून, पीड़ितों को न्याय एवं सहायता, शिक्षा आदि पर विचार किया गया। परामर्श का परिणाम आवश्यक कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है।

5. पंचायती राज की महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए मॉड्यूल का विकास

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंचायती राज की महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए मॉड्यूल विकसित किया, चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल विकसित किया गया ताकि उनको सूचना एवं ज्ञान से लैस किया जा सके और उनकी क्षमता बढ़ाई जा सके। मॉड्यूलों के तहत अनेक मुद्दे शामिल हैं जैसे कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले प्रावधान, भारत में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत, विकास स्कीमों एवं कार्यक्रमों को समझना, महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण कानून, नेतृत्व तथा निर्णय लेना आदि। टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टी आई एस एस), मुंबई के सहयोग से मॉड्यूल विकसित किया गया।

6. सीबीएफसी द्वारा फिल्मों के प्रमाणन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों / प्रक्रिया पर सिफारिशें

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सी बी एफ सी द्वारा फिल्मों के प्रमाणन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं की सिफारिश करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी तथा समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग से अपनी राय प्रदान करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अन्य बातों के साथ निम्नलिखित पर अपनी सिफारिशें अग्रेषित की :

1. सीबीएफसी की संरचना, भूमिका और जिम्मेदारियां

i. फिल्म निर्माताओं को तर्कसंगत आजादी प्रदान करने के लिए अश्लीलता, रूढ़िवादिता, लैंगिक भेदभाव एवं हिंसा से संबंधित अंतर्वस्तुओं की स्क्रीनिंग के लिए और साथ ही कलात्मक आजादी की परिभाषा के तहत महिलाओं की गरिमा एवं स्थिति के साथ समझौता न होने का सुनिश्चय करने के लिए महिला कार्य समूहों तथा लिंग

संवेदी सदस्यों का सी बी एफ सी में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ii. सीबीएफसी के सदस्यों का चयन करने एवं नियुक्ति करने के लिए विशिष्ट अर्हता या मापदंड होने चाहिए।

iii. प्रमाण की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए तथा फिल्म प्रमाणन के दिशानिर्देशों या सिनेमेटोग्राफी अधिनियम का उल्लंघन या गैर अनुपालन होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए।

iv. सिनेमेटोग्राफी अधिनियम के अनुसार यदि किसी फिल्म को एडल्ट के रूप में प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उसे टेलीविजन या अन्यत्र प्रदर्शित करने के लिए यू/ए या यू के रूप में फिर से प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है। अतः एडल्ट के रूप में प्रमाणित फिल्म को यू/ए के रूप में फिर से प्रमाणित नहीं किया जाना चाहिए और टेलीविजन पर नहीं दिखाना चाहिए।

v. सीबीएफसी के सदस्यों को लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

2. आम जनता को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म संस्वीकृत करने के दिशानिर्देशों पर सुझाव

i. आम जनता के पास अपनी शिकायतों को व्यक्त करने का कोई न कोई तंत्र अवश्य होना चाहिए, यदि वे प्रमाणन से नाखुश हैं।

ii. तंत्र वहां लागू किया जाना चाहिए, जहां अश्लीलता, फूहड़पन, नग्नता आदि के मामले उठाए जाते हैं, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आम जनता के लिए अश्लील अंतर्वस्तु, गंदी भाषा तथा ऐसी अन्य अभिव्यक्ति वाले दोहरे अर्थ के गीतों को अवश्य सेंसर किया जाना चाहिए।

iii. भारतीय दंड संहिता 2860 की धारा 292 (अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री), 293 (युवाओं को अश्लील सामग्रियों की बिक्री आदि) और 294 (अश्लील प्रदर्शन तथा गीत) का कड़ाई से कार्यान्वंयन होना चाहिए। मीडिया में महिलाओं की गरिमा एवं चित्रण की रक्षा करने के लिए संशोधन के लिए उल्लेखित अधिनियमों को अधिक कारगर बनाने की जरूरत है।

iv. 'किसी भी ढंग से महिलाओं को नीचा दिखाने वाले दृश्य' से संबंधित अधिसूचना दिनांक 6 दिसंबर, 1991 के पैरा 2 (9) के तहत जेनरिक दिशानिर्देशों को विधिवत रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। जेंडर स्टीरियो टाइप का प्रवर्तन तथा कमजोर माता या ग्लैमर सीन या फिल्मी वैंप के रूप में महिलाओं की प्रस्तुति की जांच की जानी चाहिए ताकि प्रभावित होने वाले लोगों पर उनके प्रभाव का अंदाजा लग सके।

v. फिल्मों में ऐसी कोई अंतर्वस्तु जो महिलाओं की अपमानजनक प्रस्तुति को प्रोत्साहित करती है अथवा परंपरा, धर्म आदि के नाम पर भेदभाव करने वाली प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है, अवश्य सेंसर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, बेटियों की निरक्षरता, बाल विवाह, दहेज आदि यदि इनको फिल्मों में शामिल करने की जरूरत हो, तो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक संदेश या सांविधिक चेतावनी अवश्य प्रदर्शित की जानी चाहिए।

3. पोस्टरों / सोशल मीडिया आदि से संबंधित नए मुद्दे

i. फिल्मों के पोस्टर सी बी एफ सी द्वारा अवश्य प्रमाणित होने चाहिए। सार्वजनिक मंच पर एडल्ट पोस्टर या ट्रेलर प्रदर्शित करने वाले या किसी सोशल या सार्वजनिक मंच पर उसका प्रसार करने वाले निर्माताओं को दंड या भारी जुर्माने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

ii. सीबीएफसी द्वारा हटाए गए सभी दृश्यों को अपलोड करने या यूट्यूब पर सेंसर न किए गए वर्जन को अपलोड करने की नई रूझान को अपराध की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए तथा आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत निर्माता को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, जहां अश्लील अंतर्वस्तु को अपलोड करना दंडनीय अपराध है।

iii. समतुल्यता के लिए आम जनता के उपभोग के लिए फिल्मों, टेलीविजन एवं अन्य मीडिया पर अंतर्वस्तुओं को प्रमाणित करने के दिशानिर्देशों का मानकीकरण किया जाना चाहिए।

4. विविध

i. आयोग सोच एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन के माध्यम के रूप में फिल्में देखता है। अतः प्रत्येक शो की शुरूआत में हर फिल्म में लैंगिक समानता एवं समता के लिए संदेश होना चाहिए जैसे कि सिगरेट के लिए वैधानिक चेतावनी होती है।

ii. सिनेमेटोग्राफी अधिनियम, 1952 के तहत फिल्म, लघु फिल्म, सीरियल, टेलीविजन शो, सोशल मीडिया आदि सहित सभी माध्यम शामिल होने चाहिए।

iii. फिल्मों के प्रमाणन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि फिल्में आमतौर पर समाज और विशेष रूप से महिलाओं के मूल्यों एवं मानकों के लिए जिम्मेदार एवं संवेदनशील बनी रहें। उद्देश्य के तहत शामिल होना चाहिए – राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बढ़ावा देना।

अध्याय-7

पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर पूर्वी राज्यों की महिलाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए तथा उनके विकास एवं सशक्तीकरण की पहल करने के लिए आयोग ने पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसके अलावा, यह उत्तर – पूर्वी राज्यों से विशेष रूप से संबंधित अधिनियमों तथा संहिताओं/प्रथाओं की कानूनी समीक्षा से संबंधित मामले भी देखता है।

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :

1. राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर मेघालय राज्य महिला आयोग ने 20 और 21 अप्रैल, 2015 को शिलांग में एकल महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। बीज भाषण देते हुए श्रीमती लालडिंगलियानी सैलो, सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि एकल माताएं जिसमें विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं, पति से अलग हो चुकी महिलाएं तथा परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं, अक्सर कलंक एवं वित्तीय कठिनाइयों का सामना करती हैं और इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामाजिक – आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रों में इन महिलाओं का सशक्तीकरण समय की मांग है। सौभाग्य से, पूर्वोत्तर की अधिकांश महिलाओं की इच्छाशक्ति मजबूत है तथा वे ऐसी समस्याओं से निपटने में निपुण हैं। तथापि, सरकार को भी समय से पूर्व विवाह का स्तर कम करने तथा एकल माताओं को देखरेख एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुकूल माहौल सृजित करने की पहल करनी चाहिए। मेघालय विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने भी इस अवसर पर सभा को संबोधित किया। परामर्श से जो सिफारिशें उभरकर सामने आई, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

i) एकल माताओं का डाटा एकत्र एवं संकलित किया जाना चाहिए।

ii) परित्यक्त बच्चों के लिए आश्रयगृह / शिशु गृह स्थापित किए जाने चाहिए।

iii) एकल महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

iv) कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

v) एकल विस्थापित माताओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

vi) एकल माता के परिवार को परिभाषित करने की जरूरत है।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लालडिंगलियानी सैलो ने मिजोरम का दौरा किया तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के नवनिर्मित कानूनी जागरूकता मॉड्यूल के तौर–तरीकों पर चर्चा करने के लिए मिजोरम राज्य महिला आयोग, मिजोरम के मुख्य सचिव तथा मिजोरम विधि कालेज के सदस्यों के साथ बैठक की।

3. राष्ट्रीय महिला आयोग के मीडिया प्लान 2015 के कार्यान्वयन के मुकाबले में स्थानीय मीडिया की कार्य प्रणाली पर चर्चा करने के लिए 20 अगस्त, 2015 को दूरदर्शन केंद्र, आइजवाल के अधिकारियों के साथ मिजोरम में एक बैठक आयोजित की गई।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य लालडिंगलियानी सैलो ने असम सरकार के साथ महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए असम का चार दिवसीय दौरा किया जिसमें असम राज्य महिला आयोग को सुदृढ़ करने के उपाय शामिल थे। इस सिलसिले में, असम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने मुख्य सचिव से मुलाकात की तथा राज्य महिला आयोग के लिए बजटीय सहायता में वृद्धि करने तथा अतिरिक्त तकनीकी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।

5. 19 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में 'उत्तर – पूर्वी राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर उप समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने किया जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के चार सदस्यों, सदस्य सचिव तथा अधिकारियों और सभी 8 उत्तर – पूर्वी राज्यों के राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्य सचिवों तथा संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में अध्यक्ष महोदया ने कहा कि, चूंकि राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर भारत सरकार के लिए सिफारिश करने वाली संस्था है, बुनियादी स्तर से ऊपर के स्तर तक महिलाओं की स्थिति के बारे में प्राथमिक स्तर का पता लगाना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय समिति का गठन करके यह काम करने का प्रयास किया गया तथा निम्नलिखित के माध्यम से रिपोर्ट के लिए काम किया जा रहा है (i) नमूने के आकार के आधार पर प्राथमिक सर्वेक्षण, (ii) एफजीडी का आयोजन करना और (iii) द्वितीय डाटा का भी प्रयोग करना। कार्य सभी राज्य, रिपोर्टों को एक सामान्य संरचना में प्रस्तुत करने के चरण पर पहुंच गया है ताकि उत्तर – पूर्वी क्षेत्र के लिए एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जा सके और राज्यों की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि आखिरी कदम के तहत भी कुछ अभिवृद्धि / विलोपन अपेक्षित होगा ताकि सुनिश्चित हो कि आखिरी मील हमें घर पहुंचा दे।

(बाएं से दाएं) : 19 फरवरी, 2016 को 'उत्तर - पूर्वी राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर विशेषज्ञ समिति के तहत आयोजित उप समिति बैठक के दौरान श्रीमती प्रीति मदान (सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग), श्रीमती सुषमा साहू (सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग), श्रीमती ललिता कुमारमंगलम (अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग), श्रीमती रेखा शर्मा (सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग) और श्री आलोक रावत (सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग)

6. 10 और 11 मार्च, 2016 को डान बोस्को संस्थान, गुवाहाटी, असम में 'उत्तर–पूर्वी राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लालडिंगलियानी सैलो ने बैठक की अध्यक्षता की तथा सभी 8 उत्तर – पूर्वी राज्यों् के राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों, सदस्य सचिवों तथा संसाधन व्यक्तियों तथा प्रोफेसर राजारत्नम के नेतृत्व में टाटा समाज विज्ञान संस्थान की एक टीम ने बैठक में भाग लिया। श्रीमती सैलो ने कहा कि उपलब्ध सूचना को परिष्कृत करने तथा विसंगतियों को दूर करने के लिए एस पी एस एस फार्मेट में डाटा का परिवर्तन अपरिहार्य है। उन्होंने नीति आधारित सिफारिशें करने के लिए जल्दी से जल्दी व उत्तर – पूर्वी राज्यों की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

10 और 11 मार्च, 2016 को 'उत्तर - पूर्वी राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर आयोजित विशेषज्ञ समिति की समीक्षा बैठक के दौरान गुवाहाटी में राज्य महिला आयोगों के सदस्यों, अध्यक्षों, सदस्यो सचिवों तथा संसाधन व्यक्तियों के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ललदिंग्ल्यानी सैलो

राजकोषीय वर्ष 2015–16 के दौरान, आयोग ने निम्नलिखित कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों, सेमिनारों / परामर्शों तथा अनुसंधान अध्ययनों को संस्वीकृत किया :

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

क्रम सं.	संगठन	कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों की सं.
1	मणिपुर राज्य महिला आयोग, इंफाल पश्चिम, मणिपुर	6 एल ए पी
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय कैंपस, इंफाल, मणिपुर	5 एल ए पी
3	सिक्किम राज्य महिला आयोग	1 एल ए पी
4	त्रिपुरा राज्य महिला आयोग	9 एल ए पी
5	मिजोरम राजकीय विधि विश्वविद्यालय, आइजाल, मिजोरम	3 एल ए पी
6	मेघालय राज्य महिला आयोग	2 एल ए पी
7	असम राज्य महिला आयोग	5 एल ए पी

8	असम विश्वविद्यालय, जिला कच्छावर, असम	5 एल ए पी
9	राष्ट्रीय महिला आयोग	2 एल ए पी

अनुसंधान अध्ययन

क्र. सं.	संगठन	विषय
1	सिक्किम राज्य महिला आयोग	'उत्तर – पूर्वी भारत में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर अनुसंधान अध्ययन
2	मिजोरम राज्य महिला आयोग	'उत्तर – पूर्वी भारत में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर अनुसंधान अध्ययन
3	अरूणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग	'अरूणाचल प्रदेश में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर अनुसंधान अध्ययन
4	मणिपुर राज्य महिला आयोग, इंफाल पश्चिम, मणिपुर	'मणिपुर में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर अनुसंधान अध्ययन
5	असम राज्य महिला आयोग	'असम में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर अनुसंधान अध्ययन
6	मिजोरम राज्य महिला आयोग	'मिजोरम राज्य महिला आयोग द्वारा मिजोरम में एकल माताओं से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन

सेमिनार

क्र. सं.	संगठन	विषय
1	गृह विज्ञान कालेज, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तूरा, मेघालय	"सेवाओं तथा शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने में विकलांग महिलाओं के समक्ष अड़चने"
2	मिजोरम विश्वविद्यालय	"उत्तर – पूर्वी भारत में महिला उद्यमियता : मुद्दे एवं चुनौतियां'' मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजाल
3	असम विश्वविद्यालय	"उत्तर – पूर्वी भारत में महिलाओं के घरेलू कार्य : मुद्दे एवं चुनौतियां'' सिलचर, असम
4	एक्शन फार वुमन एंड रूरल डेवलपमेंट (अवार्ड)	"कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सशक्तीकरण : जेंडर के संबंध में सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों का समालोचनात्मक विश्लेषण"
5	गुवाहाटी टी आई एस एस बैठक	उत्तर – पूर्वी राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण' पर समीक्षा बैठक

6	त्रिपुरा राज्य महिला आयोग	"असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति", त्रिपुरा
7	ग्लोबल हेल्थर इमिग्रेशन एंड पापुलेशन कंट्रोल आर्गनाइजेशन, असम	"असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति : हमारे समाज की विपदाग्रस्त महिलाएं एवं लड़कियां, नैगांव",
8	असम राज्य महिला आयोग	"असम में महिलाओं का सामाजिक – आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण''
9	19 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में उप समिति की बैठक हुई	उत्तर – पूर्वी राज्यों में महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण'

अध्याकय–8

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रशासन तथा अन्य मामलों में खुलापन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार इस अधिनियम को कार्यान्वित किया है। इस अधिनियम में कार्यपालक एजेंसियों द्वारा धारित सूचना ऐसे आवेदक को उपलब्ध कराने का प्रावधान है जो भारत का नागरिक है, जब तक कि मामले को सार्वजनिक प्रकट से छूट प्राप्त न हो।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक व्यवस्था लागू की है तथा अवर सचिव को सीपीआईओ तथा उप सचिव को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया है। सीपीआईओ अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य अधिकारी की सहायता प्राप्त कर सकता है। कोई अधिकारी, जिसकी सहायता उपधारा 5(4) के तहत मांगी गई है, सीपीआईओ को सभी सहायता प्रदान करेगा तथा वह समवत सीपीआईओ होगा।

(क) आरटीआई आवेदनों की तिमाहीवार प्राप्ति एवं निस्तासरण का ब्यौरा निम्नीनुसार है :

तिमाही	अथ शेष	धारा 6 (3) के तहत अन्यव्यक्तियों से अंतरित के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्यां	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या (अन्य व्यक्तियों से अंतरित मामलों सहित)	धारा 6 (3) के तहत अन्य व्यक्तियों से अंतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोधों / अपीलों को अस्वीकार किया गया	निर्णय जहां अनुरोधों/ अपीलों को स्वीकार किया गया	2016–17 की अगली तिमाही के लिए अथ शेष
पहली तिमाही (अप्रैल – जून, 2015)		21	137	12	0	84	194
दूसरी तिमाही (जुलाई – सितंबर, 2015)		16	153	8	8	59	204
तीसरी तिमाही (अक्टूबिर – दिसंबर, 2015)		11	129	4	4	30	306
चौथी तिमाही (जनवरी – मार्च, 2016)	306	07	131	21	8	282	133

वर्ष 2016 की पहली तिमाही 133 मामलों के साथ खुली।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त प्रथम अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

तिमाही	अथ शेष	धारा 6 (3) के तहत अन्य व्यक्तियों से अंतरित के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्यां	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्यां (अन्य व्यक्तियों से अंतरित मामलों सहित)	धारा 6 (3) के तहत अन्यह व्यक्तियों से अंतरित मामलों की संख्या	निर्णय जहां अनुरोधों / अपीलों को अस्वीकार किया गया	निर्णय जहां अनुरोधों / अपीलों को स्वीकार किया गया	2016-17 की अगली तिमाही के लिए अथ शेष
पहली तिमाही (अप्रैल – जून, 2015)		एन/ए	33	0	एन/ए	17	16
दूसरी तिमाही (जुलाई – सितंबर, 2015)		एन/ए	18	0	एन/ए	32	2
तीसरी तिमाही (अक्टूबर – दिसंबर, 2015)		एन/ए	20	0	एन/ए	11	10
चौथी तिमाही (जनवरी – मार्च, 2016)	11	एन/ए	13	0	एन/ए	19	05

वर्ष 2016 की पहली तिमाही 5 अपीलों के साथ खुली।

वेबसाइट के माध्यम से नियमित अंतराल पर आम जनता को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग निरंतर प्रयासरत है ताकि आम जनता जागरूक हो सके और सूचना प्राप्त करने के लिए आर टी आई आवेदन का सहारा कम से कम लिया जा सके। हिंदी में प्राप्त आर टी आई का जवाब अधिकांश मामलों में हिंदी में दिया गया।

आरटीआई के सभी अनुरोधों का यथासंभव शीघ्रता से जवाब दिया गया। अंतरण के मामलों को शीघ्रता से अंतरित किया गया तथा जब सूचना प्रदान करने से इंकार किया गया तो ऐसा ज्यादातर निजता बनाए रखने के लिए आर टी आई अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रावधान के कारण किया गया।

राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर आयोग की माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों के आधिकारिक दौरों, बैठकों/सेमिनारों तथा अन्य बातों के साथ प्रेस विज्ञप्ति, स्व–प्रेरणा के मामलों, विभिन्न प्रकाशनों, वार्षिक रिपोर्टों, जांच रिपोर्टों, रिक्तियों के विज्ञापनों, निविदाओं, नोटिसों आदि से संबंधित सूचना उपलब्ध है।

अध्याय-9

सिफारिशें

राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2015–16 के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अनुसंधान एवं अध्ययन तथा सेमिनार/सम्मेलन/परामर्श को प्रायोजित किया है तथा केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वयन के लिए पूरे हो चुके अनुसंधान अध्ययनों एवं सेमिनारों तथा परामर्शों से उत्पन्न सिफारिशों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(क) संगठनों को सौंपे गए अनुसंधान अध्ययनों के माध्यम से उत्पन्न सिफारिशें

(1) "सी ई डी ए डब्लू का अनुपालन : पश्चिम बंगाल में महिलाओं की बुनियादी सच्चाइयां तथा धारणाएं'' पर सुरूल सेंटर फार सर्विसेज इन रूरल एरिया (सी एस आर ए), पश्चिम बंगाल द्वारा संचालित अनुसंधान अध्ययन

यह अध्ययन राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 8 अक्टूबर, 2012 को संस्वीकृत किया गया। इस अध्ययन का मुख्यतः उद्देश्य पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में ग्रामीण महिलाओं तथा समुदाय के अन्य सदस्यों में सी ई डी ए डब्यूक के बारे में जागरूकता के स्तर का आकलन करना तथा पश्चिम बंगाल में ग्रामीण महिलाओं में सी ई डी ए डब्लू के कार्यान्वयन की सीमा को प्रतिपादित करना था। इस अध्ययन से जो प्रमुख सिफारिशें उभरकर सामने आई हैं उनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) समाज कल्याण के सभी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी, उनके अधिकारों एवं हकों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए प्रक्रियाएं पारदर्शी होनी चाहिए तथा स्पष्ट रूप से इस तरह परिभाषित होनी चाहिए कि केवल उन्हीं लाभार्थियों को लाभ प्राप्ति हो, जो अत्यधिक जरूरतमंद हैं।

(ii) स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी केवल सदस्यों के रूप में ही सुनिश्चित नहीं की जानी चाहिए अपितु उनके लिए पर्याप्त स्थान सृजित किया जाना चाहिए जहां वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करने में समर्थ हो सकती हैं। अतः 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों के तहत कानूनी प्रावधान की समीक्षा करने, सुदृढ़ करने तथा गुणवत्ता की दृष्टि से निगरानी करने की जरूरत है।

(iii) राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिला नीतियां बनाई गई हैं परंतु ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं की राय ऐसी नीति एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मोटेतौर पर शामिल नहीं है। जैसा कि इस अध्ययन ने खुलासा किया है कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं एवं उनकी भूमिकाओं के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण

में परिवर्तन के लिए सूचना, जागरूकता एवं नेतृत्व के गुणों का अभाव है, अतः सिफारिश की जाती है कि सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) पर विस्तृत कार्य योजना बनाई जाए जिसे सामुदायिक संवेदीकरण के लिए अनिवार्य घटक के रूप में सरकार के प्रत्येक कार्यक्रम / स्कीम से जोड़ने की आवश्यकता है।

(iv) ग्रामीण महिलाओं में रक्ताल्पता की अधिक मौजूदगी के रिकार्ड को ध्याान में रखते हुए जच्चा–बच्चा पोषण केंद्रों को हर ग्राम पंचायत में स्थापित करने की जरूरत है, इसलिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर की वार्षिक स्वास्थ्य योजनाओं में बजटीय आबंटन को शामिल करने की जरूरत है। ये केंद्र स्वास्थ्य के अधिकारों की गुणवत्ता ही सुनिश्चित नहीं करेंगे अपितु खाद्य एवं पोषण संपूरकों तक पहुंच में अंतर को भी दूर करेंगे।

(v) काफी संख्या में महिलाओं का यह मानना है कि सरकार को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदायगी तंत्र पर बल देना चाहिए, इसलिए सुविधाओं तक पर्याप्त पहुंच की गारंटी देने के लिए बेहतर अवसंरचना का विकास करने की सिफारिश की जाती है (जैसे कि स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों या अस्पतालों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सड़कें एवं परिवहन, सुरक्षित पेय जल तथा स्वच्छता की सुविधाए स्वा शिक्षा, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों का बेहतर प्रबंधन तथा योग्य डाक्टर आदि) जिससे कि सभी महिलाओं द्वारा स्वास्थ्य देखरेख तक भेदभाव रहित पहुंच की गारंटी दी जा सके।

(vi) महिला हितैषी प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा एकल खिड़की तंत्रों का सुनिश्चय करना जहां सर्वोच्चम प्राथमिकता के साथ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए, पुलिस प्रशासन में सुधार पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। न केवल पुलिस स्टेशनों में अनुपातिक रूप से महिला पुलिस कार्मिकों की तैनाती होनी चाहिए, अपितु ग्राम पंचायत स्तर पर उप पुलिस स्टेशनों में भी उनकी तैनाती होनी चाहिए।

(vii) पोषण, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा तथा जीविका कार्यक्रम आयोजना एवं कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र विशिष्ट समावेशी एवं एकीकृत दृष्टिकोण को गरीबी के अनुपात तथा पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता देने की जरूरत है।

(viii) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की तरह, ऐसे अनेक डाटाबेस हैं जो विभिन्न विकास कार्यक्रमों की प्रगति को मापने के लिए सरकार द्वारा रखे गए हैं। कुछ स्कीमों में जहां ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणालियां स्थापित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, सभी रिकार्डों के साथ केवल महिलाओं के लिए एक विशेष एम आई एस प्रणाली विकसित की जा सकती है और आम जनता की सतर्कता और महिला लाभार्थियों के लिए भी उसे साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाना चाहिए। इससे विशेष रूप से महिलाओं के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों की निगरानी करने में मदद मिल सकती है।

(ix) प्रतिवादियों के साथ संकेंद्रित सामूहिक चर्चा के दौरान यह पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विरूद्ध अधिकांश अपराधों की सूचना अनेक कारणों से पुलिस को नहीं दी जाती है जिसमें सामाजिक कलंक सबसे प्रमुख कारण है। अपराधों की तुरंत सूचना देने के लिए महिलाओं को संवेदनशील बनाने के लिए शहरी एवं स्थानीय संस्थाओं को प्रेरित करके राज्य द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इसके लिए व्यापक आईईसी आधारित अभियान द्वारा प्रवर्तित सार्वजनिक मीडिया की मदद से व्यापक प्रबन्धन की भी जरूरत है। अनुकूल परिवेश का सृजन अवश्य होना चाहिए ताकि ग्रामीण महिलाएं प्रत्येक अपराध की सूचना पुलिस प्रशासन को तुरंत देने में समर्थ हो सके।

(x) नारीवादी परिपेक्ष्य से तेजी से सामाजिक संचेतना के लिए ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं तथा सफल मामला अध्ययनों को व्यापक प्रचार – प्रसार के लिए प्रलेखित किया जाना चाहिए। इससे सामाजिक स्वीकृत बढ़ेगी, गरिमा, उत्प्रेरण में वृद्धि होगी तथा समाज में संपोषणीय परिवर्तन में ऐसी गाथाओं का प्रयोग बढ़ेगा।

(xi) महिला किसानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने, उत्पादन के संसाधनों तक पर्याप्त पहुंच, विशेष रूप से भूमि अधिकारों, संगत सूचना, बाजार एवं प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कानूनी रूपरेखा के तहत आवश्यक कदम उठाना।

(xii) एमजीएनआरईजी अधिनियम की तरह, उपयुक्त अधिनियम के तहत अनिवार्य प्रावधान करने के लिए स्थानीय शासन की संरचनाओं के लिए राष्ट्रव्यापी विशेष कार्यक्रम तैयार किया जाए तथा पंचायत एवं शहरी स्थानीय निकायों को महिलाओं के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने तथा सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए।

(xiii) मीडिया एवं संचार प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए तंत्रों का सृजन करना तथा सी ई डी ए डब्लूचार लेंस के तहत महिलाओं की प्रमुख समस्याओं को दूर करने के लिए मीडिया कार्मिकों के प्रशिक्षण को सहायता प्रदान करना।

(xiv) सी ई डी ए डब्लू की निगरानी एवं कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए स्थानीय से लेकर राज्य स्तर तक उपयुक्त संकेतकों के विकास के लिए एक प्रक्रिया शुरू करना।

(xv) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के बावजूद, शिक्षा के उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर लड़कियों का कम नामांकन तथा व्यापक लैंगिक अंतराल चिंता के विषय हैं। स्कूल प्रणाली की गुणवत्ता एवं प्रासंगिकता में सुधार तथा स्कूल

प्रणाली के साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा को एकीकृत करना अभी भी चुनौती है। लैंगिक असमानताओं के प्रमुख निर्धारकों जैसे कि निरक्षरता, अपवंचन तथा रूढ़िवादी सामाजिक पैटर्न तथा प्रतिकूल सांस्कृतिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कदम उठाने से शैक्षिक एवं अन्य परिणामों में सुधार होगा।

(xvi) समझा जाता है कि महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एवं भेदभाव को सामूहिक राजनीतिक इच्छा शक्ति तथा नीति एवं कानून के प्रभावशाली अधिनियम से रोका जा सकता है, पार्टी चाहे जो भी हो, परंतु नीति एवं कानूनी मुद्दों के बारे में सूचना एवं ज्ञान के अभाव के कारण आज तक इस प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः स्थानीय स्वशासन के सदस्यों, मंत्रियों, अधिकारियों तथा सभ्य समाज के संगठनों सहित नेताओं की क्षमता का सुदृढ़ीकरण इस समय बहुत आवश्यक है और उनके फोकस को विशिष्ट कल्याणकारी कार्यक्रमों के स्थान पर विद्यमान नीतियों के कार्यान्वयन की ओर शिफ्ट करने की जरूरत है तथा गरीब एवं कमजोर तथा समाज के अन्य असुरक्षित वर्गों की अधिक वंचित महिलाओं पर फोकस के साथ निगरानी पर बल देने की जरूरत है।

(xvii) दुर्व्यापार एक आपराधिक अपराध है, अतः प्रौढ़ व्यक्तियों एवं बच्चों के दुर्व्यापार से दो अलग – अलग कानूनों के माध्यम से निपटना चाहिए ताकि विशेष रूप से लड़कियों के लिए अधिक संकेद्रित प्रयास किए जा सकें।

(xviii) विकास के सभी कार्यक्रमों / स्कीमों के कार्यान्वयन से पूर्व उनके लिए जेंडर बजटिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस मामले में, महिलाओं एवं लड़कियों को उनकी आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसरण में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभार्थी के रूप में लिया जाना चाहिए।

(xix) यौन उत्पीड़न एवं घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए केवल अधिनियम बनाना पर्याप्त नहीं है, प्राधिकारियों की ओर से लापरवाही के विरूद्ध दंड का प्रावधान सहित ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए विशिष्ट समय सीमा के साथ सख्त दिशानिर्देश निर्धारित करना होगा तथा मजबूत निगरानी तंत्रों की भी जरूरत है।

(xx) सामाजिक और आर्थिक दृष्टि कमजोर समूहों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का सुनिश्चय किया जाना चाहिए तथा महिलाओं एवं लड़कियों से संबंधित कानूनों जैसे कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) अधिनियम, 1989, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 का प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अतः जरूरतमंद महिलाओं के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन स्थापित करने की जरूरत है, ब्लाक स्तर

पर महिलाओं के लिए एक वन स्टाप सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए जो अच्छी एवं निःशुल्क चिकित्सा सेवा, मनोवैज्ञानिक परामर्श, कानूनी सहायता तथा अन्य सहायता सेवाओं जो पीड़िता द्वारा अपेक्षित हो सकती हैं, तक तत्काल पहुंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(xxi) आम जनता में प्रचार और प्रसार के लिए सी ई डी ए डब्लू के, के सिद्धांतों के साथ वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विकसित करने के लिए सभी राज्यों के लिए अनिवार्य प्रावधान किया जा सकता है।

(2) भारतीय अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास सोसाइटी (आई एस ए आर डी), लक्ष्मीनगर, दिल्ली द्वारा "उनके सशक्तीएकरण के लिए उपयुक्त रणनीति की पहचान करने के लिए झबुआ और बांसवाड़ा जिले में जनजातीय महिलाओं के नेतृत्व वाले सीमांत एवं लघु कृषक परिवारों की सामाजिक और आर्थिक दशा तथा एक तुलनात्मक अध्ययन" पर किया गया अनुसंधान अध्ययन

राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद 1 जुलाई, 2014 को यह अध्ययन संस्वीकृत किया गया। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है (क) झबुआ (मध्यय प्रदेश) और बांसवाड़ा (राजस्थान) में जनजातीय महिलाओं के नेतृत्वे वाले सीमांत एवं लघु कृषक परिवारों की सामाजिक – आर्थिक दशा का पता लगाना और (ख) अंतरालों की पहचान करके उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना। इस अध्ययन से जो प्रमुख सिफारिशें उभरकर सामने आई उनमें अन्य के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं;

I. सामान्य :

(i) राज्य सरकारों तथा जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले कृषक परिवारों (एफ एच एफ एच) की आवाज सुनी जानी चाहिए।

(ii) आदिवासियों में गरीबी की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार तथा अन्य द्वारा उपयुक्त एवं पर्याप्त कदम नहीं उठाए जाते हैं। यह मानव निर्मित गरीबी का एक स्पष्ट मामला है जिसके लिए जनजातियों को छोड़कर समाज के हम सभी लोग समान रूप से जिम्मेदार हैं।

(iii) राज्य में कुछ गैर सरकारी संगठन विभिन्न फसलों की कीमतों के बारे में कमजोर कृषक परिवारों को शिक्षित कर सकते हैं, जैसा कि कर्नाटक में गैर सरकारी संगठन कर रहे हैं।

II. भारत सरकार :–

(i) आदिवासी एफ एच एफ एच परिवारों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए अन्य राज्यों में जनजातियों की बहुलता वाले जिलों में एफ एच एफ एच

का एक समान अध्ययन करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे अध्ययनों को प्रायोजित करने के लिए उपयुक्त संस्था है।

(ii) महिलाओं के नेतृत्व वाला प्रत्येक वैकल्पिक परिवार महिलाओं के नेतृत्व वाला फार्म हाउस का धारक है। इस प्रकार लघु एवं सीमांत किसानों की बहुलता है तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के नेतृत्व वाले कुल कृषक परिवारों में उनका अनुपात 81 प्रतिशत है। अतः भारत सरकार, जनजातीय मामले मंत्रालय राष्ट्रीय नीति विकसित करने के लिए आई एस ए आर डी के निष्कर्षों के आलोक में लघु एवं सीमांत किसानों से संबंधित महिलाओं के नेतृत्व वाले इन कृषक परिवारों का मूल्यांकन अध्ययन करा सकता है।

(iii) सतत आधार पर आदिवासियों के पलायन पर रोक लगाने के लिए दोनों ही जिलों में मनरेगा स्कीम शुरू की जाए क्योंकि अन्य स्रोतों से आय अर्जित करने के लिए जनजातीय परिवारों के पास कोई विकल्प नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष मामले के रूप में इस मुद्दे की जांच करनी चाहिए।

(iv) कृषि विज्ञान केंद्र (के वी के) तथा राजीव गांधी वाटर शेड मिशन दोनों ही जिलों में पहले से मौजूद हैं परंतु यह देखने और जांच करने की जरूरत है कि रबि की फसलें तथा अन्य फसलें उगाने के लिए किस हद तक ये शामिल हैं।

(v) दोनों ही जिलों में संपोषणीय कृषि के लिए फसल घनत्व में सुधार लाने की जरूरत है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार की गई सीओबीबी मशीन को दोनों ही जिलों में तथा भारत के अन्य भागों में भी लोकप्रिय बनाने की जरूरत है।

(vi) गाय एवं भैंस, बकरी आदि की आपूर्ति के माध्यम से पशुधन विकास का विस्तार करने की जरूरत है।

(vii) इनमें से अधिकांश आदिवासी एफ एच एफ एच को अनेक स्कीमों की जानकारी नहीं है, अतः जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी स्कीमों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन करा सकता है ताकि पता चल सके कि बुनियादी स्तर पर किस हद तक उनकी स्कीमें पहुंची हैं और आदिवासी एफ एच एफ एच के लाभ के लिए स्कीमों की पहचान की जा सके / उनको संशोधित / दुरूस्त किया जा सके।

(viii) कपास और सोयाबीन जैसी उनकी फसलों के लिए इनपुट, कम ब्याज तथा बाजार तक पहुंच आवश्यक है ताकि अन्य पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

(ix) इन एफ एच एफ एच में साक्षरता दर बमुश्किल 5 प्रतिशत है। अतः अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इन एफ एच एफ एच को राजी करने की जरूरत है।

पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर 30 प्रतिशत के आसपास है और यह दर लड़कियों में बहुत अधिक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय को इन अंतरालों को पाटने के लिए इन मुद्दों पर काम करना चाहिए।

(x) इन राज्यों में राष्ट्रीय कृषि नीतियों एवं रणनीतियों में किसान के रूप में तथा लाभार्थी के रूप में महिलाओं की भूमिका को पूरी तरह ध्यान में नहीं रखा गया है। दोनों ही राज्यों को लघु एवं सीमांत किसानों में एक अलग आदिवासी एफ एच एफ एच नीति लाना चाहिए।

III. राज्य सरकारें:-

(i) मध्य प्रदेश:-

i. आदिवासी एफ एच एफ एच पर राज्य– सरकारों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों पर विशेष बल देने तथा उनके सामाजिक – आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उनकी पहचान करने की आवश्यकता है।

ii. भोपाल स्थित आदिवासी अनुसंधान संस्थान (टी आर आई) केंद्रीय स्कीमों की जांच कर सकता है और आदिवासी एफ एच एफ एच परिवारों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ऐसी स्कीमों की पहचान कर सकता है जिनसे सीमांत एवं लघु किसानों के आदिवासी एफ एच एफ एच लाभांवित हो सकते हैं।

iii. भूमिगत जल के रिचार्ज में सुधार के लिए सतत आधार पर मनरेगा स्कीम तथा जल संचयन की स्कीमों को कार्यान्वित करने की जरूरत है ताकि पलायन पर लगाम लग सके। ऐसी स्कीमें रबि की अवधि के दौरान सिंचाई में सुधार कर सकती हैं तथा बच्चों में पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम कर सकती हैं।

iv. ग्रामीण आवास योजना की जांच पड़ताल करने की जरूरत है ताकि पता चल सके कि यह योजना इन परिवारों तक क्यों नहीं पहुंची है। ग्रामीण आवास प्रदान करने की ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्कीम का राज्य सरकार द्वारा विस्तार करने की जरूरत है।

v. अनुसूचित जनजाति के परिवारों में महिला साक्षरता में अंतराल है। उपलब्ध केंद्रीय स्कीमों के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कदम उठाना चाहिए।

vi. निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के बावजूद झबुआ एवं अलीराजपुर के आदिवासी जिलों में प्राथमिक स्कूल स्तर पर स्कूली बच्चों में पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या पाई गई। इस प्रकार झबुआ जिले के आदिवासी बेल्ट में तथा आसपास के जिलों में भी प्राथमिक स्कूल शिक्षा में एक गंभीर अंतराल है तथा संबंधित सरकारों द्वारा इन अंतरालों को पाटने की जरूरत है।

vii. राज्य सरकार द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए साइकिल के वितरण से उनमें शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा।

viii. दोनों ही क्षेत्रों में ए एन एम आदि की समुचित कार्य प्रणाली की मांग है। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्तियों को भरने की जरूरत है।

ix. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पेय जल प्राप्त करने के मुद्दे की जांच की जानी चाहिए। इन क्षेत्रों को शामिल करते हुए पेय जल प्रदान करने वाली इस स्कीम के बारे में पेय जल तथा स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए।

x. ग्रामीण स्वच्छता की सुविधाएं प्रदान करने में भारी खामियां हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अधीन ग्रामीण स्वच्छता की स्कीम को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया है।

xi. राज्य सरकार को एफ एच एफ एच की आदिवासी महिलाओं के लाभ के लिए कौशल निर्माण तथा विकास कार्यक्रमों के महत्व पर बल देना चाहिए।

xii. विधवा पेंशन की मौजूदा दर में वृद्धि की जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न स्कीमों में इन एफ एच एफ एच को वरीयता दी जा सकती है।

(ii) **राजस्थानः–**

(i) उदयपुर स्थित आदिवासी अनुसंधान संस्थान केंद्रीय स्कीमों की जांच कर सकता है तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए ऐसी स्कीमों की पहचान कर सकता है जिनसे सीमांत एवं लघु किसानों के आदिवासी एफ एच एफ एच लाभांवित होते हैं।

(ii) कृषि आय में वृद्धि के लिए चल रही लिफ्ट स्कीम तथा लघु सिंचाई स्कीम को पूरा करने की जरूरत है।

(iii) ग्रामीण आवास की स्कीमों की जांच पड़ताल करने की जरूरत है जो इन परिवारों तक नहीं पहुंची हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ग्रामीण आवास प्रदान करने की स्कीम का राज्य सरकार द्वारा विस्तार किया जाना चाहिए।

(iv) सभी अनुसूचित जनजाति के परिवारों को शामिल करते हुए राज्य में महिला साक्षरता 44 प्रतिशत थी तथा सर्वेक्षण के अनुसार एफ एच एफ एच के पुरूष सदस्यों में साक्षरता दर 60 प्रतिशत से अधिक थी। अखिल भारतीय महिला साक्षरता दर 42 प्रतिशत थी। इस प्रकार, राज्य में अनुसूचित जनजाति के परिवारों में महिला साक्षरता दर में अंतर है।

(v) बांसवाड़ा जिले के आदिवासी बेल्ट में तथा आसपास के जिलों में भी प्राथमिक स्कूल शिक्षा में गंभीर अंतराल है। शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने में आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष स्कीमों के बावजूद आज भी अंतराल बना हुआ है तथा राज्य सरकार द्वारा इसे कुछ हद तक दूर करने की आवश्यकता है।

(vi) राज्य सरकार द्वारा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए साइकिल के वितरण से इन आदिवासी एफ एच एफ एच के बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा।

(vii) चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध न होने से ये परिवार अप्रशिक्षित आदिवासी मिडवाइफों की मदद से घर पर प्रसव कराने के लिए मजबूर हैं। राज्य सरकार को रिक्तियों को भरना होगा तथा उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रियाशील बनाना होगा।

(viii) राज्य सरकार द्वारा पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय की स्कीम को कार्यान्वित करके संपोषणीय आधार पर जल की सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है।

(ix) ग्रामीण स्वच्छता उपलब्ध कराने में भारी अंतराल है। राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय के अधीन ग्रामीण स्वच्छता की स्कीम को समुचित ढंग से कार्यान्वित कर सकती है।

(x) राज्य सरकार को एफ एच एफ एच की जनजातीय महिलाओं के लाभ के लिए कौशल निर्माण एवं विकास कार्यक्रमों के महत्व पर जोर देना चाहिए। स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा ऐसी स्कीमों की पहचान की जा सकती है।

(xi) विधवा पेंशन की विद्यमान दर में वृद्धि करने की जरूरत है। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन के अधीन विभिन्न स्कीमों में इन एफ एच एफ एच परिवारों को वरीयता दी जा सकती है।

(xii) गाय, भैंस तथा बकरी की आपूर्ति करके आदिवासी एफ एच एफ एच परिवारों की आय को संपूरित करने की भी आवश्यकता है। राजस्थान सरकार इनकी आपूर्ति के लिए स्कीम की पहचान कर सकती है।

(xiii) स्वयं सहायता समूहों द्वारा जागरूकता, ज्ञान, कौशल प्रशिक्षण तथा विपणन की जानकारी के रूप में गैर वित्तीय इनपुट को उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए इन एफ एच एफ एच परिवारों के कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में लिया जाना चाहिए।

(xiv) इनमें से अनेक आदिवासी एफ एच एफ एच परिवारों द्वारा समुचित सड़क संचार की मांग की जाती है तथा राज्य सरकार को उनकी शिकायतों का निराकरण करना चाहिए।

(IV) स्थानीय स्वशासन :-

(i) सरपंचों को स्थानीय समस्याओं की जानकारी होती है, इसलिए एफ एच एफ एच परिवारों के लाभ के लिए चलाई जाने वाली स्कीमों में उनको शामिल किया जाना चाहिए।

(ii) आदिवासी पंचायतों को एफ एच एफ एच परिवारों की उन्नति में भी मदद करनी चाहिए क्योंकि आदिवासी समुदाय में अनेक टकरावों का समाधान उनके द्वारा किया जाता है।

(iii) ऐसे महंगे विवाहों से परहेज करने के लिए स्थानीय बुजुर्गों को शामिल करने की जरूरत है ताकि ऋण का बोझ कम हो सके।

(V) अन्य एजेंसियां अर्थात गैर सरकारी संगठनः-

(i) सामान्यतया गैर सरकारी संगठन सरकारी कार्यक्रमों के बारे में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करके स्वयं सहायता समूहों का गठन करने के लिए आदिवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। कुछ गैर सरकारी संगठन पोषण एवं साफ–सफाई के अन्य कारकों सहित स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए दाता एजेंसियों की मदद से महिला सशक्तीकरण के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं। एफ एच एफ एच परिवारों पर अधिक ध्यान देकर इन गैर सरकारी संगठनों को शामिल किया जा सकता है।

(3) "उपलब्ध सामग्रियों के स्रोतों का अध्ययन करके तथा अपराधियों, पीड़ितों एवं गवाहों के साक्षात्कार लेकर भारत के विभिन्न राज्यों में दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा" पर सेंटर फार अल्टारनेटिव दलित मीडिया (सी ए डी ए एम), नई दिल्ली द्वारा संचालित अध्ययन

राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 2 नवंबर, 2013 को यह अध्ययन संस्वीकृत किया गया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं (क) जादू टोने के आरोप के मामलों में दलित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के स्वरूप एवं सीमा की जांच करना, (ख) दलित महिलाओं के विरूद्ध ऐसी हिंसा के तात्कालिक कारणों / कारकों का पता लगाना एवं विश्लेषण करना, (ग) महिलाओं के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक – आर्थिक कल्याण पर इन रीति–रिवाजों एवं प्रथाओं के हानिकर प्रभाव का विश्लेषण करना, (घ) इन प्रथाओं रोकने / उकसाने में पारिवारिक/सामुदायिक पंचायत एवं प्रवर्तन तंत्र की भूमिका का विश्लेषण करना और (ड.) नीतिगत स्तर की पहलों की जांच करना। विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई के लिए संगठन द्वारा प्रस्तावित प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

(I) केंद्र सरकार :

(i) केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को जादू टोने की प्रथाओं से महिलाओं को रोकने एवं रक्षा करने तथा जादू टोने की प्रथाओं से संबंधित अपराधों के ट्रायल के माध्यम से समाज द्वारा उनके दमन, उत्पीड़न, अपमान एवं हत्या का उन्मूलन करने तथा दंड का प्रावधान करने और ऐसे अपराधों की शिकार महिलाओं के लिए राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्थाऐं करने तथा इससे आनुषंगिक या इससे जुड़े किसी अन्य मामले के लिए अधिक कारगर उपायों का प्रावधान करने के लिए अधिनियम का विकास करने के लिए एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करना चाहिए।

(ii) महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की घटनाओं की सततता को ध्यान में रखते हुए दलितों, अल्पसंख्यकों तथा आदिवासियों के नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठनों के लिए बजट आबंटित करने की आवश्यकता है ताकि जिन महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगाया जाता है, उन पर हानिकर मनोवैज्ञानिक एवं आर्थिक प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम एवं अभियान संचालित किए जा सकें।

(iii) महिलाओं पर डायन होने का आरोप लगने की वजह से होने वाली बीमारी एवं मृत्यु के कारण को समझने में महिलाओं को शामिल करने के लिए क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यचर्या के लिए विशेष बजट होना चाहिए। सभी निरक्षर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो कि वे उन लोगों के सुझावों को मानने के लिए तत्पर नहीं हैं जो गैर वैज्ञानिक प्रेस्क्रिपशन प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य कार्मिकों को शीघ्रता से झूठे आरोपों की सूचना देने पर लगाम लगाने के लिए आशा को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

(iv) महिलाओं के साथ भेदभाव करने वाली तथा उनको अधीनस्थ बनाने वाली पितृसत्तात्मक प्रणाली के मूल्यो को परिवर्तित करने के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि डायन प्रथा समाप्त् हो सके। पदयात्राओं का भी आयोजन करने की जरूरत है। समाज से ऐसी दोषपूर्ण मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के लिए जागरूकता के प्रचार – प्रसार में गैर सरकारी संगठनों तथा मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार को प्रतिष्ठित दलित, आदिवासी एवं महिला संगठनों द्वारा संचालित सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से डायन प्रथा की घटनाओं पर जीरो रिपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन मोड कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत है।

(v) डायन प्रथा की रिपोर्टों को हैंडल करने में पंचायत नेताओं के प्रशिक्षण के लिए पंचायती राज मंत्रालय को एक विशेष बजट का सृजन करना चाहिए तथा सभी निवारक उपाय करना चाहिए ताकि महिलाओं पर हिंसा से संबंधित डायन के आरोप की शून्य घटना सुनिश्चित हो सके। महिलाओं के लिए जादू टोने के आरोप के लिए चरण दर चरण संचार एवं कार्रवाई के लिए पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाना चाहिए।

(vi) केंद्र सरकार को ऐसे सरपंचों के लिए डाक्टर बी आर अंबेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार की घोषणा करनी चाहिए जो डायन प्रथा तथा जाति आधारित अत्याचार एवं भेदभाव पर जीरो घटना का सुनिश्चय करते हैं। पुरस्कार के संकेतकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्प संख्यक समुदाय के पुरूषों एवं महिलाओं की हिंसा के उन्मूलन के लिए लक्षित विशिष्ट गतिविधियां एवं उनकी बारंबारता शामिल होनी चाहिए, जिन पर जादू टोना करने का आरोप लगता है।

(vii) अध्ययन से पता चला है कि जादू टोने से जुड़ी हिंसा को अनेक मामलों में औपचारिक रूप से दर्ज नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से रिपोर्ट मंगाकर शीघ्रता से ऐसे मुद्दों का निराकरण करने की जरूरत है जहां पुलिस मामलों की रिपोर्ट नहीं लिखती है। जबावदेही तय करने की जरूरत है तथा ड्यूटी में लापरवाही के विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। डायन प्रथा के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की निंदा की जा सकती है।

(viii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कालेजों में मनोविज्ञान विभाग हो ताकि ब्लाक स्तरीय अस्पतालों में क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सभी विश्वविद्यालयों में लक्षित ढंग से मनोविज्ञान विभाग शुरू करने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए ताकि मनोवैज्ञानिक क्षति को दूर करने के लिए मानव संसाधन का सृजन हो सके, जो जाति के आधार पर हिंसा, छुआछूत तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की व्यापक प्रथा से उत्पन्न होती है।

(ix) अंतरिम रूप में, एन आर एच एम में ग्राम स्तर पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों, विशेष रूप से आशा के समयबद्ध प्रशिक्षण का घटक होना चाहिए ताकि सुनिश्चित हो कि वस्तुपूरक ढंग से मानसिक बीमारियों की सूचना प्रदान की जाती है और आशा द्वारा सूचित मामलों को समुचित मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सकीय सहायता प्रदान की जाती है।

(II) राज्य सरकार :

(i) अध्ययन से पता चला है कि बिहार के नालंदा जिले में केवल 44.7 प्रतिशत

परिवारों के पास अपना खुद हैंड पंप है, जबकि रोहतास, नवादा और जहांनाबाद में यह प्रतिशत क्रमशः 52 प्रतिशत 72 प्रतिशत और 23.1 प्रतिशत है। अतः पेय जल की समस्या को दूर करने के लिए इन जिलों की दलित बस्तियों में हैंड पंप लगाने तथा पाइप वाटर की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए।

(ii) उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में केवल 16 प्रतिशत दलितों की स्थानीय हैंड पंप तक पहुंच है, जबकि गजपति और सोनपुर जिले में यह प्रतिशत क्रमशः 36 प्रतिशत और 56 प्रतिशत है। यह भी पाया गया कि प्रभावशाली जातियों के स्वामित्व वाले दूरस्थ जल स्रोतों से पानी लाते समय दलित महिलाएं हिंसा एवं अत्याचार का शिकार होती हैं। अतः सिफारिश की जाती है कि उड़ीसा सरकार इन जिलों में तत्काल पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करे। इससे महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को कम करने में मदद मिलेगी।

(iii) झारखंड के दुमका जिले में केवल 36 प्रतिशत दलित एवं आदिवासी परिवारों की स्थानीय हैंड पंप तक पहुंच है, जबकि गिरीडीह, हजारीबाग और देवघर में यह प्रतिशत क्रमशः 20 प्रतिशत, 27.1 प्रतिशत और 36 प्रतिशत है। अतः झारखंड सरकार को चाहिए कि वे इन जिलों में तत्काल पेय जल की आपूर्ति सुनिश्चित करें।

(iv) अध्ययन से पता चला है कि पिछले 10 वर्षों में उड़ीसा में डायन प्रथा की घटनाएं सर्वाधिक हैं तथा इसके बाद झारखंड एवं बिहार का स्थान है। अतः इन मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए उड़ीसा में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने की जरूरत है।

(v) पुलिस स्टेशन के प्रमुखों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष बजट संस्वीकृत किया जाना चाहिए जो इन कानूनों को कार्यान्वित करेंगे ताकि डायन के आरोप की वजह से महिलाओं पर होने वाली हिंसा को समाप्त किया जा सके।

(vi) सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से कानूनों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट को अनिवार्य किया जाना चाहिए तथा दलितों, आदिवासियों तथा अल्प संख्यकों के नेतृत्व वाले गैर सरकारी संगठनों को शामिल करके सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित की जानी चाहिए ताकि ऐसे स्थानों पर दलितों, आदिवासियों एवं अल्पसंख्यकों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो जहां डायन प्रथा की अधिकांश घटनाएं सूचित की जाती हैं।

(vii) पुलिस एवं समाज कल्याण विभाग के कार्मिकों तथा डायन प्रथा से जुड़े अत्याचारों की रोकथाम के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के विशेष प्रशिक्षण के लिए बजट आबंटित किया जाना चाहिए।

(viii) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अल्पसंख्यकों तक पहुंचने के लिए

पंचायत स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण का संचालन किया जाना चाहिए ताकि अधिक रचनात्मक प्रयोजनों के लिए उनकी ऊर्जा का उपयोग करके बुरी प्रथाओं के उन्मूलन को प्रोत्साहित करने तथा उनके शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को वैज्ञानिक ढंग से समझने के बारे में उन्हें अवगत कराया जा सके।

(ix) असुरक्षित महिलाओं में आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक आजादी बढ़ाने के लिए ग्राम स्तर पर महिला समूहों, सामुदायिक या संघों का आयोजन करना।

(x) सरकार को चाहिए कि विद्यमान कानूनों को कार्यान्वित करते समय स्थिति से निपटने के लिए मजबूत जादू–टोनारोधी कानून एवं दंड का प्रावधान हो। नए कानूनों में ऐसे पुलिस अधिकारियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए जो डायन हिंसा पर एफ आई आर नहीं लिखते हैं।

(xi) डायन होने की आरोपी महिलाओं को उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो उन पर डायन होने का आरोप लगाते हैं।

(xii) मामलों की छंटाई के माध्यम से किसी समझौते के बगैर उनको दंड दिया जाना चाहिए जो मल–मूत्र खाने के लिए विवश करके महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में शामिल हैं तथा ऐसी हिंसा में शामिल लोगों के लिए तीन साल की सजा होनी चाहिए। डायन होने की आरोपी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के दोषियों पर सभी लागू कानूनी प्रावधानों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(xiii) जादू–टोने के विरूद्ध कानूनों की प्रतियां सभी पंचायतों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए तथा इन्हें सभी पुलिस स्टेशनों में भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(xiv) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के विरूद्ध सूचित हिंसा से संबंधित यात्रा व्यय के लिए पुलिस स्टेशनों को विशेष बजट दिया जाना चाहिए।

(xv) न्याय न करने वाले पुलिस अधिकारियों एवं पंचायती नेताओं को दंडित किया जाना चाहिए।

(xvi) राज्य द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक क्षति तथा मनोवैज्ञानिक क्षति की भरपाई की जानी चाहिए।

(xvii) सरकार को प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीय स्तरों पर निःशुल्क सार्वभौमिक महिला शिक्षा लागू करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अंधविश्वासों के आधार पर जादू – टोने की प्राचीन प्रथा के बारे में स्कूली बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूली पाठ्यपुस्तकों में जादू – टोने के विषय को लागू करने की जरूरत है ताकि अंततः इससे लोगों का विश्वास उठ सके और इसका उन्मूलन हो सके।

(xviii) बच्चों को शामिल करके संचार प्रौद्योगिकी के नवाचारी प्रयोग के साथ विज्ञान एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए स्कूल आधारित कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए ताकि

बच्चे सभी प्रकार की हिंसा के विरूद्ध महिलाओं के अधिकारों के रक्षक बन सकें।

(xix) सरकार को रोजगार की नीतियों एवं अवसरों का निर्माण करना चाहिए ताकि महिलाएं सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार के लिए श्रम बाजार में भागीदारी करने में समर्थ हो सकें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यकों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए।

(xx) सरकार को सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, जबकि स्वास्थ्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच में विस्तार एवं सुधार करने की जरूरत है। आधुनिक स्वास्थ्य देखरेख के लाभों के बारे में जानने तथा डायग्नोसिस के आधुनिक साधनों के पक्ष में उनको सुग्राही बनाने में परंपरागत हीलर / ओझाओं की भी मदद की जानी चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्प संख्यकों में स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक विशेष घटक होना चाहिए।

(xxi) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लक्षणों के साइको–न्यूरॉटिक पक्ष की अनदेखी करते हुए न्यूयरोटिक एवं साइकोटिक विकारों का श्रेय अदृश्य तत्वों को दिया जाता है, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट एवं परामर्शदाताओं की सहायता से मनोरोग चिकित्सकों के स्थाई पदों के सृजन के साथ ब्लॉक स्तर पर सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(xxii) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव पर लगाम लगाने वाले कठोर कानूनों को प्रवर्तित किया जाना चाहिए।

(xxiii) सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार के क्षेत्रों में सकारात्मक कार्य योजनाएं शुरू करनी चाहिए।

(xxiv) डायन प्रथा के बुनियादी कारणों को समाप्त करने के लिए रणनीतियां तैयार करने की जरूरत है जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य गैर राजनीतिक संगठनों को मदद मिलेगी।

(xxv) न्यायिक प्रणाली महिलाओं की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। गरीब एवं जरूरतमंद महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। ऐसी महिलाओं को गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी ऐसी कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए जो जादू – टोने की कथित प्रथाओं के आरोपों पर शोषण का शिकार हुई हैं।

(xxvi) महिलाओं की सामाजिक – आर्थिक उन्नति के लिए शासन के सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए सरकार को कोटा प्रणाली में वृद्धि करनी चाहिए।

(III) **स्थानीय प्रशासन :**

(i) पंचायती नेताओं को डायन होने की आरोपी महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में शामिल लोगों के लिए कानून के अनुसार समुचित दंड के माध्यम से न्याय का सुनिश्चय करना चाहिए।

(ii) सभी सामाजिक समूहों को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि महिलाओं पर आरोप न लगाए जाएं।

(iii) पंचायत के विकास के लिए जिम्मेदार पंचायती नेता संभावित अपराधियों के बारे में सूचना एवं लक्षणों के प्रति अलर्ट होने चाहिए ताकि हिंसा की घटनाओं को रोका जा सके।

(iv) पंचायती नेताओं को सप्ताह में एक बार पूरी पंचायत का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि संभावित अपराधियों के बारे में सूचना एवं समाचार की अनदेखी न हो सके। सही समय पर आरोप का विरोध करने की रणनीति होनी चाहिए ताकि आरोप की वजह से महिलाओं के साथ हिंसा की घटनाएं न हों और आरोप लगाने वाले व्यक्ति पोस्टमार्टम तथा वैज्ञानिक जांच के माध्यम से मृत्यु एवं बीमारी के सही कारण की जानकारी प्राप्त करके लज्जित महसूस कर सकें।

(v) जादू – टोने की वजह से होने वाली मौतों के लिए अनिवार्य पोस्टमार्टम का सुनिश्चय किया जाना चाहिए ताकि ऐसी धारणा समाप्त हो सके कि जादू – टोने या किसी जादुई प्रभाव से मृत्यु हो सकती है।

(vi) विशेष स्वास्थ्य संबद्ध समस्याओं की पहचान करने के लिए पंचायती नेताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे ऐसी महिलाओं एवं पुरूषों की मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति से अवगत हो सकें जिनकी ऐसी स्थिति का श्रेय गलती से जादू – टोने या जादू आदि को दिया जा रहा है।

(vii) पंचायती नेताओं को इस बारे में अवगत कराया जाना चाहिए कि विभिन्न कारणों से मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक स्थितियां उत्पन्न होती हैं तथा बीमारियों के कारण के बारे में अनभिज्ञता की वजह से गैर वैज्ञानिक डाइग्नोसिस की घटनाएं होती हैं। साइकियाटिस्ट तथा साइकोलॉजिस्ट सहित चिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों को पंचायती नेताओं, आशा, ए एन एम, आई सी डी एस कर्मियों, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों तथा अन्य समुदाय आधारित कर्मियों जो सार्वजनिक रूप से जवाबदेह हैं, को स्वास्थ्य प्रशिक्षण में शामिल करने की आवश्यकता है।

(IV) **रोकथाम तथा महिलाओं के संरक्षण के लिए पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले कदमः**

(i) जब कोई पुलिस अधिकारी ऐसी कोई सूचना या रिपोर्ट प्राप्त करता है कि जादू – टोने की घटना होने वाली है या ऐसा संदेह करने के लिए तर्कसंगत आधार

हो कि किसी महिला के विरूद्ध जादू – टोने की घटना हुई, तो उसे तत्काल उस स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए और जादू – टोने की घटना को रोकने एवं महिला को संरक्षण प्रदान करने तथा किसी मान्यताप्राप्त संरक्षी या आश्रयगृह में उसे दाखिल कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाना चाहिए, यदि ऐसे आश्रय के लिए महिला के पास कोई उपयुक्त स्थान न हो।

(ii) पुलिस अधिकारी ऐसे सभी व्यक्तियों या वस्तुओं को तत्काल हटाएगा या हटवाएगा जो महिला को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पुलिस अधिकारी लिखित या मौखिक रूप में महिला के विरूद्ध विच हंट करने का इरादा रखने वाले या ऐसा प्रयास करने वाले आरोपी व्यक्ति या व्यक्तियों को तत्काल उस स्थान से चले जाने तथा महिला को कोई नुकसान पहुंचाने से दूर रहने के लिए चेतावनी देगा।

(iii) यदि स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक हो, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को गिरफ्तार करा सकता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अनुसरण में कार्रवाई कर सकता है। इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया जाएगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 107 और 116 के तहत कार्यवाही करेगा।

(iv) जब भी अधिनियम के तहत महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है, जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध होता है, संबंधित अधिकारी एफ आई आर लिखेगा और कानून के अनुसार उपयुक्त कदम उठाएगा।

(v) जब भी ऐसे पुलिस अधिकारी को ऐसी घटना की सूचना प्रदान की जाती है, जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो अधिकारी तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारी को सूचित करेगा और अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत, यदि उपलब्ध हो, की प्रति भी भेजेगा।

(ट) अन्य एजेंसियां :

(i) गैर सरकारी संगठनों तथा सभ्य समाज को डायन होने की आरोपी महिलाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए जिनकी उत्पादन के संसाधनों तथा शिक्षा तक पहुंच नहीं है। ऐसी महिलाओं के लिए आय अर्जन की गतिविधियों का विस्तार करने की जरूरत है ताकि वे हिंसा से हुई मनोवैज्ञानिक क्षति से तेजी से उबरने में समर्थ हो सकें।

(4) लैंगिक परिणाम : उत्तर – पूर्व में सशस्त्र संघर्ष के संदर्भ में यौन दुर्व्यापार को समझना'' पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), गुवाहाटी द्वारा संचालित अनुसंधान अध्ययन

राष्ट्रीय महिला आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 22 फरवरी, 2011 को यह अध्ययन संस्वीकृत किया गया। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य थे : (क) उत्तर – पूर्व के असम

राज्य में सशस्त्र संघर्ष, महिलाओं का जीवन तथा यौन दुर्व्यापार के बीच संबंधों, यदि कोई हो, को समझना, (ख) अनुसंधान के तहत इस बात की पहचान करने का प्रयास किया जाएगा कि क्या असम के समाज पर सशस्त्र संघर्षों का कोई लैंगिक प्रभाव है और क्या असम में इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं एवं बच्चों के दुर्व्यापार के लिए सशस्त्र संघर्ष कोई संभावित कारक है, (ग) समुदाय एवं परिवार की सोच सहित विभिन्न समूहों की मूल्य प्रणालियों तथा सामान्य रूप से लैंगिक भूमिकाओं एवं संबंधों तथा विशेष रूप से महिलाओं के दुर्व्यापार के प्रति सरकार एवं सभ्य समाज की मशीनरी की सोच को समझना ताकि पता लगाया जा सके कि क्या ऐसी मूल्य प्रणाली दुर्व्यापार के लिए महिलाओं की असुरक्षिता में वृद्धि करती है और (घ) ऐसी असुरक्षिताओं का मुकाबला करने के लिए स्वयं के लिए एजेंसियों का निर्माण करने की रणनीतियों को प्रलेखित करने का प्रयास तथा ऐसी रणनीतियों का परिणाम। इस संदर्भ में अध्ययन इस बात की जाँच–पड़ताल करेगा कि राज्य द्वारा प्रायोजित स्कीमों एवं नीतियों को महिलाएं सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों, विशेष रूप से दुर्व्यापार के प्रति असुरक्षिता के संदर्भ में सृजित लैंगिक असुरक्षिताओं का सामना करने के लिए कितना इस्तेमाल करती हैं। संस्था द्वारा प्रस्तावित कुछ सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

(i) उत्तर – पूर्वी भारत में सैन्य करण के स्तर को कम करने के लिए इस क्षेत्र में अनेक संगठन काम कर रहे हैं। स्थिरता एवं विकास लाने के लिए सैन्य करण की समस्या का निराकरण करना होगा जिससे आगे चलकर लड़ने में मदद मिल सकती है।

(ii) बहुआयामी रूप में मौजूद गरीबी को दूर करना होगा।

(iii) महिलाओं के जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता लाने के लिए सशक्त अभियान चलाने होंगे।

(iv) लैंगिक समानता एवं दुर्व्यापार के संबंध में प्रभावशाली ढंग से जागरूकता सृजित करनी होगी।

(v) दुर्व्यापार रोधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने वाले लोगों को दुर्व्यापार की शिकार महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना होगा।

(vi) संघर्ष पश्चात स्थितियों से निपटने के लिए सभी नीतियों एवं पैकेजों में निर्णय लेने की प्रक्रिया से लेकर नीतियों एवं पैकेजों के कार्यान्वयन में भी महिलाओं को अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

(vii) महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

(viii) जिस दर से अपराधियों को अभियोजित एवं दोषसिद्ध किया जा रहा है वह बहुत कम है तथा इससे भी अपराधी इस व्यवसाय में अधिक लड़कियों को फांसने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अतः भारत में कानून प्रवर्तन मशीनरी एवं विधि प्रणाली को संशोधित करने की जरूरत है।

(ख) कुछ सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों के माध्यम से प्राप्त सिफारिशें

1. संयुक्त राष्ट्र महिला तथा यू एन एफ पी ए की सहायता से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 15 अक्टूबर, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में सरोगेसी के मुद्दों'' पर एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया गया।

   यह परामर्श मुख्य रूप से अन्य बातों के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्या्ण मंत्रालय के प्रस्तावित सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक की जांच करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया ताकि सुनिश्चित हो सके कि क्या यह महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसका उद्देश्य सरोगेट मदर्स के शोषण को समाप्त करने के लिए सामाजिक – आर्थिक रणनीति पर भी विचार – विमर्श करना था। राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष श्रीमती ललिता कुमारमंगलम ने परामर्श की अध्यक्षता की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एन एच आर सी, एन सी पी सी आर, आई सी एम आर, विधाई विभाग के प्रतिनिधियों तथा राज्य महिला आयोगों, राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रतिनिधियों, नेपाल से महिला अधिकारों के कार्यकर्ताओं, सभ्य समाज के प्रतिनिधियों, अन्य विशेषज्ञों, मेडिकल प्रैक्टिसनर्स तथा वकीलों आदि ने परामर्श में शिरकत की। परामर्श से उत्पन्न, कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

(क) सामान्य् सिफारिशें :

(i) सरोगेसी से जुड़े मुद्दों की तत्काल समीक्षा करने की जरूरत है अर्थात कारगर कार्यान्वयन के साथ सुव्यस्थित ढंग से प्रतिबंधित या विनियमित करना। सरोगेट मदर के अधिकारों को ए आर टी विधेयक की प्रस्तावना में उपयुक्त ढंग से शामिल एवं व्यक्त किया जाना चाहिए।

(ii) प्रतिभागियों के एक वर्ग ने समर्थन किया तथा सिफारिश की कि विदेशी तथा ओ सी आई / एन आर आई जोड़ों के लिए वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तथापि, अन्य प्रतिभागियों का यह मानना था कि यह भेदभावपूर्ण होगा।

(iii) एकल माता के अधिकारों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है तथा इसे ए आर टी विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए।

(iv) इसे प्रवर्तित करने के लिए प्राधिकरण के साथ दांडिक प्रावधानों एवं दंड का विस्तार से निर्धारण किया जाना चाहिए।

(v) जैविक बालक को जन्म देने वाली महिला की पितृसत्तात्मक नींव पर आधारित सरोगेसी की धारणा महिला का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है – इसे चुनौती देने तथा समीक्षा करने की जरूरत है। सामाजिक कलंक के रूप में बांझपन को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। मानदंडों या अपेक्षाओं का पालन करने के लिए

बच्चों के जन्म एवं लालन – पालन को व्यक्तियों की सूचित पसंद के रूप में प्रोत्साहित किया जा सकता है, न कि सामाजिक बाध्यता के रूप में। प्रजनन के बारे में महिलाओं के चयन के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।

(vi) विश्वसनीय, सुपरिभाषित प्राधिकरण से प्रमाणन के साथ बांझ जोड़े या एकल महिला को विधेयक के तहत अनुमति प्रदान की जा सकती है। सरोगेसी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाली एजेंसी तथा प्राधिकरण को भी प्रारूप विधेयक के तहत परिभाषित किया जा सकता है।

(vii) दत्तक ग्रहण पहला विकल्प होना चाहिए तथा इसे प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(viii) सरोगेसी के लिए चिकित्सा् पर्यटन को प्रोत्साहित करने के विरूद्ध कठोर कानून तथा इसके लिए श्रेणीबद्ध परिभाषित दंड को विधेयक में शामिल किया जा सकता है।

(ix) समस्या का समय से पता लगाने एवं निवारण के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन एच एम) के एजेंडा में बांझपन को शामिल किया जाए। बांझपन का उपचार प्राथमिक स्ततर पर उपलब्ध होना चाहिए।

(x) विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान अस्पताल में प्रतिबंधित रोगी के रूप में न समझी जाने वाली सरोगेट मदर्स के प्रसवपूर्ण तथा प्रसव पश्चात देखरेख के लिए देखरेख के कतिपय मानक निहित किए जाएं।

(xi) समय से तथा उपयुक्त ढंग से उनका समाधान करने के लिए शिकायतों के निवारण का तंत्र स्पष्ट रूप से निहित किया जाना चाहिए। विधेयक में सुरक्षोपाय सुपरिभाषित होने चाहिए ताकि शोषण या अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लग सके।

(ख) सरोगेसी के संबंध में चाइल्ड तथा कमीशनिंग पेरेन्ट से संबंधित मुद्दे :

(i) विरोधाभासी प्रावधानों से बचने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112, अभिभावक तथा प्रतिपाल्यम अधिनियम एवं अन्य संबंधित कानूनों के साथ ए आर टी (विनियमन) विधेयक 2014 की सलंग्नता होनी चाहिए।

(ii) कम से कम 6 माह तक किसी बच्चे को स्तनपान कराने के मुद्दे का वर्तमान विधेयक में निराकरण नहीं किया गया है। सरोकारों की जांच की जानी चाहिए तथा उपयुक्त ढंग से शामिल किया जाना चाहिए।

(ग) सरोगेट मदर से संबंधित मुद्दे :

(i) सूचित सहमति के लिए सूचना तक पहुंच सुपरिभाषित हो सकती है। परामर्श के लिए प्रावधान तथा इसे प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार उपयुक्त एजेंसी को शामिल किया जा सकता है।

(ii) सरोगेट महिला के तहत विधवाओं, अविवाहित या प्रथक तथा निराश्रित महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) सरोगेट मदर तथा कमीशनिंग मदर के लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान करने की जरूरत है।

(iv) प्रसव पश्चात तथा लंबी अवधि के प्रभाव के लिए बीमा कवर से संबंधित धाराओं को सुदृढ़ करने की जरूरत है। बीमा को लागू करने वाले प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए।

(v) विशेष रूप से समय से पूर्व गर्भ के समापन के मामलों में बीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। अतः विधेयक में इस मामले पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(vi) आयोग सरोगेट मदर्स को पर्याप्त क्षतिपूर्ति का समर्थन करता है।

(घ) एआरटी विधेयक 2014 के प्रावधानों से संबंधित विशिष्ट सिफारिशें :

(i) सरोगेट मदर की लिखित रूप में सहमति से संबंधित प्रारूप ए आर टी विधेयक 2014 की धारा 59 (19) (क) को हटाया जाना चाहिए।

(ii) एआरटी विधेयक की धारा 48 (6) जो प्रावधान करती है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु स्पष्ट है उससे गैमीट का संग्रहण अनुमत हो सकता है, यदि दंपति ए आर टी के माध्यम से बच्चे प्राप्त करने का इरादा रखता है, साथी की मृत्यु के बाद वीर्य के प्रयोग को लेकर सरोकार उत्पन्न करती है। यह खंड बच्चे के उत्तराधिकार के अधिकारों पर सरोकार उत्पन्न करता है क्योंकि माता–पिता में से किसी की मृत्यू के बाद पैदा होने वाला बच्चा उत्तराधिकार के अधिकारों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता है और इसलिए जायज संतान होने का दावा नहीं कर सकता। अतः उत्तराधिकार को विधेयक में अधिक व्यापक ढंग से देखने की जरूरत है।

(iii) सरोगेसी से पैदा होने वाले बच्चों के पितृत्व से संबंधित मुद्दों के आलोक में ए आर टी विधेयक 2014 की धारा 60, 61 और 62 की फिर से जांच की जानी चाहिए। धारा 62 (1) 18 साल की आयु का होने पर सरोगेट चाइल्ड द्वारा अपनी जड़ की तलाश करने का प्रावधान करती है। ऐसे मामलों के लिए परामर्श जैसी उपयुक्त सेवाओं के साथ सूचना अनुरक्षित करने तथा इसे सुगम बनाने के लिए प्राधिकरण पर भी विचार किया जाना चाहिए।

(iv) बैंक की ड्यूटी अर्थात कमीशनिंग कपल को रंग – कद – वजन संबंधी सूचना प्रदान करने से संबंधित धारा 46(4) को फिर से निर्मित किया जा सकता है।

रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल विकास

मंत्रालय तथा अन्य संबंधित विभागों को रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित कर दी गई हैं।

2. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 दिसंबर, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "विकलांग महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार" पर एक परामर्श का आयोजन किया।

परामर्श ने विकलांग महिलाओं के हितों की रक्षा करने / शामिल करने से संबंधित प्रावधानों के मुकाबले में कानूनी रूपरेखा की जांच करने तथा विकलांग महिलाओं की गतिशीलता एवं सुगम्यता, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से संबंधित सरोकारों को उजागर करने का भी मंच प्रदान किया। परामर्श से प्राप्त सिफारिशें एवं प्रमुख टेकवे नीचे सूचीबद्ध की गई है :

(i) स्वास्थ्य शिक्षा तथा रोजगार के प्रमुख विकास क्षेत्रों में तथा परिवहन एवं आई सी टी के क्षेत्रों में भी सुगम्यता आज भी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुगम्यता न होने के कारण अधिकांश विकलांग व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने या कौशल विकास में प्रशिक्षित होने से वंचित रह जाते हैं। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाओं का अभाव भी उनकी दुर्दशा तथा दूसरों पर निर्भरता में योगदान करता है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग महिलाओं के मामले में संगत है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में विकलांग महिलाओं के लिए भी सुगम्यता की ऐसी ही समस्याएं रहती हैं तथा सरकार के मुख्य क्षेत्र सुगम्य परिवहन, संरचनात्मक बाधाओं, अगभ्य शौचालयों तथा स्वच्छता की सुविधाओं के रूप में हैं।

(ii) सुगम्य भारत अभियान इन समस्याओं को दूर करेगा तथा यू एन सी आर पी डी के प्रावधानों के अनुरूप विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक सुगम्यता सुनिश्चित करेगा। इस अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी समाज को बढ़ावा देना है जहां वे सशक्त, समाज में योगदान देने वाले सदस्य के रूप में गरिमा के साथ जीवन जीने के अपने अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता का लुत्फ ले सकें।

(iii) विकलांग महिलाओं की चुनौतियों की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता सृजन तथा हितधारकों के संवेदीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सरोकार के प्रमुख क्षेत्रों के समाधान के लिए आवश्यक है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं परंतु इतने तक ही सीमित नहीं हैं :

क. प्रजनन का अधिकार एवं स्वास्थ्य देखरेख

ख. यौन हमला, बलात्कार एवं अन्य अपराधों से विकलांग महिलाओं का संरक्षण

ग. जहां आवश्यक हो, विधायी सुधार

घ. दंड की कार्रवाई के साथ विद्यमान प्रावधानों तथा कानूनी रूपरेखाओं की प्रवर्तनीयता

ङ. विकलांग महिलाओं से जुड़े मामलों को ध्यान से हैंडल करने के लिए पुलिस कर्मियों का संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण

च. समावेशी तथा सुगम्य शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य देखरेख आदि

छ. व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के माध्यम से विकलांग महिलाओं का सशक्तीकरण

(iv) विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2014 में विकलांग महिलाओं तथा विकलांग बच्चों पर अलग से अध्याय है तथा इसमें दंड के प्रावधान निहित हैं जो उनके लाभ के लिए बनाए गए कानूनी प्रावधानों की प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करते हैं।

(v) सामान्यतः प्रावधानों में विकलांग महिलाओं एवं लड़कियों को न केवल शामिल करने अपितु सी पी आर अधिनियम के अनुच्छेद–6 की अभेदता के अनुसार तथा स्थाई समिति के अनुरोध के अनुसार उनके संरक्षण के लिए समर्पित विशेष प्रावधानों के लिए भी एक ट्विन ट्रैक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि विकलांग महिलाएं उनके भेदभाव की शिकार हैं और इसलिए अध्यया–II, खंड–3, उपधारा 2 में संशोधन होना चाहिए।

(vi) विकलांग महिलाओ की सामाजिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं एवं कलंक को दूर करने के लिए समुदाय आधारित संवेदीकरण कार्यक्रमों तथा जागरूकता अभियानों के माध्यम से बुनियादी स्तर पर हस्तक्षेपों में वृद्धि की जरूरत है।

(vii) विकलांग महिलाओं के लिए आरक्षण एवं प्रतिनिधित्व में वृद्धि से उनका हित काफी सुदृढ़ हो सकता है तथा विकलांगता को मुख्य धारा में शामिल करने में भी मदद मिल सकती है।

(viii) विकलांग महिलाओं के कारगर समावेशन के लिए राज्य एवं राष्ट्र स्तरीय कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों एवं नीतियों का विकास किया जाना चाहिए।

(ix) मानसिक रोगों अर्थात मनोवैज्ञानिक – सामाजिक अपंगताओं के मुद्दों का कानूनी परिभाषाओं के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(x) अंतर मंत्रालयी एवं अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक अभिसरण तंत्र सृजित करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए जो सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्मित स्कीमों का कारगर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

(xi) विकलांग व्यक्तियों एवं विकलांग महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलाव लाने के उद्देश्य उनके समावेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रयुक्त हस्तक्षेप की रणनीतियों का पता लगाया जाना चाहिए।

रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर आवश्यक कार्रवाई के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य संबंधित विभागों को रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित कर दी गई हैं।

3. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा एसोचौम के साथ मिलकर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 24 अगस्त, 2015 को होटल हयात रिजेंसी, नई दिल्ली में "समान स्थान : मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में लैंगिक समानता" पर एक राष्ट्रीय संवाद का आयोजन किया गया

संवाद के दौरान मनोरंजन उद्योग में, विशेष रूप से विभिन्न माध्यमें के तकनीकी, रचनात्मक, मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की वर्तमान स्थिति तथा बाधाओं पर विस्तार से चर्चा हुई तथा मजदूरी में विषमता, संसाधनों तक पहुंच आदि जैसी समस्याओं के समाधान के लिए नीतिगत सिफारिशों का सुझाव दिया गया। परामर्श की कुछ प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं।

(i) लैंगिक समता को साकार करने के लिए संस्थानिक एवं नीतिगत स्तर पर आत्म निर्भरता एवं वित्तीय स्वायत्तता के लिए उद्योग में होनहार महिलाओं को पहुंच प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है।

(ii) महिलाओं के लिए अनुकूल परिवेश सृजित करने के अलावा, पुरूषों को चाहिए कि वे अवसरों का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करें ताकि उनका विकास एवं आर्थिक सशक्तीकरण संभव हो सके।

(iii) उद्योग के स्तर पर तथा नीति के स्तर पर भी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं को शामिल करना नितांत आवश्यक है। महिला कार्यकर्तियों के अधिकारों एवं कल्याण को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए तथा सर्वाधिक समग्र ढंग से समाधान किया जाना चाहिए।

(iv) आज प्रतिस्पार्धी विश्व योग्यता को तरजीही देता है, अतः पढ़ाई करने तथा औपचारिक प्रशिक्षण लेने के लिए लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो उनके व्यावसायिक विकास तथा अंततः उनके आर्थिक सशक्तीकरण में उनके लिए उपयोगी होगा। तकनीकी दृष्टि से अधिक कुशल पेशेवर, उदाहरण के लिए संपादक पैदा करने में वृद्धि करने के लिए महिलाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण एवं कौशल केंद्रों के माध्यम से अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए। समुचित व्यावहारिक एक्सपोजर तथा उनके क्षेत्र में उपयोगी तकनीकी ज्ञान के साथ तकनीकी कौशल पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए।

(v) मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग से किसी भी रूप में संबद्ध महिला कार्यबल को ऋण / सब्सिडी तथा सुरक्षा के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। महिला तकनीशियनों की मदद करने तथा उनके सरोकारों को मुखर करने के लिए संगठनों एवं फोरमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

(vi) लैंगिक समता का संपोषणीय ढंग से परिवर्तित हो रहा इको सिस्टम, समान मजदूरी तथा महिलाओं द्वारा उत्पादित समान रूप से लाभप्रद उत्पादों की आसानी से स्वीकृति समय की मांग है। साफ–सफाई आज भी महिलाओं के मार्ग में एक समस्या है, इसलिए विभिन्न बीट पर महिला पत्रकारों के लिए वाशरूम / यूटिलिटी तथा स्वच्छता की सुविधाओं में अवश्य वृद्धि होनी चाहिए।

(vii) सामाजिक दृष्टि से समावेशी परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है जो समान रूप से पुरूष एवं महिला दोनों श्रोताओं का मनोरंजन करने पर बल देगा तथा साथ ही समाज में लैंगिक दृष्टि से सांस्कृतिक एवं परंपरागत पक्षपातों को तोड़ने का काम करेगा। नीति निर्माताओं को इस उद्योग में काम करने वाली महिलाओं का समर्थन करना चाहिए तथा उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए।

(viii) समयबद्ध ड्यूटी का न होना, काम करने का असुविधाजनक समय तथा कार्य स्थल की स्थितियों सहित मीडिया में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी अड़चनों को दूर करने के लिए एक मॉड्यूल तैयार किया जाना चाहिए। अधिकांश परिस्थितियों में महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारियां उन्हें कड़ी मेहनत करने तथा समान आउटपुट प्रदान करने के लिए मजबूर करती हैं, हालांकि उन्हें बहुत कम प्रशंसा मिलती है या बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं मिलती, तथा उनके उत्पादों की विश्वसनीयता संदिग्ध होती है। महिलाओं के मुद्दों एवं सरोकारों के बारे में पुरूषों को संवेदनशील बनाना काम पर महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए आज की आवश्यकता है।

(ix) एक क्षेत्र जिसके लिए काफी वृद्धि की जरूरत है, महिला सिने कर्मियों के लिए स्वास्थ्य देखरेख एवं बीमा है। सेवानिवृत्त होने की कम आयु होने तथा 30 से 35 साल की आयु में पेशे से हट जाने के कारण उनके भविष्य को सुरक्षित करने तथा काम से सेवानिवृत्त होने के पश्चात वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है, मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में उनके कार्य का स्वरूप या उनकी आयु जो भी हो।

(x) लैंगिक समता प्राप्त करने तथा मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में महिला कार्यबल की समान भागीदारी के लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान करने, खतरों तथा उत्पीड़न एवं किसी प्रकार के शोषण के भय से मुक्त कार्य स्थल के परिवेश को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाना चाहिए।

(xi) महिलाओं को अपने व्यक्तित्व का विकास करने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि आत्म विश्वास, संसाधनों की हिस्से दारी, नेटवर्किंग एवं मोलभाव जैसे गुणों पर नियंत्रण पाया जा सके जो आजकल के प्रतिस्पर्धी परिवेश में आवश्यक है। दृढ़ता इस क्षेत्र में कार्य स्थल पर लैंगिक विकास तथा समता के लिए बहुत महत्व पूर्ण है।

(xii) ऐसे समाज में लोगों की सोच में बदलाव लाने तथा धारणाओं में सुधार लाने के लिए आचरण में परिवर्तन पर संधान करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस एवं चर्चा की आवश्यकता है जो महिलाओं को सभी मायने में स्वायत्त बनने से रोकता है।

(xiii) कई तरह के मुद्दे तथा विशिष्ट क्षेत्र हैं जिन पर आधिकारिक मंचों में औपचारिक रूप से चर्चा नहीं हुई है। प्रतिष्ठित संस्थाओं में मीडिया तथा फिल्म निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या एवं गुणवत्ता में सुधार लाने की आवश्यकता है।

(xiv) सिने कार्यकर्ता तथा सिनेमा थिएटर कार्यकर्ता (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1981 के समुचित निष्पादन में कमियों को दूर करने के उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जो सिने कर्मियों के लिए लाभप्रद साबित होगा। महिलाओं के लिए विशेष नीतियां बनाने के अलावा महिला सिने कर्मियों के संरक्षण के लिए कानूनी प्रावधानों एवं सुरक्षापायों के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए अभियान चलाने का कार्य मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग के साथ मिलकर किए जाने की आवश्यकता है।

(xv) मीडिया घरानों को चाहिए कि वे अधिक महिलाओं की भर्ती करे और प्रोत्साहन देने जैसे उपाय अपनाएं तथा उनको सुरक्षित एवं प्रोत्साहित करने वाला कार्य परिवेश प्रदान करे ताकि इस उद्योग में लैंगिक समता हासिल हो सके। महिलाओं के साथ सम्मान एवं गरिमा का बर्ताव करने की भी आवश्यकता है तथा उत्पीड़न पर लगाम लगाने तथा उत्पीड़न होने पर अपराधियों को दंडित करने के लिए कठोर कानून प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता है।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा उड़ीसा राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित ''लड़कियों एवं महिलाओं के मानव-विरोधी दुर्व्यापार पर अंतर्राज्यीय'' समन्वय पर सेमिनार

यह सेमिनार उड़ीसा एवं अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ महिलाओं एवं लड़कियों के मानव–विरोधी दुर्व्यापार के लिए तंत्र विकसित करने के प्रयोजन से आयोजित किया

गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

I. समुदाय :

ज. असुरक्षित परिवारों, विशेष रूप से लड़कियों एवं नौजवानों की पहचान करना।

झ. दुर्व्यापार को रोकने के लिए समुदाय के अंदर एक सुरक्षा जाल विकसित करना।

ञ. स्थानीय क्षेत्रों में अजनबियों / नवागंतुकों, विशेष रूप से जो अक्सर आते रहते हैं, उन पर सतर्क नजर रखना।

ट. दुर्व्यापार के मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों, उदाहरण के लिए पंचायतों / नगरपालिकाओं / ग्राम सभा के सदस्यों , शिक्षकों, स्थानीय प्रबुद्ध व्यक्तियों, समुदाय के नेताओं, डाक्टरों, युवा क्लबों, एस एच जी सदस्यों, महिला समूहों, पुलिस आदि को सशक्त बनाना।

ठ. माहौल सृजित करना तथा पीड़ित की घर वापसी का स्वागत करना और पुनः एकीकृत होने में उनकी मदद करना।

ड. पीड़ित को कलंकित न करना।

ढ. सुनिश्चित करना कि पीड़ित अपनी – अपनी शैक्षिक संस्थाओं में वापस जाएं।

ण. पीड़ितों की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए बाजारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रम की व्यवस्था करना।

त. वापस आने पर पीड़ितो के लिए अपेक्षित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं का सुनिश्चय करना।

I. न्यायपालिका तथा विधिक सेवाओं की भूमिका :

क. दुर्व्यापार से संबंधित मुद्दों पर अभियोजकों का प्रशिक्षण।

ख. शीघ्रता से ट्रायल का सुनिश्चय करना।

ग. पुलिस से लिंक करना और गवाहों, दस्तावेजों, विशेषज्ञ की रिपोर्टों, जब्त की गई वस्तुओं आदि का समय से संरक्षण सुनिश्चित करना।

घ. जांच में कानूनी पहलुओं पर पुलिस को सलाह देना।

ङ. पीड़ित की सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए न्यायालय में जाना और ऐसी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के साथ तालमेल स्थापित करना।

च. अपराधियों के विरूद्ध कठोर दंड के लिए न्यायालय में जाना।

छ. बचाए गए व्यक्तियों को उपयुक्त पुनर्वास प्रदान करने के लिए पुनर्वास एजेंसियों को निर्देश दिलाने के लिए न्यायालय में जाना।

ज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को जागरूकता सृजित करने तथा दुर्व्यापार के मामलों का जल्दी से अभियोजन पूरा करने और

कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए शामिल किया जा सकता है।

झ. नियोजन एजेंसियों को विनियमित करने के लिए कानून बनाना।

II. गैर सरकारी संगठन तथा सभ्य समाज संगठन नेटवर्क :

क. बेसलाइन मापन का कार्य करना तथा सख्त निगरानी एवं मूल्यांकन प्रवर्तित करना जो वास्तव में मानव दुर्व्यापार को कम करने वाले हस्तक्षेपों के लिए बहुत आवश्यक है।

ख. पुलिस तथा अभियोजन से जुड़े अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण देने तथा संवेदनशील बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्व्यापार विरोधी महोत्सवों को आयोजन करना।

ग. पीड़ितों को स्वास्थ्य देखरेख, शिक्षा तथा रोजगार के अन्य अवसर प्रदान करने के लिए उनका बचाव पश्चात पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए साथ मिलकर काम करना।

घ. पीड़ितों के बचाव के लिए उपयुक्त प्राधिकरणों को सूचना प्रदान करना।

ङ. गवाह के रूप में बचाव की प्रक्रिया में तथा अभियुक्त तथा ट्रैफिकर से पीड़ित को अलग करने में मदद करना।

च. पीड़ितों को परामर्श प्रदान करना।

छ. पीड़ित का साक्षात्कार लेने वाले कानून प्रवर्तन अधिकारियों की मदद करना।

ज. पुनर्वास के लिए विभिन्न व्यावसायिक विकल्पों के माध्यम से पीड़ितों को सशक्त बनाने में मदद करना।

झ. विभिन्न हितधारकों के बीच मध्यस्थक की भूमिका निभाना।

III. पुलिस/आईएएचटीयू :

(क) पीड़ितों और अपराधियों की सूचना का संग्रहण।

(ख) पीड़ितों का बचाव।

(ग) अपराधियों को पकड़ना।

(घ) अपराध दर्ज करना।

(ङ) पेशेवर अन्वेषण संचालित करना।

(च) पीड़ितों के अधिकारों का सुनिश्चत करना।

(छ) न्यायालय एवं सी डब्यू सी के समक्ष पेश करना

(ज) पीड़ितों के परामर्श के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्क स्थापित करना।

(झ) अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 164 के तहत पीड़ितों तथा गवाहों के बयान दर्ज करना।

(ञ) महिला पुलिस अधिकारियों / सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद लेना।

(ट) अन्य संबंधित विभागों जैसे कि गुमशुदा व्यक्ति ब्यूरो, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि के साथ तालमेल स्थापित करना।

(ठ) मामले का अभियोजन सुनिश्चित करना।

(ड) अन्य हितधारकों जैसे कि न्यायपालिका, गैर सरकारी संगठन, संबंधित विभाग आदि के साथ अभिसरण।

(ढ) गहन अनुसंधान के माध्यम से डाटाबेस सृजित करना और तंत्र स्थापित करना।

(ण) भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों तथा विभिन्न कानूनों के तहत मामलों की रिपोर्टिंग का विश्लेषण करना।

(त) बचाव कार्य में स्थानीय पुलिस से सहयोग का सुनिश्चय करना।

IV. मीडिया :

मीडिया की पहुंच हजारों हजार दर्शकों तक होती है और इसलिए उसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए :

क. उपयुक्त संदेश का प्रसारण करना ताकि सुनिश्चित हो कि पीड़ित यह समझे कि वे अकेले नहीं है।

ख. ऐसे स्थानों एवं संस्थाओं के बारे में जागरूकता सृजित करना जहां पीड़ित तथा उत्तरजीवी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

ग. महत्वपूर्ण सक्रिय भूमिका निभाना। इस पर अन्वेषकों एवं पुलिस प्रबंधकों को फायदा उठाना चाहिए। मीडिया के माध्यम से महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों के लक्षित प्रचार – प्रसार से :

1. आम जनता, विशेष रूप से असुरक्षित वर्ग सशक्त होगा।
2. विभिन्न मुद्दों के बारे में उनकी जागरूकता एवं सतर्कता में वृद्धि होगी।
3. मौन रहने की संस्कृति से बाहर आने तथा शून्य सह्यता की संस्कृति की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी।
4. दुर्व्यापार को रोकने तथा इसे लड़ने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी प्राप्त होगी।
5. उल्लंघनों का निराकरण करने में उनकी स्वैच्छिक भागीदारी सुगम होगी।
6. ट्रैफिकर तथा शोषणकर्ताओं पर सूचना प्राप्त होगी।

घ. डाटा का अधिप्रमाणन मीडिया के लिए एक आवर्ती मुद्दा है। अधिकांशतः मीडिया को गैर सरकारी संगठनों पर निर्भर होना पड़ता है। गैर सरकारी संगठन एक निश्चित समय के बाद मामलों को आगे बढ़ाने में असमर्थ होते हैं। मीडिया को राष्ट्रीय प्राधिकार ब्यूरो, राज्य महिला आयोगों के साथ इस संबंध में भागीदारी करनी चाहिए।

ड़. प्रामाणिकता के साथ नैतिक ढंग से रिपोर्टिंग तथा संवेदनशील भाषा का प्रयोग मीडिया के लिए एक चुनौती रही है। अतः मीडिया कर्मियों को ऐसे मामलों से निपटने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है।

ट. राज्य महिला आयोगों की भूमिका :

क. राज्य महिला आयोग की वेबसाइट को अपडेट करना तथा सभी महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं को अपलोड करना – उदाहरण के लिए एसिड हमले के मामले में उच्चतम न्यायालय का आदेश, किस तरह क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली की सरकारों के आदेश, पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीमें आदि।

ख. लोकपाल की भूमिका निभाना तथा दुर्वयापार विरोधी संरचनाओं की निगरानी करना। राज्य महिला आयोग आई ए एच टी यू का दौरा कर सकते हैं और उसके कामकाज की निगरानी कर सकते हैं तथा उसके कारगर कामकाज के लिए सुझाव दे सकते हैं।

ग. आईएएचटीयू को बढ़ावा देना एवं सुगमता प्रदान करना।

घ. बचाव पश्चात देखरेख में हितधारकों के बीच तालमेल स्थापित करना।

ङ. हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए संयुक्त प्रशिक्षण।

च. विश्वविद्यालयों द्वारा सूक्ष्म अनुसंधान : असुरक्षिता का मानचित्र, पुश और पुल फेक्टर, प्रभाव का आकलन, एजेंसियों की प्रकार्यात्मक लेखा परीक्षा।

छ. मीडिया जागरूकता कार्यक्रम।

ज. रोकथाम की रणनीतियां : सभी को शामिल करना।

झ. सभी संबंधितों, सरकारी एवं गैर सरकारी के लिए परामर्श।

5. ''प्रवासी महिलाओं / स्थानीय / घरेलू कार्यकर्तियों के मुद्दे'' पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित सेमिनार

प्रवासी महिलाओं / स्थानीय / घरेलू कार्यकर्त्रियों के मुद्दों पर विचार – विमर्श करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

(i) राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं तथा घरेलू कार्यकर्त्रियों को काम करने की उत्कृष्ट दशा प्राप्त हो तथा उनको सामाजिक संरक्षण मिले जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों तथा श्रम मानकों के अनुरूप हो।

(ii) राज्यों को यह गारंटी देनी चाहिए कि महिलाओं तथा घरेलू कार्यकर्त्रियों की सामाजिक संरक्षण तक पहुंच है ताकि उनका अभीष्ट विकास हो सके और जोखिमों एवं शोषण से उन्हैं सुरक्षा दी जा सके।

(iii) राज्यों को महिलाओं के लिए रोजगार के उत्तम अवसरों का सृजन करना चाहिए ताकि पलायन एक विकल्प हो न कि आवश्यकता।

(iv) राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नीतियां उत्तम कार्य तथा लिंग संवेदी सामाजिक संरक्षण को प्रोत्साहित करती हैं, लैंगिक असमानता को दूर करती हैं तथा महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देती हैं।

(v) राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास की नीतियां ऐसे तंत्र प्रदान करती हैं जहां महिलाएं एवं घरेलू कार्यकर्त्रियां सामाजिक संवाद में, विशेष रूप से स्वयं से संबंधित नीतियों के निर्माण, कार्यान्वायन, निगरानी और मूल्यांकन में सक्रियता से भाग ले सकती हैं।

(vi) राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि घरेलू कार्यकर्तियां की अपनी परिसंपत्तियों एवं उत्पादक संसाधनों तक समान पहुंच एवं नियंत्रण हो तथा उनके संसाधनों एवं धन प्रेषण के संपोषणीय निवेश के लिए अवसर उपलब्ध हैं।

(vii) राज्यों को भेदभाव के अनेक कारकों पर विचार करना चाहिए जो महिलाओं की गरीबी तथा अधिकारहीनता में योगदान देते हैं तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्तम कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्याप्त जीवन स्तर तक महिलाएं एवं घरेलू कार्यकर्त्रियां की समान पहुंच है।

6. "महिला उद्यमी – एस एम ई के संबंध में चुनौतियां एवं समाधान" पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा अकाई पॉलीक्राफ्ट एसोसिएशन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सेमिनार

यह सेमिनार एस एम ई क्षेत्र में महिला उद्यमियों की समस्याओं का निर्धारण करने के प्रयोजन से आयोजित किया गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

राष्ट्रीय सेमिनार की सिफारिशें

(i) सुगमता, उत्प्रेरण, प्रोत्साहन तथा समाज में उद्यमशीलता की संस्कृति एवं वातावरण सृजित करने के लिए सहायता प्रदान करने के संबंध में परिवार, मित्रों, रिश्तदारों तथा समाज को महिला उद्यमियों के प्रति अपने नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलकर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

(ii) सुगमता, उत्प्रेरण, कौशल विकास तथा बाजार सर्वेक्षण के लिए महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए 4 से 6 सप्ताह की अवधि के उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई डी पी) नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए ताकि उनको विशेष रूप से लघु एवं सूक्ष्म उद्यमों (एस एम ई) में उद्यम विकास की तकनीकों एवं साधनों से लैस किया जा सके।

(iii) आमने – सामने की वार्ता के माध्यम से महिला उद्यमियों के एक्सपोजर के लिए सफल पुरूष एवं महिला उद्यमियों के साथ वार्ता एवं औद्योगिक विजिट का आयोजन किया जाना चाहिए।

(iv) भारी भरकम यात्रा से बचने के लिए एक स्थान पर सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए महिला उद्यमियों के लिए एकल खिड़की संकल्पना शुरू की जा सकती

है। समय की बचत का मतलब धन का अर्जन है।

(v) घरेलू हिंसा की वजह से महिलाएं स्वतंत्र महसूस करने तथा अपने लिए तथा अपने परिवार के कल्याण के लिए स्वतंत्र रूप से सोचने में असमर्थ हैं। अतः प्राथमिकता के आधार पर इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए।

(vi) महिलाओं को सुगमता प्रदान करने के लिए सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य विभागों से उद्यमियों को ऋण / वित्तीय सहायता आसानी से न्यूनतम फार्मेशन के साथ तथा अनावश्यक विलंब के बगैर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(vii) अपना स्वयं का व्यवसाय / उद्यम स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार, मित्रों एवं समाज द्वारा विश्वास पैदा करने के उपाय किए जाने चाहिए ताकि वे समाज में जॉब की तलाश करने वाली न होकर जॉब प्रदाता बन सकें।

(viii) महिला उद्यमियों को विशेष रूप से जल्दी से असफल हो जाने के कारणों, चहुंमुखी प्रबंधकीय अनुभव का अभाव, पर्याप्त लेखांकन प्रणाली जैसे क्षेत्रों में एक्सपोजर प्रदान किया जाना चाहिए।

(ix) इसी तरह उन्हें नकदी की आवश्यकताओं के अपर्याप्त विवरण, कर और कानून संबद्ध मामलों की जानकारी का अभाव तथा परियोजना निर्माण, परियोजना कार्यान्वयन, प्रचालन तथा पर्यावरणीय / बाहरी कारकों के क्षेत्र में नई तकनीकों एवं साधनों को सीखने का प्रयास करना चाहिए।

(x) सामाजिक – आर्थिक स्थितियों तथा तकनीकी – आर्थिक संभाव्यता आकलन को शुरू में प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के दौरान अभिनिर्धारित किया जाएगा।

7. "उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव की प्रक्रियाओं के बारे में महिलाओं में जागरूकता" पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा जनता वैदिक शिक्षा एवं सेवा समिति मेहदावल, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सेमिनार

यह सेमिनार उत्तर प्रदेश में चुनाव की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुकूल कारकों का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

केंद्र सरकार के लिए सिफारिशें

(i) विधान सभाओं तथा संसद में महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए।

(ii) राज्य सरकारों तथा चुनाव आयोग द्वारा महिला उम्मीदवारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे विरोधियों द्वारा किसी धमकी के बगैर किसी के दबाव के बिना चुनाव लड़ सकें।

(iii) सभी स्तरों पर चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अधिकाधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

(iv) चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं को चुनाव से संबद्ध अपने खर्चों के कुछ भाग की भरपाई के लिए चुनाव आयोग तथा सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है।

राज्य सरकार के लिए सिफारिशें

(i) राज्य सरकार को चुनाव लड़ने की इच्छुक महिलाओं को सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए।

(ii) राज्य सरकार को बुनियादी स्तर के गैर सरकारी संगठनों की मदद से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से नेतृत्व के गुणों का विकास करने में महिलाओं की मदद करनी चाहिए।

(iii) राज्य सरकार को शिक्षा विभाग के साथ बात करनी चाहिए ताकि वे सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से लड़कियों के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए स्कूलों एवं कालेजों को निर्देश दे सकें।

(iv) राज्य सरकार को राज्य चुनाव आयोग तथा संबद्ध एजेंसियों में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए ताकि वे जरूरत पड़ने पर महिला उम्मीदवारों को अपेक्षित मदद एवं सहायता प्रदान कर सकें।

(v) राज्य सरकार को चाहिए कि वे राजनीतिक दलों को चुनाव में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रोत्साहित करें। राजनीतिक दलों को भी आगे आने तथा सभी स्तरों पर पार्टी में जिम्मेदारी के पदों को ग्रहण करने के लिए महिलाओं की मदद करने का प्रयास करना चाहिए।

8. शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक स्थलों, परिवहन आदि में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा मदुरै अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, तमिलनाडु द्वारा आयोजित सेमिनार

यह सेमिनार सार्वजनिक स्थानों तथा परिवहन आदि में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

सिफारिशें/कार्य बिंदु

I. स्थानीय प्रशासन और/या उसकी एजेंसियों से संबंधित सिफारिशें/कार्य बिंदु

क. सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया गया और संकल्प लिया गया कि समाज में महिलाओं के हित तथा सतीत्व की रक्षा करने के लिए प्रमुख हितधारक अर्थात पुरूषों के मन में मजबूती से जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है।

ख. स्कूल प्राधिकारियों को चाहिए कि वे माता–पिता तथा अभिभावक को हिदायत दे कि वे अपने प्रतिपाल्यों को स्कूल लाते समय और स्कूल से उनको ले जाते समय अपने पहचान पत्र रखें।

ग. आत्मरक्षा की कक्षाओं को पाठ्येत्तर गतिविधि के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

घ. महिलाओं से संबंधित कानूनों / अधिकारों तथा महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के बारे में छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

ङ. सभी शैक्षिक संस्थाओं में परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए।

च. स्कूल स्तर पर लैंगिक समानता पर बल दिया जाना चाहिए।

छ. तमिलनाडु के जिलों में संबंधित स्थानीय क्षेत्रों में पुलिस विभाग द्वारा रात में गश्त बढ़ाने की आवश्यकता है।

ज. राज्य प्रशासन द्वारा शैक्षिक संस्थाओं, बसों, बस स्टाप एवं बस स्टैंड तथा असंगठित क्षेत्र में शौचालय कोरिडोर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करे।

झ. हेल्पलाइन की सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए।

ञ. ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर व्यापक जन जागरूकता अभियान एवं सेमिनार जिसमें सभी यौन दुरूपयोगों से महिलाओं की रक्षा करने से संबंधित पुरूषों की जिम्मेदारी पर अनिवार्य रूप से बल दिया जाए।

ट. मास मीडिया के स्तर पर और अधिक प्रकाशनों में पूरे वर्ष लड़कियों, किशोरियों एवं महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा पर बल दिया जाए।

ठ. सरकार पूरे देश में अनन्या महिला सुरक्षा नीति लागू करे।

ड. स्थानीय स्तर पर गैर सरकारी संगठनों, महिला सामाजिक कार्यकर्त्रियों तथा उच्च. स्तरीय पुलिस कार्मिकों को शामिल करके महिला सतर्कता समिति गठित करना।

ढ. प्रत्येक जिले में अन्य विधिक रक्षा मंच सृजित करना तथा महिलाओं की क्षमता निर्माण के लिए काम करना।

9. "सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा : आयोजना तथा डिजाइन तंत्र" पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु द्वारा आयोजित सेमिनार

यह सेमिनार महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थल की आयोजना एवं डिजाइन के लिए महिला विशिष्ट सिफारिशों का सुझाव देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

I. राष्ट्रीय एवं उप क्षेत्रीय सरकारें

क. लैगिक समानता को स्कूल की पाठ्यचर्या में शामिल करना

ख. राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा निर्णय लेने में विभिन्न प्रकार की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

ग. राष्ट्रीय तथा शहर स्तर पर लिंग के अनुसार पृथक किए गए सटीक डाटा एकत्र करना, विश्लेषण करना एवं प्रसार करना।

घ. राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर लैंगिक समानता, महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तीकरण को संपोषित करना।

ङ. समाज में लैंगिक संवेदीकरण के माध्यम से लैंगिक जागरूकता बढ़ाना तथा क्षमता निर्माण करना।

च. सभी स्तरों पर जेंडर बजटिंग।

छ. महिला हितैषी सार्वजनिक परिवहन प्रणालियां शुरू करना।

ज. शैक्षिक संस्थाओं, कॉरपोरेट, पर्यटकों तथा अन्य हितधारकों सहित विभिन्न स्तरों पर कारगर ढंग से उनको शामिल करके समुदाय से सहायता प्राप्त करना।

झ. महिलाओं एवं लड़कियों के विरूद्ध हिंसा से लड़ने के लिए आयशित नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों एवं परिणामों की प्रगति के लिए महिला संघों तथा स्वेच्छिक संगठनों के साथ साझेदारी स्थापित करना।

II. स्थानीय शासन

क. महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए नगरपालिका व्यापक सार्थक योजनाएं एवं पहलें तैयार करना।

ख. महिलाओं एवं लड़कियों में आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान विकसित करने के उद्देश्य से महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सुरक्षित स्थानों के लिए संसाधन आवंटित करना।

ग. महिलाओं एवं लड़कियों के लिए विश्वसनीय एवं सुरक्षित परिवहन प्रदान करना ताकि वे हर समय आसानी से स्कूल, घर, कार्य स्थल तथा सरकारी कार्यालय तक पहुंच सकें।

घ. पूरे शहर में, विशेष रूप से नुक्कड़ों और कार्नरों, उप शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट में वृद्धि होनी चाहिए।

ङ. विशेष रूप से ग्रामीण एवं उप शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं पुरूषों दोनों की सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके अलावा उनके अधिकारों के संबंध में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है।

च. सार्वजनिक सेवाओं अथवा सभ्य समाज तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से महिलाओं तथा हिंसा से पीड़ितो के लिए पर्याप्त आपातकालीन सेवाओं का सुनिश्चय करना।

छ. निजी तथा सार्वजनिक परिवेशों में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिए सभी संगत नगरपालिका क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करना।

10. "शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का निवारण" पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा अक्का महादेवी महिला मंडल, बीदर – कर्नाटक द्वारा आयोजित सेमिनार

यह सेमिनार कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम के कार्यान्वयन में खामियों की जांच करने तथा जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

1. सिफारिशे / कार्य बिंदु

I. स्थानीय प्रशासन और / या उसकी एजेंसियों से संबंधित सिफारिशें तथा कार्य बिंदु

क. आंतरिक शिकायत समितियों का अनिवार्य रूप से गठन करना।

ख. महिलाओं के सभी कार्य स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना।

II. राज्य प्रशासन और / या उसकी एजेंसियों से संबंधित सिफारिशें और कार्य बिंदु

(क) महिलाओं के कार्यस्थल पर सुझाव पेटी लगाना।

(ख) तिमाही आधार पर आंतरिक शिकायत समिति की बैठकों की समीक्षा करना।

(ग) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(घ) शिकायतों की समीक्षा के लिए कार्यबल गठित करना।

(ङ) अपनी आंतरिक शिकायत समितियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रदर्शित करना।

(च) उत्पीड़न के सभी मामलों की समीक्षा के लिए महिला एवं बाल विभाग में विशेष प्रकोष्ठ का गठन करना।

(छ) महिलाओं को तंग करने वाले अपराधियों के लिए दंड के सख्त कानून बनाना जिसमें कारावास तथा भारी जुर्माना शामिल है।

(ज) यौन उत्पीड़न के निवारण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ब्रांड अंबेस्डर नामित करना।

(झ) इन मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए खेल, फिल्म , समाज, अध्यात्म और शिक्षा से जुड़ी मशहूर हस्तियों को प्रेरित करना।

(ञ) ब्लॉक, गांव, पंचायत, तालुक तथा जिला स्तर पर टोल फ्री नंबर सृजित एवं सक्रिय करना।

11. "महिलाएं एवं विकलांगता – जीत एवं चुनौतियां" पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा महिला अध्ययन अनुसंधान केंद्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेमिनार

यह सेमिनार विकलांग महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

I. **स्थानीय प्रशासन और या उसकी एजेंसियों से संबंधित सिफारिशें तथा कार्य बिंदु**
स्थानीय स्तर – कोलकाता शहर

(क) सभी परिवहन प्रणालियों को सुगम्य बनाना तथा विकलांगता के मुद्दों पर बस ड्राइवरों / कंडक्टरों को सुग्राही बनाना।

(ख) भवन उप नियम बनाना ताकि सभी नए भवनों में सार्वभौमिक डिजाइन का अनुरक्षण हो सके।

II. **राज्य प्रशासन और / या उसकी एजेंसियों से संबंधित सिफारिशें / कार्य बिंदु**

(क) विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य नीति तैयार करना।

(ख) शिक्षा को सबके लिए सुगम्य बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती है :

1. सुगम्य फार्मेट में पुस्तकें आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए।
2. विकलांग लड़कियों / महिलाओं को शिक्षा में लाने के लिए विशेष पहलें।
3. विकलांग हितैषी महिला छात्रावास के लिए प्रावधान करना।

(ग) यह देखने के लिए दृढ़ कदम कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के सभी प्रावधानों को समुचित ढंग से लागू किया गया है तथा रोजगार के बैकलाग को क्लीयर किया गया है।

(घ) कामकाजी महिला छात्रावासों में विकलांग महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होनी चाहिए।

(ङ) विकलांग महिलाओं के साथ भेदभाव एवं हिंसा से लड़ने के लिए अपंगता आयुक्त के कार्यालय तथा राज्य महिला अधिकार आयोग को एक दूसरे के साथ निकटता से काम करना चाहिए।

(च) यह सुनिश्चित करना कि विकलांगता प्रमाणन प्रक्रिया सरल है।

(छ) विकलांगता पेंशन की राशि बढ़ाना तथा लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ाना।

(ज) पुलिस / न्यायिक अधिकारियों की पाठ्यचर्या में विकलांगता प्रशिक्षण को शामिल करना।

III. **भारत सरकार और / या उसकी एजेंसियों से संबंधित सिफारिशें**

क. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति की समीक्षा करना और उसमें संशोधन करना

ख. 1995 के विकलांग व्यक्ति अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना

ग. नए कानून अर्थात आर पी डी विधेयक को पारित करना जिसे उपयुक्त संशोधन के साथ राज्य सभा में पेश किया गया है।

घ. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 में विकलांग महिलाओं एवं लड़कियों के लिए आरक्षित विशिष्ट प्रावधानों को लागू करना।

ङ. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो को चाहिए कि वे विकलांग महिलाओं के विरूद्ध हिंसा पर अलग से डाटा रखें।

च. विकलांगता मामले विभाग के बजट में वृद्धि करना और जेंडर से संबंधित परियोजनाओं के लिए निधियां निर्धारित करना।

छ. विकलांग महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के मुद्दों पर अध्ययन एवं अनुसंधान करना तथा पुनर्वास के मुद्दों की छानबीन करना।

ज. विकलांगता तथा लैंगिक मुद्दों पर आम जनता के लिए जागरूकता कार्यक्रम तथा सभी अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

12. "घरेलू हिंसा तथा जेंडर आधारित हिंसा'' पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा समाज कल्याण प्रबंधन एवं संवर्धन संगठन, दिबांग वैली, अरूणाचल प्रदेश द्वारा आयोजित सेमिनार

यह सेमिनार देश में घरेलू हिंसा तथा जेंडर आधारित हिंसा के वर्तमान परिदृश्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

सिफारिशें / कार्य बिंदु :

क. राज्य प्रशासन और / या उसकी एजेंसियों से संबंधित सिफारिशें / कार्य बिंदु

(i) प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा उप मंडल में महिला पुलिस स्टेशन तुरंत स्थापित करने की आवश्यकता है।

(ii) सभी प्रकार की बहु विवाह प्रथा के विरूद्ध कठोर कानून अधिनियमित करना।

(iii) विभिन्न संगठनों तथा विकास की अन्य गतिविधियों में जॉब का अधिक आरक्षण।

(iv) तत्काल आवश्यकता की स्थिति में अलग से न्यायिक संस्था का गठन किया जाना चाहिए।

(v) प्रत्येक जिला मुख्यालय में सत्रन्यायालय स्थापित किया जाना चाहिए।

(vi) संवैधानिक कानूनों की तर्ज पर सदियों पुराने परंपरागत रीतिगत कानूनों और पर्सनल लॉ को निरस्त या संशोधित किया जाना चाहिए।

(vii) तत्काल प्रभाव से राज्य में परिवार नियोजन तथा जन्म नियंत्रण की नीति का अधिक एवं कठोर अधिनियम ताकि तेजी से बढ़ती आबादी से राज्य को बचाया जा सके। इससे कुछ घरेलू एवं आर्थिक समस्याएं कम होंगी जो अरूणाचल प्रदेश के अधिकांश लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं।

ख. भारत सरकार और/या उसकी एजेंसियों से संबंधित सिफारिशें/कार्य बिंदु

(i) अरूणाचल प्रदेश में कोई राज्य मानवाधिकार आयोग नही है। राज्य मानवाधिकार संस्था स्थापित करना आवश्यक है।

(ii) महिलाओं के लिए तथा महिलाओं के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों की सहायता में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(iii) लोकपाल एवं जन लोकपाल विधेयक को तुरंत अधिनियमित किया जाना चाहिए।

13. "पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं का सशक्तीकरण" पर राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित तथा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड द्वारा आयोजित सेमिनार

यह सेमिनार पंचायती राज के प्रतिनिधियों तथा चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं :

सिफारिशें / कार्य बिंदु

(i) किसी प्रकार का कोई न कोई तंत्र होना चाहिए जो समान भागीदारी के लिए सरकार द्वारा महिलाओं को प्रदान किए गए विशेषाधिकारों एवं उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराए।

(ii) पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के रिकार्ड की नियमित अंतराल पर निगरानी की जानी चाहिए तथा कोई तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जो महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का रिकार्ड रखे ताकि स्टेटस की स्पष्ट तस्वीर की झलक मिल सके और यह बैठकों, यदि कोई हो, में महिला प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारणों का पता लगाने में मदद करेगा।

(iii) महिला प्रतिनिधियों के बारे में लोगों का फीडबैक नियमित अंतराल पर लिया जाना चाहिए ताकि अपनी – अपनी महिला प्रतिनिधियों के प्रति लोगों की धारणाओं एवं परिप्रेक्ष्यों के बारे में पता चल सके।

(iv) पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों से संबंधित सफलता, बाधाओं तथा विभिन्न मुद्दों की निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए सेमिनार / कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। ये कार्यक्रम विशेष रूप से महिला प्रतिनिधियों के लिए डिजाइन किए जाने चाहिए।

(v) महिला प्रतिनिधियों के लिए कोई साझा प्लेटफार्म होना चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं तथा विशेष रूप से महिला प्रतिनिधियों के लिए तैयार की गई स्कीमों

एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं पर स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सकें।

(vi) महिला सशक्तीकरण में शिक्षा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। शिक्षा और जागरूकता एक दूसरे से जुड़े हैं। महिलाओं को अधिक शिक्षित एवं जागरूक बनने में समर्थ बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की समीक्षा करने की जरूरत है। कम शिक्षित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाना अनिवार्य होना चाहिए।

(vii) देश में पंचायत के सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों द्वारा उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कार।

(viii) आईसीटी में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नियमित अंतराल पर महिला प्रतिनिधियों को आई सी टी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि आई सी टी महिलाओं की आंतरिक क्षमता बढ़ाने तथा नवीनतम अपडेट के बारे में जानकारी हासिल करने तथा किसी गतिविधि में उनको सक्रियता से शामिल करने के लिए एक महत्व पूर्ण साधन है।

(ix) देश के अंदर और बाहर महिला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए विनियम कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

(x) राज्य की तथा क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर क्षेत्रवार तथा राज्यवार प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।

14. ''भारतीय मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में लाना – आगे की राह'' पर रामभाऊ महालगी प्रबोधनी (आर एम पी), मुंबई, महाराष्ट्र के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित परामर्श

यह सेमिनार वर्तमान परिदृश्य में मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों एवं सरोकारों पर रोशनी डालने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सेमिनार से उत्पन्न प्रमुख सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

सिफारिशें :

(i) मुस्लिम लड़कियों / महिलाओं के दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासों में वृद्धि करना।

(ii) मुस्लिम महिलाओं को अपने माता–पिता तथा सास–ससुर की संपत्ति पर कुछ अधिकार मिलने चाहिए।

(iii) कम से कम कक्षा 10 तक अपनी बेटियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम महिलाओं को संवदेनशील बनाया जाना चाहिए।

(iv) सभी स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में मुस्लिम महिलाओं की अधिक भागीदारी अपेक्षित है। इसके अलावा राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी अधिकाधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि आज वे समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रमुख एजेंट बन गई हैं।

(v) मुस्लिम महिलाओं से सीधे तौर पर जुड़े कुछ सामाजिक एवं धार्मिक मुद्दों जैसे कि मौखिक तलाक (तीन बार तलाक) पर ध्यान देने की जरूरत है। यह अपेक्षित है कि इस संबंध में कोई उपयुक्त कानून बने।

(vi) मुस्लिम लड़कियों के लिए नौकरी के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा नौकरी एवं करियर के अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अधिकाधिक परामर्श केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

अनुलग्नक

अनुलग्नक–I

संगठनात्मक चार्ट

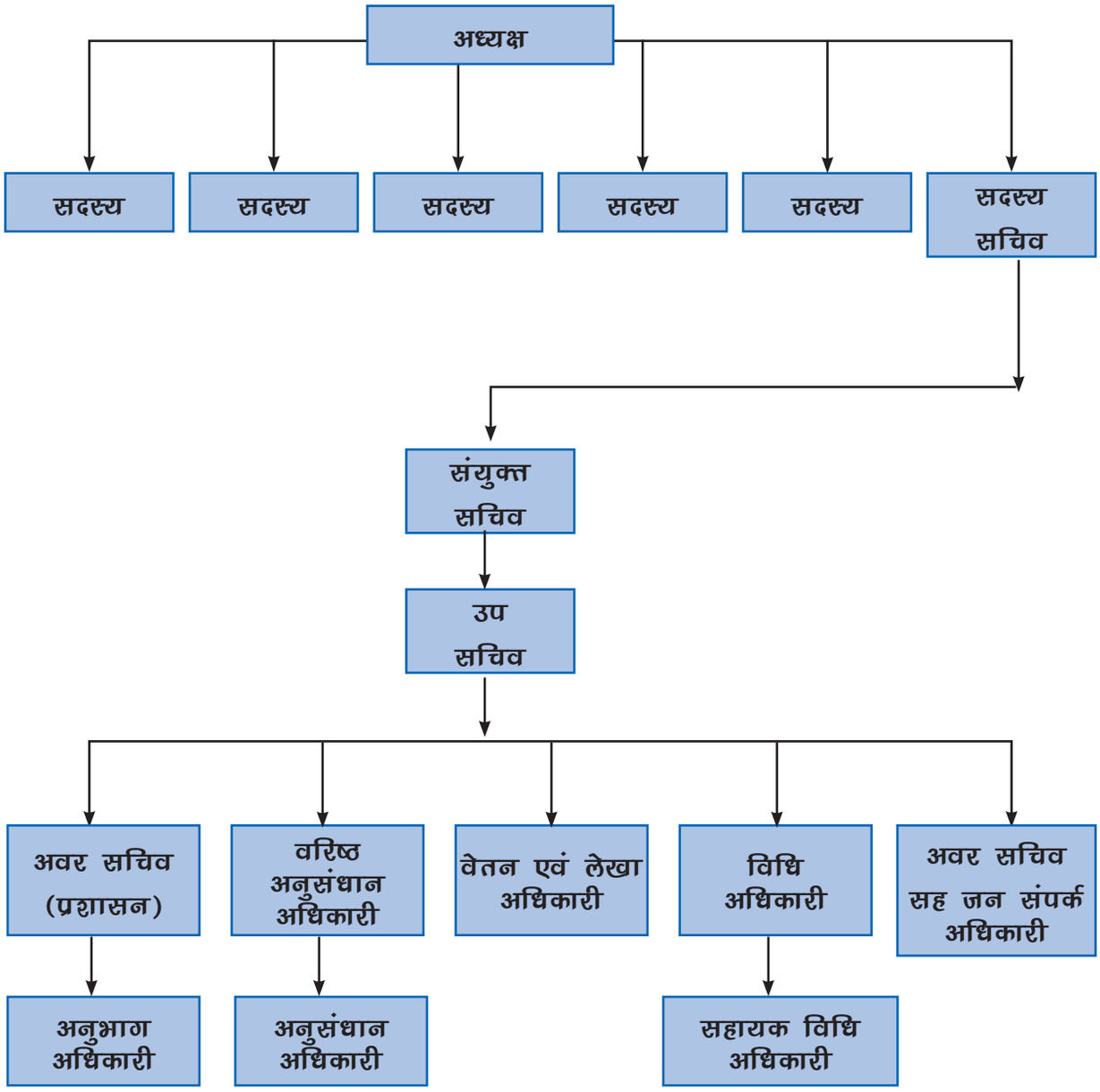

अनुलग्नक–II

सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2013

क्र.सं.	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा समीक्षा किए गए कानून	मंत्रालय /विभाग को भेजी गई आयोग की सिफारिशें	अभ्युक्ति
1.	सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2013 : न्यूनतम मुआवजा के लिए फार्मूला विकसित करना	• भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेषकर सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2013 के तहत सरोगेट माँ को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम मुआवजा की गणना करने के लिए फार्मूला पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित की । • राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस समिति में एक सदस्य के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया। ➢ सुझाव प्राप्त करने और विभिन्न् संबंधित कानूनों/ प्रावधानों की जांच करने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग का मत है कि :–	सिफारिशें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को 10 अप्रैल, 2015 को भेजी गईं।
		➢ फॉर्मूला प्रस्तावित अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं किया जाना चाहिए किन्तु वहां बनाए गए नियमों में शामिल किए जाने की आवश्यकता है; ➢ सरोगेट माँ को कुशल कर्मचारी के रूप में माना जाएय; ➢ चूंकि देश में कोई एक न्यूनतम मजदूरी दर नहीं है, मुआवजे के स्तर में अन्य कारकों स्वास्थ्य, भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक लागतों आदि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ➢ प्रसव–पूर्व / प्रसवोपरांत प्रक्रियाओं और प्रसव–पूर्व / प्रसवोपरांत देखरेख को ध्यान में रखते हुए, मुआवजा के भुगतान की अवधि 12 माह होनी चाहिए; ➢ सरोगेसी की प्रक्रिया में बाह्य परिस्थितियां शामिल होती हैं, जिन्हें दूर किया जाना चाहिए; ➢ मुआवजा का भुगतान करने के लिए सुझाया गया संभावित फार्मूला है : कुशल श्रमिक को प्रति माह न्यूनतम मजदूरी × 12 माह + 5. विशिष्ट कारकों की लागत	

अनुलग्नक–III

सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2014 पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा यूएन वीमेन, आईसीएमआर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सिविल सोसायटी के विशेषज्ञों, राज्य महिला आयोगों और यूएनएफपीए के तकनीकी सहयोग से 15 अक्तूबर, 2015 को एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग ने सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2014 के उपयुक्त विनियमन एवं पर्यवेक्षण के लिए पक्षकारों और आम लोगों से दिनांक 30.09.2015 के नोटिस के माध्यम से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए थे। इसलिए, निम्नलिखित टिप्पणियां सुझाव दिए जाते हैं :

विशिष्ट टिप्पुणिया/सुझाव :–

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
1.	धारा 2 (ज) "कमीशनिंग दंपति" से बांझ विवाहित दंपति, जो सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिक अथवा सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंक से ऐसी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए संपर्क करते हैं जिन्हें देने के लिए सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिक अथवा सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंक प्राधिकृत है, अभिप्रेत है;	एक उपबंध जोड़ा जाए जिसमें निम्नलिखित कहा गया हो : "एक महिला जो बच्चे पालना चाहती है, इस तरह से बांझ है कि वह गर्भधारण नहीं कर सकती है। उदाहरण के लिए एक ऐसी महिला जिसे गर्भाशयोच्छेदन है, गर्भाशय संबंधी विकृति है, बार–बार गर्भ की हानि होती है अथवा उस स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है जो उसके गर्भधारण करने से उसे जोखिम में डालती है।"	i. बांझ' की परिभाषा का उल्लेख बेबी मांजी यमादा बनाम भारत संघ एवं अन्य (2008) 13 एससीसी 518 में किया गया है जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माना गया है। ii. एक परंतु जोड़ा जाए जो 'बांझ' के अर्थ की व्याख्या करता हो।
2.	धारा 2 (फ) "बांझ" से असुरक्षित संभोग अथवा ऐसी शारीरिक अथवा दैहिक स्थिति जो दंपति को बच्चा धारण करने से रोकती है, के कम से कम एक वर्ष बाद गर्भधारण करने में अक्षमता अभिप्रेत है;	अवधि को एक वर्ष से गदल कर 18 माह कर दिया जाए ।	आजकल के समय में, कार्य–जीवन अनुपात में घोर असंतुलन के कारण, दंपति को बाहरी सहायता लेने से पहले बच्चे के लिए स्वयं कोशिश करने और गर्भधारण करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
" 3.	धारा 2 (ब) बीमा" से ऐसी व्यवस्था अभिप्रेत है जिसमें कोई कंपनी सरोगेट मां अथवा अंडाणु दाता की मृत्यु होने पर उसके परिवार / नामिती / लाभार्थी को और सरोगेट मां अथवा अंडाणु दाता को चिकित्सकीय आपातकाल के मामले में किए गए चिकित्सा व्यय के मुआवजे के मामले में उन्हें स्वयं और गर्भावस्था के दौरान आई ऐसी जटिलताओं के मामले में जो सरोगेट मां अथवा अंडाणु दाता शेष जीवन भर बनी रहने की संभावना है, मुआवजे की गारंटी लेती है;	"बीमा" से ऐसी व्यवस्था अभिप्रेत है जिसमें कोई कंपनी सरोगेट मां अथवा अंडाणु दाता की मृत्यु होने पर उसके परिवार / नामिती / लाभार्थी को और सरोगेट मॉ अथवा अंडाणु दाता को चिकित्सकीय आपातकाल के मामले में किए गए चिकित्सा व्यय के मुआवजे के मामले में उन्हें स्वयं और गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद आई ऐसी जटिलताओं के मामले में जो सरोगेट मॉ अथवा अंडाणु दाता शेष जीवन भर बनी रहने की संभावना है, रुग्णता लाभ अथवा चिकित्सा,, शल्य क्रिया अथवा अस्पताल व्यय लाभ, चाहे अंतरंग रोगी या बहिरंग रोगी हो, यात्रा बीमा जोखिम एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जोखिम शामिल है, मुआवजे की गारंटी लेती है;	परिभाषा का उद्देश्य स्पष्ट एवं शुद्ध होना चहिए और सभी संभावित परिदृश्यों के समावेशन के साथ–साथ गर्भावस्था एवं प्रसवोपरांत दोनों अवधियों का समावेशन होना चाहिए ।
4.	धारा 2 (यध) "सरोगेसी करार" से सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे कमीशनिंग दंपत्ति और सरोगेट मॉ के बीच करार अभिप्रेत है;	"सरोगेसी करार" से सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे कमीशनिंग दंपति और सरोगेट मां के बीच करार अभिप्रेत है और यह इस प्रतिफल के बिना जो सरोगेट को जिसने कमीशनिंग दंपति के लिए पहले ही कुछ किया है, मुआवजा देने, पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से, का वचन है, होना चाहिए;	सरोगेसी का मुद्दा धीरज कुमार बनाम बिक्रमजीत सिंह (1981) आई.एल.आर. 3 एआईआई 787, 788 जैसा मामला है जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने माना, जब एक पुरुष एक महिला को पूर्व में किए सहवास के प्रतिफल में कुछ भत्ता देने का वचन देता है, इसका अर्थ यह होता है कि वह महिला को उसे स्वैच्छिक रूप से पूर्व में दी गई सेवाओं के लिए मुआवजा देने का वचन देता है, जिसके लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं होगा।

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
5.	धारा 22 (3) (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग का एक नामिती / सदस्य	राष्ट्रीय महिला आयोग का एक नामिती – सदस्य और/ अथवा राज्य महिला आयोग को भी शामिल किया जाए।	ऐसे प्रयासों में भागीदारी के लिए राज्य महिला आयोग को जोड़ने की जरूरत है। यह राज्य स्तर पर है और उसी स्तर पर उसका निपटान किया जाना चाहिए।
6.	धारा 44 (1) इस अधिनियम के तहत बनाए गए पंजीकरण प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी अवधि और ऐसे तरीके से और रूप में राज्य बोर्ड के पास अपील कर सकेगा।	एक विशिष्ट समयावधि विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है और यह अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए।	
7.	धारा 45. (1) इस अधिनियम के तहत बनाए गए राज्य बोर्ड के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी अवधि और ऐसे तरीके से और रूप में राष्ट्रीय बोर्ड के पास अपील कर सकेगा।	एक विशिष्ट समयावधि विनिर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है और यह अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए।	
8.	धारा 46(4) रू सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी उपचार अथवा प्रक्रियाएं ले रहे दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष युग्मक के दाता के संबंध में ऊंचाई, वजन, जाति, त्वचा का रंग, शैक्षणिक योग्य ता, दाता की एचआईवी/एड्स सहित चिकित्सा इतिवृत्त सहित विशिष्ट सूचना का हक होगा। परंतु पक्ष दाता की व्यक्तिगत पहचान, नाम एवं पता के संबंध में विशिष्ट सूचना का हक नही होगा ।	बैंक की ड्यूटी के संबंध में अर्थात् रंग, ऊंचाई और वजन की सूचना कमीशनिंग दंपत्ति को देने के लिए अलग ढंग से व्यक्त किया जाए।	

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
9.	धारा 47. (1) कोई भी सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक क्लीनिक, सहायता प्राप्त। प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लिनिक और बैंक से सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी के इच्छुक सभी पक्षकारों से लिखित में सहमति के बिना सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी की चिकित्सा अथवा प्रक्रिया, मानव भ्रुण के शीतन सहित ऐसे उपचार अथवा प्रक्रिया के सभी संभावित चरणों को निष्पादित नहीं करेगा।	कोई भी सहायता प्राप्तं प्रजनन तकनीक क्लीनिक, सहायता प्राप्त् प्रजनन प्रौद्योगिकी के इच्छुक सभी पक्षकारों से लिखित में 'संसूचित' सहमति के बिना सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी की चिकित्सा् अथवा प्रक्रिया, मानव भ्रूण के शीतन सहित ऐसे उपचार अथवा प्रक्रिया के सभी संभावित चरणों को निष्पादित नहीं करेगा।	संबंधित पक्षों की संसूचित सहमति आवश्यक है क्योंकि अक्सर सरोगेट मां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं और पढने एवं लिखने में असक्षम होती हैं। इस प्रकार वे अपने हाथ में लिए गए कार्य को समझने में अक्षम होती हैं। इसलिए, उन्हें ठीक प्रकार से समझाया जाना चाहिए और उनकी 'संसूचित' सहमति ली जानी चाहिए।
10.	धारा 49 (5) जहां सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप एकाधिक गर्भाधारण होता है, संबंधित सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिक तुरंत ही मरीज को बहु गर्भधारण और इसके चिकित्सा निहितार्थ के बारे में सूचित करेगा और समुचित परामर्श के पश्चात भ्रूण उपचयन निष्पादित करेगा।		यह सुनिश्चित करना सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिक का कर्तव्य होगा कि कि एकाधिक गर्भधारण नहीं हो या एकाधिक गर्भधारण की संभावना को समाप्त कर दिया जाए। प्रबुद्ध डॉक्टरों के पेशेवर मत को अभिलेख पर लिया जाना चाहिए।
11.	धारा 52 (3) सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंक, 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच, दोनों शामिल, के उम्र के पुरुषों से शुक्राणु प्राप्त करेगा और तेइस वर्ष से पैंतीस वर्ष के बीच के उम्र, दोनों शामिल, की स्त्रियों से अंडाणु प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा, और एचआईवी एड्स सहित यौन संचारित अथवा अन्यथा, जैसा विहित हो, जैसे रोगों और अन्य संक्रामक रोगों जैसे	पुरुषों की उम्र को बदलकर 25 वर्ष से 30 वर्ष किया जाना चाहिए।	21 वर्ष में पुरुष बहुत युवा होते हैं और यह उम्र एक प्रभावित होने वाली उम्र होती है। उनमें से कुछ 'शुक्राणु दान' को जल्दी से रुपये कमाने के साधन के रूप उपयोग कर सकते हैं। 45 की उम्र में शुक्राणु गणना कम हो जाती है। चूंकि हम जनसंख्या की दृष्टि से एक युवा देश है, हमारे पास युवा दाता उपलब्ध हैं।

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
	हृदय रोग, थाइरॉयड समस्या इत्यादि जो कमिशनिंग दंपति, अथवा उन दोनों में से किसी के लिए, सरोगेट अथवा शिशु के लिए खतरनाक हो सकता है, के लिए दाताओं की जॉच करेगा।		
12.	धारा 52 (8) (क) अंडाणु दानी हमेशा ही विवाहित स्त्री होनी चाहिए जिसका स्वयं का कम से कम एक बच्चा होना चाहिए, जिसकी उम्र कम से कम तीन वर्ष होनी चाहिए और उसे उसके जीवन काल में केवल एक बार ही अंडाणु दान करने की अनुमति दी जानी चाहिए और अंडाणु दानी से सात से अधिक अंडाणु प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।	एकल स्त्री, बेसहारा स्त्री और विधवाओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रावधान, की फिर से जॉच की जानी चाहिए।	यह खंड उन अन्य महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है जो एकल, बेसहारा अथवा विधवा हैं।
13.	धारा 52 (8) (ख) अंडाणु दानी की भूमिका निभाने से पूर्व अंडाणु दानी स्त्री के पति की लिखित सहमति आवश्यक होगी।	अंडाणु दानी को अंडाणु दान करने देने से पहले उसके पति की लिखित सहमति आवश्यक हो सकती है।	इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और होगी शब्द को हो सकती है शब्द प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इससे विवाह की संस्था भी बच सकती है और साथ–साथ महिला सशक्तीकरण को भी समर्थन दिया जा सकता है।
14.	58. (1) इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अधीन सरोगेसी के विकल्प को छोड़कर, सहायता प्राप्त प्रजनन तकनीक का विकल्प, सभी विवाहित बांझ दंपति के लिए उपलब्ध होगा।	इस खंड को फिर से संरचित किए जाने की जरूरत है।	इस खंड में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या सरोगेसी शादीशुदा बांझ दंपति को उपलब्ध कराया गया है या नहीं।

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
15.	धारा 59 (6) युग्मक दानी को मुआवजे के भुगतान की नियमावली के तहत और इस धनराशि को युग्मक दानी के खाते में अंतरित करने के लिए उचित सूत्र और तंत्र विकसित किए जाने की जरुरत है।	i. सरोगेट मां को एक कुशल कर्मचारी के रूप में माना जा सकता है ii. सरोगेट मां के लिए एक उचित मजदूरी की व्यवस्था बनाने के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1923 के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी नीति / मुआवजा नीति की अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सरोगेसी उद्योग में जैविक और भावनात्मक श्रम की मजदूरी तय करने की सीमा होगी। iii. मुआवजे का भुगतान करने की अवधि 12 महीने होनी चाहिए। iv. इसके अलावा, सूत्र की गणना करते समय निम्नलिखित अन्य विशिष्ट कारकों पर भी विचार किए जाने की जरूरत है; क. सरोगेट मां का स्वास्थ्य और जीवन बीमा ख. यदि सरोगेट को बिस्तर में सीमित रखा जाता है तो बच्चे की देखभाल एवं हाउस कीपिंग लागत। ग. यदि जरुरत हुई तो सरोगेट को मनोवैज्ञानिक सहायता। v. हालांकि भुगतान में एकरूपता होनी चाहिए परंतु गैर निवासी भारतीय और अन्य विदेशियों से उच्चतर भुगतान प्राप्त करना कुछ हद तक युक्तिसंगत प्रतीत होता है।	i. पिछले कॉलम में प्रस्तावित संशोधन पहले ही दिनांक 10 अप्रैल, 2010 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा जा चुका है। ii. आगे इसे मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया गया था कि इस तरह के संशोधन नियमावली में लाया जाना चाहिए न कि अधिनियम में क्योंकि अधिनियम में संशोधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। iii. एक सरोगेट मां को एक कुशल श्रमिक माना जाना चाहिए क्योंकि वह एक उत्कृष्टता के बराबर की श्रमिक है, जो न सिर्फ अपने शरीर को अपितु स्वयं की भावना को काम पर लगाती है, जिसे जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का निवर्हन के लिए सक्षम समझा जा सकता है। iv. भारत में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अनुसूचित कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं प्रवर्तन के लिए प्रावधान करता है। इसके अलावा, देश भर में कोई एक समान न्यूनतम मजदूरी दर नहीं है और यह एक नियमित नियोजन नहीं है, मुआवजे के स्तर को स्वास्थ्य, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लागत जैसे अन्य कारकों को ध्यान में रखना चाहिए।

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
		vi. संभावित फार्मूला = कुशल श्रमिक की प्रति माह न्यनतम मजदूरी × 12 माह × 5. विशिष्ट कारकों की लागत	v. प्रसव पूर्व और प्रसव पश्चात प्रक्रियाओं और देखभाल पर विचार करते हुए इस अवधि को 9 माह से बढ़ाकर 12 माह किया जाना चाहिए। vi. डॉक्टर एनआरआई, ओसीआई और अन्य विदेशी नागरिकों से दुरुपयोग / अतिप्रभार कर सकता है परंतु सरोगेट मां को अपना शुल्क प्राप्त नहीं होता है। इसलिए, एनआरआई, ओसीआई और अन्य विदेशी की कोशिश कर सकते हैं लेकिन सरोगेट मां से दुरुपयोग / पल्ला झुकना के लिए करते हैं उसकी बकाया राशि प्राप्त नहीं करता है। इसलिए, एनआरआई, ओसीआई और अन्य विदेशियों को सरोगेट मां से संबद्ध होना चाहिए।
16.	धारा 59 (19) (क) सरोगेट मॉ के पति की लिखित सहमति सरोगेट मां के सरोगेट मॉ की भूमिका निभाने से पूर्व प्राप्त करना आवश्यक होगा।	सरोगेट मां के पति की लिखित सहमति का विलोप कर दिया जाना चाहिए।	i. इस खंड को आर एंड एस प्रकोष्ठ द्वारा गलत उद्धृत किया गया है। सही प्रावधान उक्त विधेयक की धारा 60 (19) (क) है और इसे रिपोर्ट में सुधार किए जाने की जरूरत है। ii. सरोगेट महिलाओं के पति की सहमति की अनिवार्य आवश्यकता महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध है। विधवा, अविवाहित या अलग /बेसहारा महिलाओं को भी प्रस्तावित विधेयक के तहत कवर किया जा सकता है।

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
17.	धारा 60 (1) सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी के उपयोग से सरोगेसी कमीशानिंग करने वाले दंपति, और सरोगेट को एक सरोगेसी समझौता करना होगा, जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।		इस तरह के समझौते, धारा 25 (2) के दायरे में पड़ना चाहिए और विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 के तहत प्रवर्तित किया जा सकता है। यह पक्षकारों के हितों को संरक्षित करने पर लक्षित है।
18.	धारा 60 (2) (क) सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी के निष्पादन में हासिल गर्भधारण से संबंधित सरोगेट से संबंद्ध, बीमा, यदि उपलब्ध है, सहित सभी व्यय, गर्भावस्था की अवधि के दौरान और मेडिकल सलाह के अनुसार प्रसव कराने के पश्चात और जबतक बच्चा मेडिकल सलाह के अनुसार कमीशनिंग दंपति को सौंपने के लिए तैयार हो जाता है, सरोगेसी कमिशन करने वाले दंपति द्वारा वहन किया जाएगा।	i. बीमा कवर अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और कमीशन दंपति को सरोगेट मां के लिए बीमा लेना चाहिए। 'ii. गर्भावस्था की अवधि के दौरान और प्रसव के पश्चात सभी व्यय' इस अवधि को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और बेहतर हो यदि इसे प्रसव के पश्चात 3 माह होनी चाहिए।	
19.	धारा 60 (2) (ख) यदि गर्भावस्था के दौरान कोई परेशानी होती है (अर्थात् सगर्भता मधुमेह, पुराना उच्च रक्तचाप इत्यादि) जिसके उसके शेष जीवन काल तक बने रहने की संभावना, जो वह यह समुचित रूप से बीमा के अंतर्गत कवर होगा।	शब्द गर्भावस्था के दौरान बहुत अस्पष्ट है। गर्भावस्था के दौरान अवधि में प्रसव का समय शामिल होना चाहिए।	इस समय इसे स्पष्ट कर देना बाद के चरण के लिए सहायक होगा। कानून में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए।
20.	धारा 60 (3) (ख) सरोगेट मां को मुआवजे के उचित भुगतान एवं समझौते पर हस्ताक्षर करने से लेकर कमीशनिंग माता – पिता को इस बच्चा / इन बच्चे को सौंपने तक विभिन्न चरणों में इस धनराशि को सरोगेट मां के बैंक खाते में अंतरित करने के लिए यथोचित फार्मूला और तंत्र विकसित किया जाएगा।	i. सरोगेट मां के लिए एक उचित मजदूरी की व्यवस्था बनाने के लिए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1923 के अनुसार, न्यूनतम मजदूरी नीति / मुआवजा नीति की अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सरोगेसी उद्योग में जैविक और भावनात्मक श्रम की मजदूरी तय करने की सीमा होगी।	

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
		ii. इसके अलावा, सूत्र की गणना करते समय निम्नलिखित अन्य विशिष्ट कारकों पर भी विचार किए जाने की जरूरत है; क. सरोगेट मां का स्वास्थ्य और जीवन बीमा ख. यदि सरोगेट को बिस्तर में सीमित रखा जाता है तो बच्चे की देखभाल एवं हाउस कीपिंग लागत। ग. यदि जरुरत हुई तो सरोगेट को मनोवैज्ञानिक सहायता। iii. संभावित फार्मूला = कुशल श्रमिक की प्रति माह न्यूनतम मजदूरी x 12 माह x 5. विशिष्ट कारकों की लागत	
21.	धारा 60 (5) सरोगेट मां न्यूनतम तेईस वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष की उम्र की हमेशा ही विवाहित स्त्री होगी और जिसका न्यूनतम 3 वर्ष का कम से कम एक स्वयं का जीवित बच्चा होगा।	उन महिलाओं पर एक शर्त है जो सरोगेट मां होना चाहती हैं।	शर्तें निश्चित होनी चाहिए और इसे अस्पष्ट नहीं होना चाहिए।
22.	धारा 60 (5) (ख) बशर्ते कि सरोगेट मां के रूप में भूमिका निभाते हुए सरोगेट मां पर अधिकतम तीन चक्रों में दवा का प्रयोग किया जाएगा	यह प्रावधान फिर से अस्पष्ट है और यह निश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि दवा प्रयोग के किन '3 चक्रों' का उल्लेख किया जा रहा है और कितनी लंबी अर्वाध तक इन्हें सरोगेट मां पर उपयोग किए जाने की जरुरत है।	

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
23.	धारा 60 (6) कोई भी महिला जो सरोगेट मां की भूमिका निभाना चाहती हैं अथवा सरोगेट मां की भूमिका निभाने के लिए सहमत होती हैं, उनकी यथा विहित एचआईवी/एड्स सहित यौन संचरित अथवा अन्यथा रोग जैसे हृदयवाहिनी रोग, थाइरॉयड समस्या इत्यादि जिससे बच्चा, अथवा बच्चों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ सकता है, के लिए चिकित्सा जांच की जाएगी और उसे लिखित में यह घोषणा करना आवश्यक है कि उसने पिछले छः माह में कभी भी रक्त आधान अथवा रक्त उत्पाद प्राप्त नहीं किया है की मांग या एक किराए के रूप में कार्य करने के लिए सहमत चिकित्सकीय इस तरह के रोगों के लिए परीक्षण किया जाएगा, यौन संचारित या अन्यथा, एचआईवी / एड्स सहित के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, और अन्य सभी संचारी रोगों और शर्तों ऐसे कारणों से हृदय रोग, थायराइड की समस्या आदि के रूप में जो बच्चे या बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में पड़ सकता है, और लेखन कि वह पिछले छह महीने में एक रक्त आधान या रक्त उत्पाद नहीं प्राप्त हुआ है में घोषित करना चाहिए।	इस घोषणा का एक उचित प्रारूप होना चाहिए और इसे अंत में एक अनुसूची के रूप में दिया जाना चाहिए।	
	उक्त विधेयक की धारा 60 (19) (क)		यह खंड बच्चे के उत्तराधिकार के अधिकार पर चिंता जताता है क्योंकि किसी भी माता – पिता की मृत्यु के पश्चात जन्म लिए गए बच्चे कोई उत्तराधिकार अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेगा और इस प्रकार वैध संतान का दावा नहीं कर सकेगा। इसलिए इस विधेयक में उत्तराधिकार मुद्दे की जरुरत पर ध्यान देने की जरुरत है।

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
24.	धारा 60 (20) सरोगेट मां की सेवा प्राप्त करने वाले कमीशनिंग दंपति द्वारा सरोगेट को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाएगा कि वह / उनके लिए सरोगेट मां की भूमिका निभा रही है / उसने निभाई है।	इस प्रमाण पत्र का कम से कम दो गवाहों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और इसका न्यायालय द्वारा विधिवत अधिकृत नोटरी द्वारा नोटरी किया जाना चाहिए।	
25.	धारा 60 (21) (ग) (प) (ग) यदि भारत के प्रवासी नागरिक अथवा भारतीय मूल के नागरिक अथवा विदेशी नागरिक जिसने किसी भारतीय के साथ विवाहित है जो सरोगेसी कमीशन करता है, भारत के प्रवासी नागरिक अथवा भारतीय मूल के नागरिक अथवा भारतीय नागरिक से विवाहित विदेशी नागरिक सरोगेट को जन्मे बच्चे की डिलिवरी लेने में विफल रहता है तो स्थानीय अभिभावक बच्चे अथवा बच्चों की डिलिवरी लेने के लिए बाध्य होगा और बच्चा अथवा बच्चों को किसी दत्तक एजेंसी को सौंपने के लिए स्वतंत्र होगा, यदि कमीशनिंग पक्ष अथवा उनका कानूनी प्रतिनिधि बच्चे अथवा बच्चो के जन्म के एक माह के अंदर दावा करने में विफल रहता है; (ग) यदि भारत का प्रवासी नागरिक अथवा भारतीय मूल का नागरिक जो किसी भारतीय से विवाहित है जो भारत में सरोगेसी कमीशन करता है और समझौते के समय हस्ताक्षरित बीमा कवरेज के अनुसार उन्हें	इक्कीस वर्ष की उम्र तक बच्चा अथवा बच्चों की कुशलता अथवा अनुरक्षण का ध्यान बीमा एजेंसी द्वारा रखा जाएगा, जिसका अगला कर्तव्य यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायालय संरक्षक और प्रतिपाल्यक अधिनियम, 1890 की धारा 7 के तहत ऐसे बच्चे के लिए एक संरक्षक नियुक्त करे। इस तरह के बच्चे के संरक्षण के लिए आवेदन उस अधिकार क्षेत्र के जिला न्यायालय में किया जाएगा जहाँ सरोगेट मां सामान्य रूप से रहती है।	इससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे का उस प्रारंभिक अवधि से ही ध्यान रखा जाएगा जब से भारत के प्रवासी नागरिक अथवा भारतीय मूल का नागरिक अथवा किसी भारतीय नागरिक से विवाहित विदेशी नागरिक जो भारत में सरोगेसी कमिशन करता है, द्वारा परित्यक्त माना जाता है और वह बच्चा अथवा बच्चों का अभिरक्षण लेने में विफल रहता है।

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
	जन्मे बच्चे अथवा बच्चों /बच्चे को अपने अभिरक्षण में नहीं लेता है, इक्कीस वर्ष की उम्र तक बच्चा, अथवा बच्चों की कुशलता अथवा अनुरक्षण का ध्यान बीमा एजेंसी द्वारा रखा जाएगा।		
26.	धारा 60 (23) किसी कमीशन दंपति को किसी भी समय में एक से अधिक सरोगेसी की सेवा नहीं लेगा।	इस प्रावधान के उल्लंघन के लिए एक विशिष्ट सजा निर्धारित किया जाना चाहिए और इसे एक अपराध घोषित किया जाना चाहिए।	
27.	धारा 60 (28) सहायता प्राप्त तकनीक बैंक एक कानूनी प्रतिनिधि और सरोगेट मां के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा और उसकी ओर से सहायक प्रजनन तकनीक बैंक कोई भी कानूनी लड़ाई निःशुल्क लड़ेगा, यदि सरोगेसी समझौते के दौरान ऐसी स्थिति आती है।	सहायता प्राप्त तकनीक बैंक एक कानूनी प्रतिनिधि और सरोगेट मां के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करेगा और उसकी ओर से सहायक प्रजनन तकनीक बैंक सरोगेट मॉ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने हेतु, यदि उत्पन्न होता है, एक अधिवक्ता नियुक्त करेगा, यदि सरोगेसी समझौते के दौरान ऐसी स्थिति आती है।	सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंक के स्वयं के पास कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करने का प्राधिकार नहीं होता है और इसलिए, यदि जरुरत होती है तो सरोगेट मां के लिए एक कानूनी सलाहाकार नियुक्त करने की जरुरत है।
28.	धारा 60 (30) ऐसी परिस्थितियों में जब प्रसव के समय सरोगेट मां की जिंदगी खतरे में हो तब अजन्मे बच्चे के सापेक्ष सरोगेट मां की जिंदगी की रक्षा की जाएगी और सरोगेट मां को उस समझौते के अंतर्गत इस प्रकार की शर्त के अधीन यथा सहमत पूरा भुगतान किया जाएगा।	इस तरह के कृत के लिए एक विशिष्ट सजा निर्धारित किया जाना चाहिए और इसे एक अपराध घोषित किया जाना चाहिए।	

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
29.	धारा 60 (31) न्यूनतम मुआवजा भारत के एक प्रवासी नागरिक या भारतीय मूल कार्डधारक, गैर निवासी भारतीय और भारतीय नागरिक से विवाहित विदेशी नागरिक द्वारा एक सरोगेट मां को भुगतान किया जाने वाला मुआवजा ,भारतीय कमीशनिंग दंपति द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे से भिन्न होगा।	एक सरोगेट मां को भुगतान किया जाने वाला न्यूनतम मुआवजा निर्धारित किया गया है और प्रस्तावित संशोधनों को पहले ही 10 अप्रैल 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजा गया है (कृपया विधिक प्रकोष्ठ की विशिष्ट टिप्पणी / सुझाव की बिन्दु सं 14 का संदर्भ लें) इस राशि में प्रसव पूर्व और साथ ही प्रसव पश्चात का पूरा खर्च शामिल होना चाहिए। इसके अलावा, निम्नलिखित अन्य विशिष्ट कारक पर भी विचार किए जाने की जरुरत है; क. सरोगेट मां का स्वास्थ्य और जीवन बीमा ख. यदि सरोगेट को बिस्तर में सीमित रखा जाता है तो बच्चे की देखभाल एवं हाउस कीपिंग लागत। ग. यदि जरुरत हुई तो सरोगेट को मनोवैज्ञानिक सहायता।	न्यूनतम मुआवजा 'निर्धारित' करने की कार्रवाई यह सुनिश्चित होता है कि कमीशनिंग दंपति द्वारा सरोगेट मॉ का शोषण नहीं हो रहा है।
30.	धारा 61 (3) यदि दोनों पक्षकारों द्वारा सहायता प्राप्त् प्रजनन प्रौद्योगिकी उपचार के लिए सहमति देने के पश्चात परंतु बच्चा अथवा बच्चों के जन्म लेने से पूर्व विवाहित दंपति अलग हो जाते हैं या उनका तलाक हो जाता है, जैसा भी मामला हो, बच्चा या बच्चे वैध संतान होंगे अथवा उस दंपति के संतान होंगे।	इस प्रावधान में कानून के अनुसार बच्चे का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई का उल्लेख जरुर होना चाहिए।	इससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे का कल्याण सुनिश्चित है और उसका अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है।

क्र.सं.	एआरटी (विनियमन) विधेयक, 2014 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्ति/औचित्य
31.	धारा 61 (7) यदि भारत का प्रवासी नागरिक, भारतीय मूल के लोग और किसी भारतीय से विवाहित विदेशी नागरिक भारत में शुक्राणु अथवा अंडाणु दान अथवा सरोगेसी प्राप्त करता है और इसके परिणामस्वरूप बच्चा या बच्चों का जन्म होता है, तो बच्चा या बच्चे, भारत में जन्म लेने के बावजूद भारत के नागरिक नहीं होगा/ होंगे परंतु नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7क के तहत भारत के प्रवासी नागरिक का हकदार होगा / होंगे।	यह प्रावधान धारा 60 (21) (ग) (प) (ग) के साथ अतिव्यापी है। धारा 61 (7) में हम इस तरह के एक बच्चे को नागरिकता नहीं देते हैं और फिर धारा 60(21) (ग) (प) (ग) में हम बीमा एजेंसी नियुक्त (करते हैं जो 21 वर्ष की उम्र तक बच्चा अथवा बच्चों के कल्याण अथवा अनुरक्षण का ध्यान रखेगी। इसलिए, कानूनों का अतिव्यापन है और इसे स्पष्ट करने की जरुरत है।	
32.	धारा 62 (1) एक बच्चा या बच्चे, अठारह वर्ष की उम्र पूरा करने पर, व्यक्तिगत पहचान को छोड़कर, दानी अथवा सरोगेट से संबंधित सूचना मांग सकता है।		इस सूचना के अनुरक्षण के लिए प्राधिकार और यथोचित सेवाओं जैसे मामलों के लिए परामर्श जैसी सेवाओं के साथ सुसाध्य करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

सरोगेसी के संबंध में बालक / कमीशनिंग माता-पिता से संबंधित मुद्दे :-

1. एटीआर (विनियमन) बिधेयक, 2014 को विरोधाभासी उपबंधों से दूर रहने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112, अभिभावकता एवं प्रतिपाल्यक अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों से जोड़ा जाए।
2. प्रस्तावित विधेयक में बच्चे को कम से कम छह माह तक स्तनपान कराने के मुद्दे का समाधान नहीं किया गया। इन चिंताओं की जांच की जानी चाहिए और उपयुक्तारूप से समाविष्ट किया जाना चाहिए।

सरोगेट मां से संबंधित मुद्दे :-

i. सुविज्ञ सहमति की सूचना तक पहुंच सुपरिभाषित की जाए। परामर्श का प्रावधान और इसे प्रमाणित करने के लिए उत्तरदायी उपयुक्त एजेंसी को शामित किया जाए।

ii. सरोगेट एवं कमीशनिंग माता के लिए प्रसूति अवकाश का प्रावधान अपेक्षित है।

iii. प्रसवोत्तर एवं दीर्घकालिक प्रभाव के लिए बीमा कवर से संबंधित उपबंधों को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। बीमा को लागू करने वाले प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाए।

iv. बीमा को, विशेषकर गर्भ के समय से पूर्व गर्भपात होने के मामले में, स्पष्टरूप से परिभाषित नहीं किया गया इसलिए, इस मामले का विधेयक में समाधान किया जाए।

अनुलग्नक–IV

मानव तस्करी (रोकथाम) विधेयक, 2016

एक अंतर–मंत्रालयी समिति की बैठक 17 फरवरी,, 2016 को आयोजित की गयी थी, जिसमें मानव तस्करी से संबंधित मसौदा कानून की एक अद्यतन प्रतिलिपि सभी सदस्यों को परिचालित की गयी थी। मानव तस्करी निरोधक मसौदा विधेयक, 2016 की विधिवत जांच की गयी। मानव तस्करी विधेयक, 2016 पर निम्नलिखित टिप्पणियां / सुझाव / सिफारिश प्रस्तुत की जाती हैं :–

क्र.सं.	मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2016 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्तियाँ / औचित्य
1.	इस विधेयक का शीर्षक मानव तस्करी निरोधक विधेयक, 2016 है	विधेयक का शीर्षक है, मानव तस्करी (रोकथाम, निषेध और पुनर्वास) विधेयक 2016 को बदला जाना चाहिए।	इस विधेयक का उद्देश्य न केवल मानव तस्करी को रोकना होना चाहिए अपितु इस कार्य का निषेध एवं पीडितों का पुनर्वास भी होना चाहिए।
2.	उद्देश्यों एवं कारणों का कथन	यह सुझाव दिया जाता है कि उद्देश्यों और कारणों का कथन होना चाहिए	इस विधेयक की कार्यप्रणाली की समीक्षा से संकेत मिलता है कि तस्करी से बचे हुए लोग, विशेषकर बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है।
3.	धारा 2 (1 घ) मूल तात्विक समर्थन का तात्पर्य और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, परामर्श और पोषण आवश्यकता शामिल हैं।	इस परिभाषा में व्यावसायिक प्रशिक्षण को शामिल किया जाना चाहिए	इस परिभाषा को पीड़ित को उनके जीवन स्वतंत्र रूप से पुनः शुरु करने के लिए उनकी सहायता कर उनके जीवन को सशक्त बनाने और संरक्षित करने पर भी लक्षित होना चाहिए।
4.	धारा 2 (1ङ) जबरन नियोजन'' का अभिप्राय है पहले से एक अन्य अवैध व्यापारी के बकाया ऋण को बट्टे खाते डालने के लिए किसी व्यक्ति जिसके ऊपर तस्करी कारित किया गया है, के नियोजन के लिए किसी अन्य अवैध व्यापारी को बाद के भुगतान के वादे के प्रयोजन से शोषण हेतु उस व्यक्ति के नियोजन का कोई प्रकार।	इस परिभाषा को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए।	वर्तमान परिभाषा अनेकार्थी और अस्पष्ट है

क्र.सं.	मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2016 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्तियाँ / औचित्य
5.	धारा 2 (1 ज) कोड का अभिप्राय है दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	शब्द कोड में भारतीय दंड संहिता 1860 को भी शामिल किया जाना चाहिए।	
6.	धारा 2 (1ठ) मानव तस्करी' का अभिप्राय है भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 370 में यथा परिभाषित अपराध। स्पष्टीकरण 1 – अभिव्यक्ति शोषण में शारीरिक शोषण का कोई भी कृत्य या किसी भी स्वरूप का यौन शोषण, गुलामी या गुलामी के समरूप कोई प्रथा, दासता, अथवा अंगों का मजबूरन विच्छेदन शामिल होगा।	मानव तस्करी का अभिप्राय है, धमकी अथवा बल प्रयोग से अथवा अन्य किसी प्रकार के अवपीड़न से, अपहरण कर, धोखेधड़ी से, कपट से, शक्तियों के दुरुपयोग से अथवा अरक्षितता की स्थिति का फायदा लेकर अथवा भुगतान देकर या प्राप्त कर अथवा एक व्यक्ति को जिसका किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण है को लाभ देकर उसकी सहमति लेकर शोषण के प्रयोजन से व्यक्तियों की भर्ती, परिवहन, स्थानांतरण, शरण अथवा प्राप्ति (जीवित या मृत) है।	आज के समय में न केवल उस व्यक्ति की तस्करी की जाती है जो जिंदा है अपितु मृतकों का भी भयावह व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
7.	धारा 2 (11) (2) सजा में वृद्धि क. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक अवसर पर मानवों की तस्करी के अपराध का दोषी पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 15 साल के कारावास का दंड दिया जाएगा परंतु इसे आजीवन कारावास और जुर्माने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।	इस प्रावधान की फिर से जांच करने की आवश्यकता है। कैद करने की व्यवस्था के साथ सामुदायिक सेवा जिसमें अपराधी पर उसके कुकृत्य के लिए जिम्मेदारी उत्पन्न होती है, इसलिए दोषी से उगाही गयी निधि को इस अधिनियम के अंतर्गत यथा उल्लिखित निधि में जमा कराया जाएगा। यह जुर्माना 50 लाख रुपए तक हो सकता है।	सामुदायिक सेवा अपराधी को उसके द्वारा कारित अप्रत्यक्ष चोट को प्रथम दृष्टया देखने का अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, अपराधी को उसके अपराध द्वारा कारित चोटों को रचनात्मक, सकारात्मक सुधार साधन उपलब्ध होता है। यह सरकार एवं गैर लाभ संगठनों के लिए एक जबर्दस्त संसाधन हो सकता है। सामुदायिक सेवा का जोर न सिर्फ दंड पर होता है अपितु इसका जोर जवाबदेही पर भी होता है। हमारे देश में ज्यादातर सजा, अपराध करने से रोकने के लिए होता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आरोपी को न सिर्फ कैद किया जाना चाहिए अपितु दंड ऐसे स्वरूप में होना चाहिए जिसमें, पीड़ित को वित्तीय सहायता देकर उसके चोट का प्रतिकार होना चाहिए।

क्र.सं.	मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2016 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्तियाँ / औचित्य
8.	धारा 2 (1 त) दासता का अभिप्राय है अनैच्छिक बंधन,	इसमें शब्द जबरिया श्रम भी शामिल किया जाना चाहिए।	
9.	धारा 2 (1थ) यौन शोषण में जबरिया वेश्यावृत्ति, सेक्स गुलामी, सेक्स पर्यटन और अश्लील साहित्य सहित किसी व्यक्ति का शोषण शामिल होगा। इसमें एक ऐसी स्थिति भी शामिल होगी जिसमें किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के मौद्रिक लाभ के, क्षतिपूर्ति, अथवा अनुग्रह अथवा किसी अन्य व्यवस्था के लिए अवपीडन में अप्रत्यक्ष या शारीरिक रूप से, अथवा अखबार, इलेक्ट्रॉनिक, इंटरनेट सहित किसी मीडिया प्रारूप के माध्यम से यौनिक तरीके से दिखाया जाता है, जिससे किसी व्यक्ति को ऐसे कृत्य से गैर कानूनी लाभ होता है।	शब्द 'पाशविकता' शामिल करने और शब्द जबरिया वेश्यावृत्ति का विलोप करने के लिए।	सभी प्रकार के अप्राकृतिक यौन को शामिल करना है, इसलिए शब्द 'पाशविकत्ता' का सुझाव दिया जाता है। शब्द जबरन वेश्यावृत्ति पहले से ही आईटीपीए में शामिल है और इससे विधानों का अतिव्यापन हो जाएगा।
10.	धारा 2 (1प) "पीड़ित" की नई प्रस्तावित परिभाषा	पीड़ित शब्द को परिभाषित करने के लिए, "पीड़ित" का अभिप्राय है वह व्यक्ति, जिसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, शारीरिक अथवा मानसिक नुकसान, भावनात्मक पीड़ा, आर्थिक हानि अथवा आपराधिक कानून के उल्लंघन में कृत्यों अथवा चूकों के माध्यम से उसके मौलिक अधिकारों का वास्तविक हनन सहित, हानि उठाना पड़ा है। एक व्यक्ति को पीड़ित माना जा सकता है चाहे अपराधी की पहचान हुई हो या नहीं, पकड़ा गया है या नहीं, अभियोजित हुआ है या नहीं अथवा दोषसिद्ध हुआ है या नहीं, इस बात के अनपेक्ष कि अपराधी	सुझाई गयी परिभाषा के अनुसार यह बिना किसी प्रकार के भेद जैसे नस्ल, रंग, लिंग, उम्र, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक अथवा अन्य मत, सांस्कृतिक मान्यताएं अथवा प्रथाएं, संपत्ति, जन्म अथवा परिवार, ओहदा, नस्लीय अथवा सामाजिक मूल, एवं अक्षमता के, सभी पर लागू होगा ताकि मानवों की तस्करी को रोका एवं निषेध किया जा सके।

क्र.सं.	मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2016 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्तियाँ / औचित्य
		और पीड़ित के बीच पारिवारिक संबंध है'' शब्द पीड़ित में, जहां उपयुक्त हो, मूल परिवार अथवा प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित के आश्रित एवं वे व्यक्ति जिसने आपदाग्रस्त पीड़ित की सहायता करने के लिए हस्तक्षेप करने में अथवा अत्याचार को रोकने में हानि सहा है, शामिल है।	
11.	धारा 2 (1फ) "मानव" की नई प्रस्तावित परिभाषा	शब्द मानव को परिभाषित करना, पुरुष, स्त्री, बच्चे और अन्य, जीवित अथवा मृत सहित होमो सेपियंस प्रजातियां। अपवाद चिकित्सा प्रयोजन	मानव शब्द को परिभाषित किए जाने की जरुरत है, क्योंकि इस विधेयक का शीर्षक 'मानव तस्करी निरोधक विधेयक, 2016 है।
12.	धारा 3, अपराध एवं दंड जो कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अपराध पक्रिया में शामिल होने का प्रयास करता है अथवा जानबूझकर इसमें सहायता करता है अथवा जानबूझकार इसमें एक पक्षकार है अथवा वास्तविक रूप से इसमें शामिल है।	निम्नलिखित को शामिल करने का प्रस्ताव किया जाता है ... *'या यह विश्वास करने का कारण है कि वह कृत्य जिसमें वह सहायता दे रहा है, सहारा दे रहा है, मदद कर रहा है अथवा शामिल है, इस प्रकृति का है जैसा इस अधिनियम में "उल्लिखित है''*	
13.	धारा 6 (ग) मानव तस्करी जांच एजेंसी कानूनी एजेंसियों, मानव तस्करी रोधी इकाईयों एवं अभियोजन कर्मियों को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण, संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी और राज्यों / संघ क्षेत्रों को जॉच में मदद करेगी, यदि वे ऐसा चाहते हैं। (च) यह एजेंसी पीडितों के बचाव, पुनर्वास और निरोधक कार्रवाई के लिए नामित एजेंसियों के साथ भी समन्वय स्थापित कर सकता है।	मानव तस्करी जांच एजेंसी कानूनी एजेंसियों, मानव तस्करी रोधी इकाईयों एवं अभियोजन कर्मियों को तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण, संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएगी और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को जांच में में मदद कर सकती है। शब्द "निषेध" जोड़ा जाना है।	चूंकि यह शब्द ''करेगी'' भेदभावपूर्ण है, इसे शब्द ''कर सकती है'' से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	मानव तस्करी रोकथाम विधेयक 2016 की धारा	प्रस्तावित सुझाव	अभ्युक्तियाँ / औचित्य
14.	धारा 9. राष्ट्रीय सलाहकार निकाय (एनएबी) – राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से एवं राज्यों से सदस्य होंगे (प्रत्येक क्षेत्र से कम से कम दो सदस्य) जो रोटेशन के आधार पर और वर्णमाला के क्रम में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, एक प्रतिनिधि संघ क्षेत्र से रोटेशन आधार पर होगा, रोटेशन के आधार पर संघ राज्य क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि और गैर सरकारी संगठनों / पेशेवरों से चार सदस्य होंगे, जिनका मानव तस्करी के मामलों में काम करने की अभिरूचि होगी।	यह सुझाव दिया जाता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का भाग होना चाहिए।	
15.	धारा 10 राज्य सलाहकार निकाय (एसएबी) – प्रत्येक राज्य / संघ क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य सलाहकार निकाय होगी, जिसमें राज्य सरकार के अधिकारी और नागरिक समाज संगठनों के 4–5 सदस्य होंगे।	राज्य महिला आयोग को राज्य सलाहकार निकाय का एक भाग बनाया जाना चाहिए।	
16.	धारा 13. गोपनीयता जहां कहीं भी यह आवश्यक प्रतीत होगा, राज्य सरकार पीडित के ठिकाने को गोपनीय रखेगी।	जहां कहीं भी यह आवश्यक प्रतीत होगा, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, एनएबी, एसएबी, पीड़िता के ठिकानों को गोपनीय रखेगी।	

अनुलग्नक–V

कानूनी जागरूकता कार्यक्रम

01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी) आयोजित करने वाले संगठनों की राज्य–वार सूची

क्र. सं.	गैर–सरकारी संगठनों / संगठनों / संस्थानों का नाम और पता	जागरूकता विकास कार्यक्रमों की संख्यां / महत्वर वाले क्षेत्र तथा आयोजन स्थरल	संस्वीतकृत राशि (रूपयों में)
आंध्र प्रदेश			
1.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य महिला आयोग, हैदराबाद, आं.प्र.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में बारह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	12,00,000/-
अंडमान व निकोबार			
1.	जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान व निकोबार	पोर्ट ब्लेययार में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	2,00,000/-
छत्तीसगढ़			
3.	संस्कार ज्ञान पीठ शिक्षण समिति, बिलासपुर, म.प्र.	बिलासपुर में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
दिल्ली			
4.	विधि संकाय, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	दिल्ली में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	5,00,000/-
5.	रंजना रॉयल शैक्षणिक कल्याण एवं सांस्कृतिक एसोसिएशन, दिल्ली	दिल्ली में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
गुजरात			
6.	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गांधी नगर, गुजरात	गांधी नगर में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	2,00,000/-
7.	गुजरात राज्य महिला आयोग, गांधी नगर, गुजरात	गांधी नगर में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	5,00,000/-

हरियाणा			
8.	विधि विभाग, एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	रोहतक में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
झारखंड			
9.	झारखंड राज्य महिला आयोग, रांची, झारखंड	रांची में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	5,00,000/-
केरल			
10.	केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, कोची, केरल	मलाप्पुरम, तिरुवनन्तपुरम में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	2,00,000/-
कर्नाटक			
11.	कल्चरल एक्शन फॉर रूरल डवलपमेंट, बैंगलुरु देहात, कर्नाटक	बैंगलुरु में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
महाराष्ट्र			
12.	लोकसेवा महिला युवक व बालविकास सेवाभावी संस्था, सोलापुर, महाराष्ट्र	सोलापुर में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
13.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर, मुम्बई, महाराष्ट्र	मुंबई, थाणे एवं यवतमाल में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	3,00,000/-
पंजाब			
14.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भठिन्डा, पंजाब	भठिन्डा में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	3,00,000/-
राजस्थान			
15.	कनोडिया पी.जी. महिला महाविद्यालय, जयपुर, राजस्थान	जयपुर में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
16.	प्रबंधन अध्ययन एवं विधि संकाय, बनस्थली विद्यापीठ, टोंक, राजस्थान	टोंक में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	4,00,000/-

17.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर, राजस्थान	अलवर में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
18.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर, राजस्थान	श्रीगंगानगर में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
19.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर, राजस्थान	उदयपुर में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
तेलंगाना			
20.	महात्मा गांधी अनुसंधान एवं सामाजिक कार्रवाई राष्ट्रीय संस्थान (एमजीएनआईआरएसए), हैदराबाद, तेलंगाना	निजामाबाद, मेडक एवं नालगोन्डा में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	3,00,000/-
तमिलनाडु			
21.	भरतहरि विश्वविद्यालय, नीलगिरि, तमिलनाडु	निजामाबाद, मेडक एवं नालगोन्डा में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	2,00,000/-
22.	नन्दा इंजीनियरिंग कालेज, इरोड, तमिलनाडु	इरोड में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1.00,000/-
उत्तर प्रदेश			
23.	एमिटी विधि स्कूल, एमिटी विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.	उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान एवं उत्त,र प्रदेश में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	5,00,000/-
24.	नेशनल पी.जी. कालेज, लखनऊ, उ.प्र.	लखनऊ एवं उन्नाव में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में छह कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	6,00,000/-
25.	मानव सेवा आश्रम वनौषिधि ग्रामोद्योग संस्थाश, सहारनपुर, उत्त,र प्रदेश	सहारनपुर में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
26.	वैश्नव नारी सेवा संस्थान, सीतापुर, उ.प्र.	सीतापुर में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	2,00,000/-

27.	एचएमयू हाशमी विधि कालेज, अमरोहा, उ.प्र.	अमरोहा में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में दो कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	3,00,000/-
28.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय, अलीगढ़, उ.प्र.	अलीगढ़ में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में पांच कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	5,00,000/-
29.	बरेली कालेज, बरेली, उ.प्र.	बरेली में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
पश्चिम बंगाल			
30.	विश्व भारती विश्वविद्यालय, बीरभूमि, प.बं.	बीरभूमि में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में तीन कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	3,00,000/-
31.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हुगली, प.बं.	हुगली में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
32.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जलपाईगुड़ी, प.बं.	जलपईगुड़ी में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
33.	ताराशंकर पंचग्राम सेवा समिति, बीरभूमि, प.बं.	बीरभूमि में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में चार कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	2,00,000/-
34.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तरी 24 परगना, प.बं.	उत्तरी 24 परगना में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
35.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नादिया, प.बं.	नादिया में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
36.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुर्शीदाबाद, प.बं.	मुर्शीदाबाद में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-
37.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोलकाता, प.बं.	कोलकाता में महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	1,00,000/-

संगठनों की राज्य-वार सूची जिन्हों ने 01 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (एलएपी – विधायी प्रकोष्ठ) आयोजित किए

क्र. सं.	राज्यों के नाम	सीएएमपी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	12
2	अंडमान व निकोबार	2
3	छत्तीसगढ़	2
4	दिल्ली	7
5	गुजरात	7
6	हरियाणा	1
7	झारखंड	5
8	कर्नाटक	2
9	केरल	2
10	महाराष्ट्र	5
11	पंजाब	3
12	राजस्थान	8
13	तेलंगाना	3
14	तमिलनाडु	3
15	उत्तर प्रदेश	25
16	पश्चिम बंगाल	13
	कुल	100

अनुलग्नक–VI

वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित संगोष्ठियों / कार्यशालाओं / सम्मेलनों की सूची

क्र. सं.	गैर–सरकारी संगठनों / संस्थाओं की सूची	शीर्षक	संस्वीकृत राशि (रूपयों में)
1.	सामाजिक सांस्कृतिक समिति, बलिया, उत्तर प्रदेश	"भारतीय राजनीति में महिलाओं के सामने आ रही विसंगतियां और भेदभाव" पर संगोष्ठी	2,00,000/-
2.	भारतीय महिला उद्यमी संघ, नई दिल्ली	"लघु एवं मध्यम उद्यमियों पर विशेष ध्यान के साथ महिला उद्यमी, चुनौतियां और समाधान" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
3.	अक्कई पॉलीक्राफ्ट एसोसिएशन, लखनऊ	लघु एवं मध्यम उद्यमियों पर विशेष ध्यान के साथ महिला उद्यमी, चुनौतियां और समाधान" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
4.	शिवम जनकल्याण शिक्षा समिति, बरेली, उत्तर प्रदेश	"हथकरघा बुनाई क्षेत्र / हौजरी उद्योग में महिलाओं की स्थिति" पर संगोष्ठी	1,00,000/-
5.	समाज कल्याण एवं विकास संगठन, दुमका, झारखंड	"महिला खिलाड़ियों के सामने आ रही समस्याएं और चुनौतियां" पर संगोष्ठी	1,00,000/-
6.	जालना ग्रामीण विकास सोसायटी, चिकबल्लासपुर, कर्नाटक	"तेजाब हमला – परिणाम एवं पीड़ितों का पुनर्वास, कार्यक्षेत्र एवं उपाय" पर संगोष्ठी	1,00,000/-
7.	जनता वैदिक शिक्षा एवं सेवा संस्थान, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश	"उ.प्र. राज्य में चुनाव प्रक्रिया के बारे में महिलाओं की जागरूकता" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
8.	नवजीवन ग्रामीण विकास सोसायटी, आंध्र प्रदेश	"असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों और सामाजिक–आर्थिक उपायों का प्रवर्तन" पर संगोष्ठी	2,00,000/-
9.	धरती फाउण्डेशन, नई दिल्ली	"मध्य–पूर्व भारत के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में वंचित महिलाओं, अविवाहित माताओं और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के जनतांत्रिक अधिकार और मौजूदा स्थिति" पर संगोष्ठी	2,00,000/-
10.	उल्हास फाउंडेशन, नई दिल्ली	"महिलाओं का वैवाहिक संपत्ति का अधिकार" पर संगोष्ठी	1,00,000/-

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठनों / संस्थाओं की सूची	शीर्षक	संस्वीकृत राशि (रूपयों में)
11.	अक्का महादेवी महिला मंडल, बीदर, कर्नाटक	"शहरी एवं ग्रामीण महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण के बारे में जागरूकता विकास" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
12.	यूनिक विकास संस्थान, लखनऊ	"अक्षम महिलाओं के सामने सेवाओं और शिक्षा तक पहुंच में आ रही बाधाएं" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
13.	डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर ग्रामीण विकास सोसायटी, कर्नाटक	"शहरी एवं ग्रामीण महिला श्रमिकों का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न" पर संगोष्ठी	1,00,000/-
14.	एक्शन रिसर्च फॉर हैल्थ एंड सोशियो इकोनोमिक डवलपमेंट, ओडिशा	"ईएमई क्षेत्र में महिला उद्यमियों के सामने आ रही समस्याएं" पर संगोष्ठी	1,00,000/-
15.	मानव उत्थान सोसायटी, देहरादून, उत्तराखंड	"शैक्षणिक संस्थानों / सार्वजनिक स्थानों और परिवहन आदि में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
16.	मदुरै अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, तमिलनाडु	"शैक्षणिक संस्थाओं / सार्वजनिक स्थानों और परिवहन आदि में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
17.	अरुणोदय, आंध्र प्रदेश	"आंध्र प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूचना की पहुंच के माध्यम से महिला सशक्तीकरण में वृद्धि करना" पर संगोष्ठी	98,748/-
18.	पीश रिकन्सोइलेशन मिनिस्ट्रीज, आध्र प्रदेश	"महिलाओं एवं लड़कियों के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थलों की आयोजना और अभिकल्पना" पर संगोष्ठी	1,00,000/-
19.	जीवन विकास संस्थान, महाराष्ट्र	"सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण और इसका महिलाओं पर प्रभाव" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
20.	आवाज – ए – निसवान, मुम्बई	"मुस्लिम महिलाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन" पर संगोष्ठी	2,18,600/-
21.	शिक्षा एवं ग्रामीण विकास सोसायटी, तमिलनाडु	"अक्षम महिलाओं द्वारा सेवाओं एवं शिक्षा तक उनकी पहुंच में सामने आ रही बाधाएं" पर संगोष्ठी	1,90,300/-
22.	जीएचजी खालसा कालेज, लुधियाना, पंजाब	"महिला सशक्तीकरण और सामाजिक विकास" पर संगोष्ठी	2,85,500/-
23.	रवीन्द्र नाथ टैगोर ग्रामोत्थान एवं शिक्षा प्रसार संस्थान, लखनऊ	"महिला सशक्तीकरण और सामाजिक विकास" पर संगोष्ठी	1,27,000/-
24.	स्वास्थ्य, कृषि एवं ग्रामीण विकास सोसायटी, आंध्र प्रदेश	"कौशल विकास, प्रशिक्षण और सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सतत आजीविका के अवसर" पर संगोष्ठी	2,01,000/-

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठनों / संस्थाओं की सूची	शीर्षक	संस्वीकृत राशि (रूपयों में)
25.	मां पूर्णा जन कल्याण संस्थान, उत्तर प्रदेश	"महिलाएं एवं पर्यावरणीय संवहनीयता : विधायी,प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे" पर संगोष्ठी	1,44,400/-
26.	राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण एवं सलाहकारी संस्था, जम्मू	"कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सशक्तीकरण : जेंडर संबधी सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का गंभीर विश्लेषण" पर संगोष्ठी	1,07,000/-
27.	सुन्दरबन ड्रीम्स, पश्चिम बंगाल	"महिलाएं एवं पर्यावरणीय संवहनीयता : विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दे" पर संगोष्ठी	1,73,200/-
28.	हस्तक्षेप कल्याण समाज सोसायटी, मध्य प्रदेश	"एकल महिलाओं और कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं से संबंधित मुद्दे" पर संगोष्ठी	2,00,600/-
29.	महिला अध्ययन विभाग, अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	"सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा एवं संरक्षा : आयोजना एवं तंत्र अभिकल्पना" पर संगोष्ठी	2,00,000/-
30.	जेंडर अध्ययन केंद्र, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान	"भारत की महिलाओं क्षमता निर्माण : उद्यमशीलता और संपदा" पर संगोष्ठी	2,00,000/-
31.	राष्ट्रीय महिला संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	"दलित महिलाओं का सशक्तीकरण" पर संगोष्ठी	2,00,000/-
32.	महिला अध्ययन और अनुसंधान केंद्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल	"महिलाएं और अक्षमता : जीत एवं चुनौतियां" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
33.	हेमचन्द्रानचार्य उत्तर गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन, गुजरात	"शैक्षणिक संस्थाानों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न – निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
34.	उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, लखनऊ, उ.प्र.	"कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण – महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के निवारण का साधन" पर संगोष्ठी	2,41,000/-
35.	औडिशा राज्य महिला आयोग, भुवनेश्वर	"महिलाओं एवं लड़कियों के मानव रोधी दुर्व्यापार पर अंतरराज्यीय समन्वय" पर संगोष्ठी	3,00,000/-
36.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य महिला आयोग	"महिला प्रवासी / स्थानीय / घरेलू कामगारों के मुद्दे'' पर संगोष्ठी	2,52,000/-
37.	भरतियार इंजीनियरिंग संस्थान, तमिलनाडु	"जनजातीय महिलाओं के अधिकार की तुलना में वन भूमि" पर संगोष्ठी	43,500/-

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठनों / संस्थाओं की सूची	शीर्षक	संस्वीकृत राशि (रूपयों में)
38.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश	"महिलाओं का पाश्वीकरण – चुनौतियां और सशक्तीकरण की दिशा में पुर्वानुमान'' पर संगोष्ठी	3,00,000/-
39.	भरतियार इंजीनियरिंग संस्थान, तमिलनाडु	"अक्षम बालिकाओं की स्वास्थ्य, सेवाओं शिक्षा तक पहुंच" पर संगोष्ठी	42,500/-
40.	राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान	"महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए साधन के रूप में बीमा" पर संगोष्ठी	2,85,500/-
41.	शिक्षा एवं अनुसंधान कालेज, मुम्बई	"समानता, महिलाएं एवं विकास की ओर" पर संगोष्ठी	1,27,300/-
42.	होली क्रॉस प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, केरल	"अक्षम महिलाओं द्वारा शिक्षा एवं सेवाओं तक पहुंच में आरही बाधाएं" पर संगोष्ठी	2,85,500/-
43.	अमृता विश्वविद्यापीठम विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	"महिला मुखिया वाले परिवारों के मुद्दे एवं समस्याएं जब वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं।" पर संगोष्ठी	2,18,500/-
44.	मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक	"कौशल विकास के माध्यम से महिला सशक्ती करण, चुनौतियां और अवसर" पर संगोष्ठी	2,85,500/-

अनुलग्नक–VII

वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान / अध्ययनों की सूची

क्र. सं.	गैर–सरकारी संगठनों/ संस्थाओं की सूची	विषय	संस्वीकृत राशि (रूपयों में)
1.	आर्थिक विकास ट्रस्ट, साकेत नई दिल्ली	बिहार के सपौल जिले के गांवों में महिला साक्षरता के प्रभाव के अध्ययन	2,40,450/-
2.	सार्थक, 210, रोहिणी कम्लैक्स, डब्यूी – ए–107, शकरपुर, दिल्ली	दिल्ली में विमुक्त एवं खानाबदोश समुदायों की महिलाओं की सामजिक–आर्थिक स्थिाति	2,49,375/-
3.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), ट एन पूर्व मार्ग, साइन ट्रॉम्बे रोड, दकवनार, मुम्बटई – 400088	"कार्यस्थल पर जेंडर समानता का मानचित्रीकरण : भारत सरकार के कुछ विभागों का विशेष अध्ययन"	30,78,900/-
4.	श्रीनिवास बहु–उद्देशीय संस्था, "नयनतारा", 81, फूलमती ले आउट, जयवन्त नगर, गली नं. 5, एनआईटी गार्डन के पास, रामश्वरी रिंग रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव/यौन–इतर उत्पीड़न का सामना कर रही महिला कर्मचारियों पर अध्ययनः मध्या प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के संदर्भ में	3,27,075/-
5.	गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, 'अट्टालिका एवेन्यू', नोलेज कॉरीडोर, कोबा, गांधीनगर, गुजरात	प्रसूति सुविधा अधिनियम, 1961 और इसकी अन्य स्कीमों के साथ तुलना	3,75,900/-
6.	भारतीदसन यूनीवर्सिटी कान्टीसन ट्यूट कॉलेज, कुरुम्बलूर (पीओ), पेराम्बुर जिला, तमिलनाडु	कृषि पद्धतियों के विशेष संदर्भ में आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के लिए ग्रामीण महिलाओं में आईसीटी के उपयोग में चुनौतियों पर विशेष अनुभव व अन्य अनुसंधान	2,85,600/-
7.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बन्दाथसिन्दरी, एनएच–8, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान	उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) में लैंगिक पक्षपात : राजस्थान के राज्य विश्वविद्यालयों में जेंडर लेखा परीक्षा पर अध्ययन	3,33,900/-
8.	सामाजिक अनुसंधान केंद्र, 2, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसन्तकुंज, दिल्ली	महिलाओं का वित्तीय समावेशन – पूर्वोत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र में महिलाओं की बैंकिंग आवश्यकताएं, आदतें और पद्धतियां	4,27,350/-

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठनों/ संस्थाओं की सूची	विषय	संस्वीकृत राशि (रूपयों में)
9.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बन्दारसिन्दरी, एनएच–8, किशनगढ़, अजमेर, राजस्थान	वित्तीय समावेशन : राजस्थान की मुस्लिम महिला बुनकरों पर अध्ययन	2,45,700/-
10.	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं न्यूरो विज्ञान (निमहंस) बेंगलुरु, कर्नाटक	भारत के मनोरोग संस्थानों में भर्ती महिलाओं के सरोकारों का समाधानः एक गहन विश्लेषण	10,02,750/-
11.	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, कैम्पस पौड़ी, उत्तराखंड	उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में आहारीय पद्धतियों और महिलाओं की पोषण स्थिति उन्हें प्रभावित करने वाले कारकों का विश्लेषण : जिला पौड़ी गढ़वाल, टेहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग का अध्ययन	2,25,225/-
12.	उन्नत विधि अध्ययन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, एनयूएएलएस केम्पस, एचएमटी कालोनी डाकघर, कलामसेरी, कोची, केरल – 683503	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी : वे पीड़ितों को कितनी राहत देने में सफल रहे हैं	2,05,800/-
13.	भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली	"सकल घरेलू उत्पादन में महिलाओं की भागीदारी के मौद्रिक मूल्य के प्राक्कलन की संभावना तलाश करना	19,47,000/-
14.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, सैक्टर–29, गांधीनगर, गुजरात – 382030	जेंडर, जाति और हिंसा की प्रतीकात्मक अर्थव्यवस्था को समझाना : ओडिशा के बौध जिले का अध्ययन	3,21,300/-
15.	ईआरयू कन्सल्टेंट प्रा. लि., के–21, हौज खास एन्कलेव, तीसरा तल, नई दिल्ली–16	"महिला एवं बाल परामर्श के लिए विशेष पुलिस एकक (एसपीयूडब्यू एसी), दिल्ली पुलिस का मूल्यांकन	13,19,900/-
16.	महिला अध्ययन अनुसंधान केंद्र, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1, रेफ्रामेटरी स्ट्रीट, कोलकाता	सामाजिक बहिष्कार, ऋण तक पहुंच और महिला सशक्तीकरण	4,33,650/-
17.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), ट एन पूर्व मार्ग, साइन ट्रॉम्बे रोड, दकवनार, मुम्बई – 400088	भारत में मानव दुर्व्यापार पर राष्ट्रीय अनुसंधान	34,73,400/-
वर्ष 2015–16 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई अन्य पहलें			
18.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), ट एन पूर्व मार्ग, साइन ट्रॉम्बे रोड, दकवनार, मुम्बई – 400088	पंचायती राज महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण हेतु मॉड्यूल विकसित करना	9,00,000/-

क्र. सं.	गैर-सरकारी संगठनों/ संस्थाओं की सूची	विषय	संस्वीकृत राशि (रूपयों में)
19.	महिला एवं बाल विशेष पुलिस एकक, नानकपुरा, नई दिल्ली्	'हिंसा मुक्त घर– महिला का अधिकार' परियोजना का दिल्ली के सभी 11 जिलों में विस्तार	73,30,000/-
20.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस), ट एन पूर्व मार्ग, साइन ट्रॉम्बे रोड, दकवनार, मुम्बई – 400088	'हिंसा मुक्त घर– महिला का अधिकार' परियोजना का दिल्ली के सभी 11 जिलों में विस्तार के लिए तकनीकी सहायता	21,61,472/-
21.	टाटा समाज विज्ञान संस्थोन (टीआईएसएस), ट एन पूर्व मार्ग, साइन ट्रॉम्बे रोड, दकवनार, मुम्बई – 400088	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सहायता प्रदान की जाने वाली 'हिंसा मुक्त घर– महिला का अधिकार' परियोजना का अलग–अलग राज्यों में प्रतिरूप लागू करना	1,82,33,627/-

अध्याय-10

वार्षिक लेखे 2015-16

राष्ट्रीय महिला आयोग
तुलन पत्र (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार

(राशि रुपयों में)

पूंजीगत निधि एवं देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष			पिछला वर्ष		
		योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
पूंजीगत निधि	1	26,97,41,740.00	1,1370,323.00	28,11,12,063.00	22,45,38,839.00	38,79,540.00	22,84,18,379.00
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	--	--	--	--	--	--
निर्धारित / अक्षय निधि	3	--	--	--	---	---	---
सुरक्षित ऋण एवं उधारियां	4	--	--	--	---	---	---
असुरक्षित ऋण एवं उधारियां	5	--	--	--	---	---	---
आस्थिगत ऋण देयताएं	6	--	--	--	---	---	---
मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान	7	5,40,66,979.00	23,49,141.00	5,64,16,150.00	3,76,89,814.00	16,86,007.00	3,93,75,821.00
		32,38,08,719.00	**1,37,19,464.00**	**33,75,28,653.00**	**26,22,28,653.00**	**16,86,007.00**	**26,77,94,200.00**
परिसंपत्तियां							
स्थायी परिसंपत्तियां	8	23,63,29,785.00	--	23,63,29,785.00	2,17,98,662.00	---	2,17,98,662.00
निवेश - निर्धारित / अक्षय निधियों से	9	--	--	--	---	---	---
निवेश - अन्य	10	--	--	--	---	---	---
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	11	9,28,36,156.00	83,62,242.00	10,11,98,398.00	24,57,93,212.00	2,02,325.00	24,59,95,538.00
विविध व्यय		---	---	---	---	---	---
कुल		**32,91,65,941.00**	**83,62,242.00**	**33,75,28,183.00**	**26,75,91,875.00**	**2,02,325.00**	**26,77,94,200.00**
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां	24						
आकिस्मिक देयताएं एवं लेखा टिप्पणियां	25						

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष

(राशि रुपयों में)

	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
आय					
बिक्री / सेवाओं से आय	12	---	---	---	---
अनुदान / सहायिकी	13	16,22,65,390.00	5,14,76,000.00	21,78,74,796.00	4,79,40,000.00
शुल्क / अभिदान	14	---	8,505.00	---	10,898.00
निवेश से आय (निवेश पर आय, निधियों में अंतरित निर्धारित / अक्षय निधियों से आय)	15	---	---	---	---
रॉयल्टी / प्रकाशन आदि से आय	16	---	---	---	---
अर्जित ब्याज	17	20,57,848.00	5,74,691.00	12,13,427.00	2,50,270.00
अन्य आय	18	27,95,311.00	67,958.00	35,51,378.00	5,96,474.00
तैयार वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)		---	---	---	---
तैयार वस्तुओं एव प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	19	---	---		
पिछले वर्ष का समायोजन अन्य आय (2008-09 से 2011-12 तक भवन पर प्रभारित मूल्यह्रास)		---	---	---	---
कुल (क)		**16,71,18,549.00**	**5,21,27,094.00**	**22,26,39,596.00**	**4,87,97,642.00**
व्यय					
स्थापना व्यय	20	1,47,19,825.00	2,72,21,573.00	1,36,35,039.00	3,33,59,767.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	5,36,27,483.00	1,74,14,738.00	2,70,53,840.00	1,91,23,480.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय	22	7,33,79,489.00	---	3,94,44,036.00	---
ब्याज	23	---	---	---	---
मूल्यह्रास (वर्ष की समाप्ति पर निवल कुल)		21,04,600.00	---	24,06,613.00	---
स्थायी संप्पतियों की विक्रय पर हानि		1,62,861.00	---	---	---
कुल (ख)		**14,39,94,258.00**	**4,46,36,311.00**	**8,25,39,528.00**	**5,24,83,247.00**
व्यय से अधिक आय होने के कारण अतिरिक्त बची शेष राशि (क - ख)		**2,31,24,291.00**	**74,90,783.00**	**14,01,00,068.00**	**(36,85,605.00)**
विशेष आरक्षित राशि में अंतरण		---	---	---	---
सामान्य आरक्षित राशि में / से अंतरण		---	---	---	---
अधिशेष (कम) होने के कारण समग्र / पूंजीगत निधि में ले जायी शेष राशि		**2,31,24,291.00**	**74,90,783.00**	**14,01,00,068.00**	**(36,85,605.00)**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष का
प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)

(राशि रुपयों में)

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष		भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अथ शेष									
नकद शेष	-	-	-	-	स्थापना व्यय (अनुसूची - 26)	1,79,47,076.00	2,65,91,290.00	1,36,28,194.00	3,17,88,075.00
शेष बची डाक टिकटें	-	35,115.00	-	29,479.00					
बैंक शेष	18,43,44,000.00	5,14,76,000.00	22,73,99,674.00	4,85,15,574.00					
					अन्य प्रशासनिक व्यय (अनुसूची - 27)	9,21,22,280.00	1,76,50,962.00	17,40,40,322.00	1,79,93,827.00
					अवधि पूर्व व्यय	-	-	-	11,50,832.00
प्राप्त अनुदान	18,43,44,000.00	5,14,76,000.00	22,73,99,674.00	4,85,15,574.00	विभिन्न परियोजनाओं हेतु राशि के विरुद्ध किया गया भुगतान (अनुसूची - 28)	5,41,10,610.00	-	3,74,36,213.00	-
					धन प्रेषण (अनुसूची - 29)	-	53,25,257.00	-	99,09,531.00
निवेश पर आय					प्रतिभूति जमा	2,,500.00	-	-	6,000.00
अक्षय निधि	-	-	-	-	जमा प्राप्तियां	6,000.00	-	-	-
अपनी निधि	-	-	-	-	स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय	-	-	6,62,204.00	-
निवेश पर ब्याज	-	-	-	-	क) स्थायी परिसंपत्तियों	30,76,610.00			
					ख) कार्य प्रगति पर	1,90,00,000.00			
प्राप्त ब्याज					**अंत शेष**				
					नकद शेष	-	-	-	-
बैंक जमा	20,57,848.00	5,74,631.00	12,13,427.00	2,50,270.00	शेष बची डाक टिकटें	-	32,284.00	-	25,115.00
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-	बैंक शेष	1,62,81,559.00	79,92,981.00	1,56,55,981.00	18,779.00
ऋण एवं अग्रिम	-	-	-	-					
भुनाया गया निवेश	-	-	-	-					
सीपीएफ पर ब्याज	-	-	-	-					
अन्य आय									
सूचना का अधिकार	-	8,505.00	-	10,898.00					
विविध आय	1,27,841.00	65,491.00	2,01,405.00	20,900.00					
समयावधि पूर्व विविध आय	3,37,965.00	-	3,264.00	-					

धन प्रेषण (अनुसूची - 29)	-	53,25,257.00	-	98,09,531.00					
प्रतिभूति जमा	25,000.00	88,614.00	5,300.00	30,000.00-					
	20,25,48,635.00	**5,75,92,352.00**	**24,14,22,914.00**	**6,08,02,159.00**		**20,26,48,635.00**	**5,75,92,352.00**	**24,14,22,914.00**	**6,08,02,159.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र से संबंधित अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 1 - पूंजीगत निधि				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	22,45,38,839.00	38,79,540.00	6,58,52,325.00	--
जोड़ें :- अक्षय / अधिशेष से अंतरित	--	--	1,79,24,242.00	75,65,145.00
जोड़ें (घटाएं) :- आय एवं व्यय खातों से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	2,31,24,291.00	74,90,783.00	14,01,00,068.00	(36,85,605.00)
जोड़ें : ब्याज पर स्रोत पर कर कटौती की वापसी की समायोजन प्रविष्ट	--	--	--	--
जोड़ें : स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री की परशोधन प्रवृष्टि	--	--	--	--
जोड़ें : वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का परिवर्धन	2,20,78,740.00	--	6,62,204.00	--
	--	--	--	--
	--	--	--	--
वर्ष के अंत में शेष	**26,97,41,740.00**	**1,13,70,323.00**	**22,45,38,839.00**	**38,79,540.00**
अनुसूची 2 - आरक्षित निध एवं अधिशेष				
1) पूंजीगत आरक्षित निधि				
पिछले खाते के अनुसार	--	--	1,79,24,242.00	75,65,145.00
घटाएं : पूंजीगत निधि अनुसूची 1 से अंतरित	--	--	(1,79,24,242.00)	(75,65,145.00)
कुल	**--**	**--**	**--**	**--**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	**गैर-योजना**	**योजना**	**गैर-योजना**
अनुसूची 3 - निर्धारित / अक्षय निधि	कोई नहीं			
अनुसूची 4 - सुरक्षित ऋण और उधारियां	कोई नहीं			
अनुसूची 5 - असुरक्षित ऋण और उधारियां	कोई नहीं			
अनुसूची 6 - आस्थिगत ऋण देयताएं	कोई नहीं			
अनुसूची 7 - मौजूदा देयताएं एवं प्रावधान				
मौजूदा देयताएं				
मार्च, 2016 माह में देय वेतन	---	17,35,873.00	---	13,50,584.00
प्रतिभूति जमा	1,18,789,.00	2,22,179.00	96,289.00	1,33,565.00
गैर सरकारी संगठनों को देय अग्रिम क+ख+ग+घ+च+छ+झ+ञ+ट	4,70,51,185.00	--	3,19,61,219.00	--
गैर सरकारी संगठनों (पूर्वोत्तर क्षेत्र) को देय अग्रिम ड+ज+ठ	68,97,005.00	--	56,32,306.00	
मार्च, 2016 माह में देय विप्रेषित धन		2,01,858.00		
	5,40,66,979.00	**23,49,141.00**	**3,79,89,814.00**	**16,86,007.00**
विशेष अध्ययन (क)			**83,31,279.00**	
एकेडमी ऑफ ग्रासरूट्स स्ट्डीज़ एंड रिसर्च-एपी-एसपीएसटी	77385		232155	
एक्टिविट ऑफ वॉलिएन्टरी एक्शन फॉर डैवलैपमेंट, एलएमडब्ल्यू (एसएस	-		38640	
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इण्डिया, हैदराबाद एसपी.एस	136318		408954	
ऑल इण्डिया फाउण्डेशन फॉर पीस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट दिल्ली	134190		134190	
एसोसिएशन फॉर डैवलैपमेंट एंड रिसर्च (एडीएआरएस)	135000		135000	
आस्था महिला विकास एवं पर्यावरण कोटा	164430		164430	
भारतीदसन विश्वविद्यालय कालेज	171360			
बोमोंग्राम रेशम खादी प्रतिष्ठान	142380		142380	
सामाजिक अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली	-		28086	
महिला अध्ययन केंद्र, असम	141120		141120	
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय	347760			
सेंटर फॉर आल्टरनेटिव दलित महिला (सीएडीएएम) दिल्ली	-		56910	
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, वसंत कुंज, दिल्ली	256410		47940	
सेंटर फॉर स्ट्डीज़ फॉर कल्चरल आइडेन्टिटी ऑफ वीकर	101400		101400	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
चैतन्या मोहन कोठी, गया	58800		58800	
छायादीप समिति विलेज राजखेता, छत्तीसगढ़	158760		158760	
चिखाली विकास प्रतिष्ठान महाराष्ट्र	-		164430	
धनवंतरि मेंटली रिटायर्ड एंड ड्रग एडिक्टर्स	220710		220710	
धारा झारखंड	49980		149940	
डायरैक्टर, कर्वे इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़, पुणे-एसपी	73500		220500	
डॉ0 शैला परवीन, व्याख्याता वाराणसी, यू.पी.	61000		61000	
डॉ0 ऊषा टंडन एसोशिएट प्रोफेसर, डी. यू., नई दिल्ली	-		60060	
आर्थिक विकास ट्रस्ट, बिहार	48090		-	
एनवायरनमेंट ट्रस्ट, नई दिल्ली	109200		109200	
ईआरयू कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.	791940		-	
फोरम फॉर फैक्ट फाइंडिंग डॉक्युमेंटेशन एंड एडवोकेसी	140730		140730	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय	225540		-	
ज्ञानोदय फाउण्डेशन इठर्वा, बिहार-विशेष अध्ययन	204120		204120	
हैल्प आर्गेनाइजेशन, जयपुर	-		131670	
एचएनबीगढ़वाल विश्वविद्यालय	135135		-	
इंडियन काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डैवलैपमेंट	65100		65100	
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली	1232460		114660	
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलोजी प.बं.	64050		64050	
इंडियन सोसायटी फॉर एप्लाइड रिसर्च एंड डैवलैपमेंट	-		182070	
इंस्टीट्यूट फॉर मानीटरिंग इकोनोमिक ग्रोथ केरल	164430		164430	
जबाला एक्शन रिसर्च ऑर्गनाइजेशन	48615		48615	
जन कल्याण परिषद, छत्तीसगढ़	133560		133560	
कल्याणी रूरल डैवलैपमेंट फाउण्डेशन, अजमेर	48,720		48720	
कुंदन वैल्फेयर सोसायटी	116550		116550	
लीगल सर्विसेज़, अपोलो हॉस्पीटल के पास, नई दिल्ली	65200		65200	
लियाकत अली खान, जयपुर	40000		40000	
लोक सेवा संस्थान, यूपी.	46620		46620	
मासूम सोसायटी फॉर सोशनल साइंस	38600		38600	
मथुरा कृष्णा फाउण्डेशन, बिहार	41200		41200	
मदर्स लैप चैरिटेबल आर्गेनाइजेशन	15000		15000	
मदर टेरेसा वूमन्स यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु	134820		134820	
मदर टेरेसा रूरल डैवलैपमेंट सोसायटी, आं.प्र.	108360		108360	

सुश्री शीला चौधरी	49200		49200	
नबकृष्णा चौधरी सैंटर फॉर डैवलैपमैंट स्टडीज़	40000		40000	
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैंटल हैल्थ एंड न्यूरो साइंस	270063		-	
नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज	41160		-	
नव राजीव गांधी फाउण्डेशन एंड रिसर्च (विशेष अध्ययन) राजा	119700		119700	
पश्चिम बंगा युबा कल्याण मंच, कोलकाता	38640		38640	
फगवाड़ा एनवॉयरनमैंट एसोसिएशन, पंजाब	119700		119700	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी, कॉलेज केरल	115920		115920	
प्रो0 विजया लक्ष्मी, निदेशक, यूजीसी सैंटर, उदयपुर	42600		42600	
रजिस्ट्रार, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय	192780		-	
रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी	-		86400	
रजिस्ट्रार, टाटा समाज विज्ञान संथान (टिस्स)	1847340		-	
रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास	140580		421740	
रूरल डवलपमैंट एंड वैलफेयर सोसायटी, राजस्थान	115930		115930	
रूरल एजुकेशन वर्किंग सोसायटी, तमिलनाडु	178290		178290	
रूरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल एम्प्रूवमेंट	128520		128520	
साहस ब्रदरहुड अपलिफ्टिंग एच.पी.	56280		168840	
सामाजिक न्याय संस्था, दिल्ली	319725		319725	
सार्थक शकरपुर	149625		-	
स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, मनीपाल यूनिवर्सिटी	144774		144774	
सेवा यतन जीवो कल्याण संस्थान, राजस्थान	-		48720	
शिव चरण माथुर सोशल पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट	51450		51450	
श्रीनिवास बहु-उद्देशीय संस्था महाराष्ट्र	196245		-	
सिचुएशनल एनालिसेस ऑफ होमलैस वीमन	150000		150000	
सोसायटी फॉर यूनिवर्सल वैलफेयर जयपुर	50820		50820	
सदर्न इण्डिया एजुकेशन ट्रस्ट	-		66780	
साउथ विहार वैलफेयर सोसायटी फॉर ट्राइबल	211680		211680	
सृजन, लखनऊ	-		141750	
सुरुल सैंटर फॉर सर्विसेज इन रूरल एरिया	-		243810	
टाटा समाज विज्ञान संथान (टिस्स)	1921540		-	
द एसोसिएशन फॉर डवलपमैंट इनिशिएटिव, दिल्ली	47460		47460	

थैंडरल मूवमेंट तमिलनाडु		59640		178920	
यूनाइटेड ट्रस्ट पीटीआर नगर, तमिलनाडु		48040		48040	
विजया ओडिशा		48930		146790	
वीमेन्स स्टडीज रिसर्च सैंटर यूनीवर्सिटी कोलकाता		260190		-	
वीमेन्स स्टडी एंड डवलपमेंट, कोच्ची		116400		116400	
राष्ट्रीय महिला आयोग का नेटवर्किंग	**(ख)**	**160800**		-	
गुजरात राज्य महिला आयोग - नेटवर्किंग		75000		-	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग, सिकंदराबाद - नेटवर्किंग		85800			
कार्यपालिका/पुलिसका क्षमता निर्माण	**(ग)**	**565734**		**780984**	
एसीपी / मुख्यालय / डीडीओ, एसपीयूडब्ल्यूसी, नानकपुरा - क्षमता निर्माण		112140		112140	
सैंटर फॉर सोशल डिफैन्स एंड जैंडर - क्षमता निर्माण		152869		152869	
उप महानिदेशक, बीटीसी, आईटीबीपी पंचकुला - क्षमता निर्माण		-		-	
निदेशक, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद - क्षमता निर्माण		56700		56700	
हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन - क्षमता निर्माण		-		82950	

(राशि रुपयों में,

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
महाराष्ट्र राज्य आयोग - क्षमता निर्माण		63000		63000	
पुलिस प्रशिक्षण कालेज, दारोह, हिमाचल प्रदेश - क्षमता निर्माण		29405		29405	
प्रिंसिपल, केटीडीएस पुलिस ट्रेनिंग अकादमी, त्रिपुरा		21000		21000	
राजा बहादुर वैंकट रमन रेड्डी आंध्र प्रदेश पुलिस - क्षमता निर्माण		42000		42000	
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर - क्षमता निर्माण		-		132300	
निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी- क्षमता निर्माण		88620		88620	
कानूनी जागरुकता कार्यक्रम	**(घ)**	**9824300**		**14025500**	
आकाश सेवा संस्थान, उदयपुर		30000		30000	
आएशा ग्रामोद्योग समिति-यूपी - एलएपी		-		75000	
अभिजन उद्योग ग्रामीण विकास सोसायटी गुवाहाटी - एलएपी		23800		120000	
अभिनव विकास मंच, बिहार - एलएपी		50000		50000	
एक्टिव इंस्टीट्यूट महिला मंडल एमपी - एलएपी		-		100000	
आदर्सा, ओडिशा - एलएपी		30000		30000	
आदर्श, ओडिशा - एलएपी		25000		25000	
आदर्श रूरल एंड एजुकेशनल डवलपमेंट - एलएपी		-		75000	
आदर्श सेवा संस्थान बिहार - एलएपी		-		100000	
अधिकार ओडिशा - एलएपी		-		100000	

अदिति ए नागराज चैरिटेबल ट्रस्ट महाराष्ट्र - एलएपी	-		50000	
अग्रदूत पॉली उन्नयन, प.बं. - एलएपी	-		50000	
आगरा रूरल डवलपमेंट एसोसिएशन-एलएपी	50000		50000	
एकतन संघ विलेज एंड पोस्ट दारा, पश्चिम बंगाल	15000		15000	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उ.प्र. - एलएपी	250000		-	
ऑल इण्डिया कॉमन वैल्थ आर्गेनाइजेशन, हरियाणा	-		30000	
ऑल इण्डिया ग्राउट एसोसिएशन (एआईजीए) - एलएपी	-		30000	
ऑल वीमेन एंड रूरल डवलपमेंट तमिलनाडु - एलएपी	-		50000	
अल-मदीना मुस्लिम एजुकेशन एपी -एलएपी	75000		75000	
अमन ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा	15000		15000	
एमिटी विधि स्कूल उ.प्र. - एलएपी	-		-	
आनंद स्वरूप बहुद्देश्यीय सेवाभावी	50000		50000	
एनशियंट साईस हिस्टोरिक रिसर्च एंड एकेडमिक एलएपीयूटी	-		100000	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग - एलएपी	60000		-	
अंकुर सामाजिक सेवाभावी संस्था - महाराष्ट्र - एलएपी	50000		50000	
अन्नपूर्णा जन विकास संस्थान, यूपी	50000		50000	
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति	30000		30000	
अरावली इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट रिसर्च (एलएपी)	-		100000	
एआरआईएसई, राजामंद्री, आं.प्र. - एएलपी	50000		50000	
अर्पण शिक्षा समिति, राजस्थान	-		50000	
आशा विकास संस्था, उदयपुर	30000		30000	
एसोसिएशन फॉर सोशल एंड ह्यूमन अवेयरनेस (आशा) एलएपी	-		100000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
एसोसिएशन फॉर वीमेन रूरल डवलपमेंट, ओडिशा	15000		15000	
एसोसिएशन फॉर वीमेन एंड रूरल एनरिचमेंट (अवेयर)	-		100000	
अस्तिव बाबू उद्देश्यीय मानव उत्थान संस्थान	15000		15000	
बालाजी सर्वांगीण विकास समिति-एलएपी	-		50000	
बाल निकेतन शिक्षा समिति, यूपी (एलएपी)	15000		15000	
बाल विकास शिक्षा सोसायटी, फरीदाबाद - एलएपी	30000		30000	
बरेली कालेजबरेजी, उ.प्र. - एलएपी	50000		--	
बेनोदिनी सैंटर फॉर अर्बन एंड रूरल डैवलैपमेंट, प. बंगाल	15000		15000	
भगवती डवलपमेंट समिति, झारखंड- एलएपी	-		100000	
भरथियार विश्वविद्यालय कला एवं विज्ञान कालेज - एलएपी	100000		-	

भारतीय सेवा समिति, आंध्र प्रेदश - एलएपी	-		50000	
भरतपुर कंजा हैंडिकैप स्कूल-डब्ल्यूबी - एलएपी	-		100000	
भारत उदय संस्थान-राजस्थान - एलएपी	50000		50000	
भारतवासी सेवा संस्थान यूपी - एलएपी	50000		50000	
भारतीय ध्यानवर्धनी लोक विकास, महाराष्ट्र - एलएपी	15000		15000	
भारतीय शिक्षा प्रसार संगठन	25000		25000	
भारतीय शिल्पकार समाज कल्याण समिति, यूपी-एलपी	-		50000	
ब्रिजराम स्वैन महिला समिति, ओडिशा	15000		15000	
बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल एंड सोशल वैल्फेयर	-		75000	
सैंटर फॉर एक्शन ऑन डिसेबल्ड राईट्स आंध्र प्रदेश - एलएपी	15000		15000	
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय - एलएपी	150000		-	
चांदीपुर ग्रामीण डवलपमेंट प.बं. - एसलएपी	50000		50000	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग	30000		30000	
चिक्का फैडरेशन ऑफ इण्डिया बिहार - एलएपी	-		150000	
चौ0 सुरेन्द्र सिंह मैमोरियल स्पोर्ट हरियाणा - एलएपी	-		25000	
क्लब ब्राइट स्टार ओडिशा - एलएपी	-		50000	
कमेटी फॉर लीगल एड टू पूअर ओडिशा - एलएपी	-		25000	
कोर फॉर रूरल इम्प्लायमेंट एडवांसमेंट टैक्नॉलोजी - एलएपी	-		50000	
क्राफ्ट्स एंड सोशल डैवलैपमेंट आर्गेनाइजेशन त्री नगर - एलएपी	30000		30000	
कल्चरल एक्शन फॉर रूरल डवलपमेंट कर्नाटक् - एलएपी	50000		-	
दलित महिला रचनात्मक परिषद अहमदाबाद, गुजरात	15000		15000	
दलित सॉलिडैरिटी पीपल्स दिल्ली-एलएपी	-		50000	
दया कृष्णा समाज कल्याण समिति एमपी - एलएपी	100000		100000	
दीन एवं बेरोजगार सखा बिहार-एलएपी	-		50000	
विधि विभाग, एम. डी. विश्वविद्यालय रोहतक - एलएपी	-		-	
डीप्राइव एंड हैवियंट सोसायटी फॉर हिमालयन उत्तराखंड	-		100000	
डवलपमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन एग्रीटूर तमिलनाडु एलएपी	25000		25000	
धम्मादीप नगर प्रगति सांस्कृतिक महाराष्ट्र - एलएपी	-		50000	
दिगम्बरपुर अंगीकार, पश्चिम बंगाल - एलएपी	-		50000	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण - उत्तरी 24 परगना, प.बं.	50000		-	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर- एलएपी	50000		-	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोलकाता,प.बं. - एलएपी	50000		-	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण - एलएपी	50000		-	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुर्शीदाबाद - एलएपी	50000		-	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नादिया - एलएपी	50000		-	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज. - एलएपी	50000		-	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर - एलएपी	50000		-	
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पश्चिमबंगाल - एलएपी	50000		-	
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलैक्टर, प.बं.	15000		15000	
डॉ0 अम्बेडकर नगर वैलफेयर सोसायटी पंजाब - एलएपी	-		100000	
ईस्ट मग्रहात अकातल बाल - एलएपी	45000		45000	
प्रबंधन अध्ययन एवं विधि संकाय राज. - एलएपी	200000		-	
विधि संकाय जामिया मिलिया इस्लामिया - एलएपी	250000		-	
फाउण्डेशन फॉर सोशल रिसर्च एंड डायनेमिक बिहार एलएपी	-		50000	
गांधी सेवा संस्थान, छत्तीसगढ़	15000		15000	
गोल्डन फ्यूचर फाउण्डेशन हरियाणा	15000		15000	
ग्राम राज्य स्थापन समिति ओडिशा - एलएपी	-		75000	
ग्रामीण जन कल्याणा संस्थान, राजस्थान - एलएपी	-		100000	
ग्रामीण जनकल्याण सेवा समिति - एलएपी उ.प्र.	30000		30000	
ग्रामीण विकास संस्थान, हरियाणा - एलएपी	15000		15000	
ग्रामीण युवा विकास मंडल, हरियाणा	15000		15000	
ग्रामोधार कल्याण समिति, बिहार - एलएपी	15000		15000	
ग्रामोद्योग आश्रम,बिहार	15000		15000	
ग्राम सुधार समिति, हरियाणा	15000		15000	
गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यलाय - एलएपी	100000		-	
गुजरात राज्य महिला आयोग - एलएपी	250000		-	
गुरुभक्ति शैक्षणिक एंड सेवाभावी - एलएपी	15000		15000	
ज्ञान दर्शन एकैडमी, उ.प्र.	15000		15000	
ज्ञान सागर, बिहार (एलएपी)	-		15000	
हरिजन आदिवासी महिला कल्याण समिति, बिहार - एएलएपी	-		50000	
हरिजन महिला एवं बाल विकास संस्थान, बिहार - एलएपी	15000		15000	
हरिजन सेवा समिति बिहार - एलएपी	-		50000	
हरिपुर डॉ0 अम्बेडकर जनसेवा मिशन एलएपी	-		75000	

हरि श्री न्यू दिल्ली - एलएपी	50000		50000	
हीरा सेवा संस्थान यूपी एलएपी	100000		100000	
हैल्प एम इण्डिया संस्थान, राजस्थान - एलएपी	50000		50000	
हैल्पफुल सोसायटी, दिल्ली - एलएपी	50000		50000	
हैरीटेज एजुकेशनल सोसायटी, झारखंड एलएपी	-		25000	
हिमालय फाउण्डेशन बिहार - एलएपी	150000		150000	
एचएमयू हासमी विधि कालेज उ.प्र. - एलएपी	100000		-	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
इंडिया एवेंजीकल एंड एजूकेशनल रूरल डवलपमें आं.प्र. - एलएपी	-		50000	
इण्डियन माइनॉरिटी यूथ एसोसिएशन, यूपी	15000		15000	
इण्डियन सोशल सर्विस ए.पी. - एएलपी	-		50000	
इण्डियन सोसायटी, उदयपुर	15000		15000	
इंदिरा विकास महिला मंडली, ए.पी.	10000		10000	
इंडो नेपाल वूमन वैलफेयर सोसायटी - एलएपी	-		15000	
इंसाफ फाउण्डेशन यूपी - एएलपी	-		100000	
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वैलफेयर एक्शन, गुजरात (एलएपी)	15000		15000	
जगन माथा महिला संगम, एपी एएलपी	-		50000	
जनसाधना, ओडिशा - एलएपी	50000		50000	
जय हितेशिनी कल्याण समिति, उत्तराखंड - एलएपी	45000		45000	
जन जागरुकता उत्थान कल्याण समिति, यूपी - एलएपी	-		50000	
जन जाति विकास समिति, छत्तीसगढ़ - एलएपी	-		100000	
जनमानस एवं पर्यावास समिति, एमपी - एलएपी	-		50000	
जनमानस सोसायटी फॉर सोशल एंड एनवायरनमेंट दिल्ली - एलएपी	50000		50000	
जन सेवा समिति, रोहतक, हरियाणा - एलएपी	15000		15000	
जीवन ज्योति संस्थान, बिहार - एलएपी	-		25000	
जीवन ज्योति केंद्र, बिहार - एलएपी	-		125000	
झारखंड राज्य महिला आयोग - एलएपी	250000		-	
जीवन ज्योति समिति, हरियाणा - एलएपी	15000		15000	
ज्वाइंट वूमन्स प्रोग्राम, नई दिल्ली	30000		30000	
कादम्बिनी शिक्षा एवं समाज कल्याण सेवा, एमपी - एलएपी	15000		15000	
कनौडिया स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय जयपुर - एलएपी	50000		-	
कौशल सेवा संस्थान, राजस्थान - एलएपी	-		75000	

केरल राज्यविधिक सेवा प्राधिकरण - एलएपी	100000		-	
खादी ग्रामोद्योग कला निकेतन झारखंड - एलएपी	-		50000	
कोटि रैड्डी सुब्बी रैड्डी अमरनाथ एपी - एलएपी	-		75000	
कीर्ति संस्थान, राजस्थान - एलएपी	-		25000	
लेकसिटी मूवमेंट सोसायटी, राजस्थान	45000		45000	
लक्ष्य एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर सोसायटी, हरियाणा	15000		15000	
लोक सेवा महिला युबक, महाराष्ट्र - एलएपी	50000		-	
मां द्रौपादई जन सेवा समिति, यूपी	15000		15000	
मां सरस्वती शिक्षण राजस्थान - एलएपी	-		50000	
महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - एलएपी	150000		-	
महात्मा गांधी राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान - एलएपी	150000		-	
महात्मा साईराम प्रतिष्ठान महाराष्ट्र - एलएपी	25000		25000	
महावीर शिक्षा समिति - एलएपी	50000		50000	
महिला एवं बाल कल्याण संस्थान, यूपी - एलएपी	-		50000	
महिला जागरुकता शिक्षा एवं कल्याण समिति, बिलासपुर	-		15000	
महिला जनजाति सेवा समिति, उत्तराखंड - एलएपी	-		50000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
महिला कल्याण एवं विद्या विकास समिति, कानपुर	25000		25000	
महिला कल्याण समिति, पंजाब - एलएपी	-		50000	
महिला शिक्षण समिति यूपी - एलएपी	-		100000	
महिला उद्योग केंद्र परमेश्वर भवन, बिहार - एलएपी	15000		15000	
मकरमपुर मनीषा जूबा कल्याण, पश्चिम बंगाल - एलएपी	-		50000	
मालापुर पीपुल रूरल डैवलैपमेंट सोसायटी, पश्चिम बंगाल	30000		30000	
मलिकार्जुन वीकर सैक्शन डवलपमेंट एपी - एलएपी	-		50000	
ममता मकल्लय मंदिरा, कर्नाटक - एलएपी	100000		100000	
मनस्वी शाहदरा, दिल्ली - एलएपी	-		100000	
मानव कल्याण एवं सुरक्षा समिति, हरियाणा - एलएपी	15000		15000	
मानव कल्याण समिति, अल्मोड़ा (एलएपी)	30000		30000	
मानव कल्याण संस्थान, देहरादून	30000		30000	
मानव सेवा आश्रम वनौषधि ग्रामोद्योग संस्था उ.प्र. - एलएपी	50000		-	
मंगल शांति महिला विकास चैरिटेबल, गुजरात - एलएपी	25000		25000	
मरुधरा संस्थान, जयपुर - एलएपी	250000		250000	

मातृ दर्शन शिक्षा समिति, बांसवाड़ा	15000		15000	
मातृ दर्शन शिक्षा समिति, उदयपुर	15000		15000	
मौलासाईं सेवाभावी संस्थान, महाराष्ट्र	15000		15000	
मयंक फाउण्डेशन समिति, एमपी - एलएपी	-		50000	
मॉर्डन शिक्षा विकास समिति	15000		15000	
मदरली एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विसेज (मास) - एलएपी	15000		15000	
मदर सोसायटी (मिरैकल आर्गेनाइजेशन) आं.प्र. - एलएपी	50000		50000	
मृत्युंजय नगर मुक्ति तीर्थ पश्चिम बंगाल - एलएपी	-		50000	
मुकट भारती शिक्षा समिति, राजस्थान - एलएपी	50000		50000	
मुर्शिदाबाद आदिवासी ग्रामीण पश्चिम बंगाल - एलएपी	-		50000	
नबीन संघ, पश्चिम बंगाल - एलएपी	30000		30000	
नागभूमि चेतना समिति उत्तराखंड - एलएपी	-		25000	
नालंदा एजुकेशनल सोसायटी, हरियाणा - एलएपी	15000		15000	
नन्दा इंजीनियरिंग कालेज तमिलनाडु - एलएपी	50000		-	
नारी मंगल महिला समिति, ओडिशा - एलएपी	-		50000	
नारी विकास महिला मंडल म.प्र. - एलएपी	-		50000	
नेशनल एलायंस ऑफ वूमन (एनएडब्ल्यूओ) - एलएपी	225000		225000	
राष्ट्रीय समाज कल्याण परिषद, बिहार - एलएपी	-		75000	
नेशनल यूथ एसोसिएशन, असम	40000		40000	
नेटिव एजुकेशन एंड इम्पॉलमेंट डवलपमेंट सोसायटी, म.प्र.	15000		15000	
नैचुरल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल चेंज एंड रिसोर्स	15000		15000	
नवदीप समाजिक विकास संस्था - एलएपी	-		500000	
नवजीवन बहूद्देशीय सेवाभावी महाराष्ट्र - एलएपी	-		500000	
नवजीवन संस्थान, राजस्थान - एलएपी	-		500000	
नवरचना महिला विकास ट्रस्ट - एलएपी	-		250000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
नवंदागर छत्तीसगढ़ - एलएपी	50000		50000	
न्यू एज फाउण्डेशन, वाराणसी	15000		15000	
न्यू लाईफ क्लब, ओडिशा	15000		15000	
निखलेश एजुकेशनल एकैडमी - एलएपी	-		50000	
निर्बल विकास परिषद, यूपी - एलएपी	-		50000	
एन. जे. मार्था विद्या प्रसारक समाज, गुजरात - एलएपी	25000		25000	

ओएसिस फाउण्डेशन, तमिलनाडु	10000		10000	
ओम महारुपी, बिहार - एलएपी	-		25000	
आर्गेनाइजेशन फॉर डवलपमेंट रूरल इकोनॉमिक ओडिशा - एलएपी	-		100000	
ओडिशा राज्य महिला आयोग	50000		50000	
पेस अकादमी, महाराष्ट्र - एलएपी	50000		50000	
पदमावती बहुद्देश्यीय महिला मंडल, महाराष्ट्र - एलएपी	-		50000	
पंचायती रूल एंड जैंडर अवेयरनैस - एलएपी	-		100000	
प्रभात सागर ज्ञान विकास संस्थान, राजस्थान - एलएपी	30000		30000	
पर्वतीय महिला विकास समिति, उत्तराखंड - एलएपी	15000		15000	
पीपल्स मूवमेंट फॉर डवलपमेंट तमिलनाडु - एलएपी	-		50000	
पीपल एजुकेशन एंड अवेयरनैस सर्विस सोसायटी आं.प्र. - एलएपी	-		50000	
पीपल वॉलएंटरी इंटेग्ररल सर्विस आर्गेनाइजेशन - एलएपी	15000		15000	
प्रगति महिला बहुद्देश्यीय, महाराष्ट्र - एलएपी	25000		25000	
प्रगति युवा विकास केंद्र, म.प्र. - एलएपी	-		100000	
प्रेमचंद शिक्षा विकास सोसायटी आं.प्र.- एलएपी	25000		25000	
प्रधानाचार्य, जवाहर लाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय - एलएपी	100000		-	
प्रधानाचार्य, नेशनल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लखनऊ - एलएपी	300000		-	
प्रियदर्शिनी संस्था कर्नाटक - एलएपी	-		50000	
पब्लिक हैथ एंड मैडिकल टैक्नॉलोजी, दिल्ली - एलएपी	15000		15000	
पूर्वांचल विकास समिति (एलएपी)	25000		25000	
पुष्पा केकाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट	15000		15000	
राछेरी जनता विकास ग्राम उद्योग समिति, हरियाणा	12500		12500	
राजपुर ग्राम विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान - एलएपी	100000		100000	
राजस्थान ग्रामीण विकास राजस्थान - एलएपी	-		100000	
रजत ग्रामोद्योग विकास संस्थान, मुरादाबाद (उ.प्र.)	-		50000	
राना जैविक ग्रामीण एवं कृषि सेवा समिति, उत्तराखंड	25000		25000	
रंजना रॉयल एजुकेशन वैलफेयर दिल्ली - एलएपी	-		-	
राष्ट्रीय सदभाव सेवा समिति, हरियाणा - एलएपी	125000		125000	
रिफॉर्मर एजुकेशनल एंड सोशल वैलफेयर सोसायटी - एलएपी	-		50000	
रोशनी नैशल सेवा ग्रामोद्योग संस्थान उ.प्र. - एलएपी	-		50000	
रूरल डवलपमेंट सोसायटी - आं.प्र. - एलएपी	75000		75000	
रूरल डवलपमेंट ट्रस्ट तमिलनाडु - एलएपी	25000		25000	
रूरल डवलपमेंट एंड वैलफेयर सोसायटी, राजस्थान	30000		30000	
रूरल एनवायरनमेंट अवेयरनैस लीगल एंड डवलपमेंट तमिलनाडु एलएपी	-		25000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र, देहरादून - एलएपी	-		60000	
रूरल ऑर्गनाइजेशन फॉर पॉवर्टी अरेडिकेशन, ओडिशा	15000		15000	
समाज कल्याण समिति, हरियाणा - एलएपी	15000		15000	
समाज संस्थान एंड सर्वांगीण विकास संस्थान, महाराष्ट्र	9000		9000	
समाज सेवा ट्रस्ट पारूल नर्सरी झारखंड - एलएपी	-		50000	
समाज उत्थान समिति, उ.प्र.	13250		13250	
समाज विकास सेवा संस्था, दिल्ली - एलएपी	-		50000	
समता सेवा संस्थान, उदयपुर	30000		30000	
संवेदना सर्वोदय संस्थान, उ.प्र. - एलएपी	-		50000	
संघर्षोथन उ.प्र. - एलएपी	-		50000	
संजीवनी एजूकेशनल एण्ड सोशल डवलपमेंट संस्था - एलएपी	-		50000	
संकल्प साधना महाराष्ट्र एलएपी	50000		50000	
संकल्प संस्थान, राजस्थान - एलएपी	-		100000	
संस्कार ज्ञान पीठ शिक्षण समिति चितोड़गढ़ - एलएपी	-		-	
संस्कार ओडिशा- एलएपी	-		50000	
संस्कार सेवा संस्थान राजस्थान- एलएपी	-		50000	
सांस्कृतिक सामाजिक समिति बलिया, उ.प्र. - एलएपी	-		50000	
सर्वांगीण उन्नयन समिति, असम	20000		20000	
सृजन फाउण्डेशन, उ.प्र. – एलएपी	-		50000	
सर्व कल्याण महिला मंडल म.प्र. - एलएपी	-		50000	
सर्वोदय विकास समिति, उ.प्र. - एलएपी	50000		50000	
सेवेज (सोसायटी ऑन एक्शन विलेज एजूकेशन), आं.प्र. (एलएपी)	15000		15000	
एससीआरएएसी ओडिशा-एलएपी	-		25000	
सेवाहार (सोसायटी फॉर एजूकेशन, वेलफेयर एण्ड हैल्थ), हरियाणा	15000		15000	
शेयर एजुकेशन रूरल अमंग पीपल्स तमिलनाडु - एलएपी	50000		50000	
शिव जन जागृति शिक्षा समिति, हरियाणा - एलएपी	15000		15000	
शिव शंकर सेवा संस्थान, राजस्थान - एलएपी	50000		50000	
श्री चंदन बहूद्देश्यीय महाराष्ट्र - एलएपी	-		50000	
श्री ध्रुव चैरिटेबल ट्रस्ट गुजरात - एलएपी	-		50000	
श्री सिद्ध देव ग्रामाद्योग संस्थान - एलएपी	25000		25000	
श्री आसरा विकास संस्थान, उदयपुर - एलएपी	100000		100000	
श्री बानाशंकरी महिला मंडल - एलएपी	25000		25000	
श्री बटेश्वर दयाल समाज कल्याण समिति, उ.प्र. - एलएपी	-		100000	

श्री भुवनेश्वरी महिला मंडली आं.प्र. - एलएपी	-		50000	
श्री हरि कृष्ण शिक्षा सेवा समिति, अलवर	15000		15000	
श्री लक्ष्मी नारायन बद्री विशाल - एलएपी	30000		30000	
श्री लक्ष्मी रूरल डवलपमेंट एण्ड एजूकेशन सोसायटी, आं.प्र. - एलएपी	15000		15000	
श्री नारायण एवं विकास संस्थान - एलएपी	50000		50000	
श्री राधा कृष्णा सेवा समिति - एलएपी	50000		50000	
श्री राजीव गांधी मेमोरियल पब्लिक संस्थान, राजस्थान	45000		45000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
सृष्टि जन कल्याण संस्कृति समिति छत्तीसगढ़ - एलएपी	-		125000	
सृष्टि कल्याण समिति, पानीपत - एलएपी	-		100000	
श्री वज्रेश्वर व्यायामशाला महाराष्ट्र - एलएपी	-		50000	
श्याम ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उ.प्र.	15000		15000	
सिद्दलिंगेश्वर हूणे नेक्कराना कर्नाटक - एलएपी	-		50000	
सर छोटू राम युवा क्लब, हरियाणा	-		50000	
सृजन महिला विकास मंच, झारखण्ड	15000		15000	
सीता महिला विकास प्रशिक्षण संस्थान - एलएपी	-		25000	
श्रीमती सुशीला देवी एजूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली	30000		30000	
स्नेगम मल्टी सोशल एक्शन मूवमेंट, तमिलनाडु	10000		10000	
सोशल एक्शन नेटवर्क ग्रुप, उ.प्र.	15000		15000	
सोसायटी फॉर हैल्थ अवेयरनैस एंड रूरल इनलाइटमेंट, आं.प्र. - एलएपी	-		75000	
सोसायटी फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट - एलएपी	-		50000	
सोसायटी फॉर नर्चरिंग एजूकेशन हैल्थ, आं.प्र. - एलएपी	30000		30000	
सोसायटी फॉर सोशल डवलपमेंट तमिलनाडु - एलएपी	-		100000	
सोसायटी फॉर टैक्निकल एंड एनवायरनमेंटल मूवमेंट (स्टेम) - एलएपी	-		75000	
सोसायटी फॉर ट्रेनिंग, अमेलियोरेशन, ओडिशा - एलएपी	-		100000	
सोसवा ट्रेनिंग एंड प्रोमोशन, पुणे - एलएपी	50000		50000	
सौंदर्य रूरल एण्ड अर्बन डवलपमेंट एसोसिएशन, कर्नाटक	100000		100000	
स्पंदन, सीतापुर, उ.प्र. - एलएपी	-		25000	
श्रीगुरु अयप्पास्वामी एजूकेशनल ट्रस्ट कर्नाटक - एलएपी	50000		50000	
श्री कृष्णा शिक्षा प्रसार समिति, म.प्र.	15000		15000	
श्री स्वामी धरनीधर सेवा संस्थान उ.प्र. - एलएपी	50000		50000	
स्टेयर्स, उ.प्र. – एलएपी	75750		75750	

स्टार ग्रामोद्योग सेवा संस्थान यूपी - एलएपी	-		50000	
सुमित्रा सामाजिक कल्याण संस्थान, जिला हमीरपुर	-		30000	
सुरेश शर्मा फाउण्डेशन, राजस्थान - एलएपी	100000		100000	
सरगुजा कल्याणकारी सेवा समिति छत्तीसगढ़ - एलएपी	-		100000	
सस्टेनेबल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट सेंटर, महाराष्ट्र - एलएपी	50000		50000	
एस. वी. एस. संस्थान, राजस्थान	15000		15000	
स्वालंबी ग्रामोद्योग एवं जन चेतना विकास संस्थान, आर	15000		15000	
तमिलनाडु महालिर नाला संगम - एलएपी	-		50000	
ताराशंकर पंचग्राम सेवा समिति प.बं. - एलएपी	-		-	
टी.ए.वी. एजुकेशन एंड रूरल डैवलैपमेंट तमिलनाडु - एलएपी	50000		50000	
थमिझियाल अय्यू अरक्कात्तलई, तमिलनाडु - एलएपी	-		50000	
द कर्नाटक स्टेट हरिजन - एलएपी	50000		50000	
द मदर टरेसा मैमोरियल महिला एवं बाल उत्थान - एलएपी	-		50000	
द सोसायटी फॉर फॉर वूमन एंड चाईल्ड डवलपमेंट एंड सर्विसेस, दिल्ली	30000		30000	
थिरुमंगई चैरिटेबल ट्रस्ट, तमिलनाडु - एलएपी	15000		15000	
तुलसी ग्रामोद्योग सेवासमिति, उ.प्र.	25000		25000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
उम्मीद समिति, राजस्थान - एलएपी	30000		30000	
उन्नयन, ओडिशा - एलएपी	-		50000	
ऊषा जन कल्याण समिति, जयपुर - एलएपी	-		50000	
उत्कर्ष महिला एवं बाल कल्याण, म.प्र. (एलएपी)	15000		15000	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग - एलएपी	125000		125000	
वैष्णव नारी सेवा संस्थान, उ.प्र. - एलएपी	-		-	
वनाविल सोशल वैलफेयर डैवलैपमेंट - एलएपी	-		50000	
वेंकेटेश्वर महिला मंडली - एलएपी	-		50000	
विद्या भूषण युवक मंडल - एलएपी	75000		75000	
विज्ञान शिक्षा केंद्र, हरियाणा	30000		30000	
विकास ग्रामोद्योग मंडल, सोनीपत, हरियाणा	30000		30000	
विश्वमानव सर्वथोमुख अभिरुद्धि संघ, कर्नाटक	-		75000	
विश्व भारती विश्वविद्यालय, प.बं. - एलएपी	150000		-	
विवेकानंद युवाजन समिति, आं.प्र. - एलएपी	-		50000	
यमुना संस्थान, राजस्थान - एलएपी	30000		30000	

यूथ एंड सोशल वैलफेयर सोसायटी बिहार-एलएपी	-		150000	
युवक प्रतिष्ठान महाराष्ट्र - एलएपी	-		50000	
युवा संगठन समिति, हरियाणा (एलएपी)	45000		45000	
युवा स्पोर्ट्स समिति, हरियाणा - एलएपी	15000		15000	
			-	
जागरूकता विकास कार्यक्रम - पूर्वोत्तर क्षेत्र (ड़)	**4551500**		**3101500**	
अबू ट्रैनिंग सोशिओ - इकोनोमिक डवलपमेंट सोसायटी	30000		30000	
अमतसारा, शिलोंग एलएपी एनईआर	550000		550000	
अरुणाचल राज्य महिला आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र	-		530000	
असम राज्य महिला आयोग, उझानबाजार एलएपी	440000		140000	
असम विश्वविद्यालय - एलएपी	300000		-	
दीरा गांव वन प्रबंधन, अरुणाचल प्रदेश	20000		20000	
जिला समाज कल्याण कार्यालय, असम	56500		56500	
ड्रीम्स असम	20000		20000	
हयांग मेमोरियल एग्रो इण्डस्ट्री एण्ड एजूकेशन -अ.प्र.-एलएपी	40000		40000	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर - एल	300000		-	
इत्तेहाद सोशिओ - कल्चरल ऑर्गनाइजेशन, असम	20000		20000	
जाज्जी, गुवाहाटी, असम	20000		20000	
ज्यातिमय फाउण्डेशन, असम एलएपी एनईआर	20000		20000	
खोमीदोक मुस्लिम महिला कल्याण सोसायटी, मणिपुर	20000		20000	
कोनवार चतिया सेनशनि महिला समिति, असम	40000		40000	
लाइट ऑफ विलेज, गुवाहाटी, असम	20000		20000	
लोंगमई मल्टी - परपज एसोसिएशन, मणिपुर - एलएपी	20000		20000	
मणिपुर राज्य महिला आयोग	360000		-	
मसकोट्टे डवलपमेंट सोसायटी, नागालैंड - एलएपी एनईआर	60000		60000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		**पिछला वर्ष**	
	योजना	**गैर-योजना**	**योजना**	**गैर-योजना**
मेघालय राज्य महिला आयोग, शिलोंग, एनईआर	120000		-	
मेरिट एजूकेशनल सोसायटी, असम	20000		20000	
मिजोरम विधि कालेज - एलएपी एनईआर	180000		-	
नन्दिनी वेलफेयर सोसायटी, असम - एलपीए पूर्वोत्तर क्षेत्र	30000		30000	
नयन मणी प्रगति संघ, असम	15000		15000	
एनआईएमएस एजूकेशनल एण्ड सोशल एसोसिएशन, असम (एलएपी)	40000		40000	

नार्थ - ईस्ट ब्राइट सोसायटी, असम	40000		40000	
नार्थ - ईस्ट पीपल्स राइट, असम	20000		20000	
पातेरी रूरल डवलपमेंट सोसायटी असम, एनईआर	-		60000	
फाकुन हरमोती गांव श्रमता संकर , असम एनईआर	40000		40000	
प्रयास, असम	40000		40000	
प्रोग्रसिव डवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन, असम - एलपीए पूर्वोत्तर क्षेत्र	510000		510000	
रेडको फाउण्डेशन, मणिपुर - एलपीए	12000		120000	
रोटरी ब्लब, शिलोंग एलपीए पूर्वोत्तर क्षेत्र (एल)	20000		20000	
रूरल एरिया सर्वोदया प्रोलेटरिएट - मणिपुर - एलएपी	60000		-	
सेल्फ इम्पलॉयड ट्राइबल एण्ड बैकवर्ड्स वीमेन - एलपीए पूर्वोत्तर क्षेत्र	20000		20000	
सिक्किम राज्य महिला आयोग - एलपीए पूर्वोत्तर क्षेत्र	180000		180000	
सन क्लब, असम एनईआर	20000		20000	
तेजपुर सोशल सर्विस सोसयटी (टीएसएसएस)-असम एलएपी	-		120000	
द एसोसिएशन फॉर डवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, मणिपुर	60000		60000	
द रूरल पीपल्स वैलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर – एलएपी एनईआर	540000		-	
द संगीत नाट्य, मणिपुर - एलपीए एनईआर	60000		60000	
त्रिपुरा महिला आयोग अगरतला (एनईआर) एलएपी	540000		-	
यूनाइटेड प्रोग्रसिव सोसायटी, असम - एलपीए एनईआर	60000		60000	
वेलफेयर ऑफ आल हेपाह, असम (एलपीए)	20000		20000	
पारिवारिक महिला लोक अदालत (पीएमएलए) (च)	**795000**		**1425000**	
अहर्निश सेवा संस्थान, देवरिया, उ.प्र. (पीएमएलए)	60000		60000	
आशा महिला जनकल्याण प्रतिष्ठान - पीएमएलए	30000		30000	
आयशा वेलफेयर सोसायटी, उ.प्र. – पीएमएलए	-		60000	
दलित उत्थान राष्ट्रीय गर्ल्स समिति, उ.प्र. - पीएमएलए	30000		30000	
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हरियाणा	150000		150000	
इस्लामिया मकतब प्राइमरी गर्ल्स स्कूल, उ.प्र.	15000		15000	
जन समाधान सेवा संस्थान, उ.प्र. - पीएमएलए	30000		30000	
क्षेत्रीय महिला एवं बाल विकास समिति - पीएमएलए	30000		30000	
मां पूर्णा जन कल्याण सेवा संस्थान - पीएमएलए	-		30000	
मानव कल्याण समिति - पीएमएलए	30000		30000	
मौलाना आजाद एजूकेशनल सोसायटी, उ.प्र. - पीएमएलए	-		60000	
नरेन्द्र देव एजूकेशनल स्कूल, महाराष्ट्र	15000		15000	
नेचर उ.प्र. - पीएमएलए	90000		90000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
पंचला रिलाइन्स सोसायटी, प.बं. - पीएमएलए	-		30000	
प्रतिभा, उ.प्र. - पीएमएलए	90000		150000	
सहारा समिति (पीएमएलए) ,उ.प्र.	15000		15000	
सैनिक महिला प्रशिक्षण, गोरखपुर	-		30000	
सरस्वती शिशु शिक्षा निकेतन उ.प्र. - पीएमएलए	-		120000	
सर्वोदय जन कल्याण संस्थान, उ.प्र. - पीएमएलए	-		60000	
सत्यम शिवम सेवा संस्थान उ.प्र. - पीएमएलए	-		90000	
श्री बोधेवर महादेव संस्थान - पीएमएलए	-		90000	
श्री मीरा सरस्वती शिक्षा समिति - पीएमएलए	30000		30000	
स्पंदन, सीतापूर, उ.प्र. - पीएमएलए	30000		30000	
द वीमेन्स वेलफेयर सोसायटी, कर्नाटक (पीएमएलए)	30000		30000	
यशवंत सेवाभावी बहुउद्देशीय, लातूर - पीएमएलए	60000		60000	
युवा चेतना समाज कल्याण समिति, दिल्ली (पीएमएलए)	45000		45000	
जैन सोशल वेलफेयर सोसायटी, लखनऊ, उ.प्र.	15000		15000	
राष्ट्र स्तरीय संगोष्ठी और सम्मेलन (छ)	**630000**		**1140282**	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग - एस/सी	-		105582	
भारत यूथ वेलफेयर एजूकेशन एण्ड रूरल, कर्नाटक	-		90000	
भारथियर यूनिवर्सिटी कोयम्बतूर तमिलनाडु-एस/सी एनएल	90000		90000	
फेडरेशन ऑफ इंडिया वीमेन इंटरपेनुअरे (एफआईडब्ल्यूई) दिल्ली	-		-	
गांधी स्मारक ग्राम सेवा, केरल - एस/सी	90000		90000	
हील इण्डिया - एस/सी एसएल	90000		90000	
इसाबेला थॉबर्न कॉलेज लखनऊ एस/सी	-		90000	
नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डीफ (एनएडी) दिल्ली - एस/सी	-		-	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर - एस/सी एनएल	60000		-	
पंजाब राज्य महिला आयोग - एस/सी	-		90000	
रजिस्ट्रार, अलगप्पा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु - एस/सी	60000		-	
रजिस्ट्रार, हेमचन्द्राचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय - एस	90000		-	
रजिस्ट्रार, जामिया मिलिया इस्लामिया - एस/सी	90000		90000	
सोशल डवलपमेंट फाउण्डेशन, दिल्ली- एस/सी एनएल	-		74700	
सोसायटी फॉर कम्युनिटी एक्शन आं.प्र. - एस/सी एनएल	30000		30000	
द रजिस्ट्रार उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय - एस/सी एनएल	-		90000	
उदिशा, वसंत कुंज, दिल्ली - एस/सी	-		90000	

यूनीवर्सिटी महारानी कालेज, जयपुर - एस/सी एनएल	-		90000	
कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान - एस/सी एनएल	30000		30000	
महिला अध्ययन एवं अनुसंधन केंद्र विश्वविद्यालय - एस/सी				

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
संगोष्ठी एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र) (ज)	**822200**		**1007000**	
एक्शन फॉर वीमेन एंड रूरल डवलपमेंट मणिपुर - एस/सी	145200		-	
अखण्ड, त्रिपुरा - एनईआर एस/सी	30000		30000	
असम वियवविद्याल, एस/सी एनईआर	-		-	
महिला अध्ययन केंद्र, असम	30000		30000	
कालेज ऑफ होम साइंस सेंट्रल मेघालय एस/सी एनईआर	30000		-	
राजनीति विज्ञान विभाग डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय	30000		30000	
डवलपमेंट नेटवर्किंग एजेंसी, मणिपुर एस/सी एनईआर	30000		30000	
डवलपमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन एंड स्पोर्टिंग - एस/सी एनईआर	36000		36000	
दुकुतिया चैरिटेबल ट्रस्ट, बीटीएडी	30000		30000	
फाउण्डेशन फॉर सोशल डवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन इम्फाल, मणिपुर	30000		30000	
ग्लोबल हैल्थ इम्यूनिजेशन एंड पॉपूलेशन असम एस/सी एन	-		-	
ग्रासरूट, मेघालय एस/सी	20000		20000	
हयांग मेमोरियल एग्रो इण्डस्ट्री एण्ड एजूकेशन, ए.पी. एस/सी एनईआर	30000		30000	
इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट, मणिपुर एस - एनईआर	-		30000	
ईश्वरम्भा समिति संघ - एस/सी एनईआर	30000		30000	
मणिपुर राज्य महिला आयोग एस/सी	-		90000	
मेघालय राज्य आयोग - एस/सी एनईआर	-		-	
मेघालय राज्य महिला आयोग - एस/सी	36000		36000	
न्यू इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट मैनेजमेंट एजेंसी (एस/सी)	30000		30000	
न्यू विज़न क्रीएटिव सोसायटी गांव व डाकघर एरा, असम	30000		30000	
नॉर्थ - ईस्ट इंडिया सेंटर फॉर मास कम्यूनिकेशन - एस/सी एन	30000		30000	
नॉर्थ - ईस्ट इंडिया नेटवर्क, असम एस/सी एनईआर	135000		135000	
पारडा, मणिपुर	30000		30000	
पीपल्स सोशिओ - कल्चर ऑर्गेनाइजेशन (पीईएससीओ) - एस/सी एनईआर	-		30000	
रजिस्ट्रार, मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम - एस/सी एनईआर	-		-	
रूरल डवलपमेंट सोसायटी अरुणाचल प्रदेश - एस/सी एनईआर	30000		30000	
सोशल अवेयरनेस फॉर फ्रेंडली इनवायरमेंट - गुवाहाटी एनईआर	-		30000	
सोशल वेलफेयर मैनेजमेंट एण्ड प्रमोशनल - एस/सी एनईआर	-		30000	

साउथ एशिया बम्बू फाउण्डेशन - एस/सी एनईआर	30000		30000	
द विल एसोसिएशन सिंगजामई इम्फाल - एस/सी एनईआर	-		30000	
त्रिपुरा राज्य महिला आयोग - एस/सी एनईआर	-		-	
वांगजिंग वीमेन एण्ड गर्ल्स सोसायटी, मणिपुर - एस/सी	-		120000	
क्षेत्रीय स्तर की संगोष्ठियां / सम्मेलन (झ)	**240000**		**300000**	
अखिल भारतीय सामाजिक न्याय सोसायटी - एस/सी	90000		90000	
महिला अध्ययन विभाग-सह-केंद्र -एस/सी	-		60000	
इंदिरम्मा महिला मंडली - एस/सी	30000		30000	
नव भारत ग्रामीण एवं शिक्षा सोसायटी ए.पी. - एस/सी	60000		60000	
राष्ट्रीय महिला संस्थान उ.प्र. - एस/सी	-		-	
श्री राजे शिव क्षत्रपति महाराष्ट्र - एस/सी आर	60000		60000	

राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	**गैर-योजना**	**योजना**	**गैर-योजना**
संगोष्ठी सम्मेलन - राज्य स्तरीय (ञ)	**1140000**		**2396000**	
अल-ए-यासीन ह्यूमन रिपोर्स डवलपमेंट - एस/सी	30000		30000	
अभ्युदय सेवा समिति, आं.प्र. - एस/सी	-		30000	
आदर्श रूरल डवलपमेंट एण्ड ट्रैनिंग सोसायटी, कर्नाटक - एस/सी	-		30000	
आदर्श कल्याणकारी सेवा, उ.प्र. - एस/सी	-		30000	
आगरा जन कल्याण सेवा समिति, यूपी- एस/सी	-		30000	
ऑल इण्डिया शिक्षा एवं विकास एसोसिएशन, दिल्ली	-		30000	
अम्बिकापुर विकास समिति (एवीएस), छत्तीसगढ़	-		30000	
ए.आर. फाउण्डेशन, आं.प्र. - एस/सी	30000		30000	
अरुण इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल अफेयर्स, ओडिशा - एस/सी	-		30000	
अस्थाना-ए-चिस्तिया महिला मंडली - एस/सी	30000		30000	
बालाजी रूरल डवलपमेंट सोसयटी, कर्नाटक - एस/सी	-		30000	
बांकुरा मानस सोशल वेलफेयर सोसायटी, प.बं. - एस/सी	30000		30000	
बारबेरिया चेतना सत्संग, प.बं. - एस/सी	30000		30000	
भारतीय लोक कल्याण संस्थान, झारखंड - एस/सी एसएल	30000		30000	
भारतीय लोक कल्याण संस्थान, रांची - एस/सी एसएल	-		6000	
बिहंग वेलफेयर एसोसिएशन, ओडिशा, - एस/सी	-		30000	
ब्रिज बाल विकास केंद्र, उ.प्र.- एस/सी	-		30000	
सैंटर फॉर आल्टरनेट रूरल (केयर) -एस/सी	30000		30000	
चंद्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सेवा - एस/सी	30000		30000	

कम्यूनिटी रूरल वेलफेयर डवलपमेंट - एस/सी	-		30000	
सी.वी. रमन एजुकेशनल सोसयटी ए.पी. एस/सी	-		30000	
दीप विद्या मंदिर समिति (डीवीएमएस) , राजस्थान - एस/सी	-		30000	
ध्वनि कला संगम उ.प्र. - एस/सी	-		30000	
डी.एस. सोशल सोसायटी आवास विकास, उ.प्र. - एस/सी	30000		30000	
एकला चलो - एन आर्गेनाइजेशन फॉर अर्बन एंड रूरल पश्चिम बंगाल-एस/सी	-		30000	
गनोजा देवी संस्था महाराष्ट्र - एस/सी	-		30000	
ग्राम्यम, तमिलनाडु - एस/सी	30000		30000	
जय देवी शिक्षा प्रसार समिति, म.प्र. - एस/सी	30000		30000	
जय किसान शिक्षण प्रसारक मंडल, - एस/सी	30000		30000	
जय मां भवानी फाउण्डेशन, म.प्र. - एस/सी	-		30000	
जय श्री अररहिन्त विद्या मंदिर बूंदी - एस/सी	30000		30000	
जन कल्याण समाज सेवा ट्रस्ट - एस/सी	30000		30000	
कमला नेहरू महाविद्यालय - एस/सी	30000		30000	
केकेसी इंस्टीट्यूट पी.जी. स्टडीज (केआईपीएस) , आं.प्र. - एस/सी एसएल	-		30000	
लक्ष्य सेवा संस्थान उ.प्र. एस/सी एसएल	-		30000	
लोक सेवा संस्थान - एस/सी (राज्य स्तरीय)	30000		30000	
महर्षि योगराज कल्याण समिति, उत्तराखंड - एस/सी एसएल	-		30000	
मानव सेवा कल्याण संस्थान, म.प्र. - एस/सी	-		30000	
मानव समवा समाज मालीताल - एस/सी	-		30000	
मानव विकास फाउण्डेशन, दिल्ली - एस/सी	30000		30000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
मातोश्री माइसाहेद अम्बेडकर ग्राम विकास - एस/सी	30000		30000	
मित्र अवेयरनेस सोशल सर्विस, आं.प्र. - एस/सी	30000		30000	
मदर्स लैप चैरिटेबल ऑर्गनाइजेशन, आं.प्र. - एस/सी एसएल	-		30000	
मदर टेरेसा रूरल एण्ड ट्राइबल डवलपमेंट, आं.प्र. - एस/सी	-		30000	
मुक्ति ममता महिला मंडल, म.प्र. - एस/सी	30000		30000	
नागरिक उत्थान समिति, उ.प्र. - एस/सी	30000		60000	
नैनी महिला एवं बाल विकास समिति, उत्तराखण्ड - एस/सी	-		30000	
नवचेतन सार्वजनिक ट्रस्ट - गुजरात एलएपी	-		50000	
नेहरू युवा क्लब, हरियाणा - एस/सी	30000		30000	
निवेदिता कल्याण समिति, म.प्र. - एस/सी	-		30000	
नोबल रिफॉर्मेशन इंटीग्रेशन सोसायटी - एस/सी	30000		30000	

राजधानी कालेज, दिल्ली - एस/सी	30000		30000	
रामेश्वरम, बिहार-एस/सी एसएल	-		30000	
रामेश्वरम, महादेव विकास संस्था - एस/सी	30000		30000	
सदयानोदय इलाईनगर नरपाणी, तमिलनाडु - एस/सी	-		30000	
सेफ सोसायटी - एस/सी एसएल	30000		30000	
सहायता सामाजिक संस्थान, छत्तीसगढ़ -एस/एम	-		30000	
सलेम डिस्ट्रिक्ट पीपल सर्विस सोसायटी - एस/सी एसएल	-		30000	
शंकर ज्ञान पीठ शिक्षण, छत्तीसगढ़ - एस/सी	-		30000	
सांस्कृतिक सामाजिक समिति, उ.प्र. - एस/सी	60000		-	
सर्वजन सेवा संस्थान - एस/सी	-		30000	
सतविन्दर शिक्षा समिति - एस/सी एसएल	30000		30000	
सावित्रीबाई फुले भाऊ शिक्षण संस्थान - एस/सी	30000		30000	
शेयर (सोसायटी फॉर ह्यूमनेटेरियन एक्शन (ओडिशा) - एस/सी	-		30000	
श्री दर्पण चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, गुजरात - एस/सी	30000		30000	
श्रीपद नवजीवन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र - एस/सी एसएल	30000		30000	
श्री राजीव गांधी स्मृति खादी ग्रामाद्योग ट्रस्ट - एस/सी	30000		30000	
श्री राम जन कल्याण विकास समिति एस/सी एसएल आरएजेएस	30000		30000	
श्याम कवि लोक कल्याण संस्थान - एस/सी	-		30000	
सिलिगुड़ी बोद्धि भारती वोकेशनल इंस्टीट्यूट-एस/सी एसएल	-		30000	
सोशल एक्शन फॉर रूरल पूअर, कर्नाटक - एस/सी	30000		30000	
सोशल वैलफेयर एंड रिसर्च एसोसिएशन, दिल्ली एस/सी	-		30000	
सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ प्रगति संस्थान, राजस्थान - एस/सी	30000		30000	
सोसायटी फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पूअर इन रूरल, आं.प्र. - एस/सी	-		30000	
श्री सिंदूरा नृत्य कला अकैडमी, कनार्टका - एस/सी	-		30000	
स्वालम्बन, हि.प्र. - एस/सी	30000		30000	
तरुक्षा, पटना - एस/सी	-		30000	
विश्वेश्वरैया रूरल एण्ड अर्बन डवलपमेंट, कर्नाटक एस	-		30000	
वालिएन्टरी इंटीग्रेटेड डवलपमेंट सोसायटी, आं.प्र. - एस/सी	-		30000	
वीकर सैक्शन डवलपमेंट सोसायटी, आं.प्र. - एस/सी	30000		30000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अन्य संगोष्ठियां एवं सम्मेलन (ट)	**19973586**		**3562174**	
एसीपी / डीडडीओ / एसपीयूडब्ल्यमसी नानकपुरा - एस/सी एक्स	3665000		-	
एक्शन रिसर्च फॉर हैल्थ एंड सोशल इकोनोमिक डवलपमेंट - एस	-		-	
आदर्सा, ओडिश (एस/सी)	15000		15000	
एकतन संघ, पश्चिम बंगाल (एस/सी)	30000		3000	
अखिल भारतीय विकलांग सेवा संस्थान, उ.प्र. - एस/सी	30000		30000	
अखिल मानव सेवा परिषद - एस/सी	13950		13950	
अक्काई पॉलीराफ्ट एसोसिएशन लखनऊ - एस/सी	-		-	
अक्कामहादेवी महिला मंडल कर्नाटक् - एस/सी	90000		-	
ऑल इण्डिया फाउण्डेशन फॉर पीस एण्ड डिजास्टर मैनेजमेंट - एस/सी	-		30000	
ऑल इण्डिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली - एस/सी	30000		30000	
एमिटी विधि विद्यालय, उ.प्र. (संगोष्ठी / सम्मेलन)	153750		153750	
अमृता महिला कल्याण समिति, उ.प्र. - एस/सी	-		30000	
अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय - एस/सी -एस/सी	109250		-	
अरुणोदय शैक्षणिक एवं ग्रामीण विकास सोसायटी - एस/सी	29624		-	
एसोसिएशन फॉर डवलमेंट एण्ड रिसर्च, ओडिशा - एस/सी	30000		30000	
आवाज़-ऐ-निसवान, मुम्बई - एस/सी	109300		-	
अवध एजूकेशनल सोसायटी लखनऊ - एस/सी	300000		30000	
भागीदारी जन सहयोग समिति	30000		30000	
भरथियार इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वीमेन तमिलनाडु	-		-	
भारतीय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान, उ.प्र. - एस/सी	15000		15000	
सैंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली (एस/सी)	-		151674	
सैंटर फॉर वीमेन्स स्टडीज, उदयपुर	90000		90000	
विकासशील देश अनुसंधान केंद्र,दिल्ली विश्वविद्यालय - एस/सी	90000		90000	
धनवंधरी मेंटली रिटार्डेड ड्रग- एस/सी	30000		30000	
धरती फाउण्डेशन दिल्ली - एस/सी	60000		-	
निदेशक, माया फाउण्डेशन, चण्डीगढ़ - एस/सी	90000		90000	
निदेशक, स्कूल ऑफ इनश्योरेंस स्टडीज नेशसनल लॉ	142750		-	
डिवाइन टच, दिल्ली - एस/सी	90000		90000	
डा0 बी0 आर0 अम्बेडकर ग्रामीण विकास सोसायटी कर्नाटक - एस/सी	30000		-	
डा0 हाहनेमन, एजूकेशनल डवलपमेंट, दिल्ली	30000		30000	
दुआर्शनी श्रमिक संघ, ओडिशा	9000		9000	
एजूकेशन एण्ड रूरल डवलपमेंट सोसायटी तमिलनाडु - एस/सी	29000		29000	

एजूकेशन एण्ड रूरल डवलपमेंट, तमिलनाडु (एस/सी)	95150		30000	
गंदारपुरकुर श्री रामकृष्ण आश्रम, प.बं. - एस/सी	30000		30000	
गीत महिला समिति, उ.प्र.	15000		15000	
जीएचजी खालसा कालेज लुधियाना - एस/सी	142650		-	
ज्ञान सुधा एजूकेशनल सोसायटी, हैदराबाद	15000		15000	
गोखले एजुकेशन सोसायटी, मुम्बई - एस/सी	63650		-	
ग्रामीण उत्थान मानव संस्थान, राजस्थान	-		30000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
ग्रीन वर्ल्ड एजूकेशनल सोसायटी, उदयपुर	30000		30000	
गुजरात राज्य महिला आयोग - एस/सी	60000		60000	
हस्तक्षेप वेलफेयर सोशल सोसायटी - एस/सी	100300		-	
हैल्थ एग्रीकल्चर रूरल डवलपमेंट सोसायटी ए.पी. - एस/सी	100500		-	
हेलेना कौशिक महिला कालेज, झुझनू	90000		90000	
हेमनगर सुंदरबन ड्रीम - एस/सी	86600		-	
हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी - एस/सी	146223		-	
ह्यूमन रिसोर्स एडवांसमेंट वेलफेयर, दिल्ली - एस/सी	30000		30000	
भारतीय युवा कल्याण संस्थान, महाराष्ट्र	15000		15000	
इंटीग्रेटेड ट्राइबल डैवलपमेंट फॉर वर्कर्स	30000		30000	
जागृति जन कल्याण समिति, बिहार (एस/सी)	-		30000	
जालना ग्रामीण विकास सोसायटी, कर्नाटक - एस/सी	30000		-	
जन कल्याण कुटीर ग्रामोद्योग संस्था (एस/सी)	30000		30000	
जन कल्याण, ओडिशा - एस/सी	30000		30000	
जन कल्याण युवक संघ, ओडिशा	27540		27540	
जनता वैदिक शिक्षा एवं सेवा समिति, उ.प्र. - एस/सी	-		-	
जीवन प्रकाश ट्रस्ट, गुजरात - एस/सी	30000		30000	
जीवन विकास संस्था, महाराष्ट्र - एस/सी	90000		-	
झारखण्ड राज्य आयोग - एस/सी	30000		30000	
जीजामाता बहुउद्देशीय महिला, लातूर - एस/सी	30000		30000	
केरल एजूकेशनल डवलपमेंट एण्ड इम्पावरमेंट, केरल - एस/सी	30000		30000	
क्रांति वैलफेयर एसोसिएशन, कर्नाटक एस/सी	60000		60000	
कृषि महिला मंडली, नावा, आं.प्र.	30000		30000	
कुमार्शा रूरल डवलपमेंट सोसायटी प.बं.	15000		15000	

कुंदन वेलफेयर सोसायटी - एस/सी	-		30000	
लोकहितवाडी सामाजिक व सांस्कृतिक क्रीडा - एस/सी	30000		30000	
मॉ पूर्णा जन कल्याण सेवा संस्थान - एस/सी उ.प्र.	72200		-	
मदुरै अनौपचारिक शिक्षा केंद्र तमिलनाडु - एस/सी	-		-	
महिला सखी सहेली समिति, छत्तीसगढ़ -एस/सी	30000		-	
महिला उत्थानम - उ.प्र. एस/सी	-		30000	
मानव उत्थान सोसायटी देहरादून- एस/सी	90000		-	
मौलाना आजाद नैशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद	-		30900	
माया फाउण्डेशन, चण्डीगढ़ - एस/सी	30000		30000	
नागरा भावी अर्बन एंड रूरल सर्विस (एन.बी. अर्बन) एस/सी	30000		30000	
नारी और शिशु कल्याण केंद्र, पश्चिम बंगाल - एस/सी	-		39360	
नेशनल चैरिटेबल वेलफेयर सोसायटी - उ.प्र. - एस/सी	30000		30000	
नेशनल आद्योगिक प्रशिक्षण एवं परामर्श - एस/सी	53500		-	
नूतन पाथर साथी कोलकाता	30000		30000	
नवजीवन ग्रामीण विकास सोसायटी ए.पी. - एस/सी	60000		-	
नव राजीव गांधी फाउण्डेशन एण्ड रिसर्च- एस/सी जयपुर	30000		30000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
एनएडब्ल्यूओ मार्फत डा0 पाम राजपूत वीमेन्स रिसोर्स चंडीगढ़	200000		200000	
नोबल सोशल एण्ड एजूकेशनल सोसायटी - एस/सी	60000		60000	
ओडिशा राज्य महिला आयोग - एस/सी	150000		-	
ओम आदर्श समिति, दौसा - एस/सी	30000		30000	
आर्गेनाइजिंग सैक्रेटेरी, 33वां क्रिमिनॉलोजी कॉन्फ्रैंस जम्मू व कश्मीर	90000		90000	
पहल वेलफेयर सोसायटी, हरियाणा - एस/सी	30000		30000	
परवाज़ जन कल्याण संस्थान, उ.प्र. - एस/सी	30000		30000	
पीस रिकन्साइलेशन मिनिस्ट्रीज आंध्र प्रदेश - एस/सी	30000		-	
पूजा आदर्श विद्या मंदिर संस्था, राजस्थान (एस/सी)	30000		30000	
पूजा वेलफेयर सोसायटी, जम्मू व कश्मीर- एस/सी	30000		30000	
प्रकर्मा महिला समिति (एस/सी)	30000		30000	
प्रधानाचार्य,होली क्रॉस प्रबंधन संस्थान केरल - एस	142750		-	
प्रधानाचार्य, एम. पी. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजस्थान	30000		30000	
राजीव गांधी जनसेवा संस्थान, राजस्थान	30000		30000	
रामभऊ महालगी प्रबोधिनी मुम्बई - एस/सी	-		-	

रवीन्द्र नाथ टैगोरग्रामोत्थान उ.प्र. - एस/सी	63500		-	
आर.के. एचआइवी एड्स रिसर्च एण्ड केयर सेंटर, मुम्बई	60000		60000	
रोल ऑफ वीमेन राइटर इन सोशल अवेकनिंग3	18000		18000	
सबरी एजूकेशनल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, उ.प्र.	30000		30000	
सद्भावना समन्वय संस्थान, उ.प्र - एस/सी.	45000		45000	
सखी केंद्र - एस/सी	60000		60000	
सम्मित सोशल समिति, म.प्र.	15000		15000	
संजीवनी, भुवनेश्वर	9000		9000	
संजीवनी, दिल्ली - एस/सी	30000		30000	
संजीवनी सोसायटी - एस/सी	15000		15000	
सांस्कृतिक विकास एवं नव कल्याण समिति, उत्तराखण्ड - एस/सी	30000		30000	
सर्वोदय समग्र विकास एवं संचार संस्थान - एस/सी	30000		30000	
सेल्फ इनिशिएटिव फॉर टोटल अवेयरनेस, देवगढ़ - एस/सी	30000		30000	
शक्ति वाहिनी (एस/सी)	30000		30000	
शिवम जन कल्याण शिक्षा समिति,उ.प्र. - एस/सी	-		-	
शिव चरण माथुर सोशल पॉलिसी - एस/सी	-		30000	
श्री गिरिराज जी महाराज शिक्षा, उ.प्र. - एस/सी	30000		30000	
श्री राम स्मृति शैक्षणिक, इन्दौर - एस/सी	30000		30000	
सिलदा स्वास्ती उन्नयन समिति,मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल - एस/सी	30000		30000	
समाज कल्याण एवं विकास संगठन - एस/सी	30000		-	
सोसायटी फॉर हैल्थ एण्ड एजूकेशनल डवलपमेंट, हैदराबाद	15000		15000	
स्त्री मुक्ति संघटन, मुम्बई (एस/सी)	30000		30000	
सुरुचि कला केंद्र, बिहार - एस/सी	30000		30000	
एस.वी. एजूकेशनल सोसायटी, आं.प्र. - एस/सी	30000		30000	
तरंगिनी सोशल सर्विस सोसायटी, आं.प्र.	15000		15000	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
टाटा समाज विज्ञान विज्ञज्ञन संस्थान, मुम्बई - एस/सी	10197549		-	
कलैक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर	30000		30000	
पुलिस आयुक्त, पुणे - एस/सी	30000		30000	
उल्हास फाउण्डेशन, दिल्ली - एस/सी	-		-	
यूनिक विकास संस्थान, उ.प्र. - एस/सी	90000		-	
मैसूर विश्वविद्यालय, कर्नाटक - एस/सी	142750		-	
उ.प्र. राज्य महिला आयोग - एस/सी	-		-	
उत्थान शोध संस्थान, राजस्थान	30000		30000	
वैष्णो नारी सेवा संस्थान, उ.प्र. - एस/सी	-		30000	
विद्या कला संस्थान, उ.प्र.	15000		15000	
पश्चिम बंगाल महिला आयोग - एस/सी	60000		60000	
विप्रो फाउण्डेशन - एस/सी	30000		30000	
महिला अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र, म.प्र. - एस/सी	90000		-	
यौर स्टोरी मीडिया प्रा. लि. - एस/सी	600000		-	
विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र) **(ठ)**	**1523305**		**1523806**	
अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग - विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	112602		-	
असम राज्य महिला आयोग - विशेष अध्ययन	146800		440400	
असम विश्वविद्यालय - विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	131040		131040	
ड्रीम प्रोग्रेसिव वेलफेयर एसोसिएशन, असम पूर्वोत्तर क्षेत्र	36600		36600	
जन नेता इरावत फाउण्डेशन, मणिपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र	37065		37065	
जन समृद्धि समिति इम्फाल, मणिपुर	32350		32350	
मणिपुर राज्य महिला आयोग - विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	91350		-	
मेघालय राज्य महिला आयोग - विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	87717		263151	
मिजोरम राज्य महिला आयोग - विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	559473		-	
नागालैंड राज्य महिला आयोग - विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	100400		301200	
ओमिओ कुमार दास इंस्टीट्यूट ए सोशल चेंज	48000		48000	
सिक्किम राज्य महिला आयोग - विशेष अध्ययन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	61908		-	
त्रिपुरा राज्य महिला आयोग - विशेष अध्ययन	78000		234000	

अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां

(राशि रुपयों में)

	सकल ब्लॉक					अपकर्ष				निबल ब्लॉक	
	अधिशेष	अनुवृद्धि	वियोजन	समायोजन	इति शेष	अधिशेष	अनुवृद्धि पर	वियोजन पर	अंत में कुल मूल्य	मौजूदा वर्ष	विगत वर्ष
										-	-
स्थायी परिसंपत्तियां	-									-	-
भूमि	35,53,443.00	-	-	-	35,53,443.00	-	-	-	-	35,53,443.00	35,53,443.00
भवन - कार्य प्रगति पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मशीने एवं उपकरण	45,48,636.00	7,750.00	-	-	45,56,386.00	6,82,295.40	1,163	-	6.83,458	38,72,928	45,48,636.00
वाहन	24,64,000.00	7,32,119.00	2,29,887.00	-	29,66,232.00	3,69,600.25	54,909	21,908.00	4,46,417	25,19,815	24,64,000.00
फर्नीचर एवं जुड़नार	64,13,562.00	23,08,557.00	-	-	87,22,119.00	6,41,356.90	1,22,617.00	-	7,63,973.00	79,58,146	64,13,562.00
कम्प्यूटर	2,98,776.00	-	-	-	2,98,776.00	1,79,286.00	-	-	1,79,266	1,19,510	2,98,776.00
पुस्तकें एवं प्रकाशन	37,385.00	30,184.00	-	-	67,569.00	22,431.00	-	-	31,486	36,083	37,385.00
वृत्तचित्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चालू वर्ष का कुल	**1,73,15,802.00**	**30,78,610.00**	**2,29,887.00**	**-**	**2,01,64,525.00**	**18,94,948.00**	**1,87,744.00**	**-**	**21,04,600.00**	**1,80,59,926**	**1,73,15,602.00**
प्रगति पर पूंजीगत कार्य	**44,82,860.00**	**1,90,00,000.00**		**19,47,87,000.00**	**21,82,69,860.00**					**21,82,69,860.00**	**44,82,860.00**
समग्र कुल	**2,17,98,662.00**	**2,20,78,204.00**	**2,29,887.00**	**19,47,87,000.00**	**23,84,34,385.00**	**18,94,948**	**1,87,744**		**21,04,600**	**23,63,29,786**	**2,17,98,662.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 8 - स्थायी परिसंपत्तियां				
1) भूमि	35,53,443.00	--	35,53,443.00	
2) फर्नीचर एवं जुड़नार	79,58,146.00	--	64,13,662.00	
3) मशीने एवं उपकरण	38,72,928.00	--	45,48,636.00	
4) कम्प्यूटर	1,19,510.00	--	2,98,776.00	
5) वाहन	25,19,815.00	--	24,64,000.00	
6) वृत्तचित्र	-	--	--	
7) पुस्तकें एवं प्रकाशन	36,083.00	--	37,385.00	
8) भवन - कार्य प्रगति पर	21,82,69,860.00		44,82.860.00	
	23,63,29,785.00	--	**2,17,98,662.00**	

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 9 - निर्धारारित एवं आरक्षित निधियों से निवेश		कोई नहीं		
अनुसूची 10 - निवेश - अन्य		कोई नहीं		
अनुसूची 11 - वर्तमान परिसंपत्तियां				
(क) वर्तमान परिसंपत्तियां				
1) नकद शेष (चैक / ड्राफ्ट / अग्रदाय सहित)		--		
2) शेष बची डाक टिकटें		32,284.00		35,115.00
3) बैंक शेष कैनारा बैंक - 23274298 अनुसूचित बैंकों के पास इंडियन बैंक - 9,99,520 बचत खाते में	1,62,81,559.00	79,92,559.00	1,56,55,981.00	18,779.00
4) ऋण, अग्रिम एवं अन्य प्राप्य राशि नकदी या वस्तु या मूल्य के रूप में राशि	--	--	--	--
5) एनआईसीएसआई को तीन माह के लिए पूर्व भुगतान किया गया व्यय	1,27,251.00	--	-	-
5) विविध देनदारियां				
(क)	**1,64,08,810.00**	**80,24,843.00**	**1,56,5,981.00**	**53,894.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
ख. ***ऋण एवं अग्रिम***				
योजनागत ख	**6,89,75,229.00**		**22,31,94,394.00**	
कर्मचारियों को अग्रिम	**10,55,866.00**		**8,63,206.00**	
संगोष्ठी एवं सम्मेलन				
अब्दुस सलाम	3,57,109.00		3,57,109.00	
अनीता पपरेजा	-		36,00.00	
मंजू एस. हैम्ब्रम	4,60,097.00		4,60,097.00	
मृदुल भट्टाचार्य	70.848.00		10,000.00	
प्रवीण सिंह, परामर्शदाता - अग्रिम एस/सी	3699.00		-	
रेखा शर्मा, सदस्य - अग्रिम एस/सी	8742.00		-	
रिचा ओझा -- अग्रिम एस/सी	15587.00		-	
स्मिता झा, परामर्शदाता – अग्रिम एस/सी	3565.00		-	
एस. मुरली, सहायक – अग्रिम एस/सी	59869.00		-	
सुधा चौधरी – अग्रिम एस/सी	2561.00		-	
अरुण छाबड़ा – अग्रिम एस/सी	40000.00		-	
वी.वी.बी. राजू, उप सचिव – अग्रिम एस/सी	33789.00		-	
मशीनरी एवं उपकरण के लिए अग्रिम	**8000.00**			
ईश्वर चन्द्र - मशीनरी एवं उपकरण के लिए अग्रिम	8000.00			
विज्ञापन हेतु अग्रिम	**2,24,55,037.00**			
लेखाधिकारी, डीएवीपी, विज्ञापन (अग्रिम)	2,24,00,000.00		35,53,655.00	
संपादक, रोजगार समाचार - विज्ञापन अग्रिम	55,037.00		97,07,392.00	
श्रव्य-दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम	**2,53,67,734.00**		-	
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	1,19,10,361.00		1,50,000.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम - श्रव्य दृश्य अग्रिम	1,34,57,373.00			

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम	**7,50,000.00**		**8,76,790.00**	
संगोष्ठी एवं सम्मेलन				
ए.सी.पी., मुख्यालय, डी.डी.ओ., नानकपुरा	1,00,000.00		1,00,000.00	
अपर्णा भट्ट, एडवोकेट	-		-	
सीईक्यूयूआईएन, नई दिल्ली	2,00,000.00		2,00,000.00	
स्वरलिपि स्वागत बिल्डिंग, मुम्बई	4,50,000.00		4,50,000.00	
संगोष्ठी एवं सम्मेलन के लिए अग्रिम				
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)			1,26,790.00	
संगोष्ठियों के लिए अग्रिम	**705380.00**		--	
सहायक निदेशक, संपदा निदेशालय - एस/सी अग्रिम	30000.00		--	
बामेर एंड लौरी कं. लि. - संगोष्ठी अग्रिम	300000.00		--	
कुशियन प्रा. लि. नई दिल्ली - एस/सी	306680.00		--	
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान आईआईपीए - अग्रिम	--		--	
स्कोप कम्पलैक्स, एमएमओ खाता - संगोष्ठी अग्रिम	68700.00		--	
			--	
पेशेवरों को भुगतान के लिए अग्रिम	**3100000.00**		--	
एनबीसीसी सर्विस लि. - शुल्क	3100000.00		--	
कम्प्यूटर के लिए अग्रिम	**137052.00**		--	
फ्यूचर वर्ल्ड रिटेल प्रा.लि.	137052.00		--	
मोटर वाहन के लिए अग्रिम	**694160.00**		--	
किर्लोस्कर मोटर प्रा. लि.	694160.00		--	
अन्य अग्रिम	**14702000.00**		**20,94,89,000.00**	
के.लो.नि.वि. (अग्रिम)	14702000.00		1,47,02,000.00	
फर्नीचार एवं जुड़नार के लिए अग्रिम - एनबीसीसी	--		1,00,00,000.00	
मशीनरी एवं उपकरणों के लिए अग्रिम - एनबीसीसी	--		1,98,00,000.00	
भवन के लिए अग्रिम - एनबीसीसी	--		16,49,87,000.00	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
गैर-योजनागत ग		**3,15,899.00**	-	**1,32,931.00**
कर्मचारियों को अग्रिम		**3,04,746.00**	-	**1,21,778.00**
वाहनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण		**11,559.00**	-	**2,500.00**
दलेर सिंह		3000.00	-	2,500.00
महेन्द्र सिंह, ड्राइवर		2500.00		--
जय भगवान		4000.00		--
सोहन लाल		2059.00		--
कार्यालय व्यय		**1,45,490.00**	-	**8,700.00**
डी.बी. श्रीवास्तव, क.हिं.अ.		6500.00	-	8000.00
ईश्वर चन्द्र		5000.00	-	-
राज कुमार, लिपिक		20000.00		--
सुरुचि पुंज		12790.00		--
वी.आर. रमन		500.00		--
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण		700.00		700.00
वीणा पैकर्स एंड मूवर्स - ओ.ई. अग्रिम		-100000.00		--
यात्रा व्यय		**78,948.00**		**12,500.00**
रेखा शर्मा		42886.00		-
सुधा चौधरी, विधि अधिकारी		11962.00		12,500.00
वरुण छाबड़ा		24100.00		--
पैट्रोल के लिए अग्रिम		**86,26.00**		**1,365.00**
महेन्द्र सिंह		4855.00		--
बी.एस. रावत		1365.00		,365.00
सोहन लाल, पीओएल अग्रिम		2406.00		
फर्नीचर की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए अग्रिम		**19173.00**		**--**
रेखा शर्मा, सदस्य		19173.00		--

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
वेतन अग्रिम		**40,950.00**		**96,713.00**
त्यौहार अग्रिम		25,950.00		11,550.00
छुट्टी यात्रा रियायत अग्रिम		15,000.00		85,163.00
ओएमसीए		**11,153.00**		**11,153.00**
अन्य मोटर कार अग्रिम		11,153.00		11,153.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत **घ**	**74,13,957.00**		**69,04,678.00**	
गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम	**25,90,000.00**		**27,40,000.00**	
संगोष्ठी एवं सम्मेलन (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	**20,90,000.00**		**23,40,000.00**	
निदेशक, समाज कल्याण, मेघालय सरकार	4,40,000.00		4,40,000.00	
मिजोरम राज्य आयोग	-		2,50,000.00	
पुदुच्चेरी महिला आयोग	5,00,000.00		5,00,000.00	
प्रधान सचिव, त्रिपुरा सरकार	2,50,000.00		2,50,000.00	
रोटरी क्लब शिलोंग	9,00,000.00		9,00,000.00	
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	**5,00,000.00**		**4,00,000.00**	
रोटरी क्लब शिलोंग - पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,00,000.00		4,00,000.00	
एस.मुरली	1,00,000.00			
विज्ञापन के लिए अग्रिम (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	**48,23,957.00**		**41,64,678.00**	
प्रसार भारती	48,23,957.00		41,64,678.00	
कुल ड़ (ख+ग+घ)	**7,63,89,186.00**	**3,15,899.00**	**23,57,93,213.00**	**2,02,325.00**
प्रतिभूमि जमा **(च)**	**38,160.00**	**21,500.00**	**38,160.00**	**15,500.0**
कुल क+ड़+च	**9,28,36,156.00**	**83,62,242.00**	**24,57,93,213.00**	**2,02,325.00**

एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की आय एवं व्यय से संबद्ध अनुसूचियां

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 12 – वेतन एवं सेवाओं से आय	कोई नहीं		कोई नहीं	

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 13 – अनुदान			-	**1,29,181.00**
1) केंद्रीय सरकार				
अनुदान	18,43,44,000.00	5,14,76,000.00	2185,37,000.00	4,79,40,000.00
घटाएं :- पूंजीकृत सहायतानुदान की राशि	2,20,78,610.00		6,62,204.00	-
कुल अनुदान	**16,22,65,390.00**	**5,14,76,000.00**	**21,78,74,795.00**	**4,79,40,000.00**

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 14 - शुल्क / अभिदान			-	-
1) प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2) वार्षिक शुल्क / अभिदान	-	-	-	-
3) सूचना का अधिकार शुल्क	-	**8,505.00**	-	**10,898.00**
		8,505.00		**10,898.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 15 – निवेश से आय	**कोई नहीं**			
अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	**कोई नहीं**			

अनुसूची 17 - अर्जित ब्याज

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1) बचत बैंक खाता पर				
क) अनुसूचित बैंक में	20,57,848.00	5,74,631.00	12,13,427.00	2,50,270.00
ख) निवेश पर ब्याज	-	-	-	-
2) गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-
3) अंशदायी भविष्य निधि पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-
4) एफ.डी.आर. पर अर्जित ब्याज	-	-	-	-
	20,57,848.00	**5,74,631.00**	**12,13,427.00**	**2,50,270.00**

अनुसूची 18 - अन्य आय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1) पुनरांकित देयताएं	22,10,681.00	-	23,94,351.00	-
2) विविध आय	60,815.00	65,451,00	34,188.00	20,900,00
2) अवधि पूर्व विविध आय	5,23,815.00	2,507.00	11,22,834.00	5,75,574.00
	35,51,373.00	**67,958474.00**	**35,51,373.00**	**5,96,474.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
अनुसूची 19 – तैयार सामान एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि / (कमी)	कोई नहीं		कोई नहीं	

अनुसूची 20 - अर्जित ब्याज

(राशि रुपयों में)

		वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1.	वेतन :-				
	अध्यक्ष एवं सदस्य (6743476-6899182 {देय})	-	60,54,294.00	-	89,28,825.00
	अधिकारी (8689186-586499 {देय})	-	81,02,687.00	-	91,54,698.00
	कर्मचारी (10671270-851281 {देय})	-	98,19,989.00	-	1,25,80,093.00
2.	मजदूरी	92,30,055.00	-	1,00,28,385.00	-
3.	अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	-	-	-	-
4.	अन्य निधियों में अंशदान				
	एल.एस.सी.	-	7,33,906.00	-	11,43,709.00
	पी.सी.	-	3,83,735.00	-	-
5.	व्यावसायिक शुल्क एवं सेवाओं के लिए भुगतान	54,89,,770.00	-	36,06,,654.00	-
6.	मार्च, 2015 माह में देय वेतन	-	17,35,873.00	-	13,50,584.00
7.	मार्च, 2015 माह में देय वेतन विप्रेषण	-	3,91,089.00	-	2,01,858.00
		1,47,19,825.00	**2,72,21,573.00**	**1,36,35,039.00**	**3,33,59,767.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

अनुसूची 21 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजनागत	गैर-योजना
विज्ञापन व्यय	40,57,0828.00	-	78,43,288.00	-
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	-	-	-	-
मुद्रण	8,69,098.00	-	4,46,473.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	58,98,771.00	-	7,73,729.00	-
विशेष अध्ययन	41,42,330.00	-	47,40,423.00	-
कानूनों की समीक्षा	1,04,134.00	-	2,75,477.00	-
पारिवारिक महिला लोक अदालत	-	-	-	-
नुक्कड नाटकों के लिए गैर सरकारी संगठनों को राशि	-	-	-	-
श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार-स्पॉट्स, वृत्त चित्र आदि	2,58,48,375.00	-	-	-
न्यायपालिका एवं पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	2,69,016.00	-	-	-
24X 7 हैल्पलाइन एवं कॉल सेंटर की स्थापना	-	-	-	-
मरम्मत एवं अनुरक्षण योजना	-	-	-	-
भूमि एवं भवन आरआरटी	-	-	-	-
राष्ट्रीय महिला आयोग का राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग	6,41,309.00	-	3,72,881.00	-
पुस्तिकाओं, पर्चियों एवं अन्य सामग्री का मुद्रण	3,67,429.00	-	13,94,514.00	-
कार्यालय व्यय	-	67,69,237.00	-	58,37,190.00
मरम्मत एवं अनुरक्षण	-	7,15,584.00	-	7,49,929.00
टेलीफोन	-	5,71,697.00	-	6,56,847.00
यात्रा व्यय	-	5,52,582.00	-	15,53,001.00
लेखापरीक्षा शुल्क	-	61,200.00	-	1,40,640.00
बैंक प्रभार	-	17,866.00	-	13,978.00
पेट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट	-	11,20,038.00	-	12,95,077.00
समय पूर्व व्यय - किराया	-	--	-	11,50,832.00
किराया, दरें और कर	-	76,06,534.0	-	77,25,986.0
मुकदमेबाजी	-	-	-	-
विज्ञापन पूर्वोत्तर क्षेत्र	1,08,63,104.00	-	52,07,055.00	-
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	-	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र	3,61,192.00	-	-	-
विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,05,643.00	-	-	-
	5,36,27,483.00	**1,74,14,738.00**	**2,70,53,840.00**	**1,91,23,480.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 22 – व्यय अनुदान, सहायिकी आदि

(राशि रुपयों में)

	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजनागत	गैर-योजना
योजना शीर्ष के अंतर्गत				
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	90,31,840.00-	-	1,97,85,645.00-	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	3,85,01,785.00	-	79,41,473.00	-
विशेष अध्ययन	1,56,55,358.00	-	52,01,038.00	-
पारिवारिक महिला लोक अदालत	-	-	9,55,260.00	-
नुक्कड नाटकों के लिए गैर सरकारी संगठनों को राशि	-	-	3,50,000.00	-
राज्य आयोगों के साथ नेटवर्किंग औी टेलीकांफ्रेंसिंग	5,36,000.000	-	-	-
न्यायपालिका एवं पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	6,08,641.00	-	5,79,565.00	-
क	**6,43,93,624.00**	**-**	**3,48,12,981.00**	**-**
योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र शीर्ष के अंतर्गत				
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र	43,20,000.00	-	21,43,780.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन पूर्वोत्तर क्षेत्र	21,79,200.00	-	9,86,956.00	-
विशेष अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र	24,86,665.00	-	14,47,819.00	-
मुद्रण पूर्वोत्तर क्षेत्र	-	-	52,500.00	-
ख	**46,31,055.00**	**-**	**46,31,055.00**	**-**
कुल (क+ख)	**7,23,79,489.00**	**-**	**3,94,44,036.00**	**-**
अनुसूची 23 - ब्याज			कोई नहीं	

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

राष्ट्रीय महिला आयोग

31 मार्च, 2016 तक की स्थिति के अनुसार प्राप्तियां एवं भुगतान से संबद्ध अनुसूचियां

अनुसूची 26 - स्थापना व्यय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना
1. वेतन :-				
अध्यक्ष एवं सदस्य	-	2,54,73,649.00	-	3,06,44,366.00
अधिकारी				
कर्मचारी				
2. मजदूरी	92,30,055.00	-	1,00,29,690.00	-
3. अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान	-	-	-	-
4. अन्य निधियों में अंशदान				
एल.एस.सी.	-	11,17,641.00	-	1143709
पी.सी.	-	-	-	-
5. व्यावसायिक शुल्क एवं सेवाओं के लिए भुगतान	87,17,021.00	-	35,98,504.00	-
	1,79,47,076.00	**2,65,91,290.00**	**1,36,28,194.00**	**3,17,88,075.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

अनुसूची 27 - अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
विवरण		
1. योजनागत		
विज्ञापन व्यय	26457082.00	7748325
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	-	-
मुद्रण	869098.00	446473
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	6670021.00	6243344
विशेष अध्ययन	4274213.00	4740423
कानूनों की समीक्षा	104134.00	2,75,477.00
पारिवारिक महिला लोक अदालत	-	-
श्रृव्य एवं दृश्य प्रचार	39305748.00	49,77,418.00
भूमि एवं प्रगति पर कार्य अग्रिम	-	10,85,00,000.00
एनबीसीसी को मशीनरी एवं उपस्करों के लिए अग्रिम	-	1,98,00,000.00
मशीनरी एवं उपस्करों के लिए अग्रिम	8000.00	
एनबीसीसी को फर्नीचार एवं जुड़नार के लिए अग्रिम	-	1,00,00,00.00
मोटर वाहन के लिए अग्रिम	694160.00	-
कम्प्यूटर के लिए अग्रिम	137052.00	
वितरण हेतु पुस्तिकाओं, पर्चियों एवं अन्य सामग्री का मुद्रण	367429.00	1394514
महिलाओं से संबंधित कानूनों के उचित क्रियान्व्यन के लिए न्यायपालिका एवं पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	269016.00	-
राष्ट्रीय महिला आयोग का राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग	641309.00	372881
नुक्कड नाटक के लिए गैर सरकारी संगठनों को राशि	-	-
क	**7,97,97,262.00**	**16,44,98,855.00**
2. गैर-योजनागत		
कार्यालय व्यय	6906027.00	5843369
मरम्मत एवं अनुरक्षण	743816.00	752429
टेलीफोन	571697.00	656847
यात्रा व्यय	616523.00	1565501
लेखापरीक्षा शुल्क	61200.00	140640
बैंक प्रभार	17866.00	13978
पैट्रोल, तेल एवं लुब्रीकेंट	1127299.00	1295077
किराया, दरें और कर	7606534.00	7725986
मुकदमेबाजी	-	-
ख	**1,76,50,962.00**	**1,79,93,827.00**

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत		
विवरण		
विज्ञापन व्यय	11522383.00	9371733.00
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	100000.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	496992.00	-
विशेष अध्ययन	205643.00	117234.00
मुद्रण	-	52500.00
ग	**1,23,25,018.00**	**95,41,467.00**

अनुसूची 28 – विभिन्न परियोजनाओं हेतु राशि के लि किया गया भुगतान

(राशि रुपयों में)

योजनागत - सामान्य		
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	12426723.00	18729075.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	23577330.00	8421428.00
विशेष अध्ययन	9912820.00	3178278.00
पारिवारिक महिला लोक अदालत	432220.00	793260.00
महिलाओं से संबंधित कानूनों के उचित क्रियान्व्यन के लिए न्यायपालिका एवं पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	608641.00	533271.00
राष्ट्रीय महिला आयोग का राज्य महिला आयोगों के साथ नेटवर्किंग एवं टेलीकॉन्फ्रेंसिंग	375200.00	--
नुक्कड नाटक एवं लोक गीतों आदि के लिए गैर सरकारी संगठनों को राशि	--	350000.00
घ	**4,73,32,934.00**	**3,20,05,312.00**
पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्गत		
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	24,28,310.00	34,28,591.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	18,62,200.00	11,10,956.00
विशेष अध्ययन	24,87,166.00	8,91,354.00
ड़	**67,77,676.00**	**54,30,901.00**
(क+ख+ग+घ+ड़)	**16,38,83,852.00**	**22,94,70,362.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी **सदस्य सचिव**

वेप्रेषण अनुसूची - 29

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष		पिछला वर्ष	
	परिवर्धन	विप्रेषित राशि	परिवर्धन	विप्रेषित राशि
सामान्य भविष्य निधि	11,49,000.00	11,49,000.00	17,39,900.00	17,39,900.00
लाइसेंस शुल्क	56,723.00	56,723.00	69,335.00	69,335.00
आय कर	20,21,288.00	20,21,288.00	26,20,128.00	26,20,128.00
कें.स.स्वा.यो.	28,875.00	28,875.00	35,475.99	35,475.99
सीजीईजीआईएस	11,940.00	11,940.00	16,842.00	16,842.00
गृह निर्माण अग्रिम	16,000.00	16,000.00	–	–
गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज	12,000.00	12,000.00	28,675.00	28,675.00
एमसीए + (ब्याज)	3,348.00	3,348.00	22,400.00	22,400.00
ओ.एम.सी.ए.	--	--	–	–
ओ.एम.सी.ए. पर ब्याज	--	--	–	–
त्यौहार अग्रिम	4,08,508.00	4,08,508.00	2,100.00	2,100.00
कम्प्यूटर अग्रिम	11,056.00	11,056.00	20,358.00	20,358.00
कम्प्यूटर अग्रिम पर ब्याज	--	--	–	–
सी.पी.एफ. अंशदान	4,08,508.00	4,08,508.00	6,88,817.00	6,88,817.00
सी.पी.एफ. अग्रिम	--	--	-	-
ई.पी.एफ.	1,09,372.00	1,09,372.00	1,60,013.00	1,60,013.00
स्रोत पर कर कटौती	12,54,411.00	12,54,411.00	44,05,488.00	44,05,488.00
एनपीएस	2,38,686.00	2,38,686.00	-	-
कुल	**53,25,257.00**	**53,25,257.00**	**98,09,531.00**	**98,09,531.00**

वेतन एवं लेखा अधिकारी

सदस्य सचिव

महिला आयोग

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची - 24

महत्वूपर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखा परिपाटी

वित्तीय विवरण प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए जाते हैं । वित्तीय विवरण महालेखानियंत्रक का कार्यालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र के स्वायत्तशासी निकायों (अलाभकारी संगठन अैर ऐसे ही संस्थान) के लिए उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में तैयार किए गए हैं ।

2. निवेश

2.1 वर्ष 2015-16 के दौरन राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोई निवेश नहीं किया गया है और आज तक की स्थति के अनुसार शेष शून्य है ।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

3.1 स्थायी परिसंपत्तियों का उल्लेख अधिग्रहण लागत के अनुसार किया गया है जिनमें आवक भाड़ा, शुल्क तथा कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित है । निर्माण कार्य से संबंधित परियोजनाओं के मामले में परियोजना प्रचलित किए जाने से पूर्व का व्यय पूंजीकृत परिसंपत्तियों के मूल्य का भाग है ।

3.2 31.03.2015 को अग्रिम के रूप में दर्शायी गई राशि 19.48 करोड़ रुपये की राशि एनबीसीसी को 2015-16 के दौरान भुगतान की गई 1.90 करोड़ रुपये की राशि के साथ के साथ दी गई जिसे एसएआर लेखापरीक्षा (2014-15) पैरा सं. क.क.2 के अनुसरण में प्रगति पर पूंजीगत कार्य में अंतरित कर दिया गया।

3.3 31.03.2016 तक भवन को लेखों में पूंजी के रूप में दर्ज नहीं किया गया है क्योंकि पूर्णता/ दखल प्रमाण पत्र, सभागार के उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी भी एनबीसीसी द्वारा हासिल किया जाना है और कुछ मरम्मत कार्य भी उनके द्वारा किया जा रहा है। एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम बिल की संवीक्षा की जा रही है और संवीक्षा होने क बाद ही पूंजीकृत की जाने वाली राशि का पता चलेगा ।

3.4 स्थायी परिसंपत्तियों में राष्ट्रीय महिला आयोग को भेंट की गई / दान दी गई पुस्तकें सम्मिलित हैं और उनका अंकित मूल्य पर पूंजीकरण किया जाता है ।

4. मूल्यह्रास

4.1 मूल्यह्रास का प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार ह्रासित मूल्य विधि पर किया जाता है । वित्तीय विवरण प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं ।

5. सरकारी अनुदान / सहायिकी

सरकारी अनुदान का परिकलन प्राप्तियों के आधार पर किया जाता है ।

31.03.2016 को समाप्त अवधि को वित्तीय लेखाओं से संबद्ध अनुसूची - 25

लेखाओं पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देनदारियां

1.1 आयोग के प्रति दावे जिन्हें ऋण माना गया - शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.2 निम्नलिखित के संबंध में :

- आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटियां - शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
- आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गए ऋण पत्र - शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
- आयोग के पास बट्टे पर चुकाए जाने वाले बिल - शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.3 निम्नलिखित के संबंध में विवादित मांगे :

आय कर - शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
बिक्री कर - शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)
नगरपालिका कर - शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

1.4 आदेशों का पालन न किए जाने के संबंध में पक्षों द्वारा किए गए दावे जिनका आयोग ने विरोध किया - शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएं

जसोला में राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय भवन के निर्माण की प्रारंभिक अनुमानित लागत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दिए गए प्राक्कलन के अनुसार 6.09 करोड़ रुपये थी और उन्हें पेशगी के रूप में 1.80 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया । लेकिन प्रशासनिक कारणों की बजह से भवन का निर्माण नहीं किया जा सका । लेकिन उस समय तक केंद्रीय लोक निर्माण विभाग चारदीवारी आदि पर 32.98 लाख रुपये व्यय कर चुका था । उसके बाद, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और एनबीसीसी से पुन: नए प्राक्क्लन मांगे गए जिसमें एनबीसीसी ने निर्माण के लिए कम लागत उद्धृत की । इसलिए नया एसएफसी किया गया और निर्माण कार्य एनबीसीसी को सौंपा गया । अब एनबीसीसी ने निर्माण कार्य पूरा कर दिया है लेकिन पूर्णता/ दखल प्रमाण पत्र, सभागार के उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी भी एनबीसीसी द्वारा हासिल किया जाना है और कुछ मरम्मत कार्य भी उनके द्वारा किया जा रहा है। । केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से उन्हें पेशगी के रूप में भुगतान की गई 147.02 लाख रुपये की बकाया राशि वापस करने का अनुरोध भी किया गया है ।

3. चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्यकलाप के दौरान प्राप्तियों पर है, जो कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर है ।

4. कराधान

आय - कर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर - योग्य आय न होने के कारण आय कर के लिए कोई प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

5. विदेशी मुद्रा में लेन-देन

5.1 आयातों का सी.आई.एफ. आधार पर परिकलत मूल्य :

तैयार माल की खरीद	शून्य
कच्चा माल और उपकरण (मार्गस्थ समेत)	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य
स्टोर सामग्री, कलपुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्यय :

(क)	यात्रा	शून्य
(ख)	वित्तीय संस्थानों / बैंको को विदेशी मुद्रा में किया गया धन प्रेषण और ब्याज का भुगतान	शून्य
(ग)	अन्य व्यय	शून्य
	बिक्री पर कमीशन	शून्य
	कानूनी और पेशेवर व्यय	शून्य
	विविध व्यय	शून्य

5.3 आय :

एफ.ओ.बी. आधर पर निर्यातों का मूल्य	शून्य

6. ये वित्तीय विवरण महालेखानियंत्रक के कार्यालय द्वारा दिए गए निर्धारित प्रपत्र के आधार पर तैयार किए गए हैं जो आयोग पर लागू होते हैं।

7. खाता बही में कर्मचारियों की मृत्यु / सेवानिवृत्ति पर देय उपदान तथा जमा छुट्टियों का नकदीकरण के लाभों के दायित्व का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । राष्ट्रीय महिला आयोग एक स्वायत्तशासी निकाय है । इस संगठन में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है । सभी कर्मचारी या तो केंद्र सरकार या अर्द्ध-सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्त किए गए हैं या आयोग में नैमित्तिक / संविदा आधार पर भी कुछ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिन्हें कोई उपदान, पेंशन देय नहीं है ।

8. भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय महिला आयोग का वित्त पोषण करता है । मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष में आयोग को मिले अनुदानों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	विवरण	योजनागत (रु0)	योजनेत्तर (रु0)
1.	वर्ष के आरंभ में अप्रयुक्त शेष अनुदान	1,56,**55,981**8	18,779
2.	वर्ष के आरंभ में अप्रयुक्त शेष नकद राशि	--	--
3.	शेष बची अप्रयुक्त डाक टिकटें	--	35,115
4.	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	18,43,44,000	5,14,76,000

5.	वर्ष के अंत में अप्रयुक्त शेष अनुदान की राशि (विविध प्राप्तियों सहित)	1,62,81,559	79,92,559
6.	वर्ष के अंत में नकद अनप्रयुक्त शेष	--	--
7.	शेष बची अप्रयुक्त डाक टिकटें	--	32,284

9. समान लक्ष्य और उद्देश्य रखने वाले गैर-सरकारी संगठनों आदि को दिए जाने वाले अनुदानों / वित्तीय सहायता का हिसाब रखा जाता है और अनुदान / वित्तीय सहायता जारी कर दिए जाने पर इन्हें व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है ।

10. 2014-15 की एसएआर लेखापरीक्षामें पैरा संख्या क.1.1 में दी गई टिप्पणियों का अनुपालन जून, 2016 तक एनआईसीएसआई को किए गए भुगतान को तीन माह अर्थात् अप्रैल, 2016 से जून, 2016 तक पूर्व भुगतान किए गए व्यय के रूप में दर्शाया गया है ।

11. अनुसूची 1 से 30 संलग्न है जो वर्ष 2015-16 के तुलन-पत्र तथा आय और व्यय लेखा के अभिन्न अंग हैं ।

वेतन एवं लेख अधिकारी **सदस्य सचिव**